खण्ड-470, अंक-6
मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1930
(17 फरवरी, 2009 ई0)

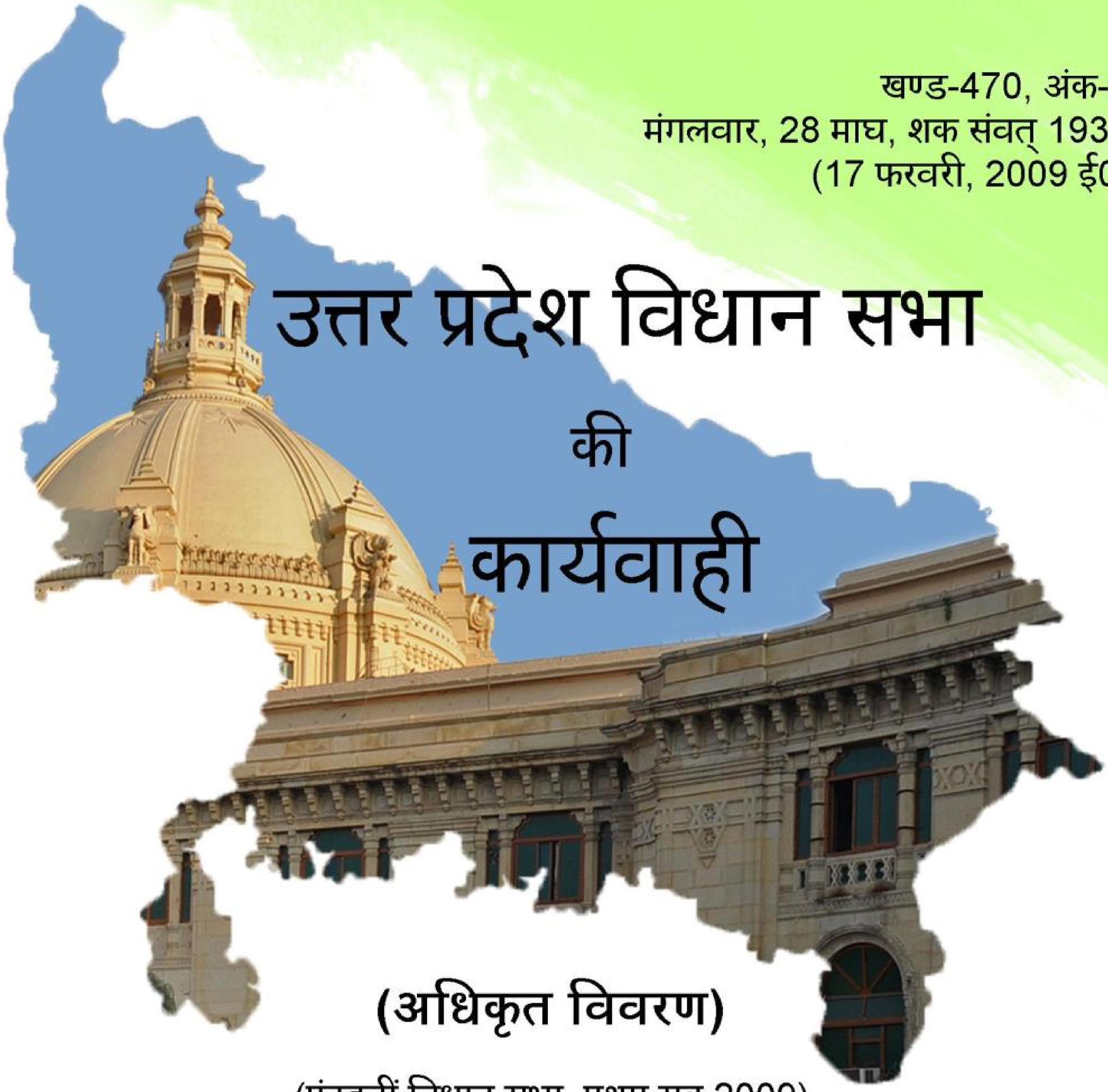

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	छ-ठ
नियम 311 एवं नियम 56 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	119
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	119-120
सोनभद्र के राबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरखाड़ टोला केवाल (चेखा) में एक ही परिवार के पांच बच्चों को फूड प्वाइजनिंग से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
प्रदेश के राज्यसम्पत्ति विभाग में समूह 'घ' के 1991 के पूर्व से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ महामायानगर के बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षायें संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
कानपुर नगर निगम द्वारा लगाये गये सरल कर के दोषपूर्ण नियम पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी के कटान को नियंत्रित करने एवं बाढ़ बचाव का कार्य मानसून से पूर्व करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत धाथी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
लखीमपुर खीरी में अमृतागंज के शेष भाग 1.800 मीटर ध्वस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124-125
उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125-126
मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में सृजित सभी पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के स्ववित्त पोषित योजना में नियुक्त प्रवक्ताओं तथा उपाचार्यों का विनियमितीकरण कालेजों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के साथ ही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद एटा के विकास खण्ड जलेसर के कतिपय गांवों में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	127
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमुही में रोड लाइट की दुकानों पर मीटर व लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	127-128
प्रदेश में कार्यरत तदर्थ अंशकालिक (मानदेय) खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	128
आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	129-130
जनपद महामायानगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेरा मरामई में फर्जी तौर पर मृतक आश्रित कोटे से प्राप्त नौकरी पर सेवा समाप्ति के आदेशों का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	130-131
प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131-132
प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक यूनिट खून का एक्सचेंज मूल्य 48/- के स्थान पर रुपये 850/-कर दिये जाने से गरीबों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	132-134
गृह (पुलिस) अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या : 2548/छ-पु-102008-27 (60)-2001, दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	134
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उ0प्र0 सरकार (सदन के पटल पर रखे गये) ...	134
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उ0प्र0 सरकार (सदन के पटल पर रखे गये)..	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत झारी विकास खण्ड प्रतापपुर के पूरब की तरफ स्थित नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती मालती देवी तथा श्री राजमणि यादव व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	135
सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	135-136
श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी द्वारा श्रीमती बीना कुमारी मीना तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	136-137
श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा प्रबन्धक ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ तथा उक्त फर्म के उत्पादन को मंजूरी देने वाले सरकारी विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	137-39
डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा श्री दिनेश कुमार निवासी गुनिया खुर्द थाना तम्बौर जिला सीतापुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	139-140
श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा श्री यशोबर्धन नगाइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	140-141
श्री राम विशुन आजाद, स0 वि0 सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2007 के दूसरे मंगलवार दिनांक 16-11-07 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के सन्दर्भ में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	141-143
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	143
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	143-144
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल पर प्रवेश कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	144
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचनायें	144-165
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	165-184
आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में बोलने हेतु समय सीमा का निर्धारण ...	184
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	184-207
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	207-208

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	208-215
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 के अननुमोदन का संकल्प तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009(संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	215-220
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	220-222
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	222-223
प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु 20 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	223-224
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विश्वबैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त धन का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	224-226
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सोसर दनियापुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	226
प्रदेश में स्थित सई नदी को प्रदूषण से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	227
जनपद इलाहाबाद में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	227-230
जनपद आजमगढ़ स्थित ठेकमा मंगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	230-231
जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ग्राम सभा बधरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	231-232

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	232-233
नत्थियां	234-241

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-320

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश सभा

दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कठेरिया, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर

वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
रिक्त	सन्त रविदासनगर (भदोही)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 एवं नियम-56 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में सूचना दी है। एक बड़ी घटना हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये अगर बड़ी घटना है तो उसको सुन लेंगे।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां एक नृशंस हत्या हुयी है। नियम-56 में एक सूचना लगायी है।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-56 चयनित हो गया है। त्रिपाठी जी, कल दे दीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कई सदस्यों ने दस्तखत करके सूचना दी है। दो मिनट के लिए सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब कह दिये तो ठीक है सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सरकारी कर्मियों को केन्द्र के समान छठे वेतनमान एवं समस्त भत्ते दिये जाने की मांग

**1-श्री सुधीर कुमार (अनुपस्थित)-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008 में सदन के द्वितीय सत्र प्रारम्भ होने पर सदन में मा0 मुख्य मंत्री ने प्रदेश के सरकारी कर्मियों को केन्द्र के समान छठे वेतनमान एवं समस्त भत्ते दिये जाने की घोषणा की थी ? क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया है ? यदि हां, तो प्रदेश के महानगरों में रहने वाले प्रादेशीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त घोषणा के अनुसार प्रदेश के सरकारी कर्मियों को केन्द्र के बराबर समस्त भत्ते देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित किये जाने की घोषणा की गयी थी।

जी हां।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन समिति की संस्तुति पर ग्रेड वेतन के आधार पर निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है जो प्रतिशत के आधार पर नहीं है।

जी नहीं।

महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों से केन्द्र से समकक्षता के सिद्धान्त को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

(श्री सुधीर कुमार का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुधीर कुमार जी नहीं है अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते बढ़ाये जाने की मांग

**2-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा के विधायकों के वेतन व भत्ते बढ़ाने पर सरकार क्या विचार करेगी ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित अधिनियम कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह मुस्कुरा कर नहीं दिया है। मान्यवर, अगर यह मुस्कुरा कर देते और भलीभांति पूरा सदन सहमत है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार ने लागू कर दीं और जो चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं वह सुविधाओं के मामले विधायकों से ऊपर हो गये और विधायक का प्रोटोकाल क्या है ? यह बहुत अच्छा उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का नहीं है। यह तो ठीक है कि यह बात आती है कि यह बात कमरे में कर ली जाये। लेकिन वहां कोई सुनता ही नहीं है इसलिए मजबूर होकर यह प्रश्न लाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

समय देखकर बात करियेगा कि हमेशा कमरे में।

(हंसी)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

इस सवाल पर सदन का माहौल देखिये। अगर हम कहें कि इस सवाल पर अगर गुप्त मतदान करा लिया जाये तो शायद संसदीय कार्य मंत्री जी को यह विचार करना पड़ेगा कि विधायकों की यह आवश्यकताएं हैं मान्यवर। मान्यवर, इतनी आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। आवश्यकताएं महंगाई का ही दूसरा नाम है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ पूर्व विधायकों का सवाल है। मान्यवर, मेरे पास लगभग 50 पूर्व विधायकों के हस्ताक्षर हैं। पूर्व विधायकों ने यह मांग की है कि पूर्व विधायकों की स्थिति बहुत दयनीय है। 1977, 1980, 1979, 1991 और 1993 में जो विधान सभा के सदस्य थे इनका कार्यकाल बहुत कम था और इसके कारण जो पेंशन यहां पर निर्धारित हुयी उसमें उनकी जो बढ़ोत्तरी हुयी वह बहुत कम हुयी और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उनकी मांग यह है कि कम से कम जो पेंशन की राशि है वह 20 हजार रुपये की जाये और 10 हजार रुपये डीजल और पेट्रोल के लिए अपने कूपन में से कटवाने के लिए अनुमति के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस पर अपना उत्तर दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप देखें कि यह प्रश्न जो है वर्तमान विधायकों के सम्बन्ध में है और माननीय सदस्य दूसरा अनुपूरक पूछ रहे हैं। तो प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, प्रश्न से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि प्रश्न में संवेदनशीलता है और संवेदनशीलता माननीय मंत्री जी के अन्दर होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस पर विचार करने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पूर्व विधायकों की विधवाओं, किसी विधायक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवाओं को पेंशन देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, अधिकतर विधायकों या पूर्व विधायकों की मृत्यु होने के बाद उनकी विधवाओं का बड़ा बुरा हाल होता है।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, इससे सम्बन्धित प्रश्न आप अलग से लगवा लें, यह प्रश्न से जुड़ा मसला नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है, सबको पूर्व होना है, सबको स्वर्गवासी होना है। उनकी विधवाओं का क्या होगा ? सरकार को इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। मैं ऐसी विधवाओं को जानता हूं जो रोटियों के लिए मोहताज है। पूर्व विधायकों की पत्नी, वर्तमान विधायकों की हालत हो सकती है, भगवान उनको स्वर्गवासी न करे, पर यह है कि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है, इसलिए हम इस मामले में आपकी चेयर से विषय निर्देशन चाहूंगा। माननीय मंत्री जी इस पर अपना पक्ष रख दें।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, यह विषय प्रश्न से हटकर के हैं। हां, ओझा साहब आप अपनी बात कहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर देने में थोड़ा लचीलापन अख्तियार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मान्यवर, हम लोगों के जो विधायक फण्ड मिलता है, इसमें हम लोगों के हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं जो शासन या प्रशासनिक अधिकारी जो उनकी मंशा है, गाइड लाइन है, उसी पर हम अपना प्रस्ताव देते हैं हम अपने विवेक से किसी को एक पैसा भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विधायकों पर कुछ इनके विवेक पर छोड़ दिया जाय जो जन्यून काम हों, जो वास्तविक आवश्यकता हो, आपका एक वर्कर है जो जिन्दगी भर आपके पीछे रहा, आप उसका एक आवास बनवाना चाहते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, इसी प्रकार से जो सार्वजनिक जीवन में लोग रहते है, उनकी अपनी विवशतायें होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विधायकों के लिए भी कुछ सुरक्षित धनराशि 20 परसेण्ट, 25 परसेण्ट जो भी हो, विधायक फण्ड से देने की कृपा करेंगे, आवंटित करने की कृपा करेंगे ? ताकि हम अपने जिसको हम समझते हैं मान्यवर, उसकी हम मदद कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब, आप वरिष्ठ सदस्य है, इस पर गाइड लाइन बनी हुई है, काहे अलग से उत्तर मांग रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

गाइड लाइन मान्यवर, इसलिए बनती है कि जनहित में हो वह।

श्री अध्यक्ष-

गाइड लाइन में जो निर्देश है उसके अनुसार आप अपने विवेक से तो जनता के लिए काम करा ही रहे हैं। आप अपने विवेक से प्रस्ताव देते हैं। हां, खन्ना साहब आप बतायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अपने आप मान्यवर, अपने वेतन भत्तों में वृद्धि करना उचित प्रतीत नहीं होता है तो मेरा एक सुझाव है आप भी विचार कर लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी विचार कर लें कि प्राइस इण्डेक्स से मान्यवर इस विषय को जोड़ दिया जाए। अगर प्राईइ इण्डेक्स से जोड़ देंगे तो प्राईस इण्डेक्स जब बढ़ेगा तो आटोमेटिकल यह क्राईटेरिया बन जायेगा, उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में वह बढ़ता चला जायेगा क्योंकि यह अपने आप में उचित प्रतीत नहीं होता है और इससे जनता में मैसेज भी अच्छा नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, खन्ना जी की शादी कराइये तभी इनको पता लगेगा कि मंहगाई है कि नही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हर बात को इतने हल्के तरीके से लेना और विषय से हट कर बात करना उचित नहीं है।

(माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राकेशधर त्रिपाठी जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह तो बहुत जिम्मेदार हैं मान्यवर, इनसे कहिये यह तो बैठ जायें। यह एक प्रिन्सपल का इन्तजाम तक नहीं कर पाये, हमारा इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं, माथुर साहब करेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, माननीय खन्ना साहब शादी कर लें तो इनके पारिवारिक पेंशन पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको हंसी में न लें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मान्यवर, इसमें वेतन और भत्तों की बात आई, यह सही है कि भत्तों में मान्यवर, उसकी समीक्षा जरूर होना चाहिए। बीसों साल पुराने जो क्राईटेरियन्स है वह बने हुए हैं। एक रुपये पचहत्तर पैसे किमी0 टी0ए0 बना हुआ है। प्रदेश के बाहर जब कमेटी जाती है मान्यवर, तो मात्र पांच सौ रुपया जो उत्तर प्रदेश में विधायकों के भत्ते के लिए मिलता है तो कमेटी की बैठक में केवल पांच सौ रुपया उत्तर प्रदेश में मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले आप पूरी बात सुन तो लें। मान्यवर, हमने पहली बात कही थी अगर आप प्राइस इण्डेक्स से इसको जोड़ देंगे तो सारी समस्या का समाधान हमेशा खत्म हो जायेगा, यह प्रश्न कभी विधान सभा में मान्यवर, नहीं आयेगा। मान्यवर, जब प्राईज इन्डेक्स बढ़ेगा, उसी के अनुरूप आटोमेटिकली बढ़ जायेगा। मान्यवर, कुछ चीजों में समीक्षा की आवश्यकता है। आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, यह एक आपका सुझाव है। सदन ने आपके सुझाव को सुन लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी आप अवगत हैं कि इस सम्बन्ध में हम लोगों की एक बैठक भी हुई थी। मुझे यह कहना है कि आज ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत एक मजदूर को 100 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है और माननीय विधायकों का वेतन भी 3000 रु0 प्रति माह है तो 100 रु0 प्रतिदिन औसत आता है। इसी तरह से हम लोगों को 15 हजार रु0 एक भत्ता मिलता है और 6000 रु0 चिकित्सा भत्ता मिलता है और दूसरा 6000 हजार रु0 भत्ता मिलता है। भत्ता की बात तो अलग है लेकिन जब हम वेतन की बात करते हैं तो वह कम है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि हम सबके इलाकों में यह बात सामान्य रूप से कही जाती है कि विधायक तो लूटकर खा रहे हैं। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है आप अवगत हैं। मेरा निवेदन है कि आपके स्तर से हम लोगों के वेतन और भत्तों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये। मान्यवर, झारखण्ड सबसे छोटा राज्य है लेकिन वहां के विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते हैं। हम लोग जब कमेटी के बाहर जाते हैं और हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो उसका किराया कटता है और प्रतिपूर्ति भी नहीं मिलती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बारे में कुछ कृपा करें और विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपका सुझाव आ गया है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह बताने की कृपा करें माननीय मंत्री जी कि मेरे द्वारा प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो उत्तर में पहले ही आ गया है जवाब।

(नत्थी 'घ')

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के शहरों में सुअरों से होनी वाली बीमारी की रोकथाम एवं उन्हें शहर के बाहर करने के उपाय

*1-श्री मदन भैया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शहरों में सुअरों से होने वाली जानलेवा बीमारी जापानी इंस्फेलाइटिस से बचाव हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? क्या इस हेतु सुअरों को शहर से बाहर किये जाने हेतु भी कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

जी हां। जापानी इन्सेफ्लाटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम रोग पर नियंत्रण हेतु जापानी इन्सेफ्लाटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) नियंत्रण कार्य-योजना 2008 बनायी गयी है।

जी हां। उक्त कार्य योजना में यथासम्भव सुअरबाड़ों को आबादी से दूर स्थापित करने तथा सुअरबाड़ों को जाली द्वारा घेरे जाने तथा सुअरबाड़ों में कीटनाशक के छिड़काव की व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है। नगर विकास विभाग के शासनदेश दिनांक 27-8-2005 द्वारा सुअरों एवं सुअर पालकों को घनी आबादी से दूर स्थानान्तरित किये जाने हेतु नागर निकायवार कार्य-योजना तैयार करने एवं प्रदेश के समस्त नगर निकायों में अपदूषण-कारक पशुओं के नियंत्रण हेतु उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण-कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा नगर आयुक्तों को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि सुअरों को शहर से बाहर निकालने के लिये नियमावली बना दी गयी है। मैं माल एवेन्यू में रहता हूं जब उदयगंज रोड से हुसैनगंज की तरफ चलता हूं तो देखता हूं कि सारी जगहों पर सुअर ऐसे घूमते हैं जैसे देहातों में बकरियां चरती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जापानी बुखार के अलावा इससे और कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं ?

* श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सुअरों को शहरों से दूर करने के लिये नगर विकास विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी है उस पर कार्यवाही हो रही है। इस सम्बन्ध में समस्त मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग की नगर विकास विभाग के साथ बैठक भी हुई है क्योंकि यह जो जापानी इन्सेफ्लाइटिस वायरस है यह सुअरों से ट्रांसफर होता है। इसलिए पहले हम इसके प्रिवेंशन के लिये नगर विकास विभाग की सहायता लेते हैं और जिसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली है। उसके बाद उपचार की बात आती है। मान्यवर, अगर इस सम्बन्ध में मृत्यु दर को देखा जाय तो 2005 में जो 28 प्रतिशत थी वह घटकर 16 प्रतिशत हो गयी है। तो निश्चित रूप से हमने कार्यवाही की है हमारी पूरी कार्य योजना तैयार है। मान्यवर, जापानी, इन्सेफ्लाइटिस में जो वैक्सीन लगता है उसकी आपूर्ति भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। वह वैक्सीन चायना से आयातित होती है और हमें जितनी मात्रा में मिलती है उसका सौ प्रतिशत इम्युनाईजेशन करते हैं। हमने पिछली बार भी इसे किया है। मान्यवर, हमारे जितने जिला चिकित्सालय हैं वहां पर जे0ई0 के उपचार के लिये पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराते हैं। वहां पर जे0ई0 का, मस्तिष्क ज्वर का इलाज पूर्णतया हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मस्तिष्क ज्वर का जापानी इन्सेफ्लाइटिस का कारण सुअर ही है या और भी कुछ है और यदि यही कारण है तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस तरह से शहरों में इस रोग से बचाने के लिए सुअरों को बाहर करने के लिये जो व्यवस्था बनाई गयी है क्या ग्रामीण अंचलों में भी इस व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ विचार करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुअर के अलावा मच्छर भी इसका वाहक होता है इस वायरस का। देहात क्षेत्र में इसके लिए हमने जो कीटनाशक का छिड़काव है, उसकी व्यवस्था हमने उपलब्ध कराई है वह प्रिवेन्टिव है और उसके क्योर के लिए जो वैक्सीन की जरूरत हमको होती है जो भारत सरकार से हमको मिलती है उसको हम उपयोग करते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बहुत स्पष्ट उत्तर आ गया है, अब इसमें कौन सा अनुपूरक बन रहा है ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूं थोड़ा डाक्टर होने के नाते बताना चाहता हूं कि यह रिसरवायर होते हैं, वाहक नहीं होते हैं वाहक तो इसका मास्क्यूटो होता है क्यूलेक्स ट्राइटो हैकिस। यह इसका मास्क्यूटो होता है जो इसका वाहक होता है। यह पाया जाता है सुअरों के अन्दर डक के अन्दर, बत्तखों के अन्दर और हमारे चारों तरफ जो मुर्गियां पायी जाती है उसके अन्दर पाया जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह बात बार-बार आती है कि सुअरों को बाहर निकाल दो इसको बाहर निकाल दो उसको बाहर निकाल दो इसके प्रिवेंस का एक और फायदा होता है कि यदि हम सुअरों के अन्दर जो वैटिनरी वैक्सीन आती है उसको लगा दिया जाय तो जापानी इन्सेफ्लाइटिस को रोकने में काफी मदद मिलेगी। तो हम यह जानना चाहते थे कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस को रोकने के लिए सुअरों के अन्दर वैक्सीन देने की माननीय मंत्री जी ने कोई योजना बनाई है कि नहीं बनाई है ? एक चीज तो यह है दूसरी चीज बार-बार यहां आती है कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस का ट्रीटमेन्ट-ट्रीटमेन्ट-ट्रीटमेन्ट।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिये। आप इस पर एक किताब लिख दीजिए काहे इस पर अपना इतना सुझाव दे रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हम सुझाव नहीं दे रहे हैं हम यह जानना चाहते हैं कि जापानी इन्सेफ्लाइटिस जब हो गयी तो उसके ट्रीटमेन्ट के लिए आप सुअरों के अन्दर यह वैक्सीन लगाने का कोई प्राविधान करेंगे कि नहीं करेंगे बस इतना प्रश्न पूछना चाहते थे ?

श्री अध्यक्ष-

और सुझाव के लिए आप किताब छापिये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सुझाव तो दे दिये।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, सुअरों को निकालने के लिए इसी विधान सभा में एक याचिका प्रस्तुत की गयी थी उसके लिए कुछ रूल्स फ्रेम हुए थे लेकिन आज तक उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि नगर विकास मंत्रालय द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है तो क्या लखनऊ में आज से दो साल के अन्दर कोई भी कार्य किया गया है, सुअरों को बाहर निकालने के लिए उस कानून का इम्पलीमेन्टेशन कराया गया है कि नहीं कराया गया है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, हालांकि यह हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि निश्चित रूप से मृत्युदर में कमी आई है तो निश्चित रूप से नगर विकास विभाग के सकारात्मक प्रयासों के कारण हमको मदद मिली है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा सदन के अन्दर कहा कि सुअरों के शहर से बाहर बाड़े स्थापित करने के लिये जो योजना बनाई गयी है उसमें काफी हद तक सफलता मिली है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में इस योजना में सफलता मिली है, कहां पर एक भी बाड़ा स्थापित किया गया है ? सुअरों का किसी भी शहर में तो उसको बताने का काम कर दें जहां इनको सफलता मिली है पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में ?

श्री अध्यक्ष-

अच्छा माननीय सोलंकी साहब सफलता का मापदण्ड अब कौन सा मेजरमेन्ट इनके पास है। कितना सर्वे करायें कि मिली या नहीं मिली चलिये आपका एक सुझाव आया।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

पूरे उत्तर प्रदेश में एक योजना बनी, सुअरों को शहर से बाहर करने की, बाड़ा बनाकर स्थापित करने की। मैं भी स्वीकार करता हूं कि कार्य योजना बनी। उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिये कहीं कोई शुरुआत की गयी, कहीं कोई कार्य किया गया सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कहीं से किसी शहर से कोई शुरुआत की गयी हो तो माननीय मंत्री जी बता दें और रही विभाग की बात तो दूसरा विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास में ही है वहां से मदद लेने का काम कर लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग ने मिलकर बात की। अब उस पर कहां कार्यवाही हुयी, नहीं हुयी, अब उसके लिये अलग से सूचना की जरूरत पड़ेगी और नगर विकास विभाग से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी जवाब आया था कि हमने उत्तर प्रदेश के गांवों में भी सुअरों को बाहर निकालने के लिये व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश में 52 हजार गांव सभायें हैं और

गांव से सुअरों के बाहर निकालने के लिये व्यवस्था आपने बताई है। क्या आप उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा गांव बता सकते हैं जहां इस तरह का काम किया गया है ? मेरी जानकारी के अनुसार एक भी गांव ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये सिरोही साहब आपकी जानकारी का संज्ञान लिया जा रहा है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, सारी जाट बिरादरी के लोग सुअरों के बारे में बोल रहे हैं। जाट बिरादरी ने सुअरों का ठेका ले रखा है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

अब पता लगा लेंगे। सिरोही जी, आपके लिये सूचना कलेक्ट करना पड़ेगा।

नत्थी-ग

तारांकित प्रश्न

सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर रोक

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर रोक है तथा उसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि शासन स्तर पर कठोर कार्यवाही न करने से सभी प्रकार के सरकारी चिकित्सालयों में नियुक्त चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से गरीब व असहाय मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से चिकित्सक उपस्थित रहें इस हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस के सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निबन्धन नियमावली, 1983 प्रभावी है, जिसमें सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगायी गयी है। निजी प्रैक्टिस को संज्ञेय अपराध घोषित नहीं किया गया है।

गरीब व असहाय मरीजों के साथ-साथ समस्त रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से चिकित्सकों के उपस्थित रहने तथा दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिनांक 16-8-07 व 12-3-08 को निर्गत किये गये हैं। अनुपस्थित चिकित्सकों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर उसकी जांच कराकर चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17-7-06 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसमें निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने एवं अनुपस्थिति पाये गये चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है। समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दिनांक 5-6-07 के आदेश से चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चिकित्सालयों का निरीक्षण किये जाने के अधिकार दिये गये हैं तथा दिनांक 20-6-07 को भी उन्हें निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल इस माननीय सदन के सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है क्योंकि उनको इसका सामना करना पड़ता है अपने-अपने क्षेत्रों में। सवाल व्यापक लोक महत्व का है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं दिया है इसका अर्थ है कि वह इस बात से सहमत हैं कि चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से गरीब एवं असहाय मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। मेरा आशय सिर्फ इतना है उनको कोई ऐसी परिस्थिति में डालना नहीं है, लेकिन चूंकि आप नवयुवक हैं, ऊर्जावान हैं, संवेदनशील हैं तो इस पूरे प्रश्न की गम्भीरता पर आप विचार करें और इस रोग का इलाज क्या हो सकता है कि जो गरीब जनता है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो डाक्टर्स हैं, वह उपलब्ध रहें ? उन गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, उन्हें दवाएं उपलब्ध हों, यह आप सुनिश्चित करें। दूसरी बात यह है कि वहां डाक्टर रहते ही नहीं हैं, जहां डाक्टर नियुक्त हैं वहां भी नहीं रहते हैं और जहां नियुक्ति में कमी है वह एक अलग सवाल है। मेरे यहां जो मण्डलीय चिकित्सालय शिव प्रसाद गुप्त है, वहां भी जितने पद सृजित हैं, उतने डाक्टर नहीं हैं विशेषकर जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं उनकी कमी है। इसलिए विषय और प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कहीं यह रोग भयंकर और लाइलाज न बन जाये, कहीं आप सरेण्डर न कर दें, इसलिए यह प्रयत्न आप करते रहे और यह आप सुनिश्चित करें कि सुविधा उन्हें मिले। जहां तक आपने दिशा-निर्देश देने का उल्लेख किया है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह दिशा-निर्देश तो समय-समय पर इस रोग को देखते हुए आपने जारी कर दिया लेकिन क्या उसका कोई फीडबैक आपके पास है कि उन दिशा-निर्देशों का पालन कहीं पर हुआ ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि मैंने जो संज्ञेय अपराध घोषित करने की बात कही है तो क्या इस लाइलाज रोग को देखते हुए इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये सरकार इसे संज्ञेय अपराध घोषित करने पर विचार करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है, जनहित में है और हमारा विभाग इसके प्रति बहुत गम्भीर है। इस सरकार के पहले चिकित्सकों की उपस्थिति को सुनिश्चित कराने का काम या तो मुख्य चिकित्साधिकारी का होता था या मुख्य

चिकित्सकों का होता था। लेकिन औचक निरीक्षण करने के उपरान्त और माननीया मुख्य मंत्री जी के निरीक्षणों के उपरान्त पूरे प्रदेश में हमारे विभाग में जिला चिकित्सालयों, पी0एच0सीज0, सी0एच0सीज0, में यह सन्देश गया कि माननीया मुख्य मंत्री जी के प्राइम एजेण्डे में स्वास्थ्य और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य का विषय है। उससे हमको बल मिला और उनकी बात का अनुसरण कर आज वर्तमान में मैंने 70 में से 62 जिलों में स्वयं जाकर जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तो न जाने कितनी की होगी। इस सदन में मेरी आलोचना भी हुई थी कि स्वास्थ्य मंत्री यदि जा करके निरीक्षण करेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे ? उसके बाद भी हमने अपना काम बन्द नहीं किया। हमारे सामने कठिनाई यह है कि चिकित्सकों के ऊपर हम जो कार्यवाही करते हैं, हमें उनसे काम भी लेना है क्योंकि हमारे पास चिकित्सकों की बेहद कमी है। एन0आर0एच0एम0 की अभी जो पिछले महीने हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एन0आर0एच0एम0 के तहत यह स्वीकृति भी ले ली कि हम वहां पर स्पेशलिस्ट और मेल डाक्टर भी 18 हजार रुपये और हजार रुपये रोज पर आवश्यकतानुसार बुला सकते हैं। इससे हमारी कुछ न कुछ कमी दूर होगी। मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी हमारे सामने बैठे हैं पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट करें वह डाक्टर भेजना शुरू करें। हमने उसके लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने के साथ-साथ स्वयं चिकित्सकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में नो-ऑब्जेक्शन के लिए एप्लाई किया है और अब वहां से हमको स्वीकृति भी मिल गई है। मैं यहां सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चिकित्सकों की कमी होने के बावजूद भी हम जब मीटिंग में गये, पहले जब हम मण्डलों की मीटिंग करने जाते थे तो उसी समय हमको आंकड़े मिलते थे, हमने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने एस0डी0एम0, तहसीलदार से कहें कि उसी समय जिस समय मीटिंग चल रही हो उसी समय उपस्थिति का आंकलन कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट हमको मीटिंग के ही दौरान मिल गयी और जिन सी0एम0ओज0 ने हमें गलत सूचनायें दी थीं उनके ऊपर हमने सख्त कार्यवाही की और उनको हटाने का काम किया। हम अपने शासन का भय दिखाकर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं और उसमें हमको बहुत हद तक सफलता मिली है। यहां पूरा सदन मौजूद है मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष के लोगों ने मुझसे यह कहा है कि आजकल अस्पताल में जिला चिकित्सालयों में दवाई पहले से बेहतर मिल रही है।

(समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज आयी कि नहीं मिल रही है, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा ने कहा कि दवा नहीं मिल रही है।)

आपको तो दवा कभी नहीं मिलेगी, आपको तो अपने ही सरकार में मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके जिले में भी आपको दवाई मिले।

श्री अध्यक्ष-

इनको अभी दवा की जरूरत नहीं है।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

अनुपस्थित और प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त 38 चिकित्सकों के खिलाफ परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है, 12 को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया है, 5 की सेवायें

समाप्त की गयी हैं, 31 को चेतावनी का दण्ड दिया गया है, 88 चिकित्सकों के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है, 120 चिकित्सकों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अस्पतालों में दवा पहले से ज्यादा मिल रही है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया गाजीपुर के जिला चिकित्सालय में भी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा दें तो हम सब आपके आभारी होंगे। दूसरे पी0जी0आई0 एक अत्यन्त प्रतिष्ठित संस्थान है लेकिन यहां पर महिलाओं के कैंसर के निदान के लिए कुछ समस्यायें आ रही हैं विशेष रूप से महिलाओं के यूट्रेस और एब्डॉमिनल सिस्ट बहुत कॉमन बीमारी है परन्तु पी0जी0आई0 में इस समय कोई भी महिला डाक्टर इसको देखने के लिए उपलब्ध नहीं है नतीजा यह हो रहा है कि सिर्फ उनको मजबूर हो करके मेडिकल कालेज में आना पड़ रहा है जहां पर इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा की सुविधा है परन्तु पेशेन्ट वहां पर पड़े रहते हैं उनको देखने वाला कोई मौजूद नहीं होता है इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पी0जी0आई0 में किसी की नियुक्ति करा दें ?

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अभी यहां पर अपने द्वारा उठाये गये कई सख्त कदमों का जिक्र किया जिसके द्वारा समस्त चिकित्सालयों में अनुशासन कायम किया है। मैं सुल्तानपुर जनपद से चुनकर आता हूं वहां के जिला चिकित्सालय में नियुक्त एक शल्य चिकित्सक डा0 ओ0पी0 सिंह अपने काम को किसी भी तरह से अंजाम नहीं देते हैं। कई बार व्यक्तिगत तौर पर इस सम्बन्ध में कह चुका हूं और आज सदन में कह रहा हूं कि ऐसे डाक्टर जो कभी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते हैं और मा0 अध्यक्ष जी खुले तौर पर मरीजों से पैसा लेने के बाद ही आपरेशन किया जाता है, किसी तरीके का उनको भय नहीं है और साफ तौर पर कहते हैं कि जितनी नेतागिरी जिस मरीज को करानी हो करा लें तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं या उसमें भी असहाय हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

आप इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और हमारे मित्र भी हैं, आपको हमें लिखकर दे देना चाहिए था। आप लिखकर दीजिए उस पर हम कार्यवाही करा देंगे।

श्री अनूप सण्डा-

मंत्री जी मित्रों का काम बहुत देर से करते हैं इसलिए आपके माध्यम से सदन में कहना पड़ा।

श्री अशोक सिंह चौहान-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस सम्बन्ध में दो अनुपूरक पूछना चाहता हूं। तीन माह पूर्व मा0 मंत्री जी मैनपुरी गये थे और मैनपुरी जिला चिकित्सालय का अचानक दौरा किया था। वहां पर पत्रकारों ने और स्थानीय जनता ने यह कहा था कि यहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं हैं और आकस्मिक सेवा में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने वहां की जनता के बीच में यह आश्वासन दिया था कि यहां तुरन्त हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां मैनपुरी जनपद में पूरे प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा कैंसर से मौत होती है वहां सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है। वहां कैंसर यूनिट स्थापित हो चुकी है लेकिन कैंसर हास्पिटल न होने के कारण वह चालू नहीं हो सकी है मैं दोनों बातों के उत्तर जानना चाहता हूं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

हम वहां वायदा करके आये थे वहां जिले की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर तुरन्त निर्णय लिया था और वहां के सी0एम0ओ0 को सस्पेंड किया था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आ गया।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जहां तक हार्ट.स्पेशलिस्ट की तैनाती का प्रश्न है हम वहां पर हृदय रोड विशेषज्ञ की पोस्टिंग कर चुके हैं। अधियाचन के बाद नये आये थे उनको वहां तैनात कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

कैंसर यूनिट के बारे में दिखवा लें।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में ...

श्री अध्यक्ष-

पहले पीछे से हाथ हटाइये।

श्री कुबेर सिंह-

तीन बार एक प्रश्न का एक उत्तर दोहराया कि हमारे यहां डाक्टरों की बहुत कमी है। यह कमी क्यों है ? इसके पीछे कारण यह है कि डाक्टर जो चुनकर आते हैं वह प्राइवेट सर्विसों में चले जाते हैं क्योंकि वहां अच्छा पैसा मिलता है आपके यहां जंगलों में पी0एच0सी0 पर वह क्यों काम करें क्यों अपना अपहरण करायें लेडी डाक्टर क्यों उधर जाय ?

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिए।

श्री कुबेर सिंह-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप पीछे क्यों बता रहे हैं क्या आप ही सबके जवाब देंगे ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी विचार करेंगे कि जो डाक्टर चुनकर आते हैं तो यह निर्णय करेंगे कि पहले पांच

साल की वह सरकारी सर्विस करेंगे उसके बाद वह प्राइवेट प्रैक्टिस खोलेंगे अगर खोलना चाहें तभी डाक्टरों की कमी दूर होगी। दूसरे उनकी सुविधाओं को बढ़ाइए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी सदस्य का कहना है कि डिग्री लेने के बाद क्या निश्चित करेंगे कि इतने दिनों तक सरकारी सेवाओं में रहना है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मैं इनके सुझाव से सहमत हूं इनके साथ चक्कर यह है कि जब यह सुझाव देते हैं तो इतने हास्य के साथ देते हैं कि सुझाव के पहले हास्य का विषय पहले आ जाता है। लेकिन इनका सुझाव गम्भीर है इस पर विचार करेंगे।

श्री अरविन्द गिरि-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ एक प्रमुख नगर है। वहां पर एक सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 तो है लेकिन हालात बदतर है महिला डाक्टर नहीं हैं शव विच्छेदन गृह दो वर्ष से कम्प्लीट है किन्तु आपके व पुलिस विभाग की खींचतान के चलते बन्द पड़ा है। अगर तीन तहसीलों में एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई खत्म हो जाए तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। कृपया शव विच्छेदन गृह शीघ्र चालू कराने व महिला डाक्टर की नियुक्ति कराने का कष्ट करें। ताकि लाखों लोगों को उसका लाभ मिल सके।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा मंत्री जी के द्वारा सरकारी डाक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का काम किया गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मंडलायुक्तों द्वारा तथा जिलाधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गये और कितने डाक्टरों के खिलाफ यह पाया गया कि वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? दूसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तमाम ऐसे महिला चिकित्सालय हैं जहां पर लगभग डेढ़ दो वर्षों से कोई महिला डाक्टर उपलब्ध नहीं है। उन्नाव जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मौरावां में पिछले डेढ़ वर्षों से महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं है। कोई महिला अगर बीमार होती है, आप पड़ोस के जनपद के हैं उन्नाव के। मौरावां से कम से कम 50 किलोमीटर उन्नाव जनपद है और 60 किलोमीटर लखनऊ जनपद है। कोई भी महिला अगर बीमार होती है तो उसको यहां लाना पड़ता है। दूसरा एक चीज और जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि तमाम वो स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर दो डाक्टर हैं और वो क्या कर रहे हैं पता लगा कि तीन दिन एक डाक्टर और दूसरे तीन दिन दूसरा डाक्टर, आपस में ही दिनों का बंटवारा कर लिया है कि किस दिन किसको पी0एच0सी0 में रहना है और दूसरा डाक्टर या तो अपने घर पर रहता है या कहीं न कहीं वह प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन में व्यवस्था की गई है महिला चिकित्सकों के लिये। 18 हजार रुपये हम महिला चिकित्सकों को दे रहे हैं एक महीने के लिये। उसके लिये विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन निकलने के बाद उसमें जो एप्लाई करते हैं, उनको हम नौकरी दे रहे हैं हमारे विज्ञापन देने के बावजूद भी बहुत जिलों में महिला डाक्टर की कमी वैसे ही है। डाक्टर्स की कमी होने के कारण कोई एप्लाई ही नहीं करता है। हम पुनः इसको विज्ञापित करते हैं। हमारे सामने मजबूरी है, परेशानी है कि हम विज्ञापन देने के बाद भी और उनको बुलाने के बाद भी हमको महिला चिकित्सक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। अगर हमारी जो पी0एच0सीज0 हैं उनको रेफरेल यूनिट मानकर हमने यह प्रयास किया है कि यदि कोई गम्भीर बीमारी से ग्रस्त महिला अगर वहां पर पहुंचती है तो उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पर पहुंचा दिया जाय। मुख्यतया हमारी पी0एच0सीज0 पर डिलीवरीज होती है। हमारी पी0एच0सीज0 और सी0एच0सीज0 पर हमारी महिलाओं की डिलीवरी होती है और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में ध्यान देने के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि जहां पर सवा लाख महिलाओं की डिलीवरीज होती थी इन्स्टीट्यूशनल आज 10 लाख तक हो गयी है डिलीवरीज। मतलब यह हुआ कि महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा पर विभाग ध्यान दे रहा है और यह आंकड़ों से प्रमाणित हो रहा है। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, यह भारत सरकार ने अपने आंकड़े दिये हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भरी मीटिंग में स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। मैं यह सदन के सामने बताना चाहता हूं।

(डा0 अजय तोमर का नाम बुलाने पर श्री उदयराज यादव व कई अन्य माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठिये, 15 अनुपूरक हो गये हैं। तोमर साहब एक मिनट, माननीय मंत्री जी का प्रश्न है कि जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को आपने निर्देशित किया है कि वो जाकर देखें कि कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस में डाक्टर लगे हैं उनका कहना है कि कहीं कोई कार्यवाही हुई, कहीं कोई संज्ञान में हो तो बता दें।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

हमने आपको जो यह पढ़कर बताया है कि जो कार्यवाही हमने की है उसमें जिलाधिकारियों की भी संस्तुतियां शामिल हैं। अगर वो सूची चाहेंगे तो हम उनको दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये। तोमर साहब बोलिये। बहुत प्रश्न हो गया। जो पूछा वो माननीय मंत्री जी ने बता दिया अब आप अपने-अपने गांव घर का पूछेंगे तो कितना बतायेंगे मंत्री जी। तोमर जी आप पूछिये।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी हाल में स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय जननी योजना के विषय में जिक्र किया है। माननीय मंत्री

जी इसमें उन्होंने भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। इसमें महिला चिकित्सक आयुर्वेद की, होम्योपैथ की, एलोपैथ की सभी की जा रही है लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी विसंगति है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी उपस्थित हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ओर आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सकों को एलोपैथ यूज करने का प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर इन्हीं आयुर्वेद की महिला चिकित्सकों से पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में सारी की सारी एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कराया जा रहा है। इनसे डिलीवरी, प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरान्त की इनसे चिकित्सा कराई जा रही है। यह दोहरी नीति है। इसमें मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें संशोधन करने का काम किया जाए या तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए एलोपैथिक चिकित्सा के लिए अधिकृत किया जाए या राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत एक तरफ तो सरकारी नौकरी में उनसे एलोपैथिक दवायें दिलाकर प्रसव पूर्व प्रसव के उपरान्त चिकित्सा का अधिकार दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर प्राइवेट प्रैक्टिस में छापा मारकर उनका शोषण किया जा रहा है। मैं अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में जिला अस्पतालों में कहीं सर्जन नहीं हैं कहीं एनेस्थेटिक नहीं हैं कहीं गायनोलिजिस्टि और कहीं रेडियोलाजिस्ट नहीं हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको बहाना मिल जाता है कि मेरे यहां सर्जन नहीं हैं मैं एनेस्थेटिक होकर क्या करूं इसलिए बाहर चला गया। कम से कम जितने एनेस्थेटिक हैं उन सब जगह सर्जन या गायनोलिजिस्टि की पूर्ण रूप से व्यवस्था करा दी जाए ताकि वह बाहर न जाएं।

श्री अध्यक्ष-

आपने सुझाव माननीय मंत्री जी को दिये है। इसमें कौन सा अनुपूरक बना है ?

डा0 अजय तोमर-

जो आयुर्वेदिक के बारे में प्रश्न किया है उसके बारे में बता दें क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपने सुझाव दिये हैं। इसमें कौन सा अनुपूरक किया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दो छोटे-छोटे अनुपूरक करना चाहता हूं एक तो मैंने यह मांग की थी कि जो ऐसे चिकित्सक हैं जो वेतन लेते हैं लेकिन जनता को सेवा नहीं देते हैं तो क्या ऐसे कृत्य को संज्ञेय अपराध घोषित करने पर विचार करेगी ? दूसरी बात चिकित्सकों की कमी है माननीय मंत्री जी भी बता रहे हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पद के अनुसार कितने चिकित्सकों की कमी है और आपने कितनों के लिए अधियाचन भेजा है ?

श्री अध्यक्ष-

अधियाचन गया है तो बता दें ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

यह प्रश्न विषय से हटकर है पूरी संख्या नहीं मालूम है लेकिन करीब-करीब 2800 या तीन हजार के करीब अधियाचन भेजा है। हम एथेंटिक बता देंगे, जो संज्ञेय अपराध की बात कही

है उस दिशा में सरकार ने अभी कुछ सोचा नहीं है। यह डाक्टर्स का विषय है। डाक्टर हमारे समाज में अहम स्थान रखते हैं यह निश्चित रूप से है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम एक डाक्टर को इंगित करके सब चीज नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत से व्यवहारिक विषय देखने हैं और बहुत से हमको बिन्दु देखकर विचार करना है हां सरकार ने बहुत तेजी से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाये हैं जिसमें हम नर्सिंग होम एक्ट बनाने जा रहे हैं। इसमें एक बिन्दु यह भी है जो नर्सिंग होम हैं, इसके लिए लॉ कमीशन में बैठक एक हफ्ते पहले हो चुकी है। कानून विशेषज्ञ इसको बनाने में पूरी तत्परता से जुटे हैं इसमें एक बिन्दु यह भी है जो सरकारी चिकित्सक यदि प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करेगा तो सरकार उस नर्सिंग होम के खिलाफ भी एक्शन लेगी। एक बिन्दु यह भी है इससे हमें लगता है कि जो नर्सिंग होम सरकारी डाक्टरों को संरक्षण देते हैं उनके मन में भी यह भय होगा कि वह सरकारी डाक्टरों को अपने नर्सिंग होम में संरक्षण न दें। इससे समस्या का काफी निदान होगा जो अधियाचन आयोग को भेजने की बात थी वह संख्या 2813 है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में समिति का गठन

*2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों का चुनाव कराने के लिये शासन द्वारा कोई एकीकृत नियमावली बनाने पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? क्या नियमावली बनाने में छात्र प्रतिनिधियों से भी कोई सुझाव/सलाह मांगी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघों के चुनाव के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। समिति की संस्तुतियों पर विचार कर यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, छात्र संघ पर कई बार रोक लगाई गई और जब-जब रोक लगाई गई, जहां तक मुझे याद है, मंत्री जी और हम सब लोग उसको बहाल करने के लिए प्रयास किए और उसमें सफलता भी हासिल हुई। लेकिन इस सरकार के बनते ही छात्र-संघ पर फिर रोक लग गई। मान्यवर, पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि वह छात्र संघों का फिर से गठन करने जा रही है। मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब गठित की गई और कौन-कौन लोग इसके सदस्य हैं, इस कमेटी के विचारणीय बिन्दु क्या-क्या हैं और इसकी समय-सीमा क्या है ?

* श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में भी समिति का गठन किया गया है। कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू किया जायेगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहां पर भी समिति बनी है। उसकी दो-तीन बैठकें भी हो चुकी हैं, वह फाइनल स्टेज पर है। इसमें तमाम लोगों की राय भी ली गई है जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उसे तुरन्त लागू किया जायेगा।

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के अध्यक्ष पद पर विराजमान होकर आज यहां सुशोभित हैं। सच्चाई है, जब-जब छात्र-संघ पर रोक लगाई गई, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है। हम जानना चाहते हैं कि जिस नर्सरी से हम, आप पैदा हुए हैं, उस पर रोक लगाने का काम क्यों कर रहे हैं ? क्या आगामी जो शिक्षण-सत्र होगा, उसमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र-संघ के चुनाव सरकार करा देगी ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी, पहला अनुपूरक जो मा0 जोखू लाल यादव जी का है, मैं उस पर विस्तार से चर्चा कराना चाहूंगा। प्रदेश में चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिंगदोह समिति बनी, लेकिन अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह आग्रह जरूर करेंगे कि प्रदेश में छात्र-राजनीति और छात्र-नेतृत्व में अपने नेतृत्व न आकर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कब्जा कर रहे थे इसलिए बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया गया कि लिंगदोह समिति को लागू किया जाए। अपराधियों से छात्र-संघों को मुक्त कराया जाए और सही छात्र नेतृत्व आए, तभी इनका चुनाव कराया जाए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं, उसके विपरीत नहीं है। लिंगदोह कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें आयु-सीमा और चुनाव खर्च यह दो मुख्य विषय है, जिस पर अलग-अलग राज्यों को और विश्वविद्यालयों को नियम बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। छात्र संघ रहे, इस पर भी लिंगदोह समिति ने अपनी संस्तुति दी है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको माना है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता था कि आप छात्रों के लिए तमाम लोगों के सुझाव ले रहे हैं, क्या उसमें छात्र संघ से जुड़े जो लोग हैं, उनसे भी कोई सुझाव लेंगे ? इसमें कौन-कौन लोग छात्रों, नौजवानों के विषय में सुझाव दे रहे हैं, मैं उनका नाम जानना चाहता था।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी ने अनुपूरक किया है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा-66 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने निर्णय लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और हम उनके इस सुझाव से सहमत हैं कि उनके चुनावों में प्रशासनिक सुधार जो संभव हो सकेगा, उस पर बिल्कुल विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि आगामी जो शिक्षण सत्र होगा उसमें आप छात्र संघों के चुनाव सम्पन्न करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय जोखू लाल यादव जी अभी समिति गठित है उसके सुझाव ले रहे हैं। जब एक समिति गठित हो गयी तो समिति सुझाव देगी उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं जो अपनी राय देंगे ?

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है क्या उसकी रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे। पिछले सत्र में बजट सत्र के दौरान ही माननीया मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि छात्र संघों को बहाल किया जा रहा है, छात्र संघों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो नया सत्र आ रहा है उससे पहले रिपोर्ट मंगाकर क्या यह छात्र संघ चुनाव करा देंगे, मंशा आपकी चुनाव कराने की है या नहीं ? यह मैं आपसे जानना चाह रहा हूं।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी सरकार की पूरी मंशा चुनाव कराने की है और जनतांत्रिक मूल्यों में सरकार की पूरी सहमति है और तीसरा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसकी रिपोर्ट आयी भी थी, उसमें कुछ विधिक कमियों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित है, पुनर्विचार करने के लिये निर्देशित है। जैसे ही रिपोर्ट आयेगी उसे लागू कर दिया जाएगा।

श्री उदयराज-

मान्यवर, किस आयु तक के लड़के छात्र संघों का चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरा खर्चा निर्धारित किया था कि इतने रुपये से अधिक का न तो वह बैनर लगा सकते हैं न वह प्रिंटेड पोस्टर लगा सकते हैं, हाथ से बने हुए पोस्टर केवल वह लगा सकते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा दूसरा निर्णय नहीं दिया गया कि उस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता हो। मेरा कहना कि क्या छात्र संघ के चुनाव अगले सत्र में करा दिये जायेंगे तो माननीय मंत्री जी बता दें ? अगर मंशा नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदयराज जी, उन्होंने कहा कि समिति ने एक रिपोर्ट दे दिया था। कुछ वैधानिक व्यवधान रहा होगा। उसको वह दूर कराने के लिए कह रहे हैं कि शीघ्र रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री उदयराज-

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी की घोषणा के एक साल बाद अब तक निर्णय नहीं हुआ तो यही बता दें कि कब तक रिपोर्ट आ जाएगी ?

श्री अध्यक्ष-

शीघ्र से बड़ा और कोई नहीं होता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मानक के अनुसार समस्त स्टाफ की नियुक्ति की मांग

*3-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के सरकारी अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सक/फार्मासिस्ट/नर्स तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने की कोई योजना या नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? कब तक प्रदेश में मानक के अनुसार सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पूर्ण करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त 2813 पदों पर चयन लोक सेवा आयोग से कराया जा रहा है। फार्मासिस्ट के 766 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपचारिका की सेवानियमावली में संशोधन की कार्यवाही त्वरित गति से करायी जा रही है। संशोधन के उपरान्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। अन्य स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं अन्य कारणों से विभाग छोड़ते हैं और आंकलित रिक्तियों पर चयन से पद भरे जाते हैं। समस्त वर्तमान रिक्तियां जो अभी विज्ञापन में सम्मिलित नहीं है, के सापेक्ष तत्काल विज्ञापन निकालकर नियुक्तियां सुनिश्चित की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार चिकित्सक, स्टाफ और नर्सों की क्या पोजीशन है ? मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी पी0एच0सी0 हैं और कितनी पी0एच0सी0 में डाक्टर व स्टाफ उपलब्ध हैं। क्योंकि 80 प्रतिशत लोग हमारे गांवों में रहते हैं उनके बारे में कोई चिन्ता नहीं की गयी है और यहां पर सारे माननीय सदस्य बैठे हैं उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की जानकारी होती है और सबको इसकी जानकारी भी है। सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी कुछ मजबूरी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन किसी भी पी0एच0सी0 पर यदि पांच या दस प्रतिशत छोड़ दिया जाए

अलग बात है, कहीं भी किसी भी पी0एच0सी0 पर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं यह अभी हमारे साथ यहां विधान सभा से चले छोड़कर यदि किसी भी दस परसेण्ट पी0एच0सी0 में डाक्टर उपलब्ध करा दें। यहां कहने के लिए बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहां से हम चुनकर आते हैं, जिनकी हम व्यवस्था दिखवाने के लिए वचनबद्ध हैं उन पी0एच0सी0 में न डाक्टर हैं न नर्स का स्टाफ है और न वहां पर नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि नियुक्ति होती है तो उन पी0एच0सी0 पर डाक्टर्स पहुंच नहीं पाते हैं ये बहुत गम्भीर मामला है। मेरा प्रश्न भी यही था कि सरकारी अस्पतालों में कब तक सभी डाक्टर्स और स्टाफ की नियुक्ति हो जायेगी ? यह तो हमेशा एक प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है अभी आदेश जारी कर दिया है, हम डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र करेंगे, हमने 18 हजार रुपये महीने पर डाक्टर नियुक्त कर लिये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वह 18 हजार रुपये महीने, छः सौ रुपये रोज पर कौन डाक्टर वहां बैठना पसन्द करेंगे ? आप अपने सेक्रेटरी को 80 हजार रुपये पे देंगे, डाक्टर को छः सौ रुपये रोज पे देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारी तो यह चिन्ता है और यह सबकी चिन्ता होगी कहें न कहें, उत्तर प्रदेश में जितने भी पी0एच0सी0 हैं वहां पर डाक्टर और नर्स की नियुक्ति जल्दी हों। उसकी कोई समय सीमा निश्चित हो जाये ताकि गांव के गरीब का उसमें इलाज हो सके उसकी व्यवस्था ठीक हो सके। यह कब तक कर पायेंगे ? जरा ठीक प्रकार से बता दें तो अच्छा रहेगा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि जो 18 हजार रुपये महीने की मैंने बात की है, मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की लो गाइड लाइन आती है उसमें 18 हजार रुपये मानक उन्होंनें बनाया है, उनकी नियमावली में है। हमने प्रयास कर के जो स्पेशलिस्ट हैं या पी0एच0सी0 में जिन डाक्टरों की पोस्टिंग की जा रही है, स्पेशलिस्ट के लिए हमने एक व्यवस्था यह अबकी भारत सरकार की मीटिंग में सुनिश्चित कराई थी जिसको स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को मानना पड़ा था कि एक हजार रुपये प्रतिदिन हम डाक्टर को देंगे जो स्पेशलिस्ट आकर हमारे पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में काम करेगा। इसके पीछे हमारी भावना यह थी कि अगर हम एक हजार रुपया प्रतिदिन देंगे तो निश्चित रूप में 30 हजार रुपये महीना होता लेकिन उन्होंने 25 हजार की उसमें बाउण्डेशन लगा दी, 25 हजार रुपये महीना, 25 दिन वह काम कर सकता है। हमारे पास यह मजबूरी है, तनख्वाह बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। यह सरकार के सामने वित्तीय संकट होता है। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात जहां तक है, इसके पहले जो प्रश्न था उसको हमने उत्तरित किया है, हम हर तरह से यह प्रयास कर रहे हैं कि जो डाक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकारी सेवाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं उन पर तो कार्यवाही की जाय लेकिन हम उन पर भी किसी तरह की कार्यवाही करें जो उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से हमने इसमें अपने विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक जो हमारे मण्डलायुक्त हैं जो हमारे कलेक्टर्स हैं, उनको हमने इन्वाल्व किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका सही उत्तर नहीं आया। आपने डायवर्ट कर दिया सारे प्रश्न को। मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश में कितनी पी0एच0सी है और कितनी पी0एच0सी0 में डाक्टर उपलब्ध हैं ?

श्री अध्यक्ष-

अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है डाक्टर की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में और कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सी0एच0सी0 कितने हैं उसका उल्लेख अभी पिछले प्रश्न में आया था। अब एक फीगर फिर चाह रहे हैं कि कितनी पी0एच0सी0 हैं, कितनी सी0एच0सी0 है ? कितने में डाक्टर उपलब्ध है ? अब इसकी सूचना आप चाह रहे हैं, यह प्रश्न से हट करके हैं। पूरे प्रदेश की सूचना आप मांग रहे हैं माननीय मंत्री जी से।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैंने मानक के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में पूछा है।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि 2813 डाक्टरों की कमी है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, इसीलिए मानक पूरा नहीं हो पा रहा है। पी0 के0 राय साहब आप अपनी बात कहें।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमेशा इस सदन में यह चिन्ता जाहिर की जाती है कि चिकित्सकों की कमी है और चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रायः हमेशा यह जवाब आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचिना दी गई है। मान्यवर, यह सही बात है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में अधियाचन देने के बाद भी और सेलेक्शन के बाद भी कितने डाक्टर सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें भी काफी कमी है। मान्यवर, 2007 में 1150 डाक्टरों का जनरल कैटेगरी में चयन हुआ और ज्वाइन किया 780 ने। इसी तरह से विशेषज्ञ डाक्टरों का चयन हुआ 551 का और ज्वाइन किया 52 ने। मेरे पास 2008 के आंकड़े नहीं हैं। मेरे पास पुराने आंकड़े भी हैं। 1998 में 515 डाक्टरों का चयन हुआ और ज्वाइन किया 107 ने। इससे पुराने आंकड़े भी है कि 1996 में 459 डाक्टरों का चयन हुआ और ज्वाइन किया 230 ने। इसी तरह से 1997 में 317 का चयन हुआ और ज्वाइन किया 158 ने। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टरों की जो कमी है अगर वह पूरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य सेवाओं में सारी कोशिशों के बावजूद भी सुधार नहीं हो सकता है और फिर इस तरीके से यह प्रश्न आना स्वाभाविक ही है। मान्यवर, फर्स्ट रेफरल में सी0एच0सी0 या पी0एच0सी0 आती है लेकिन वहां पर मानक के अनुसार जितने डाक्टर हैं वह कार्यरत नहीं हैं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी0एच0सी0 है वहां एक भी महिला डाक्टर नहीं है। जब हम मंत्री जी से कहेंगे तो यह कह देंगे कि कहीं से आप लेडी डाक्टर ले आयें वे तैनात करा देंगे। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सेवा नियमावली में संशोधन करके जैसे पहले व्यवस्था थी कि एडहाक एप्वाइंटमेंट हो जाया करते थे और बाद में उनकी सर्विसेस कमीशन से रेगुलराईज हो जाती थी। जब हमने इंटरशिप पूरी की थी तो एक हफ्ते बाद ही एप्वाइंटमेंट लेटर मिल गया था तो उस पर आप विचार करें। दूसरे स्टेट मेडिकल कालेजों में जो छात्र डाक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पर बहुत पैसा सरकार खर्च करती है, उसमें पहले यह व्यवस्था थी उस एडमिशन प्रोसीजर में थी और उसमें रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है और उसी हिसाब से उनसे अनुबंध लिया जाता था कि ग्रेजुयेशन होने के बाद उनको इतने दिन रूरल एरिया में सर्विस करनी है, उस व्यवस्था पर आप गम्भीरता से विचार करें तभी डाक्टरों की कुछ कमी को पूरा किया जा सकता है। क्या सरकार मेरे सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप एडहाक एप्वाइंटमेन्ट किये जाने की बात कर रहे हैं।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, माननीय राय साहब बहुत सारगर्भित बात करते हैं और प्रदेश के हित में बात करते हैं। यह चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित आपका अनुपूरक प्रश्न है। हम जो कर सकते हैं। उसमें आपके दल के माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव का हमने अनुसरण किया है। अगर किसी का भी कोई अच्छा सुझाव होता है तो हम उसका निष्पक्ष भाव से स्वागत करते हैं। उसी का परिणाम है कि हमने लोक सेवा आयोग को तीन बार चिट्ठी लिखी है कि हमें डायरेक्ट रिक्रयूटमेंट का अधिकार दिया जाय। मान्यवर, इसमें जब तक आयोग हमें अनुमति नहीं देगा तब तक नही कर सकते हैं।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, हमारे जनपद लखीमपुर में जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय है दोनों में एनेस्थेटिक नहीं है। कोई महिला वहां पर डिलीवरी के लिये जाती है तो उसे बैरंग वापस कर दिया जाता है। मान्यवर, एक महिला वहां से वापस कर दी गयी उसने तमाम नर्सिंग होम के चक्कर लगाये उसके बाद वह खैराबाद में जाकर भर्ती हुई लेकिन वहां पर जच्चा-बच्चा दोनों की ही मृत्यु हो गयी। मेरा कहना है कि जनरल एनेस्थेटिक नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ को एडहाक बेसिस पर एप्वाइंट करेंगे ताकि उनका सहयोग आपरेशन में लिया जा सके ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, एन0एच0आर0एम0 में एनेस्थेटिक की व्यवस्था पहले से ही थी। आपने अपने लखीमपुर के जिला चिकित्सालय की बात कही है मैं आज ही इस बात के निर्देश दे दूंगा कि एडहाक बेसिस पर वहां पर एनेस्थेटिक एक हफ्ते के अंदर नियुक्त हो जायें।

डा0 कौशल किशोर-

मैं इस बात के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न यहां पर आया है वह बहुत गम्भीर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत है उसका एक कारण भी है कि गांवों में जो पी0एच0सी0 बनी हुई है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर रहने की सुविधा नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है तो वहां पर ज्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य कर्मियों को। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जो ए0एन0एम0 की नियुक्ति होती है तो इस नियुक्ति को करने के लिए उसी गांव से जिस गांव में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसी गांव से किसी काबिल महिला को एडाप्ट करके उसकी नियुक्ति करने के लिए किसी कार्यक्रम को चलायें और उसी गांव से ए0एन0एम0 को नियुक्ति करने का काम करें। कई प्रदेशों में इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया है जो सफल रहा है क्योंकि उनको असुविधा कोई रहने की नहीं होगी, उनको आवागमन की कोई असुविधा नहीं होगी तो मेरा यह सुझाव है कि इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें कि इस तरह की व्यवस्था कर दें ताकि ए0एन0एम0 की नियुक्ति तो कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुनिश्चित हो जाए।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपका सुझाव ठीक है, इसको देखा जायेगा।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने तो पूरे प्रदेश का दौरा किया है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आलमबाग में महिला प्रसूति गृह में न स्टाफ है, न दवाइयां हैं और अस्पताल के बाहर बच्चे जन्म लेते है। क्या माननीय मंत्री जी उक्त अस्पताल का दौरा करेंगे और उक्त अस्पताल की दवाइयां उपकरण की समुचित व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

मान्यवर, इसको आज ही दिखवा लेंगे।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से एक हजार रुपये पर जो निर्देश है, उस पर मांग रहे हैं लेकिन चिकित्सक नहीं आ रहे हैं 18 हजार रुपये की बात कही है माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के ऊपर बार-बार रोना रो रहे हैं और आपकी ही सरकार ने अन्य जगहों पर नियुक्तियां की हैं चाहे शिक्षा विभाग हो, अन्य जगह हो, अध्यापकों की नियुक्तियां

की हैं और भी की है इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पूर्ण चिकित्सक आपके चिकित्सालय में नहीं हैं, आप उनकी नियुक्ति करें इस क्षेत्र में क्यों नहीं गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ? इतने कम पैसे के कारण वह नहीं जाते हैं इसका साफ कारण है या तो आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जो पूर्ण चिकित्साधिकारी हैं उनके बराबर आप पैसा दें, केन्द्र सरकार को लिखें, केन्द्र सरकार से वार्ता करें उनसे अच्छा सामंजस्य बनायें। दूसरी बात है कि अगर नहीं ऐसा कर सकते तो आप क्यों नहीं पूर्ण चिकित्साधिकारी की नियुक्ति करते इस पर गंम्भीरता से चिन्तन करें ? ऐसी कौन सी स्थिति है मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत से सुझाव आ गये हैं। आज ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यगण सुझाव दिये हैं और सबका माननीय मंत्री जी संज्ञान में लिये हैं।

प्रदेश में गुटखा एवं पान मसाला पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*4-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुटखा एवं पान मसाला से होने वाली घातक बीमारियों के कारण गुटखा एवं पान मसाला आदि के निर्माण एवं बिक्री पर स्थायी प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 (1-ए) (एफ) के अन्तर्गत गुटखा, पान मसाला तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में घर-घर में घटिया क्वालिटी का गुटखा और पान मसाला बन रहा है और प्रदेश की जनता जहर खा रही है। जिससे कैंसर और टी0बी0 जैसी घातक बीमारियां पूरे प्रदेश में फैल रही हैं और हजारों हजारों की संख्या नये मरीज आ रहे हैं पुराने मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है कैंसर के अस्पताल बहुत कम हैं लेकिन हर साल कैंसर के हजारों मरीज और बन रहे हैं ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो ऐसे घटिया क्वालिटी का गुटखा और खाद्य पदार्थ बन रहे हैं उनको रोकने के लिये क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कदम उठायेंगे जैसे कि कहावत है कि **'प्रीवेन्शन इज बेटर दैन क्योर'** अगर हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो बीमारी न हो, इस बात के लिये आप क्या प्रबन्ध कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुटखा को बैन करने के लिये आदेश किया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18-7-2002 के क्रम में शासनादेश दिनांक 19-7-2002 द्वारा प्रदेश में पान मसाला एवं गुटखा के उत्पादन तथा विक्रय पर रोक लगा दी गयी थी किन्तु पान मसाला एवं गुटखा निर्माताओं द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 28-10-2002 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 18-7-2002 को निरस्त कर दिया था। मान्यवर, कई बार इस बात की चर्चा इस सदन में हो चुकी है कि पान मसाला सेहत के लिये हानिकारक होता है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन हमारे मंडप की गैलरी और फर्श बहुत गंदी हो गयी है। इसको भी आप लोग सुझाव दे दें। अभी आप पूरी गैलरी में फर्श पर घूमें तो देखेंगे कि पूरा फर्श हमारा खराब हो गया है। सब गुटखा थूक दिये हैं। आप बहुत सही प्रश्न लगा दिये हैं। तो सदन के अंदर या गैलरी में कहीं भी इस तरह का प्रयोग किया गया तो जो प्रतिबन्ध है जो विधान सभा ने परम्परा बनाया है, उसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील की गयी है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं हुयी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जिसके खिलाफ यह सुप्रीम कोर्ट में गये हैं तो हाईकोर्ट ने जो रिजेक्ट कर दिया था उसके कांस्टीटुएन्ट्स क्या हैं ? मान्यवर, जो मेरी निजी जानकारी है उसके अनुसार अगर यह सुप्रीम कोर्ट में गये हैं तो जो उसके अवयव हैं उसको उन्होंने चेन्ज कर दिया है तो क्या इस बात का पता लगायेंगे कि इन मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट को भी अंधकार में रख करके स्टे लिया है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, यह मेरी जानकारी में है कि पान मसाले में कत्थे की जगह एक पदार्थ होता है गैम्बियर, जिसका प्रयोग करने से इस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। परन्तु दिये गये सैम्पल्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली, जिससे कि कोई कार्यवाही की जा सकती। मान्यवर, हम लोग समय-समय पर इस बात की जांच करवाते हैं, छापे मरवाते हैं कि गैम्बियर का प्रयोग न हो और यह हमारी बाध्यता है कि इस पर रोक बिना भारत सरकार के नहीं लगाई जा सकती है। मैं भारत सरकार को आरोपित नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोनों के संयुक्त प्रयासों के बिना इस पर बैन नहीं लग सकता है। कई बार अन्य प्रदेशों में भी इस प्रक्रिया को किया गया, कई एन0जी0ओज0 आगे आये, बहुत से वालन्टरी आर्गनाइजेशन ने इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाकर आन्दोलन किया लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हमको कभी भी इसको बैन करने की ताकत नहीं मिल पायी, किसी भी प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने और सदन के तमाम सदस्यों ने गुटखे पर रोक लगाने की बात की। मैं एक सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं कि हम लोग गुटखे पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं सबसे पहले हमें खुद प्रण लेना पड़ेगा कि हम गुटखा न खायें। कितने सदस्य विधान सभा के यह प्रण लेंगे कि वह गुटखा नहीं खायेंगे। मान्यवर, गुटखे के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध तभी लग पायेगा जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं और सदन में गुटखा खा रहे हैं तब तक इस पर प्रतिबन्ध नहीं लग पायेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा और माननीय अध्यक्ष जी, आप आकस्मिक तलाशी भी करवा लिया करें कि किसी माननीय सदस्य के पास गुटखा न मिले। जो सदस्य गुटखा खा रहे हैं वह इसे कोई आरोप न समझें और इसका आज प्रण लेकर यहां से उठें कि हम लोग आज से गुटखा नहीं खायेंगे तभी हम लोग इस प्रदेश को गुटखा मुक्त कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रश्नों का समय समाप्त।

यू0पी0 बोर्ड में स्कूलों की मान्यता के लम्बित मामले का निस्तारण

*5-श्री हुकुम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 बोर्ड में स्कूलों के मान्यता सम्बन्धी हजारों मामले वर्षों से लम्बित होने के कारण हजारों छात्रों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से वंचित रहना पड़ रहा है ? क्या सरकार लम्बित मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत निस्तारित कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जी नहीं।

प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या संज्ञान में नहीं आयी हैं।

मान्यता हेतु विचाराधीन प्रकरणों की निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

मान्यता हेतु निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त मान्यता दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के डिग्री कालेजों में फीस निर्धारण

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के डिग्री कालेजों में बी0एड0 में एस0एफ0एस0 के अन्तर्गत प्रवेश लेने व फीस के क्या मानक हैं ? इन कक्षाओं में फीस निर्धारण का आधार क्या है तथा कितनी-कितनी फीस अनुमन्य है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्रदेश के निजी डिग्री कालेजों में बिना मानक के मनचाही फीस वसूली जा रही है ? क्या सरकार इस पर कोई रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न सं0-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र/छात्राओं का प्रवेश लिया जाता है। जहां तक शुल्क निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008/सोलह-1-(डब्ल्यू-48)/2003, दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा अभियंत्रण एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-34 (एम/बी0)/2007 एसोसियेशन आफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कालेजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 4-1-2007 को पारित स्थगनादेश के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3536/सत्तर-2-2008-16 (70)/2005 टी0सी0 दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र, 2008-09 से निम्नानुसार औपबन्धिक फीस निर्धारित की गयी है :-

(1) प्रदेश के जिन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की सत्र 2004-05 एवं 2005-06 हेतु एतद्विषयक पूर्व में गठित सरीन कमेटी द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया था, में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि।

(2) जिन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की सरीन कमेटी द्वारा फीस निर्धारित नहीं थी, हेतु रु0 27,536/-निर्धारित की गयी है।

जी हां। इसीलिए शासन द्वारा उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 से उपरोक्तानुसार औपबन्धिक फीस निर्धारित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में संक्रामक रोगों को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग

*7-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2008 में उत्तर प्रदेश के जनपद-मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, बागपत में डेंगू वायरल, मलेरिया आदि बुखारों से सैकड़ों व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो इन संक्रामक रोगों को रोकने हेतु शासन द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2008 में उत्तर प्रदेश के जनपद-मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, बागपत में डेंगू तथा मलेरिया से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

यद्यपि माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2008 में उक्त जनपदों में डेंगू तथा मलेरिया से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है तथापि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हेतु संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य-योजना डेंगू ज्वर तथा चिकेनगुनिया ज्वर नियंत्रण कार्य-योजना, मलेरिया एवं जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) नियंत्रण कार्य-योजना 2008 बनायी गयी है। इन कार्ययोजनाओं के अनुसार रोगवाहक मच्छर पर नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण आदि निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त रोगों के उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। रोगों के प्रसार पर नियंत्रण हेतु लार्वासाइड तथा कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जन्म एवं मृत्यु दर तथा इसके नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*8-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी की दर प्रति वर्ष क्या है तथा प्रदेश की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्या है ? क्या सरकार द्वारा बढ़ती हुई आबादी एवं मृत्यु दर पर नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या की दर प्रतिवर्ष 2,30 प्रतिशत (आर0जी0आई0) (2001), जन्मदर 30.4 प्रति हजार जनसंख्या (एस0आर0एस0 2006) तथा मृत्युदर 8.6 प्रति हजार जनसंख्या (एस0आर0एस0 2006) है।

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को एक समय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आधार पर प्रदेश की जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है ताकि सन् 2051 तक जनसंख्या को 44 करोड़ के बजाय 26 करोड़ पर स्थिर किया जा सके। जनसंख्या नीति के अन्तर्गत मृत्युदर को कम करना भी सम्मिलित है। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुल प्रजनन दर को वर्ष 2012 तक 2.8 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :-

- मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- सकल प्रजनन दर कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के स्थान पर प्रशिक्षित स्नातकों को आयु सीमा का लाभ देते हुए भर्ती करने सम्बन्धी जानकारी

*9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ बी0एड0/बी0पी0एड0/एल0टी0/बी0टी0सी0 शासन से निर्धारित है ? यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु इण्टरमीडिएट योग्यता ही क्यों रखी गयी है ? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी ? क्या सरकार शिक्षा मित्रों के स्थान पर ऐसे प्रशिक्षित स्नातकों को जिनकी अधिकतम आयु सीमा बीत चुकी है, को आयु सीमा में छूट देते हुए भर्ती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही मान्य है। बी0एड0/बी0पी0एड0/एल0टी0/प्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन विशिष्ट बी0टी0सी0 में करके 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण कराकर परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित की गयी है।

जी नहीं।

ऐसी कोई कार्य-योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छः से चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नीति बनाई जाने की मांग

*10-श्री मदन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छः से चौदह वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नयी नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में वर्ष 2001 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है।

प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शामिल होने पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

*11-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्या सरकार यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के शामिल होने पर रोक लगाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को समाप्त करते हुये राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना कर दी गई है, जो प्रदेश में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षाएं आयोजित करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला अस्पतालों में डेंगू रोगियों के उपचार हेतु कार्य योजना

*12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रक्त गणना (ब्लड काउन्ट) की कमी को देखते हुए जनपद प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विगत 04 वर्षों में जनपद प्रतापगढ़ में डेंगू से 03 रोगी ग्रसित तथा 01 रोगी की मृत्यु हुई है। जनपद इलाहाबाद में उक्त अवधि में डेंगू से 66 रोगी ग्रसित तथा 04 रोगियों की मृत्यु हुई है। अतः जनपद इलाहाबाद में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है। आवश्यकतानुसार जनपद प्रतापगढ़ के डेंगू रोगियों को निकट जनपद इलाहाबाद में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जाने हेतु समिति का गठन

*13-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगले शिक्षा सत्र में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। इस समिति की संस्तुतियों पर विचार कर यथावश्यक निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में सर्जनों की नियुक्ति कराये जाने की मांग

*14-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में न्यूरो फिजिशियन/सर्जन नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के मण्डल मुख्यालय के 15 जिला चिकित्सालयों एवं 03 अन्य चिकित्सालयों में न्यूरो फिजीशियन एवं न्यूरो सर्जन के क्रमशः 19 एवं 17 पद सृजित हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार भरने के लिए तत्पर है।

उक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रश्नगत पदों को भरा जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य न कराये जाने की मांग

*15-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापक कम होने के बावजूद उन्हें अध्यापन कार्य के दौरान गैर शैक्षिक कार्य जैसे भवन निर्माण तथा जनगणना सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न कराने हेतु कोई आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं कतिपय गम्भीर बीमारियों की रोकथाम

*16-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष जापानी इन्सेफ्लाइटिस, चिकिनगुनिया, एड्स से हजारों लोगों की मृत्यु होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन रोगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में वर्ष 2008 में जापनी इन्सेफ्लाइटिस से 34 एवं एड्स से 533 लोगों की मृत्यु हुई है तथा चिकनगुनिया से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है।

जी हां। जापानी इन्सेफ्लाइटिस व चिकनगुनिया रोगों की रोकथाम हेतु जापानी इन्सेफ्लाटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) नियंत्रण कार्य-योजना-2008 एवं वेक्टर-जनित रोगों (मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेगू एवं चिकनगुनियां) की रोकथाम कार्य-योजना-2008-09 बनायी गयी है। एड्स रोग पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

जापानी इन्सेफ्लाइटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) नियंत्रण कार्य योजना 2008 में रोग वाहक मच्छर पर नियंत्रण, सुअर मच्छर तथा मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय, टीकाकरण, रोग के निदान एवं उपचार की व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वासन आदि मुख्य बिन्दु सम्मिलित है। वेक्टर-जनित रोगों (मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू एवं चिकनगुनिया) की रोकथाम कार्य-योजना 2008-09 में निदान एवं उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, मच्छर-जनिक परिस्थितियों को समाप्त किया जाना सर्विलांस पर विशेष बल देते हुए चिकनगुनिया रोग की रोकथाम, महामारी से बचाव, प्रशिक्षण एवं अन्तर्विभागीय सहयोग आदि मुख्य बिन्दु सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त रोगी से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु समस्त जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ व बागपत के सरकारी अस्पतालों में टिटनेस इन्जेक्शन खरीद का कथित प्रकरण

*17-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ व बागपत में वर्तमान समय में सरकारी अस्पतालों में टिटनेस के इन्जेक्शन स्थानीय स्तर पर लोकल खरीदे गये हैं ? क्या यह भी सही है कि जनपद बागपत व मेरठ में किसी भी सरकारी अस्पतालों में टिटनेस के इन्जेक्शन नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले में दोषी कर्मचारी/ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य पालन हेतु संचालित विभिन्न योजनायें

*18-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु सरकार क्या कोई नई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री धर्मराज निषाद)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य पालन हेतु भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 1980-81 से विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं।

जनपद सहारनपुर में दिमागी बुखार के नियंत्रण हेतु बनायी गयी कार्य योजना

*19-श्री इमरान मसूद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में वर्तमान समय में फैल रहे दिमागी बुखार पर नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। जापानी इन्सेफ्लाइटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) नियंत्रण कार्य योजना 2008 बनायी गयी है।

उक्त कार्य-योजना के अन्तर्गत दिमागी बुखार के रोगियों की चिकित्सा उपचार की व्यवस्था, रोग निदान व रोकथाम हेतु वेक्टर निरोधक कार्यवाही की जाती है। रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 01 से 15 वर्ष के बच्चों का चीन से आयातित सिंगल डोज जे0ई0 वैक्सीन द्वारा टीकाकरण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में बी0एड0 परीक्षायें आयोजित कराये जाने की मांग

*20-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में प्रवेश लेने वाले बी0एड0 छात्रों की परीक्षायें अभी तक नहीं हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार परीक्षायें न कराने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

सत्र, 2005-06 की परीक्षाएं सम्पन्न हो चुकी हैं एवं 2006-07 की परीक्षाएं भी फरवरी, 2009 में आयोजित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति कराये जाने की मांग

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज ऐसे हैं जहां पांच वर्षों से अधिक समय से स्थायी प्राचार्य नहीं हैं ? वर्तमान सरकार

ने ऐसे महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या स्थाई प्राचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अधियाचन भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

प्रदेश की राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज के दिनांक 30 जून, 2006 तक रिक्त हुए पदों की संख्या निम्नवत् है :-

डिग्री प्राचार्य (पुरुष)-47

डिग्री प्राचार्य (महिला)-11

उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से स्नातक प्राचार्य/प्राचार्या के पदों हेतु चयनित प्राचार्यों की आसन व्यवस्था करते हुए निदेशक, उच्च शिक्षा के निम्नलिखित पदों के द्वारा नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देश तत्सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र को दिये जा चुके हैं :-

1-स्नातकोत्तर प्राचार्य (पुरुष), पत्र संख्या-अर्थ-1/आयोग/689-1431/2008-09, दिनांक 28-12-2008।

2-स्नातकोत्तर प्राचार्य (महिला), पत्र संख्या-अर्थ-1/आयोग/1441-1601/2008-09, दिनांक 28-12-2008।

3-स्नातक प्राचार्य (पुरुष), पत्र संख्या-अर्थ-1/आयोग/1721-2141/2008-09, दिनांक 28-12-2008।

4-स्नातक प्राचार्य (महिला), पत्र संख्या-अर्थ-1/आयोग/1611-1720/2008-09, दिनांक 28-12-2008।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के खुदागंज ब्लाक के ग्राम उखरी की पी0एच0सी0 बाउन्ड्री वाल हेतु धनराशि स्वीकृत कराये जाने की मांग

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर को मई, 2007 से 31-3-08 तक कुल कितना धन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरक्षण हेतु मिला और उसे कहां-कहां खर्च किया गया ? क्या सरकार खुदागंज ब्लाक के ग्राम उखरी की पी0एच0सी0 की बाउन्ड्री वाल के लिए धन स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद शाहजहांपुर को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मई, 2007 से 31-3-08 तक अनुरक्षण मद में रु0 11,70,277.00 मिला। उक्त धन जनपद के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के माइनर रिपेयरिंग, रंगाई, पुताई मद में रु0 6,50,000.00 उपकरणों के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में रु0 4,60,277.00 तथा एक्सरे मशीन के अनुरक्षण मद में रु0 60,000.00 खर्च किया गया।

जी हां।

दिनांक 4-12-08 को धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के स्वास्थ्य विभाग के गत वर्ष में स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण एवं मोतियाबिन्द के आपरेशन सम्बन्धी जानकारी

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में शाहजहांपुर को कुल कितना धन स्वास्थ्य विभाग के लिये प्राप्त हुआ तथा मई, 2007 से 31-3-08 तक किस-किस मद में कितना धन व्यय हुआ है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त अवधि में शाहजहांपुर में अन्धता निवारण समिति को कितना धन प्राप्त हुआ जिससे कहां-कहां कितने-कितने मोतियाबिन्द के आपरेशन हुए ? क्या सरकार इसकी सूची को सदन के पटल पर रखेगी ? उक्त अवधि में जिन इच्छुक लोगों के आपरेशन नहीं हो पाये उनके आपरेशन की क्या व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्ष 2007-08 में जनपद शाहजहांपुर के लिये रु0 42,80,41,868/-की धनराशि प्रदान की गई जिसके सापेक्ष परिवार कल्याण पर रु0 7,33,12,702/-, चिकित्सा पर 13,94,31,009/-, स्वास्थ्य पर 2,02,90,082/-, चिकित्सा प्लान पर रु0 6,39,86,000/-एन0आर0एच0एम0 पर 8,07,78,308/-,कुष्ट कार्यक्रम पर 5,99,860/-, वेक्टर वार्न डिजीज पर 12,69,021/-,क्षय नियंत्रण पर 24,11,148/, नेत्र उपचार पर 24,35,036/-, जिला महिला चिकित्सालय में चिकित्सा पर 70,59,358/-तथा परिवार कल्याण पर 7,55,228/-एवं जिला चिकित्सालय में 2,49,71,809/-कुल रु0 41,72,99,561/-का व्यय किया गया।

शाहजहांपुर में अन्धता निवारण समिति को वर्ष 2007-08 में रु0 44,15,088/-की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रु0 24,35,036/-व्यय किया गया। जनपद में जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर आयोजित कर 2085 मोतियाबिन्द आपरेशन किये गये। सूची संलग्न है।

मोतियाबिन्द के आपरेशन जारी हैं। समस्त इच्छुक व्यक्तियों के आपरेशन किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 234 पर।)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

4-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए क्या सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विशेष चयन वर्ष 2007 द्वारा 60000 तथा 2008 द्वारा 10084 तथा 2009 द्वारा 18301 विशिष्ट बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

सफल प्रशिक्षण उपरान्त विद्यालय में नियुक्ति प्रारम्भ होगी।

13000 उर्दू बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण संचालित है, उनमें से लगभग 2200 अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य की प्रशिक्षण पूरा होने पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल मृत्यु दर एवं उसे कम करने के प्रयास

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल मृत्यु दर कितनी है ? क्या यह सही है कि बाल मृत्यु दर प्रदेश में सबसे ज्यादा है ? यदि हां, तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती-

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एन0एफ0एच0एस0-3) 2005-06 के अनुसार प्रदेश में बाल मृत्यु दर (05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की) 96 मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म है।

जी हां। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एन0एफ0एच0एस0-3) 2005-06 के अनुसार वर्तमान में देश में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 74 एवं 01 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 57 है परन्तु प्रदेश में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 96 एवं 01 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 73 है।

बाल मृत्यु दर की अधिकता का मुख्य कारण कुपोषण नवजात शिशुओं की देखभाल में कमी एवं दस्त एवं निमोनिया रोग है जिस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बच्चों की मृत्यु दर को कम करने हेतु निम्नवत् प्रयास किये जा रहे हैं :-

1-जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशुओं की पूर्ण देखभाल तथा शिशु के जन्म के एक घण्टे के अन्दर स्तनपान प्रारम्भ कराना।

2-नियमित टीकाकरण एवं विटामिन 'ए' की खुराक से आच्छादन कराना जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके।

3-समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम।

4-परिवार कल्याण विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से सभी जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन कराया जाना।

5-दस्त रोग एवं निमोनिया से ग्रसित बच्चों का विशेष उपचार।

6-अधिक कुपोषित एवं गम्भीर रूप से बीमार बच्चों को चिन्हित कर उनके उपचार हेतु प्रथम संदर्भन इकाई स्तर पर रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना किया जाना।

सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2007 में किये गये सर्वेक्षण में शिशु मृत्यु दर 69 पायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि शिशु मृत्युदर में कमी आ रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रिया को विज्ञान की मान्यता प्रदान कराये जाने की मांग

6-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में किन-किन विद्यालयों में इण्टर की विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त है ? क्या यह सही है कि खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रिया तुला-खीरी का भवन कुल 28 कक्षों का है जिसमें 6 प्रयोगशालायें होने के बावजूद उक्त विद्यालय को अभी तक विज्ञान की मान्यता नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त विद्यालय को इण्टर की विज्ञान वर्ग की मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कुल 27 विद्यालयों को इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त है, जिसकी सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रकरण मान्यता समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 235 पर।]

प्रदेश में गत वर्ष हाई स्कूल/इण्टर की मान्यता प्रदान किये जाने का विवरण

7-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अगस्त, 08 से 30 सितम्बर, 08 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा कितने स्कूलों को हाई स्कूलों/इण्टर की मान्यता प्रदान की गयी है तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अगस्त, 2008 से 30 सितम्बर, 2008 तक 599 विद्यालयों को हाई स्कूल की तथा 344 विद्यालयों को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान की गयी है, जिसकी सूची मा0 अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रदेश में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या के रोकथाम के उपाय

8-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग के उपचार की समुचित व्यवस्था है। विशिष्ट चिकित्सा सुविधा हेतु डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में कार्डियक एक्सेलेन्स यूनिट की स्थापना की जा रही है तथा कैथलैब एवं आई0सी0यू0 क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री राम बिशुन आजाद

[1ले सोमवार के अता0प्रश्न सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बन्तीखेड़ा के कन्या जूनियर हाई स्कूल को परिषदीय विद्यालय में समायोजित कराये जाने की मांग

10-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में स्थित ग्राम बन्तीखेड़ा में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, परन्तु इसे आज तक परिषदीय विद्यालय में समायोजित न किये जाने के कारण यहां पर शिक्षकों की तैनाती भी नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को परिषदीय विद्यालयों में कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

ग्राम बन्तीखेड़ा में सांसद निधि से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया है, विभागीय मानक के अनुसार दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने की मांग

11-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ? क्या यह सही है कि सदर, बथरा व खतौली विकास खण्डों में मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड ऊन में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से शीघ्र शिक्षकों की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक सिंह चौहान-

[दिनांक 12-02-2009 को अता0प्रश्न सं0 93 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर के सुधार हेतु कार्य योजना

13-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में गिरते हुये भूगर्भ जल स्तर के सुधार हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लाखीराम नागर)-

जी हां। प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर की समस्या के समाधान हेतु वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भूजल रिचार्ज बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन/भूजल संवर्धन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए।

(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालयों में वर्षों से कार्यरत चिकित्सकों का विवरण एवं जनपद के बाहर इनके स्थानान्तरण की मांग

14-श्री मदन भैया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कुल कितने चिकित्सक वर्तमान में कितने वर्षों से लगातार कार्यरत या सम्बद्ध होकर कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि कार्यालय में उक्त चिकित्सक कई वर्षों से कार्यरत हैं तथा नियमानुसार उनका स्थानान्तरण हो जाना चाहिए ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत कई वर्षों से कार्यरत ऐसे चिकित्सकों का स्थानान्तरण जनपद-लखनऊ से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय ने कुल 08 चिकित्साधिकारी एलोपैथिक तथा 04 चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	चि0अ0 का नाम	पदनाम	जनपद में तैनाती का वर्ष
1	डा0 ए0 के0 चौधरी	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	2007
2	डा0 डी0 के0 बाजपेई	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	2004
3	डा0 ए0के0 सिंह	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	2008
4	डा0 चित्रा सिंह	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	2008

क्र0सं0	चि0अ0 का नाम	पदनाम	जनपद में तैनाती का वर्ष
5	डा0 वाई0एस0 सचान	उप मुख्य चिकित्साधिकारी	2004
6	डा0 प्रमोद कुमार अग्रवाल	उप मुख्य चिकित्साधिकारी	2007
7	डा0 पी0के0 सिंह	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2007
8	डा0 राजेश अग्रवाल	चिकित्साधिकारी	1999
9	डा0 देवाशीष गुप्ता	चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0)	2006
10	डा0 एम0जेड0 फैजी	चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0)	2001
11	डा0 एस0के0 मेंहदी	चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0)	1997
12	डा0 मो0 अकमल	चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0)	2006

जी नहीं। स्थानान्तरण नीति के अनुसार एलोपैथिक चिकित्साधिकारी अधिकतम 10 वर्ष तक एक जनपद में तैनात रह सकते हैं। उपर्युक्त सूची में डा0 एस0के0 मेंहदी, चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) को छोड़कर कोई भी चिकित्सक 10 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात नहीं है। डा0 मेंहदी यद्यपि कि 10 वर्ष से अधिक समय से जनपद लखनऊ में तैनात हैं, परन्तु इनकी सेवानिवृत्ति जून, 2009 में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में बी0एड0 की परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

15-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध कालेजों में बी0एड0 वर्ष 2006-07 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इससे लगभग 25 हजार छात्र-छात्राएं विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेंगे ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन होगा ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

वर्ष 2006-07 के कुल 74 महाविद्यालयों/संस्थानों, जहां नियमानुसार आयोजित काउन्सलिंग से बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हुए थे उनकी लिखित परीक्षा दिनांक 16-1-2009 से प्रारम्भ होकर दिनांक 6-2-2009 को पूर्ण हो चुकी है और प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी माह में आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।

उक्तानुसार काउन्सलिंग से प्रवेश पाए छात्र/छात्राएं विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया से वंचित नहीं रह पायेंगे। शेष महाविद्यालयों के छात्रों का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्तानुसार कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में डी0 टाइप हेल्थ पोस्ट स्थापित किये जाने की व्यवस्था

16-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से गांवों की दूरी अधिक होने के कारण नजदीकी क्षेत्रों में डी0 टाइप हेल्थ सेण्टर की स्थापना करने हेतु पूर्व में कार्य योजना बनाई गयी थी जिससे इन केन्द्रों पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित आयोजनागत परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सघन शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में डी0 टाईप हेल्थ पोस्ट स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद शाहजहांपुर के स्वामी विवेकानन्द पब्लिक लाइब्रेरी हनुमत धाम के अनुदान दिये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी विवेकानन्द पब्लिक लाइब्रेरी हनुमत धाम, शाहजहांपुर को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/182959/2008, दिनांक 18-6-2008 क्या प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

विभाग में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अनुदानित पुस्तकालयों की उपयोगिता का परीक्षण किया जा रहा है। तत्पश्चात नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उप शिक्षा निदेशकों के पदोन्नति एवं अवशेष देयों का भुगतान किये जाने विषयक कथित पत्र

18-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशकों के पदोन्नति की संशोधित तिथि 3-12-2003 करने एवं अवशेष देयों का भुगतान किये जाने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 11-3-2008, जो मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा लखनऊ को कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं देयों के भुगतान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

19-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव, शिक्षा अनुभाग-12, उ0 प्र0 शासन का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1892/15-12-08-1600 (594)/08, दिनांक 20-8-2008 जो शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, लखनऊ को सम्बोधित है तथा जो कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने एवं उनके देयों के भुगतान विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। जो कि केवल एक कर्मचारी श्री मुकेश, परिचारक, वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, लखनऊ से सम्बन्धित है।

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा प्रकरण में परीक्षणोपरान्त शिकायत सत्य नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सकों के कतिपय यूनिट्स में प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि का विवरण

20-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे मंगल के अता0 प्रश्न संख्या-79 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रशिक्षण अवधि के बाद शासन के पत्र संख्या-एम0एस0/346-सं-14/ पांच-पी-69/93, दिनांक 13 मई, 1994 के द्वारा क्या चिकित्सकों को कैथ लैब, एनजियोग्राफी लैब, इकोलैब, टी0एम0टी0 लैब एवं कार्डियोलाजी के अन्य यूनिट्स में पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी अवधि क्या थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासन के आदेश संख्या-4666/चिकि0-4-1124/90 दिनांक 10 जुलाई, 1992 के अनुक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। शासन का पत्र संख्या-एम0एस0/346/सेक-14/पांच-पी-69/93, दिनांक 13 मई, 1994 उक्त शासनादेश के पूरक के रूप में प्रेषित किया गया।

कार्यपालक कुल सचिव, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/ई0आर0/ए0सी0डी0/5439/2009, दिनांक 4-2-09 जो महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को सम्बोधित है, में यह अवगत कराया गया है कि उक्त पत्र की प्रतिलिपि संस्थान के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसकी प्रति डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर रिट याचिका संख्या-81/एस0बी0/1998 के साथ उन्हें प्राप्त हुई थी, परन्तु चूंकि डा0 श्रीवास्तव संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे अतः नियमानुसार शासन के संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में पुनः प्रशिक्षण का कोई औचित्य नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ के सीनियर कार्डियोलाजिस्ट के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के प्रकरण पर महामहिम राज्यपाल के आदेश सम्बन्धी पत्र के सम्बन्ध में जानकारी पत्र

21-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सीनियर कार्डियोलाजिस्ट डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ के दिनांक 25-8-93 से दिनांक 15-7-98 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के प्रकरण के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री श्री अनिल कुमार ने दिनांक 15-5-2007 को तथा तत्कालीन महामहिम राज्यपाल ने 26-6-96 को क्या कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है तथा उसका अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री श्री अनिल कुमार का पत्र दिनांक 15-05-07 अनुभाग को प्राप्त नहीं हुआ है तथा वर्ष 1996 का अनुभागीय पत्र रजिस्टर उपलब्ध न हो पाने के कारण संदर्भित तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के आदेश सम्बन्धी पत्र दिनांक 26-06-96 के प्राप्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय में भी उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के जिला महिला चिकित्सालय में वरिष्ठ महिला चिकित्सक की तैनाती करने की मांग

22-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद-झांसी के जिला महिला चिकित्सालय में वर्तमान में कोई वरिष्ठ महिला चिकित्सक तैनात नहीं है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में वरिष्ठ महिला चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला महिला चिकित्सालय, झांसी में वर्तमान में 07 वरिष्ठ महिला चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के कतिपय विकास खण्डों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव

23-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ, विश्व बैंक परियोजना की बी0ई0पी0 I एवं बी0ई0पी0 II तथा डी0पी0ई0पी0 (जिला प्रा0 शिक्षा योजना) योजना से वंचित रहने के कारण इन दोनों विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित ग्राम/मजरों की बड़ी संख्या है ? क्या सरकार इन दोनों विकास खण्डों की असेवित बस्तियों का सर्वे कराकर सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिकता पर संतृप्त करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद में 14 ग्राम एवं विकास खण्ड सहपऊ में 10 ग्राम प्राथमिक विद्यालय से असेवित हैं तथा विकास खण्ड सादाबाद में 04 तथा विकास खण्ड सहपऊ में 05 ग्राम उच्च प्राथमिक विद्यालय से मानक के अनुसार असेवित हैं।

जी हां। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2009-10 में विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ के असेवित बस्तियों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया है। भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में विद्यालयों की स्थापना की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू कन्या महाविद्यालय, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर को बी0बी0ए0 विषय की मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

24-श्री हुकुम सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या महाविद्यालय शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर में बी0बी0ए0 विषय की मान्यता हेतु शासन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित शासन को आवेदन कब प्राप्त हुआ तथा उक्त आवेदन-पत्र का निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

हिन्दू महिला महाविद्यालय शामली, मुजफ्फरनगर को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में सत्र 2008-09 से अनापत्ति प्रदान करने विषयक चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का पत्रांक-सम्बद्धता/3109, दिनांक 15 जनवरी, 2008 शासन में दिनांक 21 जनवरी, 2008 को प्राप्त हुआ।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2008 का निस्तारण शासन के पत्र संख्या-3979/सत्तर-2-2008-2(266)/2007, दिनांक 25 नवम्बर, 2008 के द्वारा कर दिया गया है जिसमें उल्लेख है कि चूंकि हिन्दू महिला महाविद्यालय की भूमि महाविद्यालय के नाम/पैतृक संस्था के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है, अतः प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं है।

25-श्री हुकुम सिंह-

[2सरे बुधवार के अता0प्रश्नसं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के कतिपय सरकारी अस्पतालों में गतवर्ष उपचार हेतु क्रय की गयी औषधियों की धनराशि का विवरण

26-श्री प्रदीप माथुर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ व डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनप्रतिनिधियों, राजकीय सेवकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अलग-अलग कितने रुपये की दवाओं का स्थानीय क्रय किया गया ? इसमें से कितनी दवाएं दर अनुबन्ध पर तथा कितनी बिना दर अनुबंध से खरीदी गयीं ? बिना दर अनुबंध के क्रय करने के क्या कारण हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ व डा0 राममनोहर लोहिया चिकित्सालय लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल रु0 37392534/- की औषधियां क्रय की गयी जिसमें रु0 33279205/- की औषधियां दर अनुबंध पर रु0 4093435/- की औषधियां स्थानीय क्रय के माध्यम से तथा रु0 19694/- की औषधियां बिना दर अनुबंध के क्रय की गयी हैं। प्रचलित औषधि क्रय नीति में औषधियों के क्रय से सम्बन्धित सिद्धान्त/प्रक्रिया का निर्धारण है और जन प्रतिनिधियों, राजकीय सेवकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये क्रय की जाने वाली औषधियां का विवरण तैयार करने के निर्देश नहीं है।

रोगियों की जीवन रक्षा हेतु अति आवश्यक औषधियां जो दर अनुबंध में नहीं होती हैं, आकस्मिकता के दृष्टिगत क्रय की जाती हैं।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम सुजातगंज के कतिपय स्कूलों हेतु नयी भवन बनवाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम सुजातपुर के जर्जर प्राइमरी स्कूल का नया भवन कन्या जू0हा0 स्कूल, सुजातपुर के समीप

बनवाने हेतु श्री दयाशंकर शुक्ला, प्रधान ग्राम सुजातपुर के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/552058, दिनांक 28-5-2008 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

छात्रों के हित एवं बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति से अनुमति प्राप्त कर उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के परिसर में प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर का संचालन करा दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के परिसर में प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर हेतु दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत कर धनराशि का प्रेषक ग्राम शिक्षा समिति को कर दिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के परिसर में ही संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीराम कृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कालेज सिद्ध गिरिबाग, वाराणसी के वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री वासुदेवाचार्य की गायब सेवा पुस्तिका बनवाकर अवशेष देयकों का भुगतान कराये जाने की मांग

28-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि श्री राम कृष्ण विद्या मंदिर इन्टर कालेज, सिद्ध गिरिबाग, वाराणसी के वरिष्ठ सहायक अध्यापक श्री वासुदेवाचार्य को नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा जनवरी, 2006 से वेतन वृद्धि रोक दी गयी है तथा उनकी सेवा पंजिका गायब है जिसके विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा द्वितीय प्रति बनाने हेतु दिनांक 18-8-06 तथा दिनांक 29-12-06 को आदेशित करने के बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों निर्देशों की लगातार अवहेलना किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराने व जनवरी, 2006 से रोकी गयी वेतन वृद्धि का भुगतान करने, सेवा पंजिका की द्वितीय प्रति बनाने, नियमित वेतन का भुगतान करने तथा विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

श्री वासुदेवाचार्य, सहायक अध्यापक, श्री रामकृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, सिद्धगिरिबाग, वाराणसी को माह सितम्बर, 2008 से नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है।

जनवरी 2006, जनवरी 2007 व जनवरी 2008 की वार्षिक वेतनवृद्धि सेवा पुस्तिका के अभाव में नहीं दी गयी है।

द्वितीय सेवा पुस्तिका बनाये जाने के लिए दिनांक 30-01-2009 को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा निर्देशित किया गया है।

श्री वासुदेवचार्य, स0अ0, द्वारा दिनांक 22-12-96 को अपनी सेवा पंजिका वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से स्वयं प्राप्त की गयी थी। सेवा पंजिका गायब होने के उपरान्त द्वितीय सेवा पंजिका बनाये जाने हेतु शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र व अन्य पत्राजात सम्बन्धित द्वारा दिनांक 23-01-2009 को उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर द्वितीय सेवा पुस्तिका बनाते हुए अवशेष देयक के भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के पत्र दिनांक 30-01-2009 द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण करने की मांग

29-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालयों के विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया छठी सूची जारी होने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2007 हेतु सात सूचियां जारी की जा चुकी है। 60,000 सीटों के सापेक्ष अनन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण चल रहा है। प्रथम एवं द्वितीय अनन्तिम चयन सूची के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की परीक्षा भी सम्पन्न की जा चुकी है। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2007 में प्रशिक्षणोपरान्त आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियमानुसार चरणबद्ध ढंग से नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। समस्त 60,000 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान क्षमता के अनुसार ही चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरे जाने की मांग

30-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो कब तक इन रिक्त पदों को भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रवक्ता के 964 एवं प्रशिक्षित स्नातक के 5990 रिक्त पदों का उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन प्राप्त हुआ है।

उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या-1/2009 के अन्तर्गत दिनांक 15-01-2009 को पदों को विज्ञापित किया गया है।

नियमानुसार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त योग्यता सूची के अनुसार अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल रिक्त पदों हेतु घोषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के मजरा सैदूपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग

31-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के गांव सभा मुन्तजीपुर के मजरा सैदूपुर के बच्चे प्राथमिक शिक्षा हेतु तीन किमी0 दूर के प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सैदूपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा मुन्तजीपुर में मजरा सैदूपुर स्थित है। मजरा सैदूपुर के बच्चे शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर जाते हैं, जिसकी दूरी मजरा सैदूपुर से 0.8 किमी0 है तथा सैदूपुर की आबादी लगभग 250 है।

जी नहीं। मजरा सैदूपुर मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड धनुपुर की ग्राम सभा बहुपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग

32-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत गांव सभा-बहुपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बहुपुर हेतु वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिक विद्यालय स्थापना हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

यदि वार्षिक कार्ययोजना 2009-10 की स्वीकृति प्राप्त होती है तो नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में गिरते भूगर्भ जलस्तर के निदान के उपाय एवं डार्क जोन के सदंर्भ में जानकारी

33-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर कितने सेमी0 प्रतिवर्ष गिर रहा है तथा इलाहाबाद के विकास खण्ड-प्रतापपुर, सैदाबाद, फूलपुर एवं हंडिया में

भूगर्भ जल स्तर कितने सेमी0 प्रतिवर्ष गिर रहा है ? इसका कारण क्या है ? इसके निदान हेतु सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में कौन-कौन विकास खण्ड डार्क जोन के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री लखीराम नागर-

प्रदेश में 01 से0मी0 से 70 से0मी0 प्रतिवर्ष की भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड-सैदाबाद, फूलपुर एवं हड़िया में 01 से0मी0 से 10 से0मी0 प्रतिवर्ष तथा विकास खण्ड प्रतापपुर में 20 से0मी0 से 30 से0मी0 प्रतिवर्ष की गिरावट परिलक्षित हो रही है।

इसका मुख्य कारण भूजल स्रोतों का अनियंत्रित व अनियोजित दोहन एवं विगत वर्षों में वर्षा का सामान्य से कम होना है।

प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट वाले व अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भूजल रिचार्ज बढ़ाने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भूजल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी है :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए।

(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति, 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के क्रम में डार्क ग्रे व व्हाइट के श्रेणी के स्थान पर वर्तमान में विकास खण्डों को अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सेफ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नवीन अध्ययन के अनुसार जनपद-इलाहाबाद का कोई भी विकास खण्ड अतिदोहित अथवा क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है। सभी विकास खण्ड सेफ श्रेणी में है।

जनपद बांदा के अनेकों ब्लाक के चेक डैम/रपटा निर्माण की जांच कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

34-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 व 2006-07 में ब्लाक बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, तिन्दवारी, कमासिन में कुल कितने चेकडैम व चेकडैम कम रपटा बनाये गये हैं तथा उनका परियोजनावार विवरण क्या है ? क्या निर्माण कार्य मानक के अनुसार न होने के कारण वे पुनः क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका भौतिक सत्यापन कराकर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद बांदा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में 09, जसपुरा में 05, तिन्दवारी में 05 एवं कमासिन में 05 तथा वर्ष 2006-07 में केवल विकास खण्ड तिन्दवारी में 01 चेकडैम/चेकडैम कम रपटा का निर्माण किया गया है जिसमें वर्ष 2005-06

में राष्ट्रीय श्रम विकास योजनान्तर्गत 22 अदद, राष्ट्रीय श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 01 अदद एवं जिला योजना के अन्तर्गत 01 अदद तथा वर्ष 2006-07 में जिला योजना के अन्तर्गत 01 अदद चेकडैम/चेकडैम कम रपटा का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 236-237 पर।)

जनपद बांदा के शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कुम्हारी कला की सुरक्षित भूमि पर शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय द्वारा गलत तरीके से ली गयी मान्यता को समाप्त करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 फरवरी, 2008 सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के पत्रांक/बे0शि0प0/745-52/2008-09 दिनांक 25-4-2008 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सिमौनी के पास चेकडैम बनाये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मार्च, 2008 जो गहरा नाले पर सिमौनी के पास चेकडैम बनाने सम्बन्धी था, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां।

गडरा नाले पर चेकडैम बनाने हेतु सर्वेक्षण कराया गया। सर्वे में सिमौली ग्राम के पास गडरा नाले की चौड़ाई 60 से 70 मीटर पाई गई तथा नाले में पानी डेढ़ से दो मीटर गहरा तथा बहाव भी तेज पाया गया। नाले के पास की स्थिति रेवाइन जैसी है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इसी नाले में चेकडैम/रपटा का निर्माण कराया गया था जो क्षतिग्रस्त हो गया।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम के निर्माण में रि-इनफ्रोर्सेमेंट रहित आर0आर0 स्टोन मैसोनरी का प्रयोग किया जाता है। गडरा नाले की अधिक गहराई व तेज बहाव के कारण आर0सी0सी0 मैसोनरी का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी लागत अधिक आयेगी तथा लागत के सापेक्ष सिंचन क्षमता का सृजन कम होगा। अतः विभाग द्वारा गडरा नाले पर चेकडैम का निर्माण उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रदेश में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु नोटीफिकेशन जारी करने सम्बन्धी जानकारी

37-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2008-09 हेतु नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षक संकाय एवं अन्य आवर्तक व्ययों की सम्पूर्ति न होने से महाविद्यालय बन्द हो जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार बी0 एड0 की प्रवेश परीक्षा 08-09 तक करा देगी ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां। बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र, 2008-09 हेतु शासनादेश संख्या-3539/सत्तर-2-2008-3 (58)/79, दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता। बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 19-10-2008 को सम्पन्न हो चुकी है।

जनपद मुजफ्फरनगर के ढिढावली गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील के जहरीले पदार्थों की मिलावट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर के ढिढावली गांव के प्राथमिक विद्यालय में 20 सितम्बर, 2007 को मिड-डे मील में जहरीले पदार्थों की मिलावट के मामले पर मु0अ0सं0 142/749/07 थाना सिझाना में दर्ज कराया गया था ? यदि हां, क्या इस प्रकरण की विवेचना पूर्ण करके अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रकरण में मु0अ0सं0-142/749/07 नहीं अपितु मु0अ0स0 142/759/07 दर्ज कराया गया है।

जी नहीं।

प्रकरण विवेचनाधीन है।

राजधानी लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार

39-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हो जाने के बाद लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। सम्प्रति गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दाउदपुर विजुआ लखीमपुर खीरी को अनुदान अवमुक्त करने की मांग

40-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज, दाउदपुर-बिजुआ, लखीमपुर खीरी को अनुदान अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अनुदान कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

तत्समय पुनः विज्ञापन का निर्णय लिया गया था।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय से आदेश/अनुमति प्राप्त होने पर प्रश्नगत प्रस्ताव में विद्यमान कमियों की पूर्ति कराकर प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरस्वती विद्या मन्दिर हाई स्कूल कैराना जनपद मुजफ्फरनगर को इण्टर की मान्यता प्रदान कराये जाने की मांग

41-श्री हुकुम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरस्वती विद्या मन्दिर हाईस्कूल, कैराना जनपद मुजफ्फरनगर में इण्टर की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र विगत 2 वर्षों से भी अधिक समय से यू0पी0 बोर्ड में लम्बित है जिससे बोर्ड द्वारा पूर्व में उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त विद्यालय को मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। विद्यालय द्वारा अभी तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आई0टी0 कालेज के डिग्री सेक्शन में बी0काम0 शिक्षा की व्यवस्था

42-श्री सुधीर कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के आई0टी0 कालेज में कक्षा-11वीं से डिग्री तक की शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कालेज में कक्षा-11वीं व 12वीं कक्षा में कामर्स विषय की कक्षायें लगती हैं परन्तु डिग्री में कामर्स विषय नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिग्री में प्रवेश हेतु अन्य स्कूलों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में डिग्री कक्षाओं में कामर्स विषय को पढ़ाये जाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

महाविद्यालय को बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक-सत्र 2009-10 से सहयुक्तता प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सोलर लाइट को बढ़ावा देने की व्यवस्था

43-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बिजली की समस्या तथा ताज के महत्व को देखते हुए क्या सरकार ताज के 1 कि0मी0 के क्षेत्रफल को सूर्य ऊर्जा से प्रकाशित करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सब जनपदों की भांति आगरा में भी प्रकाश के लिए सोलर लाइट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा आगरा नगर को सैद्धान्तिक रूप से सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है।

प्रदेश में आलू के ज्यादा उत्पादन को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना में इसके उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार

44-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू के ज्यादा उत्पादन को देखते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना में इसके उपयोग को बढ़ाने के बारे में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां, आलू की कैलोरिफिक मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आलू को अन्य सब्जियों के साथ प्रयोग किए जाने हेतु मध्याह्न भीजन योजना के संशोधित मीनू में सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद का विवरण

45-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सरकारी अस्पतालों, पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 पर चालू वित्तीय वर्ष में कितना धन दवाइयों की खरीद पर तथा कितना धन टानिक, कफ सीरप व आइन्टमैन्ट पर खर्च किया गया ? कितनी दवाइयां जेनरिक नाम से तथा कितनी ब्राण्ड नाम से खरीदी गईं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सरकारी अस्पतालों पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 पर चालू वित्तीय वर्ष में कुल रु0 13,00,177.00 (रु0 तेरह लाख एक सौ सतहत्तर मात्र) की दवाईयां खरीदी गयी। आलोच्य अवधि में टानिक, कफसीरप व आईन्टमेन्ट की खरीद पर कोई भी धनराशि खर्च नहीं किया गया है।

सभी दवाईयां जेनरिक नाम से खरीदी गयी है। ब्रॉड नाम से कोई भी दवा नहीं खरीदी गयी है।

लखनऊ के कतिपय चिकित्सालयों में वाहन स्टैण्ड पर रेट लिस्ट के आधार पर शुल्क लिये जाने की मांग

46-श्री प्रदीप माथुर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविल चिकित्सालय, लखनऊ एवं डा0 रा0म0 लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ में मो0 साइकिल स्टैण्ड पर प्रति मो0 साइकिल 5/-रुपया लिया जाता है ? क्या स्टैण्ड पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा रेट लिस्ट लगाई गई है तथा टोकन पर्ची पर मूल्य छपा रखा गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी हां। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ में साइन बोर्ड लगे है जिनमें दर अंकित है तथा टोकन पर भी साइकिल/स्कूटर/चार पहिया वाहन हेतु क्रमशः रु0 2/- रु0 3/- एवं रु0 05/- की दरें अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय की सभी संकाओं के वार्षिक परीक्षाओं के घोषित परीक्षा फल

47-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की कई संकाओं में वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं जबकि नये सत्र में प्रवेश प्रारम्भ हैं ? क्या यह सही है कि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम न आने के कारण छात्र/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अनियमितता दूर करने के लिये सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

माह अप्रैल से जून, 2008 के बीच हुई सभी वार्षिक एवं समेस्टर परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित किये जा चुके है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैंसर की बीमारी के इलाज हेतु सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था

48-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कैंसर की बीमारी के इलाज के लिये कितने सरकारी अस्पताल हैं ? क्या सरकार कैंसर रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ऐसे अस्पतालों की संख्या एवं रेडियेशन मशीनें बढ़ाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन एवं संचालित समस्त जिला चिकित्सालयों में कैंसर के प्रारम्भिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय मैनपुरी में मुंह के कैंसर (ओरल कैंसर) के इलाज के लिए कैंसर यूनिट स्थापित की गई है।

कैंसर-उपचार की दृष्टि से जिला अस्पताल में मुख्य रूप से निदानिक (डायग्नोस्टिक)/प्रारम्भिक उपचार की सुविधाएं ही दी जाती हैं और आवश्यकता तथा रेडियोलाजिस्ट की उपलब्धता के दृष्टिगत जिला चिकित्सालयों/क्षेत्रीय निदान केन्द्रों में रेडिएशन मशीनें पर्याप्त हैं। कैंसरग्रस्त रोगियों का इलाज चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ तथा चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में होता है। उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रेतर प्रश्न नहीं उठाता।

लखनऊ के नवयुग इण्टर कालेज में अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति किये जाने की मांग

49-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित नवयुग इण्टर कालेज में लगभग बीस अध्यापिकाओं की कमी विगत कई वर्षों से चल रही है जिसके कारण विद्यार्थियों की

पढ़ाई प्रभावित हो रही है ? क्या सरकार नये सत्र में इन अध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिये नई नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

रिक्त पदों का अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के चयन का विवरण

50-श्री संजय कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में कितने उच्च प्राथमिक व कितने प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये हैं ? क्या चयनित सभी विद्यालय गांव की आबादी व एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की दूरी क्या मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप 75 उच्च प्राथमिक एवं 18 प्राथमिक विद्यालय चयनित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में टी0बी0 के इलाज के उपाय

51-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में टी0बी0 के इलाज में डॉट ट्रीटमेंट के मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत क्या है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्ष 2007 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में टी0बी0 के इलाज में डाट्स ट्रीटमेन्ट में मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत 7.8 है तथा वर्ष 2008 के प्रथम त्रैमास से तृतीय त्रैमास (सितम्बर, 2008 तक) में टी0बी0 के डाट्स ट्रीटमेन्ट में मरीजों का इलाज छोड़ने (ड्राप आउट) का प्रतिशत 8.4 है।

डिफाल्ट दर को कम करने के लिए टी0बी0 के मरीज के इलाज प्रारम्भ होने के समय उचित एवं प्रभावी काउन्सिलिंग की जाती है। डाट्स छोड़ने वाले मरीजों को डाट्स पर पुनः लाने का कार्य डाट्स प्रोवाइडर/टी0वी0एच0वी0/एस0टी0एस0 द्वारा किया जा रहा है फिर भी मरीज के डाट्स पर न आने की दशा में एम0ओ0टी0सी0/जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा प्रयास किया जाता है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के प्राथमिक व जूनियर स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

52-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में प्राथमिक व जूनियर स्तर पर कितने शिक्षकों की कमी है ? सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

आगरा जनपद के वि0स0 क्षेत्र फतेहाबाद के प्राथमिक एवं जूनियर स्तर पर कुल 478 शिक्षकों की कमी है।

प्रदेश के 60 हजार बी0एड0 योग्यताधारी अभ्यर्थियो का चयन कर 6 माह का प्रशिक्षण कराकर विशिष्ट बी0टी0सी0 के रूप में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत की गयी निःशुल्क बोरिंग का विवरण

53-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद-आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कितनी बोरिंग हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितनी निःशुल्क बोरिंग किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

वर्ष 2007-08 में विकास खण्ड शमसाबाद अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण यहां निःशुल्क बोरिंग नहीं कराई गई है। विकास खण्ड फतेहाबाद में वर्ष 2007-08 में उक्त योजना के अन्तर्गत 12 बोरिंग कराई गई है।

वर्ष 2008-09 हेतु विकास खण्ड शमसाबाद एवं फतेहाबाद हेतु निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य शून्य है।

विकास खण्ड शमसाबाद अतिदोहित श्रेणी में होने के कारण एवं फतेहाबाद विकास खण्ड में जल स्तर गिर जाने के कारण।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों/किये गये आपरेशन तथा चिकित्सकों का विवरण

54-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1 जनवरी, 2008 से 30 अप्रैल, 2008 तक कितने मरीजों को भर्ती करके इलाज किया गया ? कितने मरीजों के आपरेशन किये गये ? क्या सी0एच0सी0 पर चिकित्सकों के सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जनवरी 2008 से अप्रैल, 2008 तक कुल 154 मरीजों को भर्ती करके इलाज किया गया है।

उक्त अवधि में 129 मेजर एवं 147 माइनर आपरेशन किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहाबाद में चिकित्सकों के 03 पद रिक्त हैं।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में प्रसव के समय जच्चा/बच्चा की मृत्यु पर जांच कार्यवाही की मांग

55-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ मण्डल लखनऊ के अपर निदेशक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला, हरदोई पर प्रसव के समय जच्चा/बच्चा की मृत्यु की जांच आख्या संख्या 2657, दिनांक 31-1-2008, उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

अपर निदेशक, लखनऊ की जांच आख्या पर शासन द्वारा दोषी स्टाफ नर्स श्रीमती सुमन लता श्रीमती मनोरमा एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने तथा इन्हें जनपद हरदोई से अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्क्रम में निदेशक (चिकित्सा उपचार) के आदेश दिनांक 29-08-2008 द्वारा श्रीमती विजय लक्ष्मी को सण्डीला हरदोई से जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज स्थानान्तरित किया गया था, किन्तु रिट याचिका संख्या-5719 (एस0एस0)/08 में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 16-09-2008 के अनुपालन में श्रीमती विजय लक्ष्मी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया। श्रीमती मनोरमा एवं श्रीमती सुमनलता, संविदा उपचारिकाओं द्वारा माह अक्टूबर-2007 में त्याग-पत्र दे दिया गया है।

महानिदेशक के पत्र संख्या-19फ/4-एन/06/16655, दिनांक 31-12-08 द्वारा श्रीमती विजय लक्ष्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में कतिपय ब्लाकों में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग

56-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में कोई भी राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार ब्लाक नकहा, फूलबेहड़ तथा विजुआ में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी में 01 राजकीय महाविद्यालय, 03 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 09 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित अर्थात् कुल 13 महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन देने की शासन की नीति है।

जनपद बांदा के शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय व प्राइमरी विद्यालय बबेरू की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम मंगलवार में निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा दिनांक 12-2-2008 को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को शिशु ज्ञान स्थली पूर्व माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय बबेरू (बांदा) की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु संस्तुति भेजी गई थी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पत्रांक/बे0शि0प0/745-52/2008-09 दिनांक 25-4-2008 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सरदार पटेल हि0 इ0 का0 के श्री ओंकार नाथ कटियार के समस्त देयों का भुगतान

58-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकार नाथ कटियार, स0अ0प्र0सा0अ0 सरदार पटेल, हि0इ0का0 शाहजहांपुर के समस्त देयों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र पर आपका आदेश संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-178479/2008, दिनांक 24-3-08 प्रमुख सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के महिला अस्पताल में श्री विजय कुमार की पत्नी की प्रसव पीड़ा में चिकित्सा अभाव में हुई मृत्यु पर कार्यवाही की मांग

59-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी स्थित मण्डलीय महिला अस्पताल में चिकित्सालय के वार्ड नं0-4 के बेड नं0 12 पर प्रसव हेतु भर्ती मजदूर विजय कुमार की पत्नी प्रमिला की दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को सुबह हालत बिगड़ने पर चिकित्सा के अभाव में मौत हो गई ? क्या यह भी सही है कि एक अन्य मरीज श्रीमती रीतू दिनांक 20 सितम्बर, 08 को प्रसव पीड़ा होने पर उसी महिला अस्पताल के आपात कक्ष में बेड सं0-1 पर भर्ती मरीज को एक यूनिट गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा देने के कारण किसी प्रकार जान बचाई जा सकी ? क्या दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने, मृतका प्रमिला के परिजनों को आर्थिक क्षतिपूर्ति करने तथा अस्पताल में अनुशासन कायम करने एवं व्यवस्था को सुचारु करने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण में दोषी श्रीमती सुधा सिंह, स्टाफ नर्स का महानिदेशालय के आदेश दिनांक 10-12-2008 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है एवं डा0 सुरेन्द्र सिहोता, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका तथा डा0 मृदुला मलिक, चिकित्साधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अस्पताल में अनुशासन कायम किये जाने एवं व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु प्रभावी निर्देश दिये जा रहे हैं।

सेवानिवृत्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

60-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 से 30 जून, 1999 तक सेवानिवृत्त हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों अध्यापकों को केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र पर मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-181984, दिनांक 2008, दिनांक 04-06-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-सी0एम0वि0को0/एम-5/181904/08, दिनांक 04-06-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण नीति विषयक है, जिस पर वित्त विभाग के परामर्श एवं सहमति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में गत वर्षों में स्वीकृत प्राइमरी विद्यालयों की जानकारी एवं ब्लाक भांवलखेड़ा के ग्राम वासक में विद्यालय निर्माण की मांग

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में कितने नये प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुए ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम वासक के मजरे गोटियां में विद्यालय स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो जनहित में इस स्कूल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2005-06 में 80 प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2006-07 में 58 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं।

ब्लाक भांवलखेड़ा के ग्राम वासक के मजरे गोटिया में विद्यालय स्वीकृत नहीं हुआ था। ग्राम वासक के मजरे गोटिया से मात्र 600 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय मऊवासक स्थित है, अतः यह ग्राम मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम सुजातगंज के प्राइमरी स्कूल के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा का सुजातपुर ग्राम में प्राइमरी स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में है तथा आबादी से अत्यधिक दूरी है जिससे उसका लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है ? क्या मा0 मंत्री जी इसके स्थान पर नया भवन सुजातपुर जू0हा0 स्कूल भवन के पास बनवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम सुजातपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, परन्तु भवन काफी पुराना (वर्ष 1962 में निर्मित) है, जिसमें एक बड़ा कक्षा-कक्ष, हॉल, एक छोटा कक्ष व बरामदा बना हुआ है। विद्यालय में 239 छात्र पंजीकृत हैं। ग्राम सुजातपुर प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के पास ही बसा हुआ था परन्तु विगत वर्षों में बाढ़ से ग्राम कटने के कारण आबादी विद्यालय भवन से लगभग 1.5 किमी0 दूर बस गयी है। विद्यालय तक बरसात के दिनों में छात्रों को पहुंचने में जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

छात्रों के हित एवं बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति से अनुमति प्राप्त कर उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के परिसर में प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर का संचालन करा दिया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर के परिसर में प्राथमिक विद्यालय सुजातपुर हेतु दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत कर धनराशि का प्रेषण ग्राम शिक्षा समिति को कर दिया गया है तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कन्याओं की शिक्षा हेतु कतिपय इण्टर कालेजों में दो पाली में कक्षायें चलाये जाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग

63-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों को प्रवेश लेने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कन्याओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शाहजहांपुर के जी0जी0आई0सी0/आर्य कन्या इण्टर कालेज/आर्य महिला इण्टर कालेज व मिशन गर्ल्स इण्टर में सरकारी खर्चे पर दो पाली के कक्षाओं को लगवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दो पाली में कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश के अशासकीय एवं असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने का निर्णय

64-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अशासकीय एवं असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रदेश के 156 स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में से जो विहित शर्तों/प्रतिबन्धों की पूर्ति करते हैं, को प्रथम चरण में अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हीमोफीलिया की बीमारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

65-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में "हीमोफीलिया" जैसी भयंकर बीमारी के निःशुल्क इलाज की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 49/वि0स0/आ0स0/08, दिनांक 11-03-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त के सम्बन्ध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन द्वारा कोई कार्यवाही हीमोफीलिया सोसाइटी, वाराणसी द्वारा विभिन्न अवसरों पर भेजे गये पत्रों के सम्बन्ध में की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के अनुसार प्रदेश में हीमोफीलिया के रोगियों के उपचार के लिये आवश्यक औषधियां क्रय करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवायोजन आयोग द्वारा प्रवक्ता पद की परीक्षा के परिणाम घोषित करने सम्बन्धी जानकारी

66-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रवक्ता पद (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान) आदि के लिये वर्ष 2006 में माध्यमिक शिक्षा सेवायोजन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 7421/2005 उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-02-2006 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा विज्ञापित पदों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात शीघ्र ही नियमानुसार परीक्षा परिणाम चयन बोर्ड द्वारा घोषित किया जायेगा।

प्रदेश के 100 इण्टर कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने योजनान्तर्गत कालेजों को उपकरण क्रय करने हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

67-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 100 इण्टर कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र पुरोधानित योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक प्रदेश के किन-किन कालेजों को उपकरण क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है ? मेरठ जनपद में किन-किन विद्यालयों में इस योजना में उपकरण क्रय हेतु धनराशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां, सप्तम चरण में 100 विद्यालयों में योजना लागू है।

उक्त में से किसी भी विद्यालय को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

उक्त योजना में किसी विद्यालय को धनराशि नहीं दी गयी है।

योजना के प्राथमिक आंकलन के उपरान्त इसे वर्तमान स्वरूप में संचालित किये जाने की उपादेयता न पाये जाने के कारण उपकरण क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन व ऊन में मछुआ आवास योजना का लाभ मछुआरा जाति को दिलाये जाने की मांग

68-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थानाभवन व ऊन में मछुआरा जाति, कश्यप समाज के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं किन्तु इन्हें मछुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार द्वारा इनके लिये इस क्षेत्र में कोई विशेष आवास योजना चलाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मराज निषाद-

जी हां। जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-थाना भवन व ऊन में मछुआरा जाति कश्यप समाज के लोग निवास करते हैं। मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत इन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है तथा विगत पांच वर्षों में जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्डवार व ग्रामवार 130 मछुआ आवासों का आवंटन किया जा चुका है।

मछुआ आवास योजना प्रदेश में पूर्व से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन में सिंचाई हेतु विशेष योजना की मांग

69-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को डार्क ब्लाक की श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई हेतु कोई विशेष योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति-1997 के निर्धारित मानदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को अब भूजल उपलब्धता/विकास दर व भूजल स्तर में गिरावट के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल अथवा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

भूजल उपलब्धता आंकलन के अनुसार केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन को अतिदोहित श्रेणी मे वर्गीकृत किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर का विकास खण्ड ऊन अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण नियमानुसार यहां नलकूप का निर्माण नहीं किया जाना है। विकास खण्ड ऊन में पूर्वी यमुना नहर से पोषित नहरें हैं। यमुना नदी में मानसून अवधि के अतिरिक्त वर्तमान नहरों की क्षमता से अधिक जल उपलब्धता नहीं है, इसलिये विकास खण्ड ऊन मे सिंचाई हेतु कोई विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में ग्राम अर्जुनामऊ के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति किये जाने की मांग

70-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम अर्जुनामऊ के प्राथमिक विद्यालय में एक ही अध्यापक से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है जबकि दूसरे सहायक शिक्षक श्री अरुण कुमार गोस्वामी विगत कई वर्षों से अर्जुनामऊ में सम्बद्ध होकर वेतन ले रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 4-8-07 को प्रश्नकर्ता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर किसी अध्यापक की नियुक्ति किये जाने का आग्रह किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं

जी हां।

शासन द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति की समय सीमा समाप्त हो जाने तथा जनपद में अध्यापकों की कमी के कारण प्रा0 विद्यालय में अन्य अध्यापक की तैनाती नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति में पत्राचार से इग्नू राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय के बी0 एड0 धारकों को अलग रखने के सम्बन्ध में जानकारी

71-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति में पत्राचार से इग्नू, राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय के बी0 एड0 धारकों को अलग रखने का क्या कारण है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियम-8(1) में उक्त योग्यताएं अनुमोदित नहीं हैं जिस कारण उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नहीं रखा जाता है।

प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु निजी सहभागिता के आधार पर कराने के निर्णय की जानकारी

72-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने हेतु उसका संचालन निजी सहभागिता के आधार पर कराने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो पहले की व्यवस्था की तुलना में सुधार हेतु इसमें क्या भिन्नता है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित गरीबों को इससे किस प्रकार राहत मिलेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर एवं दुर्गम इलाकों तथा शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कंराने के उद्देश्य से पी0पी0पी0 के अन्तर्गत चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मेडिकल यूनिट्स तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय क्षेत्रों में अरबन हेल्थ पोस्ट/अरबन हेल्थ सेन्टर/फैमिली वेलफेयर सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा जन स्वास्थ्य की परिवर्तित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रचलित व्यवस्था पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। अतएव वर्तमान व्यवस्था की निरन्तरता के साथ इसमें गत्यात्मक परिवर्तन (Dynamic Change) पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे गरीबों को निश्चत रूप से राहत मिलेगी।

जनपद बुलन्दशहर में दुग्ध उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट की रोकथाम के उपाय

73-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद- बुलन्दशहर में दुग्ध उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासनादेश संख्या-जी0आई0-141ए/पांच-8-08-123खा/08, दिनांक 28-11-08 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के निर्देशन में विशेष छापामार अभियान चलाकर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के नमूने संग्रहित कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में जनपद बुलन्दशहर में दुग्ध उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण हेतु नियमित एवं छापामार कार्यवाही की गयी है। जनपद में जनवरी, 08 से नवम्बर, 08 तक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 203 नमूनों सहित समस्त खाद्य पदार्थों के कुल 488 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु भेजे गये, जिसमें से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 44 नमूने सहित कुल 58 नमूने अधोमानक/मिलावटी पाये गये।

मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को दण्डित कराने हेतु इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में 58 वाद योजित कर दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गम्भीर रोगों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था

74-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के हृदय रोग/कैंसर आदि गम्भीर रोगों के निःशुल्क इलाज हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विशिष्ट गम्भीर रोगों-हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर, गुर्दा व मूत्र रोग, अस्थि रोग, थैलेसीनिया तथा हीमोफीलिया रोग के उपचार हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य निधि के अन्तर्गत गठित मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

उक्त कोष से आर्थिक सहायता पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य संचालन समिति गठित की गयी है और इसे उपचार पर अधिकतम रु0 1.50 लाख स्वीकृत करने का अधिकार है। इस कोष से बी0पी0एल0 कार्डधारक आर्थिक सहायता हेतु पात्र होंगे। बी0पी0एल0 कार्ड न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र पात्रता निर्धारण के लिये पर्याप्त माना जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित रोगी के परिवार की आय समस्त स्रोतों से

रु0 24 हजार से अधिक न हो अथवा तत्समय बी0पी0एल0 के लिये विनिश्चत धनराशि के समतुल्य हो। रु0 1.50 लाख से अधिक के मामले राष्ट्रीय आरोग्य निधि को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। आर्थिक सहायता के अन्तर्गत निहित धनराशि सीधे रोगियों को न देकर चिन्हित चिकित्सालयों जहां रोगी का उपचार हो रहा हो, को दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के शिक्षा समिति धरायू के ग्राम प्रधान को बैंक में संचालित खाते से हटाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

75-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शिक्षा समिति धरायू क्षेत्र निगोही, शाहजहांपुर के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान को बैंक में संचालित खाते से हटाया गया है ? यदि हां, तो किन प्राविधानों के अन्तर्गत एवं उसका विवरण क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

निर्माण कार्य में ग्राम प्रधान द्वारा सहयोग न करने के कारण ग्राम प्रधान धरायू को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु नोटिस दी गयी, परन्तु ग्राम प्रधान द्वारा खाते से धन आहरित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जनहित में अपने आदेश दिनांक 01-7-2008 द्वारा ग्राम शिक्षा निधि खाता धरायू को निर्माण प्रभारी अध्यापक के साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा संयुक्त खाता कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

प्रदेश में एल0 टी0 ग्रेड माध्यमिक शिक्षकों से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति अन्तर्गत जनपद उन्नाव के पी0 एल0 के0 पी0 इण्टर कालेज कालू खेड़ा में प्रोन्नति प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

76-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने एल0टी0 ग्रेड माध्यमिक शिक्षकों से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति किये जाने का कोटा क्या समाप्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 01-07-2002 में उन्नाव जनपद के पी0एल0के0पी0 इण्टर कालेज, कालू खेड़ा में एल0टी0 ग्रेड शिक्षकों में से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति किये जाने हेतु कितने शिक्षकों का कोटा विद्यमान था तथा एल0टी0 ग्रेड के उस समय कितने शिक्षक उक्त पदों के लिये अर्ह थे ? क्या सरकार अवगत है कि प्रबन्धतंत्र ने 20-1-2005 में एल0टी0 ग्रेड से प्रवक्ता पद हेतु प्रोन्नति का पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

जुलाई, 2002 में पदोन्नति हेतु निर्धारित 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण था। पदोन्नति हेतु कोई पद रिक्त नहीं था।

एल0 टी0 ग्रेड से प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी प्रबन्धतंत्र का कोई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रियातुला को इण्टर विज्ञान वर्ग की मान्यता प्रदान करने की मांग

77-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रियातुला को इण्टर की विज्ञान वर्ग की मान्यता का प्रकरण अभी तक शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनता के हित में विज्ञान वर्ग की इण्टरमीडिएट की मान्यता उक्त विद्यालय को प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्तर पर लम्बित है।

निर्धारित मानक की पूर्ति न होने के कारण।

प्रकरण मान्यता हेतु आगामी मान्यता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के मुलायम सिंह यादव कन्या इण्टर कालेज सुखबसा-खीरी को मान्यता प्रदान करने का प्रकरण

78-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के मुलायम सिंह यादव कन्या इण्टर कालेज, सुखबसा-खीरी की मान्यता का प्रकरण शासन में क्या लम्बित है ? यदि हां, तो शासन द्वारा संचालित असेवित विकास खण्डों में इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत स्थापित मुलायम सिंह यादव कन्या इण्टर कालेज, सुखबसा-खीरी को सरकार कब तक मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण मान्यता समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर की किसान सेवा सहकारी समिति लि0 भरैरा के सचिव द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

79-श्री लालजी यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजवीर सिंह ग्राम मण्डौरा पो0 नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा लिखित शिकायती-पत्र जो सचिव, किसान सेवा सहकारी समिति

लि0 भरैरा, जनपद-बिजनौर के द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने विषयक है, मा0 विधायक दीप नरायन सिंह के पत्र सहित दिनांक 27 जून, 2008 को आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी चांदपुर, जनपद बिजनौर एवं उप महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, बिजनौर से संयुक्त रूप से करायी गयी तथा प्राप्त जांच आख्या दिनांक 03-09-08 के अनुसार शिकायत निराधार होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बालिकाओं को विज्ञान वर्ग की शिक्षा हेतु राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

80-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल की बालिकाओं को विज्ञान वर्ग की शिक्षा देने के लिये विकास खण्ड स्तर पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद में विज्ञान वर्ग की कक्षायें शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

सम्प्रति शासन की कोई ऐसी नीति नहीं है।

इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की मान्यता न होने के कारण सम्प्रति विज्ञान वर्ग की कक्षायें शुरू करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उर्सला हास्पिटल कानपुर में उपचारिका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों के छात्रावास में पीने के पानी की समस्या का निदान

81-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्सला हास्पिटल, कानपुर में उपचारिका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्सों के छात्रावास/आवास में पीने वाला पानी अत्यधिक गन्दा होने के कारण छात्रायें तपेदिक एवं पेट दर्द से पीड़ित रहती हैं ? क्या मंत्री जी गर्मी के मौसम में शुद्ध एवं ठंडा पानी के लिये आवास के प्रत्येक तल पर एक-एक वाटर प्यूरीफायर सहित वाटर कूलर लगाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं

उपचारिका प्रशिक्षण छात्रावास की पानी की टंकी में डोजर प्लान्ट लगा होने से शुद्ध पानी की आपूर्ति होती है तथा छात्रावास/आवासीय तल में वाटर प्यूरीफायर एवं रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होने से शुद्ध एवं ठण्डा पानी सदैव उपलब्ध रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर के कनिष्ठ लिपिक श्री सर्वेश तिवारी द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति की करोड़ों की धनराशि गबन करने पर कृत कार्यवाही

82-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0सी0-2 (ए) 2002 ए0सी0यू0-6/सी0बी0आई0एस0पी0ई0 नई दिल्ली, दिनांक 18-2-2002 कैश क्राइम सं0 1039 में सी0बी0आई0 कानपुर नगर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति के करोड़ों रु0 के गवन कर लेने वाले सर्वेश तिवारी, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर सम्प्रति कानपुर देहात में तैनात को अपराधी घोषित करते हुए जिला कारागार, लखनऊ में दिनांक 6-10-2005 को निरुद्ध किया गया था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

विभाग द्वारा श्री सर्वेश तिवारी को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसके विरुद्ध श्री तिवारी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0-43298/08 योजित की गयी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-09-2008 द्वारा निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

प्रदेश में बी0एड0 में प्रवेश हेतु एन0 आर0 आई0 कोटा के नीति निर्धारण की विचाराधीन कार्यवाही

83-श्री जोखू लाल यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु एन0आर0आई0 कोटा कितने प्रतिशत सरकार ने निर्धारित किया है ? वर्तमान सत्र में बी0एड0 में एन0आर0आई0 कोटा के कितने प्रवेश किये गये हैं ? इसके सापेक्ष प्रदेश सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ? उसका विवरण क्या है ? एन0आर0आई0 के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में उनके स्थान पर किन छात्रों का प्रवेश होगा ? इसके लिये क्या नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के सरकारी अस्पताल में ब्लड सेपरेशन मशीन की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी

84-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के सरकारी अस्पतालों में रक्त अवयवों खास कर प्लेटलेट्स अलग करने की मशीन ब्लड सेपरेटर उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

एस0 एन0 मेडिकल, आगरा में ब्लड सेपरेशन मशीन उपलब्ध है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल के साथ कतिपय जनपदों में बच्चों की मृत्यु दर रोकने के उपाय

85-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में 15 वर्ष या उससे कम उम्र के छोटे बच्चों की मृत्यु दर निरन्तर बढ़ रही है ? उदाहरणार्थ जनपद कौशाम्बी में 91, लखनऊ में 89, वाराणसी में 90, बरेली में 93 प्रति 1000 तक पहुंच गई है ? बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु दर को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित विवरण वर्ष 2003-04 के डिस्ट्रिक्ट लेवेल हेल्थ सर्व-2 पर आधारित हैं वर्ष 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 73 प्रति एक हजार जीवित जन्म तथा वर्ष 2007 के एस0 आर0 एस0 सर्वेक्षण (वर्ष 2008 में प्रसारित) के अनुसार शिशु मृत्यु दर 69 प्रति एक हजार जीवित जन्म है।

वर्तमान में बच्चों की मृत्यु दर को कम करने हेतु निम्नवत् प्रयास किये जा रहे हैं :--

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशुओं की पूर्ण देखभाल।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम।
- समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम।
- नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना।
- दस्त रोग एवं निमोनिया से ग्रसित बच्चों का विशेष उपचार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कर रही एजेन्सी के सम्बन्ध में जानकारी

86-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन है तथा इन भवनों का निर्माण कर रही निर्माण एजेन्सी कौन-कौन है ? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से इन कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद लखीमपुर खीरी में 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं। इन भवनों का निर्माण कर रही निर्माण एजेन्सी सी0डी0एस0 जल निगम, राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन एवं पैक्सफेड है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत कला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलियाकला में प्रवेश हेतु नियमों का पालन न करने सम्बन्धी जानकारी

87-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत कला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलिया कलां में वर्ष 2007-2008 में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में प्रवेश हेतु आरक्षण के नियमों का पालन प्रधानाचार्य द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली एवं वाराणसी के अनेकों गांव में विकलांगता के शिकार लोगों को बचाने की मांग

88-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि चन्दौली जिले के अन्तर्गत हथियानी गांव तथा वाराणसी जिले के अन्तर्गत पूरे गांव में दर्जनों लोग तथा जंसा क्षेत्र के 12 हजार आबादी वाले हरसोस गांव में भी 150 से अधिक लोग विकलांगता के शिकार है ? यदि हां, तो क्या नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 20 अगस्त, 2008 को प्रश्नकर्ता द्वारा दी गई इस सम्बन्ध में सूचना पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार इन गांवों के लोगों को विकलांगता का शिकार होने से बचाने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कारणों की जांच कराने हेतु शासन स्तर पर समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

ग्राम हथियानी में 29 पूरे गांव में 66 तथा हरसोस गांव में 58 लोग विकलांगता के शिकार हैं।

ग्राम अहियानी में रहस्यमय विकलांगता की जांच हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल भेजा गया था, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया कि किसी भी व्यक्ति की विकलांगता ऐसी नहीं है, जो दूषित खाद्य पदार्थ एवं जल के सेवन से उत्पन्न हुई हो तथा उक्त गांव में विगत 04 वर्षों से कोई भी व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित नहीं हुआ है।

वाराणसी जनपद के पूरेगांव में मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर मेडिकल टीम भेज कर सर्वे कराया गया। उक्त गांवों के 05 हैण्ड पम्पों का जल सैम्पुल लेकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान बी0एच0यू0 वाराणसी में दिनांक 13-08-08 एवं रीजनल लेबोरेटरी, वाराणसी में दिनांक 4-08-08 को टेस्ट कराया गया किन्तु जांच में उक्त टेस्ट सामान्य पाया गया है। पीड़ितों को उपचारार्थ दो-दो माह की दवायें वितरित की गयीं। बी0एच0यू0 के आर्थोपेडिक/सामान्य मेडिसिन विभाग से सम्पर्क स्थापित कर मरीजों के इलाज एवं अध्ययन की कार्यवाही की जा रही है।

हरसोस ग्राम में 8 वर्ष पूर्व विकलांगता के मामले पाये गये थे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।

विकलांगता की दृष्टि से अतिसंवेदनशील एरिया को चिन्हित कर बराबर निगरानी रखी जा रही है तथा टीकाकरण से संतृप्त किया जा रहा है साथ ही दवाओं का वितरण किया जा चुका है एवं उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। अब तक कुल 06 मरीजों को बी0एच0यू0 रिफर किया जा चुका है। उक्त मरीजों को हड्डी रोग विभाग से रिफर कर न्यूरो विभाग में स्थानान्तरित किया गया है, जहां बीमारी के कारणों की जांच की जा रही है। दो विकलांगों का इलाज बी0एच0यू0 वाराणसी के अन्तर्गत विभाग में डा0 दीपिका जोशी प्रो0 एण्ड हेड आफ डिपार्टमेन्ट न्यूरोलॉजी के अन्तर्गत चल रहा है। दिनांक 29-01-09 को उक्त केस के मसल्स वायप्सी के सम्बन्ध में टेस्ट के लिए निदेशक निमंहैन्स बेंगलोर को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष का परीक्षा फल घोषित किये जाने की मांग

89-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 724/79-5-2006-43/06, दिनांक 18-3-06 के द्वारा संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण 2006 के द्वितीय वर्ष का सत्र 27 जुलाई, 2007 को प्रारम्भ हुआ था जो दि0 30-04-08 को पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया है ? क्या राज्य सरकार यथाशीघ्र परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

दो वर्ष का प्रशिक्षण 27 जुलाई, 2006 से प्रारम्भ होकर जुलाई, 2008 में पूर्ण हुआ।

परीक्षा दिनांक 28-8-2008 से सम्पन्न करायी गयी तथा परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित भी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अस्पतालों में फैल्सीपेरम मलेरिया की दपाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

90-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा जनपद के अस्पतालों में फैल्सीपेरम मलेरिया की चिकित्सा के लिये मुख्य दवा कुनीन व आर्टीसुनेट उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार मलेरिया फैल्सीपेरम के उपचार हेतु क्लोरोक्वीन तथा प्राइमाक्वीन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में उक्त दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, वहां पर आर्टीसुनेट दवा दिये जाने का प्राविधान है।

आगरा जनपद का कोई भी क्षेत्र क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी नहीं है। अतः जनपद में मलेरिया फैल्सीपेरम के उपचार हेतु आर्टीसुनेट दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां तक कुनीन दवा का प्रश्न है, यह दवा वर्तमान में प्रचलन में नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों से विरत रखने की योजना सम्बन्धी जानकारी

91-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के बावजूद अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए अध्यापकों को गैर-शिक्षण कार्यों से विरत रखने की सरकार की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-6972/15-5-2000-385/2000, दिनांक 29-12-2000 एवं शासनादेश संख्या-936(1)/79-5-2005-385/2000, दिनांक 6 जनवरी, 2005 के क्रम उ0प्र0

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्रा0वि0 में कार्यरत अध्यापकों को निम्नलिखित शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है :-

स्कूल भवन निर्माण, साक्षरता अभियान, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में केन्द्र पर्यवेक्षक, 10 वर्षीय जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, दैवीय आपदा एवं निर्वाचन सम्बन्धी आदि।

अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नेडा द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा प्रचार-प्रसार हेतु व्यय धनराशि का विवरण एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान बढ़ाये जाने की मांग

92-डा0 अजय तोमर-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर बिजली की कमी को दूर करने के लिये नेडा द्वारा प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा पर आधारित संयंत्रों के प्रचार प्रसार पर सरकार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय कर रही है तथा कुल बिजली की मांग की कितने प्रतिशत की पूर्ति वर्तमान में की जा रही है ? क्या नेडा को भारत सरकार की तरह प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से अनुदान बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर हुसैन-

जी हां, प्रदेश स्तर पर बिजली की कमी को दूर करने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्रचार-प्रसार मद में प्राप्त धनराशि से वर्ष 2008-09 में लगभग रु0 110 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

पेपर मिलों अथवा अन्य उद्योगों में को-जनरेशन अथवा बायोमास गैसीफिकेशन आदि से सार्वजनिक स्थलों पर स्ट्रीट लाइट से और घरों में होम लाइट से अपनी विद्युत की आवश्यकता की पूरी या आंशिक पूर्ति हो जाती है पर इससे यह कहना कठिन है कि कुल बिजली की मांग का कितने प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा से पूर्ति हो रही है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-08 में उनके द्वारा कुल 55010 मिलियन यूनिट बिजली का क्रय किया गया जिसमें 1864 मिलियन यूनिट को-जनरेशन इकाइयों से क्रय की गयी थी। इस प्रकार 2007-08 में कुल क्रय ऊर्जा का 3.38 प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा से प्राप्त किया गया था।

सोलर स्ट्रीट लाइट तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ-साथ उ0 प्र0 शासन द्वारा भी अनुदान दिया जाता है। सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र के घरेलू उपयोग पर अनुदान दिये जाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गयी है तथा इस हेतु रु0 1.15 करोड़ की धनराशि नेडा को स्वीकृत की गयी है।

जनपद बरेली के कतिपय विकास खण्डों के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी दूर करने की मांग

93-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के सुदूरवर्ती विकास खण्ड दमखेदा व बहेड़ी के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय गत सत्र से अध्यापक विहीन हैं तथा अधिकांश प्राथमिक स्कूल शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं ? क्या बी0एस0ए0 बरेली ने शहर के नजदीक तथा रोड साइड वाले स्कूलों में मानक से अधिक अध्यापक नियोजित किये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जांच करायी जा रही है।

संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जांच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के अम्बेडकर ग्राम बल्लिया के प्राइमरी स्कूलों की बाउण्ड्री वाल बनवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

94-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के अम्बेडकर ग्राम बल्लिया (ब्लाक भावल खेड़ा) के प्राइमरी स्कूल में बाउण्ड्री वाल न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त विद्यालय की बाउण्ड्री वाल बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अम्बेडकर ग्राम बल्लिया में स्थित प्राइमरी विद्यालय रौजा-I तथा रौजा-II में चहारदीवारी नहीं बनी है, किन्तु इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो स्वीकृति प्राप्त होने पर वांछित निर्माण कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो स्वीकृति प्राप्त होने पर वांछित निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी दूर करने का कथित प्रकरण

95-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है ? यदि हां, तो क्या इनके निर्माण हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

96-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में कोई राजकीय महाविद्यालय स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व से 02 राजकीय महाविद्यालय संचालित है। वर्तमान में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन देने की शासकीय नीति है।

जनपद महाराजगंज के ठाकुर शिव नारायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध आर्थिक घोटाले का कथित प्रकरण

97-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठाकुर शिव नारायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर बाजार नौतनवां जनपद महराजगंज के वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच में आर्थिक अनियमिततायें एवं घोटाले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के उ0प्र0स0अ0 सरदार पटेल, हि0 इं0का0 के श्री ओंकार नाथ कटियार के समस्त देयों का भुगतान

98-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओंकार नाथ कटियार, निवासी 677, मोहम्मदजई, मालखाना रोड, उ0प्र0स0अ0 सरदार पटेल, हि0 इं0का0 शाहजहांपुर को

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 29-01-2002 के अनुसार बकाया वेतन एवं पेंशन दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3/552242 दिनांक 17-3-2008 उन्हें क्या प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/552243 दिनांक 17-3-2008 प्राप्त हुआ है।

श्री ओंकार नाथ कटियार सेवानिवृत्त, सहायक अध्यापक, सरदार पटेल हि0इं0का0, शाहजहांपुर के देय समस्त अवशेषों का भुगतान उनको किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के समस्त तहसीलों के नलों/कुओं के पानी से हो रही पेट की बीमारियों के निराकरण के उपाय

99-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा की समस्त तहसीलों में नलों/कुओं में पीने योग्य पानी नहीं आ रहा है जिससे ग्रामीणों में पेट से सम्बन्धित बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बीमारियों के निराकरण हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, जनपद गोण्डा की तहसीलों में नलों/कुओं के पानी से पेट की बीमारी होने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत खुटीहन में जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

100-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तृतीय मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में क्षेत्र पंचायत छपिया, जनपद-गोण्डा में ग्राम पंचायत खुटीहन में जूनियर हाई स्कूल असेवित बस्ती में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जिला शिक्षा समिति जनपद-गोण्डा की बैठक दिनांक 3-7-07 में किन-किन शिक्षा क्षेत्रों में कितने-कितने विद्यालयों को स्थानान्तरित कर किन-किन स्थानों पर मानक के अनुसार चयन किया गया ? क्या स्वीकृत उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2006-07 में जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत छपिया की ग्राम पंचायत खुटीहन में जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 14-8-2006 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था जिसे बाद में जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक में दिनांक 3-7-2007 में संशोधित करते हुए अन्यत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 3-7-2007 में निम्नवत् विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	14-8-06 की बैठक में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय जिन्हें 3-7-07 की बैठक में संशोधित किया		3-7-07 की बैठक में संशोधित नवीन प्राथमिक विद्यालय, जिनका निर्माण पूर्ण कराया गया	
1	2	3		4	
1	वजीरगंज	1	बाल्हाराई	1	बेइलिया
		2	कोडर		
		3	बिरहमतपुर		
2	रूपडीह	4	गौनरिया	2	मिश्रौलिया
		5	भवानीपुर खुर्द	3	बालमरामपुरवा
		6	ज्यौराभौरा		
3	हलधरमऊ	7	खिन्दुरी		
4	कटरा बाजार	8	मेटुकहा	4	डफौली पुरवा
				5	मेहरबानाबाद
				6	मंगरे पुरवा
5	परसपुर	9	पूरेपठान	7	पूरेपठान
		10	पुरैना	8	पूरे मगन
		11	सरैया	9	जगतापुर
6	बेलसर	12	डिडिसिया कला	10	सिसई पसिया पूरे संग्राम
		13	पसियन पूरे संग्राम	11	बादलपुर
7	नवाबगंज	14	पंडितपुरवा		
		15	भगाही		
8	झंझरी	16	हाशिमजोत	12	पिपरा सूर्यमन
				13	खिरामा
				14	बाबाकुटी (हाशिमजोत)
9	तरबगंज	17	बहादुरपुर	15	कुड़िया बोरिहा
		18	भगन बगिया	16	भगन बगिया
				17	बहादुरपुर मांझा
10	इटियाथोक			18	करमडीह कला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	14-8-06 की बैठक में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें 3-7-07 की बैठक में संशोधित किया		3-7-07 की बैठक में संशोधित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनका निर्माण पूर्ण कराया गया	
1	वजीरगंज			1	परसापुर महडौर
				2	खानपुर (13-2-08 की बैठक में संशोधित)
2	मनकापुर	1	ककरघटा		
		2	रैडोरा		
3	पण्डरी कृपाल	3	पण्डरी बल्लभ	3	दरियापुर हरदौपट्टी
4	हलधरमऊ	4	झौहना	4	बरइनपुरवा
		5	उर्दी गोण्डा	5	सिकरी
		6	रसूलपुर खान		
5	बेलसर	7	लिलोईकला	6	सिसई पूरेपठान
6	छपिया	8	बौहान	7	अधौड़ी
		9	खुटिहन	8	तालागंज
7	नवाबगंज	10	कनकापुर		
		11	दुर्गागंज		
		12	खानपुर		
8	कर्नलगंज	13	फतेहपुर		
9	तरबगंज			9	पिपरी रोहुआ
10	झंझरी			10	सरैया माफी
				11	सोनी हरलाल (13-2-08 की बैठक में संशोधित)
11	कटरा बाजार			12	सेहरिया
12	रूपईडीह			13	भैरमपुर

इन सभी विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

101-श्री राम बिशुन आजाद-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी में यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में व्यय धनराशि का विवरण

102-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के तहत जनपद-लखीमपुर खीरी में विगत पांच वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है तथा कौन-कौन से कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत कराये गये तथा इसका विवरण क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

गत 5 वर्षों में जनपद-लखीमपुर खीरी में यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत कुल रु0 811.41 लाख का व्यय हुआ है जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	मद	धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1	**सिविल निर्माण कार्य अनुरक्षण व्यय**	
	* जिला चिकित्सालय पुरुष, लखीमपुर।	162.74
	* जिला चिकित्सालय महिला, लखीमपुर।	
	* बी0पी0एच0सी0, पसगवां	131.61
	* सी0एच0सी0, पलियाकला।	19.79
	* वार्षिक अनुरक्षण (उपरोक्त चारों में)	65.25
	* एम्बुलेन्स गैराज सी0एच0सी0 गोला, मोहम्मदी, पलिया, निघासन।	13.38
	* सी0एच0सी0 मोहम्मदी पलिया, पसगवां वेस्ट स्टोरेज रूम का निर्माण तथा अनुरक्षण	4.17 5.80
2	**उपकरण/फर्नीचर उपार्जन**	
	* कम्प्यूटर एवं पेरिफरलस	3.89
	* चिकित्सालय उपकरण	109.37
	* अस्पताल फर्नीचर	15.77
3	औषधि उपार्जन	140.75
4	सुरक्षा व्यवस्था	1.04
5	प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार	2.24
6	एन0जी0ओ0	83.74

1	2	3
7	चिकित्सकीय उपकरण/फर्नीचर मरम्मत	12.20
8	एम्बुलेन्स मरम्मत	0.24
9	इन्टरनेट कनेक्शन	0.28
10	वेतन	26.19
11	वाहन किराया/पेट्रोल	5.99
12	प्रिटिंग/स्टेशनरी	1.67
13	टेलीफोन	1.27
14	विज्ञापन	1.57
15	यात्रा-भत्ता	1.38
16	विविध व्यय	1.08
	योग	**811.41**

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर में डिग्री कालेज खोले जाने सम्बन्धी जानकारी

103-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कितने डिग्री कालेज हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में अब तक डिग्री कालेज किन कारणों से नहीं खोला गया ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी, कोई नहीं।

श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा वर्तमान में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन देने की शासकीय नीति है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के प्रत्येक विकास खण्डों में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

104-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कितने राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं ? क्या सरकार श्रीनगर विधान सभा के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कोई नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्तमान में प्रत्येक विकास खण्ड में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0टी0सी0 उर्दू प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभ्यर्थियों के मानदेय का भुगतान कराये जाने की मांग

105-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे उ0प्र0 में चालू बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण, 2005 एवं 2006 के मानदेय का क्या भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विगत 23 महीनों से उर्दू बी0टी0सी0 के द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को मात्र छः माह का ही मानदेय दिया जाना प्रस्तावित किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पूरी अवधि का मानदेय देने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के निर्माणाधीन सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य पूर्ण करा कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के निर्माणाधीन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या निर्मित प्रत्येक केन्द्र को स्वास्थ्य विभाग द्वारा किन-किन तिथियों को कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कब्जे में लिया गया और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी नहीं।

केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरायणपुर, मानापुर, ढिढई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर ढिढई, हरिपुरवरदेता एवं नरायणपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	हस्तगत का दिनांक
नरायणपुर	27-11-07
मानापुर	24-06-08
ढिढई	28-08-08

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	हस्तगत का दिनांक
मानापुर	12-8-06
ढिढई	6-9-05
हरिपुरवरदेवा	29-11-06
नरायणपुर	27-11-06

शासनादेश दिनांक 9-1-07 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरायणपुर में तथा शासनादेश दिनांक 5-6-08 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर और ढिढई के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मानकानुसार पदों की स्वीकृति तथा उपकरण आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्थानीय व्यवस्था पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर, ढिढयी, नरायणपुर व हरिहरवरदेता किराये के भवन में पूर्व से स्थापित व क्रियाशील थे। नवनिर्मित राजकीय भवन हस्तगत होने पर उनको राजकीय भवनों में स्थापित कराकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में गत वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 तथा 2008-09 में 30 मई, 2008 तक किस-किस प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करायी गयी और कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई और धन के उपयोग की स्थिति क्या है ? उक्त विद्यालयों के निर्माण वर्ष (स्थापना वर्ष) क्या है ? क्या धन के उपभोग का स्थलीय सत्यापन प्रमाण-पत्र सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

संलग्न सूची* के अनुसार।

संलग्न सूची* में अंकित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम की संख्या एवं इन्हें घाटे से उबारने के उपाय

108-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम वर्तमान में कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने निगम व सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जो अब

---

* छापी नहीं गयी।

तक घाटे में चल रहे हैं ? उन्हें लाभ में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग की परिधि में 40 सार्वजनिक उपक्रम/निगम कार्यरत है।

वर्ष 2006-07 की अनन्तिम सूचना के अनुसार 11 निगम/उपक्रम उक्त वर्ष में घाटे में चल रहे हैं तथा 21 निगम/उपक्रम वर्ष 2006-07 के अन्त तक संचित घाटे में रहे हैं।

(सूची संलग्न)

ऐसे निगमों को लाभ में लाने का दायित्व सम्बन्धित निगमों के निदेशक मण्डल एवं प्रशासकीय विभाग का है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक अनुश्रवण कर निगमों/उपक्रमों को यथा आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[सूची के लिये देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ट 238-241 पर।]

प्रदेश के महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने सम्बन्धी जानकारी

109-श्री अनूप सण्डा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुदानित महाविद्यालयों में वर्ष 2000 या उसके बाद स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत खुले विभिन्न विषयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रहे वित्तविहीन महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की मांग

110-श्री अनूप सण्डा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1997 में कितने महाविद्यालय वित्तविहीन योजना के अन्तर्गत स्थापित हुए ? इनमें से कितने महाविद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं ? क्या सरकार इन महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

53

49

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में नीतिगत प्रतिबन्ध है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

111-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुरी खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रियातुला को विज्ञान की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

112-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज पड़रियातुला जिला खीरी को विज्ञान वर्ग की इण्टर की मान्यता प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रकरण मान्यता समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रदेश में हाई स्कूल/इण्टर कालेज की मान्यता विषयक प्रकरण की संख्या एवं इसके निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही

113-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में 30 अप्रैल, 2008 तक शासन स्तर पर हाईस्कूल/इण्टर मीडिएट कालेजों की संगत अधिनियम की धारा-9 (4) के अन्तर्गत मान्यता विषयक कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या सरकार धारा-9 (4) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने के मामलों में समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

रिट याचिका संख्या-42665/06 बहुरी अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय तरुवनवां कुशीनगर बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-12-2006 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9 (4) के अन्तर्गत संस्थाओं को मान्यता नही दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

114-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल की स्थापना योजनान्तर्गत स्वीकृत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज दाउदपुर न्याय पंचायत अषाढ़ी वि0खण्ड बिजुआ जिला लखीमपुर खीरी को शासन द्वारा अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त विद्यालय को कब तक अनुदान दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

तत्समय पुनः विज्ञापन का निर्णय लिया गया था।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय से आदेश/अनुमति प्राप्त होने पर प्रश्नगत प्रस्ताव मे विद्यमान कमियों की पूर्ति कराकर प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक भवन का निर्माण कर विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में जानकारी

115-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक भवन बनाये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या उक्त भवन हेतु जमीन की व्यवस्था हो गयी है ? यदि हां, तो वह जमीन किस स्थान पर है और किस निर्माण एजेन्सी द्वारा भवन निर्माण कराया जायेगा ? उक्त भवन कब तक बनाकर शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

ग्राम सेखुईकला में एक एकड़ भूमि जिलाधिकारी/प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। भवन निर्माण उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई जनपद बहराइच द्वारा कराया गया है।

भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। किन्तु निर्मित भवन में कुछ कमियों को निर्माण इकाई से ठीक कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद महामाया नगर की तहसील सादाबाद की सहकारी समितियों के कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की मांग

116-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामाया नगर की तहसील सादाबाद की सहकारी समितियों पर कार्यरत कर्मचारी विगत लगभग 15-20 माह से बिना वेतन के

कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अविलम्ब कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सहकारी समितियों के प्रबन्धकीय व्यय खाते में पर्याप्त धनराशि न होना।

जी नहीं।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, सहकारी समितियों के व्यवसाय के मार्जिन से ही कर्मचारियों को वेतन दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद महामाया नगर की तहसील सादाबाद में मातृ शिशु कल्याण हेतु भवन के निर्माण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिसावर (अम्बेडकर ग्राम) तहसील सादाबाद, जनपद-महामाया नगर में सन् 1992 में स्वीकृत मातृ शिशु कल्याण केन्द्र (ए0एन0एम0 सेन्टर) के भवन निर्माण हेतु निर्धारित धन का आवंटन जल निगम की सी0 एण्ड डी0एस0 को किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्राम बिसावर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 24-2-1994 को दी गयी तथा दिनांक 12-6-1997 को सी0 एण्ड डी0एस0 उ0 प्र0 जल निगम को धनराशि आवंटित की गई।

जी नहीं।

निर्माण न कराये जाने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा स्वीकृत धनराशि ब्याज सहित वापस करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (प्रथम), सी0 एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं।

जनपद बागपत के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार एरियर का भुगतान

118-डा0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, 2007 व फरवरी, 2007 तथा अगस्त, 2007 से मार्च, 2008 तक के वेतन, बोनस व पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अवशेष एरियर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

अगस्त, 2008 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ताओं की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में जानकारी

119-डा0 अजय तोमर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता वेतन क्रम एवं स्नातक वेतन क्रम स्तर की नियुक्तियों हेतु दिसम्बर, 2006 में हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि अन्य विषयों की लिखित परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा ली गयी थी ? यदि हां, तो अब तक परीक्षाफल घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता वेतनक्रम के चयन हेतु दिसम्बर, 2006 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-7421/2005 उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-2-2006 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा विज्ञापित पदों का सत्यापन किया जा रहा है।

विज्ञापित पदों के सत्यापन के पश्चात शीघ्र ही नियमानुसार परीक्षा परिणाम चयन बोर्ड द्वारा घोषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता बढ़ाये जाने के प्रयास

120-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 का सकल साक्षरता प्रतिशत 56.3 है जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 68.8 तथा महिलाओं का प्रतिशत 42.2 है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं की साक्षरता वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। उक्त प्रतिशत वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है।

प्रदेश में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए साक्षरता कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अतः पृथक से कोई कार्य योजना बनाये जाने की आवश्कता नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अनेकों प्रा0 स्वा0 केन्द्रों को उच्चीकृत किये जाने की मांग

121-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र ढखवा, आसपुर देवसरा, मुजाही, उतरास को क्या उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एक विकास खण्ड के लिए केवल एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की शासकीय नीति है। विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पूर्व से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

जनपद संतकबीरनगर के सम्राट अशोक करहना माध्यमिक विद्यालय के श्रीकृष्ण मुरारी सिंह सहा0 अध्यापक के वेतन भुगतान का प्रकरण

122-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट अशोक करहना माध्यमिक विद्यालय, जनपद-संतकबीर नगर से सम्बन्धित सहायक अध्यापक श्री कृष्ण मुरारी सिंह के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-12 का पत्र संख्या वी0आई0पी0 198/15/12-04-1600 (14) 2001, दिनांक 21 मार्च, 2005 शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, संतकबीर नगर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में इस पर सम्प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

123-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद रायबरेली में प्राथमिक विद्यालयों के मिड डे मील योजना के खाद्यान्न ढुलाई के कोटेदारों को भुगतान कराये जाने की मांग

124-श्री राजाराम त्यागी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना के संचालन में कोटेदारों से राशन आपूर्ति की योजना के अन्तर्गत रायबरेली जनपद में वर्ष 2007-08 में खाद्यान्न की ढुलाई कोटेदारों से की गई ? यदि हां, तो क्या उक्त ढुलाई का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

मिड डे योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की ढुलाई का भुगतान रु0 12 प्रति कुंतल की दर से माह जुलाई, 07 से मार्च, 08 तक का किया जा चुका है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी सम्बन्धित को ढुलाई के मद में भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रा0 स्तर के विद्यालयों के बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

125-श्री राजाराम त्यागी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रा0 पाठशाला की भांति बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमति (मान्यता) प्राप्त अन्य प्रा0 स्तर तक के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को भी मिड डे मील योजना का लाभ देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री बोरिंग योजना अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के विकास खण्डों में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

126-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री बोरिंग कराये जाने की कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद के बछरावां विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाले वि0 खण्डों के अनु0 जा0 व जनजाति के 2006-07, 2007-08 व 2008-09 तक की सूची, जिन्हें फ्री बोरिंग सहित अन्य सुविधाएं दी गई हैं, उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी हां।

जी हां।

रायबरेली जनपद के बछरावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले विकास खण्ड-बछरावां शिवगढ़ व महाराजगंज के अनुसूचित जाति की फ्री बोरिंग 2006-07, 2007-08, 2008-09 की माह जनवरी, 2009 तक की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, यह सूची विस्तृत है। अतः मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में आकर इसे देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के राजकीय कन्या इण्टर कालेज दाहा में दैनिक शिक्षकों द्वारा अन्य संस्थाओं में कार्य करने का कथित प्रकरण

127-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, बागपत में संचालित राजकीय कन्या इण्टर कालेज दाहा बागपत में तैनात कुछ शिक्षक अन्य दूसरी संस्थाओं में शिक्षण कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे शिक्षकों को राजकीय कन्या इण्टर कालेज दाहा में ही शिक्षण कार्य करने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, दाहा (बागपत) में वर्तमान में कार्यरत अध्यापिकाओं में से कोई भी अध्यापिका किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत/सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डायट बड़ौत द्वारा टेण्डर में हेरा फेरी का कथित प्रकरण

128-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-2008 जो डायट बड़ौत द्वारा टेण्डर में हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ से कराई गई। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ की जांच में शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जू0हा0 स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालयों के आवंटन में भेदभाव पूर्ण रवैये का कथित प्रकरण

129-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-10 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रस्तावों को कम दिखाकर एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रस्तावों पर विचार न करके क्षेत्रीय मानक के विपरीत जू0 हा0 स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के आवंटन में भेदभाव पूर्ण रवैये की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों में फैलने वाले संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय

130-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ के कारण फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कोई कार्य-योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

बाढ़ के कारण फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना, 2008 दिनांक 30-5-2008 को निर्गत की गई है। इस कार्य योजना में संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु मण्डलीय/जिला समन्वय समिति का गठन एवं बैठक, संक्रामक रोग चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन-रक्षक औषधियां तथा संक्रामक रोगों हेतु औषधियों का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण, जिला मुख्यालय पर संक्रामक रोग नियंत्रण सचलदल (रैपिड रिस्पांस टीम) का गठन/कन्ट्रोल रूम की स्थापना, नोडल अधिकारी का नामांकन, प्रयोगशाला परीक्षण की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता प्रदूषण खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक, परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के अनुसार कार्यवाही किये जाने के दिशा-निर्देश समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

131-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[1ले सोमवार के अता0प्रश्न सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत बक्सरा आशाराम प्राइमरी पाठशाला सोनबरसा के शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता की जांच

132-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत बक्सरा आशाराम प्राइमरी पाठशाला सोनबरसा के शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता की जांच के सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी, जिला-गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक सं0 1288/पी0सी0 (ज0द0)-वि0को0/07, दिनांक 8 सितम्बर, 2007 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को

भेजा गया पत्र, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गई। जांच में कु0 अर्चना देवी, शिक्षा मित्र, प्राइमरी विद्यालय सोनबरसा द्वारा शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहते हुए बी0ए0 संस्थागत छात्रा के रूप में अध्ययन करना तथा इस सम्बन्ध में ग्राम शिक्षा समिति को सूचित न करने का आरोप प्रमाणित होने के कारण जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 20-9-2008 को कु0 अर्चना देवी का चयन निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के श्री अग्रसेन महाजनी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति विषयक पत्र पर कार्यवाही

133-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अग्रसेन महाजनी इण्टर कालेज, वाराणसी से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विभाग से एल0टी0 ग्रेड में विषय वरिष्ठता क्रम और आरक्षण के नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का आपको सम्बोधित पत्र दिनांक 04-09-2008 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव दिनांक 16-05-2003 तथा कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी का पत्रांक मा0-7068-69/07-08, दिनांक 15-10-2007 पर जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2008 नहीं, अपितु पत्र दिनांक 09-9-2008 प्राप्त हुआ है।

प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव दिनांक 16-5-2003 को विभागीय निर्देश के क्रम में निरस्त करते हुए पदोन्नति हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन प्रस्ताव दिनांक 9-8-2005 पारित किया गया है तथा उसी के क्रम में वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया गया है। निर्धारित वरिष्ठता सूची के वरिष्ठता क्रम-2 पर श्री राजेन्द्र कुमार का नाम अंकित है, जिनकी पदोन्नति विचाराधीन है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी के पत्र दिनांक 15-2-2007 के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति के प्रस्ताव की मांग की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के विकास खण्ड सादाबाद की ग्राम सभा गीगला का विद्यालय फार्म का पट्टा देने की जांच/कार्यवाही की मांग

134-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संलग्न कृषि फार्मों को पट्टे पर देने का अधिकार ग्राम पंचायत व जिला पंचायत में से किस संस्था को है ? क्या यह सही है कि जनपद-महामाया नगर के विकास खण्ड सादाबाद की ग्राम सभा गीगला का विद्यालय फार्म विगत वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा फसली वर्ष 2007-08 हेतु रु0 14,500/- में पट्टे पर दिया गया था तथा इस फसली वर्ष 2008-09 में भी यह फार्म जिला पंचायत द्वारा रु0 4000/- में पट्टे पर दिया गया है ? क्या शासन इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2000 की धारा 9 क (2) के अनुसार पट्टे पर देने का अधिकार किसी को नहीं है।

जी हां।

जिलाधिकारी, महामाया नगर को दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर/माध्यमिक कालेज खोलने के मानक एवं शिथिल करने की मांग

135-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर/माध्यमिक कालेज खोलने के लिए शासन में क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सत्र 2007-08 में कितने माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है ? छात्रवृद्धि को देखते हुए क्या सरकार सत्र 2008-09 में नये माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु शहरी क्षेत्रों में नियमों को शिथिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिये माध्यमिक/इण्टर कालेज खोलने के लिये शासन द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-सात में मानक/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसकी प्रति मा0 अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

कोई नहीं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में जू0 हाई स्कूल में निर्माण हेतु आहरित धनराशि का विवरण एवं अनियमितता की जांच पर कार्यवाही की मांग

136-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 तृतीय मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नेकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि विकास खण्ड छपिया में वर्ष 2007-08 में जू0 हाई स्कूल ग्राम पंचायत रतनपुर के लक्ष्मणपुर में एवं वि0 खं0 मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर में जू0 हाई स्कूल के निर्माण हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ एवं किन-किन तिथियों में किन-किन बैंकों से कितनी-कितनी धनराशि नगद या चेक द्वारा आहरित की गयी तथा कौन से निर्माण कार्य किये गये ? क्या दोनों स्कूलों के निर्माण पूरे हो चुके हैं ? क्या उक्त धनराशि नियमानुसार आहरित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर वित्तीय अनियमितता करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

उक्त जूनियर हाई स्कूलों के लिये वर्ष 2007-08 में प्रति विद्यालय रु0 5,39,000/- स्वीकृत हुए थे। विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत अकबरपुर में प्रथम किश्त रु0 2.70 लाख दिनांक 2-11-2007 को तथा दूसरी किश्त रु0 2.70 लाख दिनांक 4-3-2008 को शाखा देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मनकापुर के खाता संख्या-11398 में प्रेषित की गई। ग्राम पंचायत रतनपुर के असेवित बस्ती लक्ष्मनपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रथम किश्त रु0 2.70 लाख दिनांक 2-11-2007 को तथा द्वितीय किश्त रु0 2.70 लाख दिनांक 4-3-2008 को शाखा देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बभनान के खाता संख्या-11850 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई। बाद में शौचालय की इकाई लागत कम होने के कारण रु0 1000.00 की इसमें बचत हुई। उक्त बैंकों से तिथिवार आहरित की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रुपये में)

उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बरपुर		उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मनपुर	
दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि
07-11-07	10000.00	22-11-07	100000.00
14-11-07	75000.00	19-03-08	50000.00
20-12-07	60000.00	10-04-08	50000.00
22-12-07	10000.00	03-05-08	10000.00

(धनराशि रुपये में)

उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बरपुर		उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मनपुर	
28-12-07	11000.00	12-05-08	30000.00
31-12-07	3300.00	20-06-08	130000.00
12-01-08	15000.00	09-08-08	90000.00
12-01-08	20000.00	25-08-08	25000.00
12-01-08	35000.00	10-09-08	54000.00
30-01-08	10000.00		
07-02-08	10000.00		
18-02-08	8000.00		
08-03-08	160000.00		
13-03-08	40000.00		
14-03-08	25000.00		
14-03-08	8000.00		
27-03-08	7000.00		
15-04-08	30000.00		
21-07-08	1700.00		
योग :	**539000.00**	**योग :**	**539000.00**

जी हां।

किन्तु दोनों विद्यालयों के निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई है।

भवन निर्माण में पाई गई कमियों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत रतनपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मनपुर हेतु दोषी निर्माण प्रभारी अध्यापक तथा प्रधान से रु0 20,986/- तथा विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत अम्बरपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के दोषी निर्माण प्रभारी अध्यापक तथा प्रधान से रु0 30,209/- की वसूली के आदेश दिये जा चुके हैं ।

वसूली हेतु कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जामियां मिलिया अलीगढ़ द्वारा उर्दू मोउल्लिम को बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

137-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में उर्दू विषय के अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जामियां

मिलिया अलीगढ़ द्वारा संचालित उर्दू मोउल्लिम की डिग्री, जो बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष होती है, को मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मोउल्लिम-ए-उर्दू मान्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित करने की मांग

138-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में मान्यता प्राप्त 1000 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुदान देकर स्थापित कन्या इण्टर कालेजों को अनुदानित करने की मांग

139-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असेवित विकास खण्डों में सरकार द्वारा अनुदान देकर स्थापित कन्या इण्टर कालेजों को अनुदानित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने सम्बन्धी जानकारी

140-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसपुरा एवं तिन्दवारी में कुल कितने पुरुष/महिला डाक्टर के पद तथा कितने टेक्नीशियन एवं कर्मचारियों के पद सृजित हैं तथा उसके सापेक्ष कितनों की तैनाती है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

बांदा जनपद के जिला चिकित्सालय (पुरुष) जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिन्दवारी में पुरुष/महिला चिकित्साधिकारी, टेक्नीशियन एवं कर्मचारियों के सृजित भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :-

जिला चिकित्सालय (पुरुष)

	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	44	28	16
टेक्नीशियन	07	07	--
अन्य कर्मी	90	74	16

जिला चिकित्सालय (महिला)

	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	08	06	02
टेक्नीशियन	01	01	--
अन्य कर्मी	39	35	04

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसपुरा

	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	08	06	02
टेक्नीशियन	02	02	--
अन्य कर्मी	26	22	04

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, तिन्दवारी

	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
चिकित्साधिकारी	03	03	--
टेक्नीशियन	01	01	--
अन्य कर्मी	20	17	03

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना झिझाना के प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील में विषैला पदार्थ के मिलने की दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही की मांग

141-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-झिझाना में मु0अ0सं0 142/ 759/07 धारा 284 आई0पी0सी0 प्राथमिक विद्यालय ग्राम ढिंढाली में मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री में विषैला पदार्थ मिलाये जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रकरण विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

142-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0प्र0 वक्फ विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम/छठा वेतनमान लागू किये जाने का प्रस्ताव

143-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 वक्फ विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सुविधा निगम में अभी तक लागू नहीं की गई है ? सरकार द्वारा उक्त निगम में पंचम वेतन आयोग की सुविधा कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सुविधा अभी लागू नहीं हुई है। निगम में पंचम वेतनमान/छठा वेतनमान की सुविधा लागू किये जाने का प्रस्ताव रिज़वी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

उ0प्र0 वक्फ विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार करने का प्रस्ताव

144-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 वक्फ विकास निगम में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सेवा नियमावली लागू है ? यदि नहीं तो निगम में पदोन्नतियां किस सेवा नियमावली के आधार पर की गई हैं ? क्या सरकार निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पृथक से सेवा नियमावली बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 द्वारा निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पृथक से सेवा नियमावली तैयार नहीं की गई है। निगम में पदोन्नतियां/भर्ती सार्वजनिक उद्यम विभाग की माडल सेवा निमयावली/निदेशक मण्डल की संस्तुतियों के आधार पर की गई है। निगम में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु पृथक से सेवानियमावली प्रस्तावित है।

प्रदेश में महाविद्यालय खोलने हेतु मानक एवं नियमों को शिथिल करने की मांग

145-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के लिये शासन में क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? शैक्षिक सत्र 2007-08 में प्रदेश में कितने

महाविद्यालयों को खोलने हेतु शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? क्या छात्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2008-09 में नये महाविद्यालय खोलने हेतु नियमों को शिथिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

प्रदेश में महाविद्यालय खोलने हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-585 मु0सं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005, शासनादेश संख्या-743 मु0सं0/सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 7 नवम्बर, 2006, शासनादेश संख्या-4133/सत्तर-2-2006-16-(98)/2006, दिनांक 10 नवम्बर, 2006 शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007, शासनादेश संख्या-2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007, दिनांक 09 मई, 2008, शासनादेश संख्या-3310/सत्तर-2-2008-2(166)/2002, दिनांक 04 अगस्त, 2008, शासनादेश संख्या-4548/सत्तर-2-2008-2(494)/2007, दिनांक 14 अक्टूबर, 2008, शासनादेश संख्या-4954/सत्तर-2-2008-2(166)/2002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं।

शैक्षिक सत्र 2007-08 में कुल 432 महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

जी नहीं।

महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मानक पहले से ही सरल हैं जिन्हें शिथिल किये जाने की आवश्कता नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रियातुला को इण्टर विज्ञान की मान्यता का प्रकरण

146-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रियातुला खीरी की इण्टरमीडिएट में विज्ञान वर्ग की मान्यता का प्रकरण क्या शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण मान्यता समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

जनपद सहारनपुर मण्डल के जर्जर हो चुके राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार करने का विचाराधीन प्रकरण

147-श्री इमरान मसूद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल में कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं ? क्या सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मात्र एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज नवाबगंज, सहारनपुर।

नवीन विद्यालय भवन निर्माण हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

अतिशीघ्र।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी जानकारी

148-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव लम्बित है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।

कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ब्लाक मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

149-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक मुख्यालय प्रतापपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब से चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी हां।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन के ग्राम कैड़ी में क्षतिग्रस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

150-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थानाभवन के ग्राम कैड़ी में विगत कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण यहां किसी भी चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो कैड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड थाना भवन के ग्राम कैड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। अतः किसी चिकित्सक की तैनाती का कोई औचित्य नहीं है, अपितु इस ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित है।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष प्रस्तावित है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के तीन माह के भीतर उपकेन्द्र भवन का पुनर्निर्माण कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

151-श्री सुधीर कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। प्रवक्ता वेतनक्रम के 97 पद तथा सहायक अध्यापक के 210 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों का अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के युवराजदत्त महाविद्यालय में गत वर्ष प्रवेश हेतु जारी मेरिट सूची एवं लागू आरक्षण नीति के पालन की मांग

152-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी के युवराजदत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में वर्ष 2007-08 में स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं में

प्रवेश हेतु जारी मेरिट सूची के अनुसार ही प्रवेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में परास्नातक एवं स्नातक कक्षाओं में कितनी-कितनी सीटें हैं तथा वर्ष 2007-08 में कितने छात्रों की मेरिट सूची जारी की गई तथा कितने बच्चे प्रवेश से वंचित रह गये हैं ? क्या विद्यालय/कालेज में सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

परास्नातक एवं स्नातक कक्षाओं में क्रमशः 620 एवं 3270 सीटें हैं, जिनमें प्रवेश लिया गया तथा परास्नातक एवं स्नातक स्तर पर क्रमशः 203 एवं 1645 छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित रहे गये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के भगवानदीन आर्य कन्या डिग्री कालेज के प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के पालन करने के सम्बन्ध में जानकारी

153-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कालेज लखीमपुर में स्नातक कक्षाओं में वर्ष 2007-08 हेतु प्रवेश में प्राचार्या द्वारा सरकारी आरक्षण नीति का पालन किया गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में खाद्यान्न बाल पोषाहार में अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

154-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के जिलाधिकारी का पत्रांक 3519/आशु/वि0रा0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 जो खाद्यान्न बाल पोषाहार में अनियमितता के सम्बन्ध में था तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा व जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्राम अलोना, बेनामऊ के ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

1-प्राथमिक विद्यालय अलोना के प्रधानाध्यापक श्री राम विशाल को निलम्बित किया गया।

2-प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बेनामऊ के प्रति जिलाधिकारी बांदा/उप जिलाधिकारी बबेरू के पत्र में कोई अनियमितता का उल्लेख नहीं है जिस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3-ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही के सन्दर्भ में प्राधिकरण स्तर से जिला पंचायत राज अधिकारी बांदा को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवीपाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में उप निबन्धक सहकारी समितियों का कार्यालय खोले जाने की मांग

155-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवीपाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में उप निबन्धक सहकारी समितियों का कार्यालय खोले जाने पर सरकार द्वारा क्या विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

देवी पाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा में उप निबन्धक, सहकारी समितियों का कार्यालय 31-12-1997 से खोला जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) की तैनाती

156-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के अस्थायी वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी0एस0ए0) के स्थाई पद पर तैनात किया गया है ? क्या सरकार उक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बी0एस0ए0) को वापस इनके मूल पदों पर भेजते हुए स्थाई बी0एस0ए0 की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। किसी भी अस्थाई वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी0एस0ए0) के स्थाई पद पर तैनात नहीं किया गया है।

विभाग में समूह "ख" के अन्तर्गत प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत एवं पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के रूप में

चयनित अधिकारियों में से स्थाई वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, को कुल-33 जनपदों में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।

यह नीति विषयक बिन्दु है इस सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्णय होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में क्षय रोगों की जांच की सुविधा जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये जाने की मांग

157-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना के अन्तर्गत क्षय रोगियों की चिकित्सा हेतु ग्रामीण स्तर तक मुफ्त जांच एवं इलाज की व्यवस्था करायी जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के जिला स्तर से ग्रामीण स्तर तक के सभी चिकित्सालयो पर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस (फेफड़ों का क्षय रोग) की भांति एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस (फेफड़ों से अतिरिक्त अन्य अंगों के क्षय रोग) की जांच की व्यवस्था किस स्तर के चिकित्सालयों पर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में उक्त जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी हां।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बलगम परीक्षण से लेकर फेफड़ों के टी0वी0 की जांच की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों में उपलब्ध है।

फेफड़ों के अतिरिक्त अन्य अंगों की टी0वी0 (एक्सट्रा पलमोनरी) की जांच ग्रसित अंगों के अनुसार विशेषज्ञतावार की जाती है। कुछ अंगों के टी0वी0 की जांच की सुविधा जिला चिकित्सालय स्तर पर तथा कुछ की जांच सुविधा मेडिकल कालेज स्तर पर उपलब्ध है।

सभी जांचों की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुछ जांचे अतिविशिष्ट प्रकार की हैं जिनकी सुविधा मेडिकल कालेज स्तर पर उपलब्ध है। उक्त जांचों की सुविधा को वर्तमान में जिला चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

जनपद बागपत के जनता इण्टर कालेज सूजरा के श्री राम निवास मोघा प्रवक्ता द्वारा जन्मतिथि में हेरा-फेरी करने के विरुद्ध कार्यवाही

158-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में जनता इण्टर कालेज, सूजरा में राम निवास मोघा प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है

कि इनके द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय वाराणसी से पूर्व मध्यमा की परीक्षा अनुक्रमांक सं0-4102 से उत्तीर्ण की गई तथा उक्त परीक्षा के समय इनकी जन्मतिथि 6-1-1945 दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अभिलेखों में हेरा-फेरी करके जन्मतिथि 6-1-1950 कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कुलसचिव सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी का जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को सम्बोधित पत्र पृष्ठांकन सचिव कुलपति को विरेन्द्र सिंह पवार पंचशील कालोनी मेरठ रोड बागपत को उनके पत्र दिनांक 26-6-08 के सन्दर्भ में पत्र सं0-कु0सं0 1932/08, दिनांक 27-6-08 के पत्र में राम निवास मोधा की जन्म तिथि 6-1-1945 मानते हुए सेवा से पृथक करने व एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिये निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं। दिनांक 17-9-2008 का विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

श्री राम निवास मोधा ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पूर्व मध्यमा परीक्षा अनुक्रमांक सं0 4102 से उत्तीर्ण की है और उनकी जन्मतिथि दिनांक 06-01-1945 अंकित है।

जी हां।

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत के पत्र संख्या-2240-43/2008, दिनांक 23-7-08 के द्वारा संस्था के प्रबन्धक को श्री मोधा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने और सेवा से पृथक करने के आदेश दिये गये जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रबन्धतंत्र द्वारा दिनांक 17-9-2008 के प्रस्ताव से श्री मोधा की सेवायें समाप्त कर दी गई और जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र संख्या-मा0-2/5295-98/2008-09, दिनांक 4-12-08 द्वारा सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विकास खण्ड खुर्द मेरठ में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

159-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-10-08 जो विधान सभा क्षेत्र बागपत के अन्तर्गत वि0खं0 सरूरपुर खुर्द मेरठ में कन्या कालेज न होने तथा असेवित वि0खं0 योजनान्तर्गत चौ0 बशीर खां फाउन्डेशन द्वारा ग्राम खिवाई में कन्या हाई स्कूल खोले जाने विषयक उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्राप्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिलाधिकारी मेरठ को उक्त पत्र की प्रति भेजकर आख्या एवं असेवित/सेवित योजनान्तर्गत कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का औचित्य होने पर योजनान्तर्गत कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु नियमानुसार जिला चयन समिति से चयनित संस्था का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टे का आवंटन

160-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2007-08 में आगरा जनपद में कितने लोगों को मत्स्य पालन हेतु गांव के तालाबों को लीज पर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मराज निषाद-

जी हां। फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र सहित आगरा जनपद तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु "मत्स्य पालक विकास अभिकरण" योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के तालाबों को पट्टे पर आवंटित कराकर उनके जीर्णोद्धार तथा निजी क्षेत्र में नये तालाबों के निर्माण एवं प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेश हेतु व्यवसायिक बैंकों से क्रमशः 90000 तथा रुपया 2,30,000 प्रति हे0 की दर से बैंक ऋण सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 को 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सहित उपलब्ध कराई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपद आगरा में 53 व्यक्तियों के 35.72 हे0 जलक्षेत्र के तालाबों को पट्टे पर आवंटित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में बालक/कालोनियों को पाठशाला भेजने हेतु कार्य-योजना सम्बन्धी जानकारी

161-श्री इमरान मसूद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के कुल कितने बालक/बालिकायें पाठशाला जाने से वंचित है ? उन्हें पाठशाला भेजने हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर में स्कूल न जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 2196 बालक/बालिकायें पाठशाला जाने से वंचित थे जिनमें से 2005 बालक/बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। अवशेष 191

बालक/बालिकायें बहु विकलांग हैं, जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने की मांग

162-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज न होने के कारण छात्रों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर में 02 राजकीय महाविद्यालय, 07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 26 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित अर्थात् कुल 35 महाविद्यालय पूर्व से संचालित हैं, जिसमें से चौधरी अतरसेन डिग्री कालेज थाना-भवन, मुजफ्फरनगर में 01 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय स्थित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय स्थापना को प्रोत्साहन देने की शासन की नीति है।

प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की सभा में कार्य पूर्ण करने हेतु विधान सभा के नाम निर्देशित सदस्यों के अधिकार

163-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु विधान सभा द्वारा निर्वाचित तथा नाम-निर्दिष्ट सदस्यों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा कब-कब सभा की बैठक बुलाई गयी और क्या उ0 प्र0 विधान सभा द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्यों को उक्त सभा में आमंत्रित किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

उ0प्र0 राज्य महाविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-23 में सभा (कोर्ट) की शक्ति एवं कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित है :-

(1) विश्वविद्यालय को व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपायों का सुझाव देना।

(2) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक लेखाओं तथा उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना।

(3) कुलाधिपति की किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किये जाये, सलाह देना और

(4) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों तथा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाये।

विश्वविद्यालय द्वारा सभा की बैठक दिनांक 31-12-1994, 09-09-2000 एवं 22-02-2007 को आहूत की गई थी। बैठक में तत्समय विधान सभा द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्यों को भाग लेने की सूचना भेजी गई थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण

164-श्री उदय भान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 2007 से विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापित 60,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? क्या सरकार चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब को देखते हुए अवशेष 28,000 पदों को इसी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2007 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-2259/79-5-2007-86/2006, दिनांक 10-7-2007 एवं शासनादेश संख्या-2403/79-5-2007-86, दिनांक 13-7-2007 के अनुपालन में 60,000 रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चरणबद्ध ढंग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1571/15-11-2008-6(1)/2007, दिनांक 11-12-2008 द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 को चयन प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है।

जी नहीं।

शेष 28385 पदों में से शासनादेश संख्या-1186/15-11-2008, दिनांक 14-11-2008 के अनुपालन में 10084 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2008 (विशेष चयन) हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर जांच/चयन की कार्यवाही जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा की जा रही है। शेष 18301 सीटों के प्रति विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2008 की विज्ञप्ति प्रसारित की जा चुकी है। जनपदों में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 20-2-2009 निर्धारित है।

एन0सी0टी0ई0 द्वारा 60,000 सीटों एवं 28,385 सीटों के प्रति विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के आयोजन की स्वीकृति अलग-अलग पत्रों द्वारा की गई, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-2259/79-5-2007-82/2006, दिनांक 10-7-2007 एवं शासनादेश संख्या-2403/79-5-2007-86-2006, दिनांक 13-7-2007 के अनुपालन में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, 2007 के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई एवं शासनादेश संख्या-1186/15-11-2008 दिनांक 14-11-2008 के अनुपालन में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2008 के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सहारनपुर के विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत की मांग

165-श्री इमरान मसूद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने भवन जर्जर हालत में हैं ? सरकार द्वारा इनका निर्माण/मरम्मत कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सहारनपुर में कोई विद्यालय भवन जर्जर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के मानव शिक्षण, संस्थान जूनियर हाई स्कूल ललिता घाट की सहायक अध्यापिका श्रीमती कल्पना बनर्जी के प्रोन्नति वेतनमान का भुगतान कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण

166-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं0-4307/15-8-3038/99 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 एवं राजाज्ञा सं0-2807/79-6-04-28 (46)/2003, दिनांक 06 दिसम्बर, 2004 में निहित प्राविधानानुसार नगर शिक्षा अधिकारी एवं प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक की संस्तुति तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र अभिलेख के आधारों पर एवं जिला प्रोन्नति समिति की स्वीकृति दिनांक 22-7-2008 के सन्दर्भ में श्रीमती कल्पना बनर्जी, सहायक अध्यापिका, मानव शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल ललिता घाट वाराणसी को प्रोन्नत वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारित करते हुए भुगतान कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी का पत्रांक सं0-3727-29/2008-09 दिनांक 23-7-2008 का अनुपालन करते हुए प्रोन्नत वेतनमान का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

दिसम्बर, 2008 से प्रोन्नति वेतनमान का नियमित भुगतान हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नसबन्दी के आपरेशन

167-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र जनपद आगरा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 2007-08 में कितने लोगों के जनसंख्या नियंत्रण योजना के तहत नसबन्दी के आपरेशन हुए ? क्या यह लक्ष्य के अनुरूप थे ? यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नसबन्दी के कुल 724 आपरेशन हुए।

नसबन्दी कार्यक्रम स्वैच्छिक एवं लक्ष्य-मुक्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्टाफ ए0एन0एम0 आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में सीमित परिवार हेतु गर्भनिरोधक सेवाओं के लिये प्रचार-प्रसार करते हैं। जो भी परिवार स्वेच्छा से नसबन्दी करवाना चाहता है उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित शिविरों में आपरेशन करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में चिकनगुनिया बीमारी के मरीजों की संख्या तथा उपचार एवं रोकथाम के उपाय

168-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में चिकनगुनिया बीमारी के कितने मरीज मई, 2008 से अक्टूबर, 2008 तक चिन्हित किये गये ? क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए कोई प्रयास किये गये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मई 2008 से अक्टूबर, 2008 तक लखनऊ में चिकनगुनिया बीमारी के 07 रोगी चिन्हित किये गये।

जी हां।

चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया ज्वर नियंत्रण कार्ययोजना, 2008 बनाई गई। उक्त कार्ययोजना के अनुसार रोगवाहक मच्छर पर नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण आदि निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। चिकनगुनिया के उपचार हेतु लखनऊ के समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। सेरम की जांच हेतु प्रदेश में 09 सेन्टीनल लैब में एलाईजा जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजकीय चिकित्सालयों में चिकनगुनिया बीमारी के इलाज की व्यवस्था

169-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में चिकनगुनिया बीमारी का इलाज करने के लिये कोई अलग व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय बलरामपुर चिकित्सालय में चिकनगुनिया के निःशुल्क उपचार की अलग से व्यवस्था की गई हैं। रोग की जांच हेतु एलाईजा रीडर की सुविधा रीजनल लैब स्वास्थ्य भवन, छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम सभा तारगांव के अनेकों प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या एवं कोटा पूर्ण करने की मांग

170-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम सभा तारगांव ब्लाक बिछिया में आठ प्राथमिक पाठशालाओं में सत्रह शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ? उनमें आरक्षण के अनुसार कितने अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के हैं ? क्या उक्त कोटा पूर्ण करने के सम्बन्ध में सुमन वर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार वर्मा ने आपको दिसम्बर, 2007 में शिकायती-पत्र दिया था, जिसकी पावती की पत्रांक सं0 2/17/वी0 आई0 पी0/ रा0म0पि0वक0शि0/07, दिनांक 20-12-07 जिसमें आप द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद उन्नाव के ग्राम सभा तारगांव ब्लाक बिछिया में 07 प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिनमें कुल 14 शिक्षा मित्र कार्यरत है।

शिक्षामित्रों के चयन विषयक शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2000 में आरक्षण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के रूप में प्रथम रिक्ति परिसीमन के अनुसार यथास्थित उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिये आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानक के अनुसार

सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन में ग्राम पंचायत तारगांव अनुसूचित जाति की होने के कारण उपर्युक्त सभी विद्यालयों में शिक्षामित्रों के प्रथम पद पर 07 शिक्षामित्र अनुसूचित जाति के चयनित हुए।

यदि ग्राम पंचायत तारगांव परिसीमन में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत होती, तो शिक्षामित्र के प्रथम पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता।

उपर्युक्त शासनादेश के प्राविधानानुसार दूसरे अनारक्षित पद पर 07 शिक्षामित्रों का चयन मेरिट के आधार पर हुआ।

कन्या प्राथमिक विद्यालय तारगांव में शिक्षामित्र के द्वितीय पद पर नियुक्ति हेतु 07 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें मेरिट में सर्वाधिक लाब्धांक 62.2 प्रतिशत वाली अभ्यर्थी श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया। श्रीमती सुमन वर्मा का लाब्धांक 57.88 प्रतिशत होने के कारण चयन नहीं किया गया। जांचोपरान्त चयन विषयक कोई विसंगति नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सेन्ट्रल वोमेन्स कालेज आफ एजूकेशन शारदानगर को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

171-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रलवोमेन्स कालेज आफ एजूकेशन, शारदा नगर, लखनऊ को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त कालेज की बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु मान्यता न दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने के दृष्टिगत मान्यता नहीं प्रदान की गई है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 17 फरवरी, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :-

पहली सूचना श्री सत्य नारायण जैसल की सोनभद्र के राबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरखाड़ टोला केवाल (चेखा) में एक ही परिवार के पांच बच्चों की फूड प्वाइजनिंग से हुई मृत्यु

के फलस्वरूप उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह "घ" के 1991 के पूर्व से दैनिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ, महामायानगर में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षायें संचालित करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर नगर निगम द्वारा लगाये गये सरल कर के दोषपूर्ण नियम पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी के कटान को नियंत्रित करने एवं बाढ़ बचाव का कार्य मानसून से पूर्व करने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री विश्वनाथ की कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत घाघी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर खीरी में अमृतागंज के शेष भाग 1.800 मीटर ध्वस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित कतिपय मार्गों के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, लखनऊ में सृजित सभी पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी में स्ववित्त पोषित योजना में नियुक्त प्रवक्ताओं तथा उपाचार्यों का विनियमितीकरण कालेजों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के साथ ही करने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री कुवेर सिंह की एटा के विकास खण्ड जलेसर के कतिपय गांवों में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ग्राम जमुही में रोड साइड पर दुकानों पर मीटर व लाइन की उपलब्धता कराने के साथ नये विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री राघव लखन पाल की प्रदेश में कार्यरत तदर्थ/अंशकालिक मानदेय खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री अब्दुल वारिस खां, 2-श्री मदन भैया, 3-श्री राम किशुन, 4-श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 5-श्री मदन चौहान, 6-श्री आरिफ अनवर हाशमी, 7-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 8-श्री अमरमणि त्रिपाठी, 9-श्री जोखू लाल यादव।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

सोनभद्र के राबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरखाड़ टोला केवाल (चोखा) में एक ही परिवार के पांच बच्चों को फूड प्वाइजनिंग में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य नारायण जैसल-

[महोदय, सादर आपके संज्ञान में लाते हुए बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा कि उपरोक्त विषयक घटना बड़ी हृदय विदारक है। यह घटना दिनांक 14-2-09 की है। जैसी जानकारी मिली कि दिनांक 13-2-09 को श्री विग्गूराम कनौजिया के परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भोज्य पदार्थ (गांव के किसी के यहां प्राप्त) खा लेने से फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो जाने के कारण निम्नलिखित बच्चों की मृत्यु हो गई।

1-नवलेश कुमार	पुत्र उदय कुमार	उम्र 16 वर्ष मृत्यु दिनांक 14-2-09
2-सोनू	पुत्र तदैव	उम्र 10 वर्ष मृत्यु दिनांक 14-2-09
3-कु0 सुनीता	पुत्र तदैव	उम्र 08 वर्ष मृत्यु दिनांक 14-2-09
4-कवलेश	पुत्र विनोद	उम्र 06 वर्ष मृत्यु दिनांक 14-2-09
5-दीपक कुमार	पुत्र सुमेर	उम्र 15 वर्ष मृत्यु दिनांक 15-2-09

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिवारीजन जीवन मौत से संघर्ष कर रहे है, इलाज जारी है।

1-श्रीमती जासो देवी पत्नी विग्गूराम	उम्र 65 वर्ष
2-श्रीमती इन्द्रावती पत्नी उदय कुमार	उम्र 35 वर्ष
3-श्रीमती चन्द्रावती पत्नी सुमेर	उम्र 37 वर्ष
4-श्रीमती तेतरी पत्नी विनोद (पुत्री विग्गू)	उम्र 25 वर्ष
5-बृजेश कुमार पुत्र उदय कुमार	उम्र 13 वर्ष
6-लल्लू पुत्र सुमेर	उम्र 6 वर्ष
7-रानी पुत्री सुमेर	उम्र 13 वर्ष
8-विकलेश पुत्र विनोद	उम्र 4 वर्ष
9-बच्ची पुत्री सुमेर	उम्र 3 वर्ष

तत्काल घटना स्थल पर पहुंच कर पूरी जानकारी लिये तथा अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कराई गई। जिला प्रशासन द्वारा राहत हेतु आर्थिक सहायता की घोषणा बहुत कम है। कुल 5 बच्चे मरे है तथा 9 का इलाज चल रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गरीब दुःखी परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग दिलाने की कृपा करें।]

प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह 'घ' के 1991 के पूर्व से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, राज्य सम्पत्ति विभाग में 29 जून, 1991 के पूर्व के कार्यरत दैनिक दर समूह "घ" के कर्मचारियों को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है जिससे सैकड़ों दैनिक दर कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जबकि विभाग में 29 जून, 1991 के पूर्व से कार्यरत तृतीय श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों को अधिसंख्य पद सृजित कराकर विनियमित किया गया है। राज्य सम्पत्ति विभाग में समूह "घ" के रिक्त पदों को समर्पित कर दिया गया है तथा सेवा-निवृत्ति से रिक्त होने वाले अधिकांश पदों पर मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। लगभग 20 वर्षों की निरन्तर सेवा के बावजूद विनियमित न किया जाना न्याय संगत नहीं है। इन कर्मियों में से अधिकांश कर्मचारी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा कुछ कर्मचारी 50 वर्ष के हो चुके हैं। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी सभी समूह "घ" के दैनिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही व सम्बन्धित मंत्री द्वारा वक्तव्य देने की मांग करता हूं।]

महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ महामायानगर के बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षायें संचालित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल सिंह चौहान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 पाठ्यक्रम की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद महामायानगर के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 पाठ्यक्रम की सुविधा नहीं है। इस महाविद्यालय में 40 कि0मी0 की परिधि में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहां पर इन विषयों/पाठ्यक्रमों की सुविधा हो। उक्त महाविद्यालय में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षायें चलाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक शासन द्वारा इसकी अनुमति न दिये जाने के कारण यहां के छात्र विशेषकर छात्राओं को इन विषयों की शिक्षासे वंचित होना पड़ रहा है जिसके कारण यहां के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छात्र/छात्राओं में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त महाविद्यालय में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 पाठ्यक्रम की कक्षायें चलाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय सिकन्दराराऊ महामायानगर में बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षायें संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर निगम द्वारा लगाये गये सरल कर के दोषपूर्ण नियम पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजीव दरियाबादी-

[मैं, इस सदन के माध्यम से कानपुर नगर निगम द्वारा जनहित को किनारे रखकर मनमाने ढंग से गृहकर की दरें निर्धारित करके "सरलकर" नाम से बेतहासा वृद्धि की नोटिस भेजकर कानपुर भवनस्वामियों को परेशान किया जा रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि किसी निजी संस्था के माध्यम से बी0आई0एस0 सर्वे का कार्य एक बड़ी धनराशि देकर कराया गया जिसके सही या गलत होने की पुष्टि के लिये न तो कोई आधार बनाया गया और न तो कोई सुझाव ही मांगे गये। कानपुर नगर में लगभग 70 प्रतिशत मकान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत है। इन मकानों का किराया बहुत कम है क्योंकि एक अरसे से किरायेदार इनमें रहते हैं। उनका किराया सीमित है। किन्तु नगर निगम उनमें रिहायशी मकानों पर भी निर्धारित किये गये मानक के अनुसार "सरलकर" निर्धारित कर रही है जो कि अवैधानिक होने के साथ-साथ अव्यवहारिक भी है और सरलकर निर्धारण में बहुत बड़ा बाधक है। रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट निरस्त नहीं हुआ है लेकिन सरलकर निर्धारण के नगर निगम कानपुर अपने सर्किल रेट से ही सरलकर निर्धारण कर रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा बनाये गये वेट एण्ड मेजरमेंट एक्ट के वर्तमान कानून में कहीं भी वर्गफुट में भूमि, भवन, सड़क आदि नापने की स्वीकृति नहीं है। यही कारण है कि एम0के0एस0 प्रणाली के कानून के अन्तर्गत देश में जमीनों की रजिस्ट्री के विज्ञापन वर्गमीटर में दिये व लिये जाते हैं जबकि सरलकर लगाने की प्रक्रिया में भवन कर का निर्धारण वर्गफुट में किया जा रहा है इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि शासन व प्रशासन में बैठे तमाम विधि व्यवस्थाओं के सामने से होकर गुजरने वाला सरलकर लागू करने का प्रावधान प्रदेश के विधायिका में पास कराकर इसे कानून का रूप दे दिया गया। वेट एण्ड मेजरमेंट एक्ट में यह प्रावधान है कि इसका उल्लंघन करने वाले को दो साल की सजा हो सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानपुर नगर निगम में जो भी सर्वे कराया गया उसमें धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, गंगा के घाटों, धर्मार्थ चिकित्सालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, धर्मशालाओं को भी नोटिसें भेजी जा रही हैं जबकि इसके पहले उन्हें सभी करों से मुक्त रखा जाता रहा है। अगर सरल कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के दोषपूर्ण नियम पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो कानपुर नगर निगम की दोषपूर्ण रवैये के विरोध में जनहित का ध्यान रखते हुए उग्र प्रदर्शन संभावित है।

अतः औचित्य के इस ज्वलंत प्रश्न को सदन में उठाने की अनुशंसा प्रदान करें।]

कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी के कटान को नियंत्रित करने एवं बाढ़ बचाव का कार्य मानसून से पूर्व करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[जनपद कुशीनगर, तहसील-तमकुहीराज के अन्तर्गत बड़ी गंडक नदी से बचाव हेतु अमवा खास के कि0मी0 9.00 पर नदी बंधे से मात्र 2.00 मीटर की दूरी पर रह गई है, कटान निरन्तर जारी है। बंधे के कटने की स्थिति में लाखों की संख्या में आबादी प्रभावित होगी और जान-माल का खतरा उत्पन्न होगा। शासन द्वारा अभी तक बचाव के कार्य में तत्परता प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसी प्रकार ए0पी0 तटबंध के कट एण्ड टू पर एवं कि0मी0 9.5 से कि0मी0 10.00 के बीच में नदी का रुख बंधे की तरफ हो गया है और कटान निरन्तर जारी है, बंधे के टूटने की स्थिति में पूरा तमकुहीराज तहसील बाढ़ से प्रभावित हो जायेगा। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से अनुरोध है कि बाढ़ बचाव का कार्य मानसून के पूर्व जनहित में पूर्ण कराने की कृपा करें।]

कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत घाघी नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ-

[विधान सभा क्षेत्र-फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर के रहसू जनूबीपत्ती, टोला-पुरैना के सामने घाघी नदी में पुल न होने के कारण प्रत्येक वर्ष कई जानें डूबकर मरने से जाती है। जन सुविधा की दृष्टि से इसका निर्माण अनिवार्य है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए शासन से अनुरोध है कि घाघी नदी पर अविलम्ब पुल का निर्माण कराने की कृपा करें।]

लखीमपुर खीरी में अमृतागंज के शेष भाग 1.800 मीटर ध्वस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र 54-लखीमपुर में रामापुर बाजार से एक सड़क धोबहा बाजार होते हुए अमृतागंज होकर मोहद्दीपुर के आगे उल्ल नदी तक जाती है। यह सड़क

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत की महत्वपूर्ण है जिला सीतापुर में जनपद बहराइच तक जाती है। इसीलिये कभी इसका नाम बहरायची रोड ही था इस सड़क नदी तक पूरी पक्की बन गई है लेकिन इस सड़क का एक भाग अमृतागंज का शेष भाग 1.800 मीटर टूट कर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। चलने फिरने लायक नहीं रह गया है। जबकि इस सड़क पर आवागमन बहुत है। इस सड़क का निर्माण ही घटिया हुआ था जनता ने कई बार शिकायतें की लेकिन अब तक सुधार नहीं कराया गया है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जनहित में इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[मान्यवर, आपके माध्यम से उ0प्र0 मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ न दिये जाने से उत्प[illegible] की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, मण्डी समिति में कर्मचा[illegible] वेतन जो सन् 1986 से मिल रहे हैं उन्हीं पर स्केल टू स्केल शासन के द्वारा मिलने चाहिये जो अभी तक मण्डी परिषद् तथा शासन द्वारा नहीं किये गये हैं। अभी तक पंचम वेतनमान भी मण्डी समिति कर्मचारियों को नहीं मिले जबकि उ0प्र0 में छठा वेतनमान लागू हो गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय ने भी 04-11-08 को परिषदों को निर्देश दिया है कि मण्डी समिति कर्मचारियों को स्केल टू स्केल वेतनमान मिलने चाहिये, इसी के सन्दर्भ में न्यायालय मण्डी परिषद् को आठ सप्ताह का समय शपथ-पत्र दाखिल करने को दिया है। फिर भी शासन द्वारा मण्डी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को पांचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिससे मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों में घोर निराशा व आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी छठे वेतनमान का लाभ दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित मार्गों के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग निर्माण सम्बन्धी निर्माण विभाग द्वारा मार्ग तेलियानी महरूपुर नहर मार्ग से ऐलाही, गौरा, माफी, उपाध्याय बस्ती, पतरा सम्पर्क मार्ग 5 कि0मी0 एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्य नौ मार्गों का प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत हुआ। वित्तीय वर्ष 2009-2010 का विभागीय बजट भी सत्र में अनुमोदित हो रहा है। सभी मदों में धनराशि भी उपलब्ध रहेगी प्रस्ताव को रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग नियोजन संस्थान, उ0प्र0 योजना भवन, लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण कर विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्ताव पत्रावली संख्या 135/जि0यो0/08 द्वारा प्रचलित है। जनहित में उक्त की स्वीकृति अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम्, लखनऊ में सृजित सभी पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् केवल 30 शैयाओं का अस्पताल था। जनहित में सरकार द्वारा इस अस्पताल को उच्चीकृत करके हुए 70 शैयाओं को और बढ़ाकर कुल 100 शैयाओं का अस्पताल बना दिया गया है। इसका भवन भी निर्माण हो गया है और मानक के अनुरूप डाक्टरों के पद भी सृजित कर दिये गये हैं किन्तु डाक्टरों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं जबकि नर्सों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। डाक्टरों के अभाव में क्षेत्र की जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्मित भवन भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है। इस प्रकार मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्तियां न होने के कारण शासन की नीति के अनुरूप जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे जनमानस प्रभावित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् लखनऊ में सृजित सभी पदों पर डाक्टरों की अविलम्ब नियुक्ति हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी के स्ववित्त पोषित योजनार्थ में नियुक्त प्रवक्ताओं तथा उपाचार्यों का विनियमितीकरण कालेजों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के साथ ही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अंतर्गत सदन की जानकारी में निम्नलिखित विषय लाना चाहता हूं :-

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, झांसी में विगत लगभग 8 वर्षे से विभिन्न विभाग स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं जिन्हें चलाने की अनुमति उत्तर प्रदेश शासन,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ से भी प्राप्त है। इस स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वेतनमान (प्रवक्ता रु0 8000-13,500 तथा उपाचार्य रु0 12,000-18,500) पर विगत 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। इन शिक्षकों का चयन विधिवत् गठित चयन समिति (जिसमें कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिनिधि भी थे) द्वारा किया गया था तथा चयनित सभी शिक्षक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित भी है, जिन्हें चयनोपरान्त कुछ समय तक स्थाई शिक्षकों की भांति वेतन दिया गया परन्तु कुछ माह बाद एक नियत मानदेय दिया जाने लगा और वर्तमान में भी नियत मानदेय दिया जा रहा है। जो कि अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 को प्रदेश के मा0 उच्च शिक्षा मंत्री ने शहर कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्त पोषित कालेजों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण करने की घोषणा की थी, परन्तु उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं किया था जो कि ऐसे शिक्षकों के लिये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ऐसे सभी शिक्षकों की सेवायें कालेज शिक्षकों की भांति उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के यू0/एस0 31 (4) द्वारा संचालित होती है।

अतः विधिवत् गठित चयन समिति (जिसमें कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिनिधि भी थे) द्वारा चयनित तथा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजना में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त प्रवक्ताओं तथा उपाचार्यों का विनियमितीकरण कालेजों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के साथ ही करने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विकास खण्ड जलेसर के कतिपय गांवों में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड-जलेसर के ग्राम-महापुर बबूलगढ़ी, तखावन की पेय जलापूर्ति के लिये टंकी निर्माण हेतु लगातार जिला विकास योजना एवं जल निगम द्वारा 2 वर्ष से प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं जो शासन में लम्बित हैं। इन ग्रामों में अत्यन्त खारा पाली है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की दृष्टि से पेय जलापूर्ति की व्यवस्था शीघ्र ही आवश्यक है। स्वच्छ पेय जलापूर्ति न हो पाने के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका बनी रहती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण की सूचना पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त ग्रामों में पेय जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित टंकी के निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमुही में रोड लाइट की दुकानों पर मीटर व लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर में विद्युत के मीटर उपलब्ध न होने के कारण 1 किलोवाट 2 किलोवाट तथा 5 किलोवाट के विद्युत के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारियों से वार्ता करने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर पता चलता है कि विद्युत मीटर न होने के कारण नये कनेक्शनों को रोक दिया गया है। नये कनेक्शन न होने के कारण जनता को काफी कठिनाई हो रही है।

ग्राम जमुही में रोड साइड पर दुकानों पर कई लोगों विद्युत कनेक्शन चाहने वालों ने 2008-09 में आवेदन किया उनके आवेदनों को कभी मीटर के नाम पर कभी समुचित लाइन न होने के नाम पर टाला जा रहा है। कनेक्शन न दिये जाने से उनका कार्य प्रभावित हो रहा है।

जनहित में शाहजहांपुर में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिये हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मीटर व लाइन की उपलब्धता कराने के साथ ही तत्काल नये कनेक्शन दिलवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में कार्यरत तदर्थ अंशकालिक (मानदेय) खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राघव लखन पाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश भर में कार्यरत तदर्थ/अंशकालिक/मानदेय खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

प्रदेश में कार्यरत खेल प्रशिक्षक, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेल विशेषज्ञ एन0आई0एस0 ट्रेंड होते हैं, विगत बीस वर्षों से तदर्थ, अंशकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं। खेल विभाग द्वारा विगत दो दशक से स्थाई नियुक्ति नहीं की गई है और न ही इन तदर्थ/अंशकालिक प्रशिक्षकों को नियमित किया गया है जिस कारण यह हर प्रकार के लाभ से वंचित हैं। खेल प्रशिक्षकों द्वारा समय-समय पर संगठन के माध्यम से खेल मंत्रालय, शासन एवं निदेशालय को अवगत कराया जाता रहा है परन्तु किसी भी स्तर से समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जो अत्यन्त खेदजनक है। इसी प्रकार बजट के अभाव में दस माह तक संचालित होने वाले शिविरों को भी घटा कर कुछ जनपदों में चार से छः माह तक का कर दिया गया है।

वर्ष 2001-2002 में तत्कालीन सरकार द्वारा विभागों की समीक्षा करते हुए प्रदेश के स्टेडियमों में नियुक्त तदर्थ प्रशिक्षकों (एन0आई0एस0 डिप्लोमा धारक) की कोचिंग के बदले दी जाने वाली भुगतान राशि जो उस वक्त मात्र 1200 रुपये थी को बढ़ाकर रु0 7000/- कर दिया था। उसके उपरान्त आज तक किसी भी सरकार ने इस रिकार्ड तोड़ मंहगाई के बावजूद प्रशिक्षण राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।

अतः प्रदेश भर के खेल प्रशिक्षकों से जुड़े इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा के लिये राजकीय महाविद्यालय न रहने के कारण जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता में काफी आक्रोश है। जो निम्न है :-

1-राजकीय बालिका महाविद्यालय ब्लाक, मेंहनगर जनपद आजमगढ़ अतः आप से अनुरोध है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए राजकीय महाविद्यालय बनवाने, धन सहित स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, आपने कहा कि आपकी सूचना स्वीकार कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

किस नियम में सुनने के लिये कहा था ?

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, नियम-56 में।

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-56 नहीं आया है।

आज दिनांक 17 फरवरी, 2009 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 7 सूचनायें प्राप्त हुईं।

डॉ0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा बरामई में फर्जी तौर पर मृतक आश्रित कोटे से प्राप्त नौकरी पर सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 20-3-2003 को हो जाने के बावजूद भी आदेश कार्यान्वित न होने तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-19 के उत्तर में संदर्भित जांच परिणाम के सन्दर्भ में। श्री जोखू लाल यादव की प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में। श्री श्याम देव राय चौधरी की सचिव, स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के अस्पतालों में एक यूनिट खून का एक्सचेंज मूल्य रु0 48 के स्थान पर 850 रुपया कर दिये जाने से गरीबों के समक्ष उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। डा0 राजेन्द्र सिंह की माननीय विधायकों को प्रतिवर्ष पेयजल समस्या के निवारण हेतु 225 हैण्डपम्प, 7 कि0मी0 की सड़क व पांच गांव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युतीकरण के लिये इस वर्ष शासन द्वारा देने से इंकार कर दिये जाने के सम्बन्ध में। चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुचित नीति निर्धारण न किये जाने के सम्बन्ध में। श्री कुबेर सिंह की उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा चलाई जा रही नाबार्ड पोषित "फारेस्ट्री हाई वैल्यू प्लान्टेशन" योजना के अन्तर्गत अब तक यह उल्लेख न किया जाना कि किन-किन वन प्रभागों में कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है तथा कितना क्षेत्रफल संतृप्त किया जा चुका है। श्री राम किशुन की जनपद वाराणसी में वरुणा नदी पर दो नवनिर्मित पुलों के सम्पर्क मार्ग न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

अनिल चौधरी जी, वैसे यह नियम-300 में किसी भी तरह से नहीं आ रहा है लेकिन आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

जनपद महामायानगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेरा मरामई में फर्जी तौर पर मृतक आश्रित कोटे के प्राप्त नौकरी पर सेवा समाप्ति पर प्राप्त आदेशों का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में एक शिक्षक फर्जी तौर पर मृतक आश्रित का नौकरी प्राप्त कर लेता है और उसके खिलाफ जांच में यह चीज पाई जाती है और 2003 में संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सेवा-समाप्ति के लिये शासन को लिखा जाता है, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे द्वारा वर्ष 2007 में प्रश्न पूछा गया उसमें मा0 मंत्री जी द्वारा प्रकरण की जांच के बारे में बताया गया। दोबारा 2008 में प्रश्न पूछा गया तो मंत्री जी का उत्तर था कि जांच की आख्या मिल गई है और उसके परीक्षण की कार्यवाही चल रही है। जब तीसरी बार इस सन्दर्भ में प्रश्न पूछा गया तो मा0 मंत्री जी का जवाब था कि प्रश्नगत प्रकरण में आपको पूर्ण उत्तर दिया जा चुका है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस मसले की जो जांच आख्या का परिणाम है वह क्या है ? क्या उस दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है ? फर्जी तौर पर नियुक्ति हुए शिक्षक के खिलाफ बार-बार लिखे जाने के बाद दो-तीन बार बात आने पर भी कार्यवाही नहीं होगी तो इस शासन की मंशा आम आदमी के समक्ष किस तरह से परिलक्षित होगी और दोषियों को दंडित कराने का क्या तरीका हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, यह नियम-300 में कहां से आता है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा) -

मान्यवर, यह कहां से नियम-300 में आता है ? नियम-300 का नियम अलग है। प्रश्नों के सम्बन्ध में आपके निर्देश है उसके तहत माननीय सदस्य को लिखकर देना चाहिये था और उसके बाद अगर संतुष्ट न हों तो और दूसरे नियम हैं। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-300 का उप नियम-6 देखें। उसमें स्पष्ट है कि "कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये, या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये औचित्य का प्रश्न नहीं उठायेंगे।" इस पर तो हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने डा0 अनिल चौधरी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसको निरस्त करता हूं।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भांति दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, 13 तारीख को नियम-300 की एक सूचना मैंने दी थी तब कहा गया था कि 16 तारीख को सुन लिया जायेगा। कल मैं बैठा रहा कि अब शायद सुनेंगे लेकिन कल भी नहीं सुना गया तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस सूचना को आज सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कल तो 20-25 सूचनायें सुनी गयीं, 13 तारीख की और 16 तारीख की भी सुनी गयी। अब इस सूचना पर आज कैसे सुनेंगे ? इसको आप फिर लगा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पर ध्यान आकर्षित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप दे दीजिएगा। अगली सूचना श्री जोखू लाल यादव जी की है लेकिन यह सूचना नियम-300 में नहीं आ रही है परन्तु जनहित से जुड़ा है इसलिए यादव जी अपनी बात कह लीजिए।

*श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जिस तरह से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है उसी तरह की सुविधायें पिछड़े वर्ग के लाखों-लाख छात्रों को प्रदान की जाए। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदम का कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों की जो फीस जमा हुई थी उसको वापस किया जा रहा है, उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसमें संशोधन चाहता हूं कि अगर ये सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों के फीस की प्रतिपूर्ति कर ही रही है तो मेरा संशोधन है और आग्रह है और यह व्यवस्था चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भांति ठीक प्रवेश के समय जिस तरह से निःशुल्क प्रवेश ले लिया जाता है उसी तरह से पिछड़े वर्ग के छात्रों का प्रवेश के समय निःशुल्क प्रवेश ले लिया जाए। यह औचित्य इसलिए भी बनता है यह लाखों पिछड़े वर्ग के छात्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सरकार फीस की प्रतिपूर्ति कर ही रही है इससे अभिभावकों पर बोझ नहीं पड़ेगा अभिभावक एडमिशन के समय पहले फीस की व्यवस्था करें बाद में उस अधिभार को वापस करें। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें ठीक उसी तरह से व्यवस्था कर दी जाए जिस तरह से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय ही निःशुल्क प्रवेश ले लिया जाता है उसी तरह से पिछड़े वर्ग के प्रदेश के छात्रों से भी प्रवेश के समय ही शुल्क न जमा कराया जाय जिससे उनके अभिभावकों पर अधिभार न पड़े व किसी भी गड़बड़ी करने की गुंजाइश न हो। यह अविलम्बनीय है क्योंकि आगे शिक्षा सत्र आयेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार प्रतिपूर्ति कर ही रही है तो इस तरह की व्यवस्था कर दे। इस पर में आपके माध्यम से व्यवस्था की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने सुझाव दिया है नियम-300 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है लेकिन सुझाव दिया है। इस पर मंत्री जी की तरफ इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने पहली बार पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए वर्ष 2009-10 के बजट में भी 179 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। सदस्य जी इस पर जब पिछड़े वर्ग की अनुदान आयेगी उस समय अपने विचार रख लें उस समय उत्तर दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री जोखूलाल यादव को व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक यूनिट खून का एक्सचेन्ज मूल्य रुपये 48/के स्थान पर रुपये 850/ कर दिये जाने से गरीबों के समस्त उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री श्यामदेव राय चौधरी की सूचना में सुझाव है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मुझे यह नहीं मालूम कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपको इतना मालूम है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

सरकार ने चुनाव में नारा दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो यह सर्वजन हिताय से सम्बन्धित है और सर्वजन सुखाय से भी सम्बन्धित है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, जितने सरकारी अस्पताल हैं वहां जो गरीब मरीज सामान्य वार्ड में भर्ती होते हैं उनको खून चढ़ाया जाता है उसके बदले जो खून लिया जाता है चेंज में उसका परीक्षण/निरीक्षण शुल्क 48 रुपये निर्धारित है। सरकारी अस्पतालों में जो प्राइवेट वार्ड के मरीज हैं उनसे यह 90 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसी तरह से जो मेडिकल कालेज है वहां जो सामान्य वार्ड के मरीज हैं उनसे 48 रुपये और प्राइवेट वार्ड के भर्ती मरीजों से 90 रुपया लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने गलत कोट किया जो मेडिकल कालेजों के सामान्य वार्ड के मरीज हैं उनसे 50 रुपये और प्राइवेट वार्ड के मरीजों से 500 रुपया लिया जाता है। इसी प्रकार एस0जी0पी0जी0आई0 में जो मरीज भर्ती होते हैं उनसे ब्लड के एक्सचेंज शुल्क के रूप में 300 रुपये लिये जाते हैं ऐसी जानकारी हुई है और पक्की जानकारी है कि सचिव स्वास्थ्य ने सभी अस्पतालों में एक आदेश निर्गत किया है कि अब 48 रुपये जो गरीब मरीज सामान्य वार्ड में भर्ती होते थे उनसे खून के परीक्षण/निरीक्षण के शुल्क के रूप में 48 रुपये की जगह जो सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल कालेज हैं वहां एक दर 850 रुपये कर दिया है। अध्यक्ष महोदय यह सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था की है यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। सब्सिडी सरकार देती है जिसके कारण यह शुल्क कम था वह सब्सिडी को बरकरार रखा जाय और यह शुल्क पूर्ववत् रखा जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह कल्पना पर आधारित माननीय चौधरी साहब ने बात रखी है। प्रदेश सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में गरीब जो बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड धारक हैं उनके लिये निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। साथ ही साथ पहली बार यह क्रांतिकारी कदम उठाकर छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दिये जाने हेतु निर्णय लेने का काम किया गया है और उसके लिये वर्ष 2009-2010 के बजट में प्राविजन भी किया गया है। जब हम गरीबों के लिये मान्यवर, यह व्यवस्था कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गरीबों के हितों में कोई अनदेखी नहीं होने पायेगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक चौधरी साहब का प्रश्न है, वह कल्पना पर आधारित हैं और नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। शेष सभी सूचनाएं अग्राह्य हो चुकी हैं।

(मद संख्या-3 पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं सब अग्राह्य हो चुकी हैं पहले। यह नियम-300 में नहीं आती है।

गृह (पुलिस) अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या-2548/छः-पु-10-2008-27 (60)-2001 दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गृह (पुलिस) अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या-2548/छः-पु-10-2008-27 (60)-2001, दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उ0 प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उ0 प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उ0 प्र0 सरकार †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (राजस्व प्राप्तियां) उ0 प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत झारी, विकास खण्ड प्रतापपुर के पूरब की तरफ स्थित नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती शान्ति देवी तथा श्री राजमणि यादव व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत झारी, विकास खण्ड प्रतापपुर के पूरब की तरफ स्थित नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती शान्ति देवी तथा श्री राजमणि यादव व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 कुछ नहीं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी।

सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राह्य कर दी हैं :-

1-माननीय हाजी अब्दुल समद अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीमती वीना कुमारी मीना, तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 01 अगस्त, 2007,

2-माननीय श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, सदस्य, विधान सभा प्रबन्धक, ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ तथा उक्त फर्म के उत्पादन को मंजूरी देने वाले सरकारी विभाग के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 21 जनवरी, 2008,

3-माननीय डा0 आर0ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री दिनेश कुमार, निवासी-गुनिया खुर्द, थाना-तम्बौर, जिला-सीतापुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 11 व 13 मार्च, 2008 तथा

4-माननीय श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री यशोवर्धन नगाइच के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 27 मार्च, 2008,

सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन के प्रश्नों की उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 17 फरवरी, 2009 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे जो निम्नलिखित हैं :-

श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी द्वारा श्रीमती वीना कुमारी मीना तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[माननीय हाजी अब्दुल समद अन्सारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्रीमती वीना कुमारी मीना, तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01 अगस्त, 2007 को विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न की सूचना फैक्स द्वारा दी थी जिसकी मूल प्रति दिनांक 13 सितम्बर, 2008 को डाक द्वारा इस सचिवालय में प्राप्त हुई।

माननीय श्री हाजी अब्दुल समद अन्सारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी उक्त सूचना में अवगत कराया है कि दिनांक 31 जुलाई, 2007 को दोपहर वाराणसी नगर के गुरुबाग क्षेत्र में बेसहारा विकलांग लोगों को उजाड़े जाने के विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया जिसमें एक विकलांग की मृत्यु हो गयी और बाकी गम्भीर रूप से अचेत हो गये जिनमें से तीन और की मृत्यु देर रात हो गयी। घटना की सूचना पाकर माननीय सदस्य मण्डलीय चिकित्सालय के इमरजेन्सी वार्ड में पहुंचे। वहां वे पीड़ितों का हाल चाल ले ही रहे थे तभी तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी, श्रीमती वीना ने सबके मध्य उनसे कहा कि "विधायक जी आप बाहर निकल जाइये....."। माननीय सदस्य का यह कथन है कि इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा दूसरी बार उन्हें अपमानित किया गया है। प्रथम बार की घटना दिनांक 13 जून, 2008 की थी जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गयी थी, जिस पर सदन में चर्चा हुई थी किन्तु बावजूद इसके जिलाधिकारी, वाराणसी (श्रीमती वीना) का जनप्रतिनिधियों के प्रति अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण जारी है।

"यह उल्लेखनीय है कि माननीय हाजी अब्दुल समद अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसके विषय में उन्होंने सदन में कहा था कि वाराणसी की पेयजल समस्या के विषय में जब उन्होंने जिलाधिकारी, वाराणसी (श्रीमती वीना) से फोन पर बात करनी चाही तो जिलाधिकारी द्वारा जनहित के उक्त कार्य के विषय में कोई रुचि न दिखाकर माननीय सदस्य से बात करने से इन्कार कर दिया गया तथा अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण किया गया। माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा कि यह मामला कोई उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था बल्कि बनारस की आम जनता से जुड़ा पेयजल की गम्भीर समस्या का मामला था। माननीय सदस्य को सदन में सुनने के उपरान्त मैंने उस मामले में शासन का ध्यान आकर्षित किया था जिसके अनुपालन में तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी, श्रीमती वीना कुमारी मीना, द्वारा अपने स्पष्टीकरण, जिनकी प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मेरे अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है, में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए अन्त में यह कहा गया है कि "माननीय विधायक जी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचाई गई एवं उनसे सम्मान व्यवहार व वार्ता की गयी।"

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है जिसके साथ तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी, श्रीमती वीना से प्राप्त किया गया स्पष्टीकरण भी मेरे अवलोकनार्थ भेजा गया है जिसमें श्रीमती वीना ने अवगत कराया है कि "दिनांक 31 जुलाई, 2008 को वाराणसी नगर में विकलांग लोगों ने सामूहिक रूप से जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उक्त समय पर जिस वार्ड में विकलांग लोगों को रखा गया था, उस वार्ड में 11 अति गम्भीर विकलांग भर्ती थे जहां आम पब्लिक और मीडिया के कर्मियों की अत्यधिक भीड़ हो गयी थी। ऐसे समय में वहां के मेडिकल स्टाफ द्वारा वार्ड को खाली कराने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में आगे यह उल्लेख किया है कि उस समय जो आम जन मात्र तमाशबीन होकर वार्ड के अन्दर चले गये थे उन व्यक्तियों द्वारा गम्भीर रोगियों के इलाज में व्यवधान न पड़े इस उद्देश्य से उन्हें बाहर किया गया था। माननीय विधायक जी से, मौके की गम्भीरता को देखते हुए तथा रोगियों को समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से ताकि डाक्टरों को उनके इलाज में आसानी रहे, मात्र वार्ड से बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। यह वह परिस्थिति थी जब कि जान माल की हानि रोकने के लिये वहां की टीम को बिना बाहरी हस्तक्षेप के कार्य करने दिया जाना अत्यन्त आवश्यक था ताकि सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाले विकलांगों की जान बचाई जा सके। उपरोक्त परिस्थिति में वार्ड से बाहर रहने के लिये अनुरोध करना परिस्थितिजन्य था, इसमें किसी भी प्रकार से उनके द्वारा माननीय विधायक के प्रति अशोभनीय व्यवहार करने का परिचय नहीं दिया गया है।

श्रीमती वीना ने अपने उक्त स्पष्टीकरण में आगे यह भी उल्लेख किया है कि "फिर भी वर्णित परिस्थितियों में यदि माननीय विधायक जी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची है, तो इसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं।"

उक्त समस्त तथ्यों से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मामला सदन या सदन की किसी समिति के कार्य से सम्बन्धित नहीं है और क्षेत्रीय समस्याओं से सम्बन्धित है, इसलिये इसमें विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी, श्रीमती वीना कुमारी मीना द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण में स्पष्ट की गयी स्थिति एवं इस उल्लेख को दृष्टिगत रखते हुए कि वर्णित परिस्थितियों में यदि माननीय सदस्य को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो, तो उसके लिये वह क्षमा प्रार्थी हैं, मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करते हुए इस निदेश के साथ निस्तारित करता हूं कि तत्कालीन जिलाधिकारी, वाराणसी के साथ-साथ शासन के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भी शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये जायं कि भविष्य में विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति उनकी गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें।]

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा प्रबन्धक, ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ तथा उक्त फर्म के उत्पादन को मंजूरी देने वाले सरकारी विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[माननीय श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 21 जनवरी, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत प्रबन्धक, ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ तथा उक्त फर्म के उत्पादन को मंजूरी देने वाले सरकारी विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है।

माननीय सदस्य का कथन है कि ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ फर्म द्वारा 'विधायक' नाम से एक गुटखा बनाया गया है जो आम जनता के उपयोग के लिये लखनऊ में सरे आम बेचा जा रहा है। उक्त गुटखा का नाम 'विधायक' रखकर विभिन्न शब्दावलियों में आम जनता में विधायकों की छवि धूमिल हो रही है। तथा उनका अपमान हो रहा है। इस प्रकार पूरी विधान सभा की अवमानना हो रही है। 'विधायक' नाम से गुटखे का पंजीकरण सरकारी विभाग द्वारा किया जाना एवं बिक्री की अनुमति देने वाली संस्थाएं भी विशेषाधिकार-हनन की दोषी हैं। माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में 'विधायक' नाम से देशी गुटखा बनाने वाली फर्म के प्रबन्धक एवं उसके उत्पाद को मंजूरी देने वाले सरकारी विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन तथा उद्योग विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा अपने पत्र, दिनांक 13 जून, 2008 में यह अवगत कराया गया है कि 'विधायक' नामक देशी गुटखा बनाने वाली फर्म को सर्वश्री ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स के नाम पंजीयन प्रमाण-पत्र (रूप-पत्र-15) जारी किया गया है, जिसे हिन्दी में एम0पी0 प्रोडक्ट्स के नाम से कहा जाता है। उक्त फर्म का पूरा नाम व पता मेसर्स एम0पी0 प्रोडक्ट्स 1209/13, रायबरेली रोड (मोहनलालगंज से आगे), लखनऊ है एवं उसके प्रबन्धक का नाम व पता श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी, 555 सी ए ए/220बी, रामनगर, अलीगंज, लखनऊ है तथा पंजीयन संख्या व उसकी तिथि एल0यू0 0119992, दिनांक 23 मार्च, 2005 व टिन नं0 09250102334 है। प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि कमिश्नर वाणिज्य द्वारा यह अवगत कराया गया है कि व्यापार कर (वर्तमान में वाणिज्य कर) विभाग द्वारा किसी उत्पाद के ब्राण्ड नेम की मंजूरी नहीं दी जाती केवल व्यापार हेतु पंजीयन दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लघु उद्योग अनुभाग-2 ने भी यह अवगत कराया है कि 'विधायक' गुटखा उत्पादन हेतु मेसर्स ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स नाम की कोई फर्म लघु उद्योग के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, लखनऊ में पंजीकृत नहीं है अतएव निर्गमन अधिकारी के विवरण का औचित्य नहीं है।

'विधायक' देशी गुटखा बनाने वाली फर्म, ए0एम0पी0 प्रोडक्ट्स, लखनऊ के प्रबन्धक, श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद तिवारी से भी उनका अभिकथन प्राप्त किया गया। श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी अपने अभिकथन में यह निवेदन किया गया है कि 'विधायक' ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन प्रार्थी द्वारा भारत सरकार व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, धारा 23(2) नियम 62(1) के अधीन करवाया था। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा 'विधायक' देशी गुटखा के उत्पादन हेतु नियमानुसार "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क" मण्डल-1 के रेन्ज

अमौसी, लखनऊ को सूचित करते हुए उत्पादन करता चला आ रहा था। बजट सत्र के दौरान उक्त ब्राण्ड पर विरोध होने के कारण प्रार्थी ने उक्त ब्राण्ड 'विधायक' तत्काल बन्द कर 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क' को दिनांक 21 फरवरी, 2008 को लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र देकर बन्द करवा दिया तथा 'जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को दिनांक 24 फरवरी, 2008 को लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया। प्रार्थी द्वारा 'विधायक' ब्राण्ड के उत्पाद का कार्य उक्त दिनांक से पूर्णतया बन्द कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी को भारी स्तर पर वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षति उठानी पड़ी है।

आवेदन-पत्र में श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि "कृपया उपरोक्तानुसार एवं संलग्नकों का अवलोकन कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी पर लगे आरोप का खण्डन करने की कृपा करें प्रार्थी एक सम्भ्रांत और सामाजिक व्यक्ति है तथा माननीय विधायकों एवं विधान सभा के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना रखता है।"

जैसा कि उपयुक्त तथ्यों से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में "विधायक" नाम से गुटखा बनाये जाने के विषय में उत्तर प्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी अतः शासन के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उक्त गुटखा उत्पाद करने वाली फर्म के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न है, उक्त फर्म के प्रबन्ध, श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा अपने उक्त पत्र में किये गये उल्लेख कि 'विधायक' ब्राण्ड गुटखा का उत्पादन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को दिनांक 21 फरवरी, 2008 को लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र देकर बन्द करवा दिया गया है तथा जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 24 फरवरी, 2008 को लिखित पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है और माननीय विधायकों एवं विधान सभा के प्रति वह आदर एवं सम्मान की भावना रखते हैं। मैं विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के इस प्रकरण को अग्राह्य करते हुए इस निदेश के साथ निस्तारित करता हूं कि भविष्य में 'विधायक' अथवा ऐसे पर्यायवाची शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करने की पुनरावृत्ति न हो।

प्रश्नगत प्रकरण को मैं अग्राह्य करता हूं।]

डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा श्री दिनेश कुमार निवासी-गुनिया खुर्द, थाना तम्बौर जिला सीतापुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[माननीय डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 व 13 मार्च, 2008 को सम विषयक दो विशेषाधिकार-हनन की सूचनाएं अभिसूचित की गयी थीं, जिनमें से दिनांक 11 मार्च, 2008 की सूचना में माननीय सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया था कि दिनांक 10 मार्च, 2008 को जब वे सदन में उपस्थित थे तो उनके मोबाइल फोन नं0 941572650, जो उस समय उनके गनर/ड्राइवर के पास था, पर शाम 5.17 बजे उन्हें मोबाइल नं0-9792227998 से धमकी दी गयी कि माननीय सदस्य को जान से मार दिया जायेगा।

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस पर माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना के माध्यम से उक्त प्रकरण की जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करवाने तथा माननीय सदस्य के परिवार की सुरक्षा कराने का अनुरोध किया था। माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2008 को पुनः दी गयी उक्त सूचना में यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें जान से मार दिये जाने की धमकी लगातार मिल रही है और धमकी देने वाले ने अपना नाम दिनेश कुमार, निवासी-गुनिया खुर्द, थाना-तम्बौर, जिला-सीतापुर बताया है और उसने यह भी कहा है कि वह फर्जी आरोप लगाकर माननीय सदस्य को फंसा देगा।

इस विषय में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने पत्र, दिनांक 04 जून, 2008 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मामले में जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, बिसवां, जनपद-सीतापुर से कराये जाने पर यह तथ्य सामने आये कि श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रामाधार भार्गव मानसिक रूप से कमजोर है जिसका दिमाग पढ़ते-पढ़ते खराब हो गया था, तभी से वह इधर-उधर की बातें करता है। विधान सभा सत्र के दौरान इसी दिनेश कुमार द्वारा माननीय सदस्य, विधान सभा, डा0 आर0 ए0 उस्मानी को जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 226/08 धारा-384/507/504 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के अभियुक्त दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इस प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, जबकि माननीय डा0 आर0ए0 उस्मानी, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति, जिसे जांच आख्या के अनुसार मानसिक रूप से कमजोर भी बताया गया है, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है, मैं इस मामले को विशेषाधिकार-हनन के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूं।]

श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट द्वारा श्री यशोवर्धन नगाइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[माननीय श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री यशोवर्धन नगाइच के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा अवमानना के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की गयी थी।

सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 23 मार्च, 2008 को सायं 9.00 बजे अपने क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री यशोवर्धन नगाइच, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड मथुरा को उनके मोबाइल नम्बर 9410668782 पर फोन मिलाया तथा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड को अपना पूरा नाम पद सहित बताकर जानना चाहा कि उनके क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कब तक शुरू करायेंगे। माननीय सदस्य का नाम सुनते ही श्री नगाइच, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड मथुरा ने कहा कि माननीय

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदस्य ने विधान सभा में उनके (श्री नगाइच के) खिलाफ तमाम प्रश्न उठा कर उनका दिमाग खराब कर दिया है। उन जैसे अनुसूचित जाति के कितने विधायक देखे हैं। वे हल्के-फुल्के ब्राह्मण नहीं हैं। माननीय सदस्य ने पुनः लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से स्वीकृत ग्रामीण एरिया की सड़कों को शीघ्रता से बनाने का निवेदन किया। श्री नगाइच ने उनके निवेदन को काटते हुए कहा कि वह जब चाहेंगे तभी सड़कें बनेंगी, वह उनसे बात नहीं करना चाहते और फोन काट दिया।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा श्री यशोवर्धन नगाइच, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, मथुरा का अभिकथन प्राप्त कर वस्तुस्थिति की जानकारी से इस सचिवालय को अवगत कराया गया है। श्री यशोवर्धन नगाइच, अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि माननीय श्री पूरन प्रकाश जी से उनकी कोई टेलीफोन पर वार्ता नहीं हुई किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें टेलीफोन किया किन्तु उसने अपना नाम नहीं बताया। माननीय सदस्य से हुई वार्ता के सम्बन्ध में उन्होंने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को भी सूचित किया था। श्री यशोवर्धन नगाइच, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभिकथन में प्रार्थना की गयी कि उनके ऊपर लगाये गये झूठे, असत्य, भ्रामक एवं उनके चरित्र हनन करने वाले आरोपों पर निर्णय लेने से पहले उन्हें माननीय विधायक जी से प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाय। श्री नगाइच का यह भी कथन है कि माननीय विधायक जी चूंकि एक एडवोकेट भी हैं। अतः यह भी अनुरोध है कि अपना पक्ष रखते समय उन्हें अपने साथ एक एडवोकेट को भी साथ रखने की अनुमति प्रदान की जाय, जो उनके स्थान पर माननीय विधायक जी से स्थिति स्पष्ट कर सके।

प्रश्नगत मामले में दिनांक 05 नवम्बर, 2008 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की उपस्थिति में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, श्री यशोवर्धन नगाइच द्वारा मेरे समक्ष पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। श्री नगाइच द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः प्रश्नगत मामले को अग्राह्य करता हूं।]

(मद संख्या-10 पुकारे जाने पर)

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य-स्थगन कहां आया है जब स्थगन आयेगा तब देखा जायेगा।

श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के दूसरे मंगलवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर के सन्दर्भ में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के दूसरे मंगलवार, दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर के

सन्दर्भ में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण)" के निदेश संख्या 167 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 14 फरवरी, 2008 के सम्बन्ध में उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 04 का संशोधित उत्तर एवं प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 168(2) के अन्तर्गत कृत कार्य की सूचना दे रहा हूं।

(माननीय सदस्यों द्वारा यह कहने पर 'पढ़ा हुआ मान लें')

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया जो निम्नलिखित है :-

श्री लालजी वर्मा-

[श्री राम बिशुन आजाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2007 के दूसरे मंगलवार को पूछे गये प्रश्न सं0-4 के उत्तर के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं0-167/168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 14 फरवरी, 2008 के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर :-

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसकनवां को उच्चीकृत कर सी0एच0सी0 बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	जनपद गोण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसकनवां को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य चालू है। निर्माण कार्य चालू है। प्रश्न नहीं उठता।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवां को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसकनवां में भूमि उपलब्ध न होने के कारण विकास खण्ड छपिया में पूर्व से स्थापित एवं क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपिया के प्रांगण में	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने हेतु डा0 पी0एन0 सिंह, तत्कालीन निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया था किन्तु दिनांक 31-12-07 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी। डा0 रियाजुल हसन, तत्कालीन अपर निदेशक, प्राथमिक/सामुदायिक

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपिया के प्रांगण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण प्रगति पर है।	स्वास्थ्य केन्द्र को आदेश दिनांक 18-11-08 द्वारा चेतावनी प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार गलत उत्तरालेख तैयार किये जाने के सम्बन्ध में श्री के0 एन0 कौल कार्यालयाध्यक्ष व श्री विजय कुमार, कनिष्ठ लिपिक को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 01-01-09 द्वारा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है।]

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009[†]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 फरवरी, 2009 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 की कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :

1-श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री मिथिलेश कुमार, श्री शैलेन्द्र यादव, श्री सुधीर कुमार की प्रदेश के चावल मिल मालिकों की समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

2-(1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री संजय कपूर, (2) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

3-(1) श्री राघव लखनपाल, (2) श्री इमरान मसूद की सहारनपुर के प्रमुख उद्योगपति के पुत्र के अपहरण व हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

4-(1) श्री मदन चौहान, (2) डा0 कौशल किशोर की प्रदेश में गन्ने की दर बढ़ाने एवं सम्भावली शुगर मिल के गन्ना माफियाओं द्वारा अनारक्षित क्षेत्र से बढ़ी दर पर गन्ना खरीदने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

5-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा नगरपालिका परिषद् वृन्दावन के अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में है।

[†] दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

6-श्री राम किशुन की जी0टी0 रोड बाईपास नौबतपुर पर पुलिस द्वारा अवैध ढंग से ट्रकों की चेकिंग के दौरान हो रही दुर्घटना में मृत निरीह जनता के परिवारों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत

1-श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री श्रीपति आजाद की महराजगंज के ग्राम सभा मूड़ली के रामकेवल की हत्या से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई। अतः अस्वीकृत हुई :-

1-श्री उदयराज यादव

2-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी

3-श्री राम किशुन

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

5-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव

6-श्री उदयभान करवरिया

7-श्री अनूप कुमार सण्डा

8-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना

10-श्री आरिफ अनवर हाशमी

11-श्री जोखू लाल यादव

12-श्री लालजी यादव

13-श्री अब्दुल वारिस खां

14-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी

15-श्री राधेश्याम जायसवाल

16-डा0 राजेन्द्र सिंह

17-डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्यपाल सिंह तथा डा0 अनिल चौधरी।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान (एक मा0 सदस्य द्वारा अखबार दिखाकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। समाचार पत्र क्यों दिखा रहे हैं ?

श्री राम किशुन-

मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सुन लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(शोर)

* श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चावल मिल मालिकों द्वारा एक वर्ष से लेबी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। (शोर) जो लगभग एक करोड़ होता है। मिल मालिक किसानों का धान का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण किसान खाद, बीज आदि नहीं ले पा रहा है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैंने बहुत महत्वपूर्ण मामले पर सूचना दी है।

(शोर)

(श्री राम किशुन के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना ली गई है। गुप्ता जी, आप बोलिए। राम किशुन जी, आपकी जी0टी0 रोड की महत्वपूर्ण सूचना ले ली गई हैं। क्या एक नियम में आपकी कई सूचनाएं ले लें ? गुप्ता जी, आप बोलिए।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश चावल मिल मालिकों का पिछले एक माह से लेवी में खरीदे गये चावल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो लगभग एक हजार करोड़ रुपये हैं। जिस कारण से मिल मालिक किसानों को धान का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। किसान भी खाद, बीज आदि नहीं ले पा रहा है। सरकार द्वारा मिल मालिकों से उत्पादित चावल का 75 प्रतिशत चावल लेवी के रूप में सरकार को देना अनिवार्य है। शेष 25 प्रतिशत ही चावल खुले बाजार में बेचा जा सकता है। नियमानुसार मिल मालिकों द्वारा 31 मार्च, 2009 तक क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल पर 30 जून, 09 तक लेवी चावल की डिलेवरी देनी होती है। कई जिलों में सरकार द्वारा लेवी खरीद बन्द कर दी गयी है। इसके साथ ही सरकार द्वारा लेवी खरीद के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किये गये हैं। हमारे जनपद सीतापुर का लक्ष्य 3 लाख 80 हजार कुन्तल था लेकिन बाद में घटाकर 3 लाख कुन्तल कर दिया गया, जबकि मिल मालिकों के पास लगभग 5 लाख कुन्तल लेवी चावल के अनुरूप धान की खरीद की जा चुकी है। जब लेवी देना अनिवार्य है एवं लेवी दिये बगैर खुले बाजार में चावल नहीं बेचा जा सकता तो सरकार द्वारा चावल की खरीद क्यों नहीं की जा रही है। जिसके चलते मिल मालिकों के पास धान व चावल के भारी स्टाक भरे पड़े हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है। अतः इस पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं जिससे मिल मालिकों से किसानों को शोषण से बचाया जा सके, धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान क्रय करने का काम कर रही है। जहां तक मा0 सदस्य ने जो भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, किसानों के या लेवी चावल के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से भी सरकार ने व्यवस्था की है और जो कल मैंने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था और जिसकी स्वीकृति सदन से मिली है, उसमें भी 1050 करोड़ रुपये खाद्य एवं रसद विभाग को जो धान क्रय से सम्बन्धित है, उसके लिए हमने कल बजट में व्यवस्था की है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भुगतान अनिवार्य है और शेष है, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, चावल लेने के लिए तो कहें कि जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे तो लें, नहीं तो लेवी फ्री करा दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो कार्य-स्थगन में आया है, अभी बजट पर चर्चा होनी है, उसमें मा0 सदस्य सारी बातें रख सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री अनूप कुमार गुप्ता और मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री संजय कपूर की है।

* श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में लगभग ढाई लाख शिक्षा मित्र हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 75 प्रतिशत विद्यालय शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। अगर शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश के 75 प्रतिशत विद्यालय बन्द हो जायेंगे। जो सरकार की मंशा है, शिक्षा देने की, वह अधूरी रह जायेगी, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो सरकार की पालिसी है, सभी बच्चों को शिक्षा देने की उसमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मान्यवर, शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग काफी समय से चल रही है, अध्यक्ष जी, मेरे पड़ोस का प्रदेश उत्तरांचल है, उसमें इनको नियमित करने की कार्यवाही शुरू हो गई है, यह 4 तारीख का अखबार मौजूद है, इसमें लिखा गया है कि 'शिक्षा मित्रों को नियमित करने का रास्ता साफ।' लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको नियमित करने में क्या समस्या आ रही है ? यदि इसमें विलम्ब होता है तो उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है, वह 10 हजार से कम नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों 3 हजार मिल रहा था उसे बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये कर दिया गया। कुल 500 रुपये बढ़ाया गया है। मेरा यह आग्रह है कि हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालयों में जो अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहे हैं शिक्षामित्रों के सहारे ही यह विद्यालय चल रहे हैं। इनको 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना चाहिए तभी इस सरकार की मनोकामना पूरी हो पायेगी। जब शिक्षकों को सही वेतन मिलेगा तभी वह सही काम कर पायेंगे। उसके पहले भी मैंने इस सदन में मसला उठाया था कुछ बातें रखी थीं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों को कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाना बहुत आवश्यक है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ही शिक्षा दी जा रही है, विद्यालय खुलते जा रहे हैं, शिक्षकों का अभाव है। जब तक शिक्षकों का अभाव दूर नहीं होगा और शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को उसके काम करने का पूरा वेतन नहीं मिलेगा तो वह आधे मन से काम करेगा। आज उनका उत्पीड़न हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के बाहर पूरे प्रदेश के शिक्षामित्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज ही इनका मानदेय 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की कोशिश करें और इनको नियमित करने की शुरुआत जो उत्तरांचल सरकार ने की है उसे उत्तर प्रदेश सरकार भी अमल में लाये। मैं इसी के साथ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, विधान सभा के बाहर प्रदेश के शिक्षामित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि नियम-56 का कोई मतलब नहीं होगा, नियम-56 तो एक औपचारिकता है, लेकिन मैं इसके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा, शिक्षामित्रों के सहारे चल रही है। 70 फीसदी से ज्यादा अध्यापक शिक्षामित्र के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो दूसरे दिन प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पंगु हो जाएगी। मान्यवर, इन लोगों की मांग कितनी उचित है इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया गया है और मैं समझता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकार ने समय-समय पर इनके नेताओं से बातचीत भी की है कुछ आश्वासन भी दिये, कुछ करने की बात भी कही लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कारगर कदम भी नहीं उठाया है। आज शिक्षामित्रों का मामला शिक्षा का मामला है। आज प्रदेश का शिक्षक आन्दोलित है। मान्यवर, न केवल शिक्षक, अभिभावक बल्कि बुद्धिजीवी आन्दोलित है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। मैं चाहूंगा कि आप शासन को निर्देश दें कि शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट घोषणा करें और जो घोषणा करें उसका परिपालन करें। घोषणा तो आपने बहुत किया है। आपके निदेशक साहब ने भी बहुत कुछ कहा लेकिन क्रियान्वयन कुछ नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर इस काम के लिए माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुए कि उन्होंने शिक्षा में सुधार करने के लिए 88 हजार शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया और साथ ही साथ जो पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिये पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक शिक्षामित्रों का सवाल है। मान्यवर, आपको स्वयं भी जानकारी है कि शिक्षामित्रों का जब चयन किया गया था कि जो बन्द पड़े विद्यालय हैं उनमें शिक्षा का स्तर गिरने न पाये। इसलिए 2250 रुपये पर शिक्षामित्र भर्ती करने का कार्य पहले प्रारम्भ किया गया था और साढ़े तीन वर्ष तक माननीय सदस्य ओझा जी ने कहा, इनकी सरकार रही है, 2400 रुपये शिक्षामित्रों को प्राप्त होता था। एक भी पैसा उसमें बढ़ाने का काम नहीं किया गया। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले 600 रुपये और पुनः 500 रुपये इस तरह से कुल 1100 रुपये शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया है और उनकी अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य निर्णय भी लेने का काम किया गया और इसके बावजूद भी इस तरह के प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं रह जाता है। इन्हें तो इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहिए थी। जहां तक उनकी नियमित नियुक्ति का सवाल है। मान्यवर, यह सम्भव ही नहीं है, इसलिए कि नियमित नियुक्ति की एक प्रक्रिया है उसके लिए क्वालीफिकेशन निश्चित है और उसके तहत नियमित नियुक्ति हो रही है जो उसमें अर्ह पाये जाते हैं शिक्षा मित्रों के लिए उसमें चयन में भी कुछ वेटेज दिया गया है, उस वेटेज के तहत जितने भी लोग उस क्वालीफिकेशन को पूरा कर रहे हैं उनका भी लगभग-लगभग सबका चयन भी हो चुका है तो मान्यवर, एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्राथमिक शिक्षा में और जहां तक यह प्रश्न कार्य-स्थगन का सवाल है, मान्यवर, अब कुछ लोग उकसा दें किसी को इस तरह से कि आप चलिये आन्दोलन करिये, आन्दोलन का कहां प्रश्न उठ जाता है। शिक्षा मित्र की भर्ती का तरीका ही है कि उसी गांव के जो मेरिट में अच्छे होंगे इण्टर पास होंगे उनको तात्कालिक व्यवस्था के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है, तो जब तात्कालिक व्यवस्था के लिए उनकी नियुक्ति हो रही है और वह शिक्षा समिति के द्वारा हो रही है तो उसमें नियमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है मान्यवर। जहां तक मानदेय की बात है तो ग्यारह सौ रुपया माननीया मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाने की कार्यवाही की है जो इनके साढ़े तीन वर्ष तक समाजवादी पार्टी जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी, अपने साढ़े तीन वर्षों में एक भी पैसा बढ़ाने का काम नहीं किया गया, न तो उनकी सुविधा में एक पैसे की वृद्धि करने का काम किया गया हमने तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्य-स्थगन का प्रश्न मान्यवर, सामान्य जो नियमावली है, अपने विधान सभा की जो नियमावली है उसमें इस बात का उल्लेख है कि जब अनुदान मांगों पर या सामान्य बजट पर चर्चा हो रही हो, ऐसे दिनों में उसमें पूरा अवसर मिलता है, इसलिए कार्य-स्थगन उस समय न लेने का बल्कि उसमें उल्लेख है। आपने कृपापूर्वक यह कार्य-स्थगन लिया है। इसमें कहीं भी इसकी ग्राह्यता का कोई प्रश्न नहीं है और जहां तक चर्चा की बात है उस सम्बन्धित सामान्य बजट पर आज ही से चर्चा है, उस अवसर पर चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा, विभागीय बजट भी प्रस्तुत होगा उस समय भी चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी को सुना, माननीय संजय कपूर जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री राघव लखन पाल-

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने एक महत्वपूर्ण घटना पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, सहारनपुर नगर के आवास विकास क्षेत्र में 26 जनवरी, 2009 को एक प्रमुख उद्योगपति श्री विजय सडाना जी के 16 वर्षीय पुत्र सजल सडाना का अपहरण कर लिया गया था। लगभग पांच या छः दिन तक सब यही पुलिस से अपेक्षा करते रहे कि पुलिस कार्यवाही करेगी, पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस हमें यही आश्वासन देती रही वहां पर कि हम पूरी तरह से गुण्डों के पीछे पड़े हुए हैं। बीच में सजल के परिवार को फिरौती की डिमाण्ड भी आई, 30 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी गई। मान्यवर, 02 फरवरी, 2009 को सजल की लाश की एक बोरे में रस्सियों से बंधी हुई, उसके गर्दन पर एक बहुत मोटी रस्सी बांध रखी थी, उसके हाथ-पांव रस्सियों से बांधे हुए थे और बोरे को रस्से से बांध कर सहारनपुर के धमोला नदी में पाया गया था। मान्यवर, वह माता और पिता जिन्होंने अपने 16 वर्षीय पुत्र को खोया है, वह नहीं जानते कि सदन में क्या चीज अग्राह्य की जायेगी, क्या चीज स्वीकार की जायेगी वह इतना जानते हैं कि उनका 16 वर्षीय बच्चा मारा गया है, उसका अपहरण हुआ और उसे मारा गया और उन्हें न्याय चाहिए और जिस प्रकार से चूंकि वहां की स्थानीय पुलिस से हमारी इस विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है कई बार हम उनसे पूछ-ताछ कर चुके हैं वहां के समस्त लोग सड़कों पर उतर आ चुके हैं बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत दुख है सबके मन में और हमें पुलिस द्वारा यही कहा जाता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मान्यवर, यह जादू की छड़ी की बात कहकर और यह कहकर कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, वह केवल समय खरीदना चाह रहे हैं जो कि हर ऐसे विषय में होता है, हर ऐसे मर्डर में होता है, समय मांगा जाता है ताकि मामला शान्त हो जाय। मान्यवर, मुझे और समस्त सहारनपुर वासियों को और सजल के परिजनों को यह पूरा विश्वास है कि वहां से कोई न्याय नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से कहें कि वह इस मामले की जांच सी0बी0आई0 को देने की संस्तुति करें और मान्यवर, यह मामला इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस प्रदेश में हर एक नागरिक के अधिकार से जुड़ा है, संविधान कई अधिकार हमें देता है लेकिन हमारा एक और अधिकार जो उसमें नहीं मेन्शन है, वह अण्डरस्टुड है, वह है राईट-टू-लिव, जीने का अधिकार मान्यवर, उस जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाय। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच हो उसकी संस्तुति की जाय और इस प्रकरण पर सदन में चर्चा करायी जाये।

* श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, जिस प्रकार से सजल का अपहरण हुआ और फिर हत्या हुई उससे पूरा सहारनपुर स्तब्ध है। वहां पर इसको लेकर व्यापारी संगठन, शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी और जिले के तमाम लोग आन्दोलनरत है। मान्यवर, इतना बड़ा जघन्य काण्ड हुआ एक भी सिपाही के खिलाफ उसमें कार्यवाही नहीं हुई है। यह सरकार की कारगुजारी है ऐसे प्रकरणों पर। मान्यवर, छोटे-छोटे काण्डों में तो सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया जाता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है। मान्यवर, जिस तरह की पुलिस की कार्य प्रणाली हो गयी है वह चिन्तन का विषय है। हमारे पास रिकार्डिंग मौजूद हैं। एक व्यक्ति डी0आई0जी0 के दरबार में शिकायत लेकर गया उससे क्षुब्ध होकर इंस्पेक्टर कैराना ने उसके विरुद्ध ही रिपोर्ट दर्ज कर दी और उसे टेलीफोन पर धमकाता है। आप कहेंगे तो उसकी पूरी रिकार्डिंग मैं दे दूंगा। यह पुलिस पूरी तरह से आज निष्क्रिय हो चुकी है। पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि सजल जैसा काण्ड हो गया मुजफ्फरनगर में व्यापारी की हत्या हो गयी और दूसरे लोगों की हत्यायें आम होती जा रही है। आज हत्याओं की घटनायें बढ़ी हैं अपहरण की घटनायें बढ़ी हैं। मान्यवर, हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज 40 प्रतिशत अपराध बढ़ गये हैं। आप मुलायम सिंह यादव जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि उनकी सरकार के समय में यह हुआ लेकिन आज अपराध बढ़ गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का राजनीतिकरण रोकने के लिये यह सरकार अगर कार्यवाही नहीं करेगी तो इस प्रकार के सजल जैसे काण्ड फिर होते रहेंगे। पुलिस का राजनीतिकरण तुरन्त बंद होना चाहिये। सजल काण्ड पर प्रभावी कार्यवाही हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पुलिस का राजनीतिकरण किसने किया था यह देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। मान्यवर, आज पुलिस का राजनीतिकरण बंद हुआ है इसलिए उनको दर्द है।

श्री इरफान मसूद-

मान्यवर, मेरे पास मोबाइल में रिकार्डिंग मौजूद है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिस तरह से पुलिस के लोगों द्वारा कुछ लोगों की अंगुलियों के आगे नाचने की बात हो रही थी वह बात अब बंद हो गयी है। आज पुलिस किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर या किसी अपराधी व्यक्ति के प्रभाव के चलते कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मसूद जी आप पहले मोबाइल अपने जेब में रखिये। यह गलत है। आप क्षेत्र के लोगों को सुनाइयेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो घटना हुई है यह दुखद है। 27 जनवरी को सजल सडाना के पिता श्री विजय सडाना ने इस बात की एफ0आई0आर0 दर्ज करायी कि उनका पुत्र 26-1-09 के सायंकाल से गायब है। उसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-105/09 धारा 364 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दिनांक 2-2-09 को ग्राम नन्द फिरोजपुर में ढमौला नदी के पास किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश बोरे में बंधी पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी जिसकी पहचान करायी गयी तो यह पता चला कि यह लाश सजल सडाना की है। सजल सडाना की मृत्यु होने से अभियोग में धारा 2/302, 201 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गयी।

मान्यवर, इस घटना के अनावरण हेतु फील्ड यूनिट डाग स्कवायड के सहयोग के अतिरिक्त 6 विशेष टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, स्थानीय पुलिस भी इसमें पूरी गम्भीरता से विवेचना कर रही है। मैं आश्वस्त करूंगा कि इस घटना का अनावरण जरूर होगा और जो भी अभियुक्त दोषी पाये जायेंगे उन्हें किसी भी दशा में बख्शा नहीं जायेगा। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, बार-बार सी0बी0आई0 जांच की बात कही जाती है उस जांच का हश्र क्या है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव का यह बयान आया था कि सी0बी0आई0 आज कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन हो गयी है। मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की जो पुलिस है वह पूरी गम्भीरता से इसकी विवेचना कर रही है और इस घटना का अनावरण अवश्य होगा। जो दोषी है उनको दण्डित किया जायेगा। मान्यवर, इसमें आवश्यक कार्यवाही की गयी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है आप इसे निरस्त करने का कष्ट करें।

(श्री इमरान मसूद, श्री आरिफ अनवर हाशिमी एवं श्री राघव लखनपाल के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

तीनों लोग एक साथ खड़े हो गये, तीनों मूर्तियां एक साथ खड़ी हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, किसी एक अधिकारी के विरुद्ध तो कार्यवाही हो जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं, प्रश्न इतना गम्भीर होता है कि पूरा सदन एक साथ खड़ा हो जाता है। तीन सदस्य खड़े हैं इसलिए इसका वजन ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष-

इससे वजन घट जाता है, जैसे आप खड़े हैं अभी आपके साथ सात लोग और बोले तो आपका वजन घटेगा कि बढ़ेगा यही बता दें।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, सदस्यों की भावना यह थी कि इतना जघन्य अपराध हो गया और वहां का न तो सीओ हटाया गया और न इंसपेक्टर हटाया गया, न थानेदार हटाया गया न बीट के सिपाही हटाये गये तो सदस्यों का यह कहना है कि सरकार का यह जवाब असंतोषजनक है। इसमें प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि सरकार कुछ प्रभावी कार्यवाही कर रही है वैसे तो क्राइम का ग्राफ आप देख ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को कहा है सिपाही और बीट के सिपाही को हटाने से अगर दुखी परिवार को संतोष हो जाय उस घटना का पर्दाफाश हो जाय यह बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। सरकार ने कहा है कि 6 टीमें गठित किये हैं उसका अनावरण किया जायेगा वह जल्दी ही हो जायेगा। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि इस

घटना को गम्भीरता से लेते हुए जितनी शीघ्रता हो सके इसमें और सक्रियता लाई जाय, माननीय मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अवश्य इसमें कोई भी दोषी बचने नहीं पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह दुखद घटना है इस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं इसको दिखवा लें यह बहुत जरूरी है। एक दुखद घटना है एक बच्चे का अपहरण हुआ है इसमें जितना हो सके इस पर और कड़ाई करा दीजिएगा।

श्री राघव लखनपाल-

श्रीमन्, इस पर कोई कड़ाई नहीं होगी जब तक सी0बी0आई0 से जांच नहीं होगी कल ही सरकार द्वारा कुछ पूर्व में हुई हत्याओं के बारे में कहा गया जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता जी निर्भय पाल शर्मा जो इस सदन के माननीय सदस्य थे उनकी भी हत्या हुई थी सरकार कोई भी रही हो मैं उस बात में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक सी0बी0आई0 इस मामले को टेकअप नहीं करेगी। स्थानीय पुलिस पर कई तरह के दबाव हैं वह इस मसले को खोलने वाली नहीं है। वह केवल समय खरीद रही है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि गम्भीरता से लें इसको और जितना शीघ्रता हो सके देख लें, आप विश्वास कर लीजिए उसके बाद तो आप तो हैं ही, बताइयेगा।

मैंने राघव लखनपाल जी को सुना, इमरान मसूद साहब को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, किसी एक अधिकारी के विरुद्ध तो ऐसी कोई कार्यवाही हो जाय कि 15 दिन तो कुछ किया नहीं, आप बता रहे हैं कि 6 टीमें गठित कर दीं लेकिन उन 6 टीमों ने 15 दिन के अन्दर तक किया क्या केवल लड़के का चरित्र हनन, केवल लड़के के बारे में दुष्प्रचार जो लड़का क्लास के अन्दर अपने स्कूल का टापर हो उसका चरित्र हनन।

श्री अध्यक्ष-

बीट का सिपाही केवल सस्पेन्ड कराकर आप चाहते हैं कि हम संतुष्ट हो जाय हम तो यहां निर्देश दे रहे हैं कि जो दोषी हैं जो हत्या में कहीं आरोपित हैं उसको पकड़ा जाय उसका पर्दाफाश होना चाहिए। आप एक बीट के सिपाही के लिए परेशान हैं। चलिये, इसको अग्राह्य कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी से पुनः कह रहा हूं कि इसको देखवा लें।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, जब से बसपा सरकार आई है गन्ने की दुर्दशा होती चली जा रही है। 2006-07 में हमारी सरकार ने गन्ने का मूल 125-130 और 122.50 रुपये घोषित किया था

इसी भाव पर गन्ना बिक रहा था पेमेन्ट हो रहा था लेकिन इस सरकार के आते ही गन्ने में 7 रुपया प्रति कुन्तल कटौती करके यह कह करके की शक्कर का दाम गिर गया है गन्ने का दाम काट लिया जाय और यह फिर उतने दिन का नहीं काटा गया जितने दिन से सरकार बनी थी पूरा पहले से पेमेन्ट काट लिया गया। गत वर्ष 2007-08 में माननीया मुख्य मंत्री जी ने गन्ने का भाव 125-130 रुपये घोषित किया जो कि गन्ने का घोषित मूल्य पिछले मूल्य के बराबर ही था उससे ज्यादा नहीं था और घोषणा के बावजूद गन्ने का मूल्य 110 रुपया दिया गया है यह हमारी जिन्दगी का पहला मौका है जबसे जानने वाला हुआ हूं। गन्ने की पर्ची पर कभी दाम लिखा नहीं गया है गन्ना चाहे सामान्य गया हो चाहे श्रेणी का गया हो सबका दाम एक गन्ना चाहे मिल पर गया चाहे सेन्टर पर गया हो सबका दाम एक। कहीं कोई फर्क नहीं, पूरे 130 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम घोषित होने के बावजूद काश्तकारों को 110 रुपये गन्ने का भाव मिला। नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि काश्तकारों की गन्ना के प्रति अरुचि हो गयी और काश्तकारों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। साथ ही साथ अन्य क्रियायें बंद कर दी, जिसके कारण गन्ना इतना कम हो गया है कि इस साल मिल एक दिन भी पूरी क्षमता से नहीं चल सकी है। सारे मिल नो क्रेन की समस्या से ग्रसित रहे हैं और जब आज शक्कर का दाम इतना ज्यादा चढ़ गया है तो जिस सरकार ने शक्कर के भाव की कमी की वजह से गन्ने का मूल्य काट लिया था तो मैं चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य जो 7 रुपये क्विंटल काटा था, उसका डिफरेंस बनावें और पिछले साल जो 110 रुपया दिया गया है जो 125-130 रुपया मिलना चाहिये था उसका न कोई पेमेंट किया गया है न उसकी कोई चर्चा की गयी है। इस समय काश्तकार अति दुखी है काश्तकार के पास आज पैसे की बहुत बड़ी कमी है, जिसका नतीजा यह है कि आज गन्ना शून्य उत्पादन पर पहुंच गया है। मिल बंदी पर आ गये हैं। क्या दोष था हमारा, गन्ना मिल लगे, गन्ना मिल वालों ने हमको प्रोत्साहित करके गन्ना बुवाया, गन्ना का सट्टा मिल वालों ने किया उन्होंने पर्ची भेजी, हमने गन्ना भेज दिया हमको भुगतान हो गया उसके बाद हमने कोई डकैती तो डाली नहीं थी, हमने मिल में कोई गन्ना जबरन डाला नहीं था, फिर भी हम लोगों पर मुकदमा ठोंक दिया गया, मुकदमा करके 7 रुपया कम करवाया गया, क्या कारण था ? मुकदमा तो चोरों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, डकैतों के खिलाफ किया जाता है हमने कौन सा ऐसा काम किया था ? हमने तो गन्ना बोया था, कोई गुनाह तो किया नहीं था। हमने गन्ना आपके यहां जबरन तो डाला नहीं था। गन्ना आपकी पर्ची पर डाला था उसका भुगतान हुआ था और भुगतान किये हुये में भी भुगतान काट लिया गया। इन परिस्थितियों में गन्ने की दुर्दशा हो गयी है और इस वर्ष अब त्राहि-त्राहि मची पड़ी है। अब अगले साल भी गन्ना पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। डी0ए0पी0, पोटाश, एन0पी0के0 गायब, कभी मिली नहीं। जब काश्तकार इसको लेने जाता था तो कहा जाता था कि यह तो विदेश से आती है पोटाश, विदेश से आती है फास्फोरस, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, यह कहकर तो आपने अपना पल्ला झाड़ लिया और जब यूरिया की खपत आने लगी तो यूरिया भी गायब हो गयी। यूरिया तो आपके प्रदेश में ही बनती है, आपके वितरण की कमी थी, उस पर भी लक्ष्य चढ़ गया तो माननीय मंत्री जी क्या इसमें भी मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं। लक्ष्य नहीं चढ़ा हो तो बताओ ?

लखीमपुर खीरी में न जाने कितने लोगों की यूरिया लेने में खोपड़ी टूट गयी और पोटाश और फास्फोरस लेने में न जाने क्या-क्या हो गया। माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष बीज की इतनी कमी है, काश्तकारों को अभी तक बीज सप्लाई नहीं किया गया है। उनको अनुदानित रेट पर बीज सप्लाई नहीं किया गया तो इस वर्ष भी गन्ना पैदा नहीं होगा। इस वर्ष आवश्यकता इस बात की है कि ए0एस0पी0 का रेट अगर आपने 175 रुपया घोषित न कर दिया तो अगले साल भी मिल बंदी की कगार पर ही रहेंगे, यह निश्चित जान लीजिये आप। इसलिये काश्तकारों को अनुदानित रेट पर खाद मिलनी चाहिए, समय पर नहरों में पानी जाना चाहिए, समय पर सरकारी ट्यूबवेलों को चलना चाहिए और काश्तकारों को कीटनाशक दवायें दें, किसान को प्रोत्साहित करें तभी गन्ना पैदा होगा। वरना गन्ना आपके उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जायेगा, गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं रह जायेगा। जब-जब यह हाथी आवेगा तब-तब गन्ना चरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वह तो आया है वह तो चरेगा ही। अभी तो केवल उत्तर प्रदेश का चरता था, अबकी दिल्ली तक का चर जायेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कल यह भी कहा कि हमने पहली बार सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य घोषित किया है। कितना रेट किया 15 रुपया बढ़ा दिया। जबकि पिछले साल एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, पिछले साल 10 रुपया बढ़ाते और इस साल 10 रुपया ब ढ़ाते तो 20 रुपया होना चाहिए था लेकिन बढ़ाया कितना केवल 15, उस पर से तुर्रा यह कि हमने सबसे ज्यादा बढ़ा दिया और यह भी कहा दिया कि सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले। अब चलनी बोले भई, गन्ना कहां चला गया ? मेरा कहना यह है कि गन्ने की समस्या का समाधान करना है, तो निश्चित रूप से काश्तकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। गन्ना बीज अनुदानित रेट पर काश्तकार को देना पड़ेगा और गन्ने का ए0एस0पी0 का मूल्य 150 रुपया प्रति क्विंटल कम से कम घोषित करना पड़ेगा। इसी बात को कहकर मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। यह अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न है और गन्ना एक समस्या है जिसकी वजह से पूरा प्रदेश आन्दोलित है, इसलिये इस विषय पर चर्चा कराई जाय, मैं इस पर बल देता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

* श्री मदन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत गन्ना किसानों की दुर्दशा के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आज गन्ने का किसान जिस मेहनत से गन्ना पैदा करता है उसके सापेक्ष उसको उसका उत्पादन मूल्य नहीं मिल पाता है। आज वहीं स्थिति गन्ना किसानों की मिल मालिकों के द्वारा की जा रही है। आज जहां मिल-मालिक अपनी चीनी 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं वहीं गन्ने का रेट 140-145 रुपये तय करने का काम सरकार ने किया। एक तरफ जब गन्ने की कमी हो रही है तो मिल मालिकों ने अपने आरक्षित क्षेत्र के बाहर से ज्यादा रेट 180 से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ना खरीदना शुरू किया और उसमें मिलीभगत रही शासन के गन्ना आयुक्तों की और अधिकारियों की। उन्होंने क्या किया कि जो सरकारी मिलें जैसे सिम्भावली शुगर मिल के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आसपास सरकारी मिलें अमरोहा, हसनपुर तो बन्द हो गयी लेकिन निजी मिलें चल रही हैं। मान्यवर, निजी मिलें क्या कर रही हैं कि वह क्षेत्र के किसानों की पर्चियों को तो भेज नहीं रही हैं उसके बावजूद उनके लोग घटतौली कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं ताकि उनका गन्ना बाद में ले सके। मान्यवर, आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसी महीने नये-नये गन्ना क्रय केन्द्र खोल दिये गये हैं और उनको सहमति शासन ने दी है। इससे क्षेत्र के जो गन्ना किसान हैं उनमें असंतोष है वह परेशान है और अब तक एक फरवरी से इन निजी मिलों ने, खासतौर से मैं अपने क्षेत्र की सिम्भावली शुगर मिल के बारे में बताना चाहूंगा कि 15 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के रूप में बोनस देना शुरू किया है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो निजी मिल-मालिक हैं वह 15 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रहें हैं और बाहर से गन्ना खरीद रहे है तो इसका मतलब है कि उन्हें बहुत बड़ा प्राफिट हो रहा है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जब वह 180 रुपये 200 रुपये के रेट से खरीद सकते हैं तो क्यों न सरकार इस रेट को 200 रुपये प्रति क्विंटल कर दें ताकि पूरे प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिल सके। मान्यवर, इतना बड़ा शोषण निजी मिल-मालिकों द्वारा किया जा रहा है इसके लिये आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह 200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित करे क्योंकि जब चीनी का रेट 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है तो निश्चित रूप से यह रेट वाजिब बनता है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि या तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी 200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित करें अन्यथा इस पर चर्चा कराने की आप कृपा करें, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार किसानों और गन्ना किसानों की हितैषी है। डॉ0 कौशल किशोर भी गन्ना किसान हैं हालांकि वह किसानी छोड़कर डॉक्टरी के पेशे में आ गये हैं। आज चाहे बीज हो, खाद हो, कृषि यंत्र हो, सिंचाई की सुविधाएं हों, जैविक खाद हो, जिप्सम हो और तमाम ऐसी चीजें जो किसानों के लिये आवश्यक हैं खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये इन सारी चीजों के लिये जितना अनुदान वर्तमान सरकार ने दिया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। मान्यवर, यह इस बात का परिचायक है कि यह सरकार गन्ना किसानों के साथ-साथ समस्त किसानों की हितैषी है। मान्यवर, हमारा लक्ष्य भी है कि कृषि की पैदावार दो गुना बढ़े, किसान की आमदनी दो-गुना बढ़ायी जाये और उसे बढ़ाने के लिये जो भी सम्भव प्रयास है वह सारे प्रयास इस सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। मान्यवर, बार-बार एक बात आती है कि जो घोषित दाम था उतना भी दाम नहीं दिया गया। मान्यवर, मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने मा0 उच्च न्यायालय ने फैसला किया उस फैसले के तहत जो घोषित दाम था उससे कम दाम किसानों को जरूर मिला है। लेकिन मान्यवर, मा0 न्यायालय के उस आदेश को वैकेट कराने के लिये, किसानों को पूरा लाभ दिलाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा मा0 डाक्टर साहब, मा0 चौधरी साहब और अन्य वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं, मान्यवर, गन्ना किसानों की समस्याएं प्रायः तीन-चार साल बाद एक बार या दो बार आ जाती हैं। 1980 का दृष्टांत याद होगा उस समय भी गन्ना किसानों को अपने खेत में गन्ना जलाने के लिये विवश होना पड़ा था, कोई सरकार इसके

लिये दोषी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब अधिक उत्पादन होता है, ज्यादा पैदावार बढ़ा लिया जाता है। कोई नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं है जिससे यह निश्चित किया जाए कि चीनी की हमें इतनी जरूरत है और उसके सापेक्ष हमें कितनी खेती करनी चाहिए और इसलिये प्रायः गन्ना और आलू दो ऐसी फसलें हैं जिनका हम स्टॉक नहीं कर सकते, भण्डारण नहीं कर सकते हैं उस समय इस तरह की समस्याएं आती हैं लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया और जब हमारी सरकार बनी उस समय गन्ने का बहुत ज्यादा बकाया था। हमने पूरा प्रयास करके उस बकाये को दिलाने का भी काम किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन 27-02-2008 द्वारा उन्होंने गन्ने का जो रेट निर्धारित किया उसमें अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों का 115/-, सामान्य प्रजाति का 118/- और अगैती प्रजाति के लिये 123 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। उसके कारण ही 7 रुपये की कटौती हुई, वह मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ। जहां तक वर्तमान पेराई सत्र का सवाल है। वर्तमान पेराई सत्र में यह बात सही है कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा एक वर्ष में 15 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने का काम किया है और इसी तरह से लगभग 950 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को होगा। यह निर्णय प्रदेश सरकार के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। अभी मदन चौहान जी ने कहा कि सरकार ने जो घोषित किया है मिल उससे ज्यादा पैसे पर गन्ना ले रहे हैं। चौहान जी के क्षेत्र की सिम्भावली चीनी मिल 15 रुपये अतिरिक्त देने का काम कर रही है। जहां तक अनारक्षित क्षेत्र से गन्ना खरीदने का बिन्दु है इसको गन्ना आयुक्त को जांच करने का आदेश दिया गया है, वह इसकी जांच करेंगे और उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जायेगा तो वही कारण बन जाता है और दूसरे, तीसरे वर्षों में किसान को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिये समुचित विचार करने के उपरान्त ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, किसानों का हित होता रहे, 15 रुपये दाम बढ़ाकर घोषित किया गया है और यह सरकार गन्ना किसानों के हितों के लिये ही नहीं बल्कि समस्त किसानों के हितों के लिये पूरी तरह से चैतन्य है, चिन्तित है। उनका हित ही सर्वोपरि है और हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान है उसकी आमदनी दो गुने से ज्यादा बढ़े इसके लिये सतत प्रयासरत हैं। जहां तक चर्चा कराने का विषय है, चर्चा तो लगभग हो भी गयी है। सामान्य चर्चा में भी आप अपनी बात रखेंगे, हम उस सुझाव को नोट भी करेंगे। जो सुझाव किसान हित में जायज होगा, निश्चित रूप से जो सुझाव आयेंगे उसको सोचकर, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार निर्णय लेने का कार्य किया जायेगा। मान्यवर, यहां पर कार्य-स्थगन के रूप में मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का काम करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, 15 रुपये प्रति क्विंटल जब चीनी मिल मालिक खुद दे रहे हैं तो यह सरकार राजस्व हानि क्यों कर रही है। सरकार 15 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने का निर्देश जारी कर दे, यह किसानों के हित में होगा। अगर सरकार यह नहीं करती है तो यह किसानों का शोषण है और इस पर चर्चा कराना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, सरकार ने कह दिया कि इसको दिखवा लूंगा।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री मदन चौहान, डा0 कौशल किशोर व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, यह घोषणा नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मदन चौहान सदन का बहिर्गमन करके चले गये)

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी हाल में आम जन और सदन मनोज कुमार गुप्ता एक्जीक्यूटिव इंजीनियर औरैया के मामले में उद्वेलित था। इस काण्ड की पुनरावृत्ति हमारी विधान सभा क्षेत्र वृंदावन में होने जा रही थी जो कुछ लोगों के इन्टरफियरेंस से बच गई। वृंदावन नगर पालिका परिषद् की अध्यक्ष ने वहां के नगर पालिका के ई0ओ0 श्री डी0पी0 शुक्ला के घर में असलहों से लैस होकर उसके सीने पर बन्दूकें रखकर मारपिटाई करी, गालीगलौज करी जबरन फाइलों पर दस्तखत करा लिये। मैं कहना चाहता हूं कि उस नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव अफसर डी0 पी0 शुक्ला की जान खतरे में है। आज स्थिति यह है कि नगर पालिका परिषद् चेयरमैन के खिलाफ जनता आन्दोलित हैं पहले वह निर्दलीय के रूप में चुनी गई लेकिन चेयरमैन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही दफा 302 से हुई। इस मारपिटाई, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी के बाद जिलाधिकारी मथुरा के द्वारा इण्टरफियरेंस से उनके खिलाफ धारा 452, 504, 506, 323 का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन दबाव के कारण पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके पहले एक कमेटी वृंदावन गई थी उसके द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पकड़े गये करोड़ों रुपये का घोटाला पकड़ा गया यह बात नगर विकास मंत्री जी से और प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग से कही गई कि उनके पावर सीज करें। चेयरमैन नगर पालिका परिषद् ने वृंदावन को बिल्कुल आतंक की नगरी बना रखा है। मनोज कुमार गुप्ता काण्ड की पुनरावृत्ति न हो अतः उस डी0पी0 शुक्ला एक्जीक्यूटिव आफीसर की जान बचाई जाय और उस चेयरमैन की गिरफ्तारी की जाय। इस समय जो वर्तमान सरकार है उसकी मुख्य मंत्री जी दोषी पाये जाने पर एम0एल0ए0 व एम0पी0 के खिलाफ भी कार्यवाही करती हैं इसके लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उस चेयरमैन के खिलाफ पूरी जनता लामबन्द हो गयी है तमाम पार्टियों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं रोज अखबार में छप रहा है। इस विषय में यहां पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय और इस तरह की चेयरमैन को बर्खास्त किया जाय। उनकी तत्काल गिरफ्तारी किये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक इस घटना का सवाल है इसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है मुकदमा अपराध संख्या 93/2009 धारा 323, 504, 506, 452 इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य पाया जायेगा उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। लेकिन मैं सदस्य श्री माथुर से भी अनुरोध करना चाहूंगा। जैसा कि कल ही मुख्य मंत्री जी ने यहां पर अपील किया कि आपस के झगड़े को विधान सभा में उसका बिन्दु रखकर उसको केन्द्रित नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपस में राजनीतिक लड़ाई हो। उस राजनीतिक लड़ाई को यहां बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बहुत वाजिब नहीं होगा। लेकिन जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करके विवेचना हो रही है विवेचना में जो तथ्य पाया जायेगा उसके आधार पर कार्यवाही होगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मेरा कोई विवाद नहीं है। मेरे बारे में आप पता कर सकते हैं मैं निर्विवादित व्यक्ति हूं। वहां पर जनता के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इतना भयानक भ्रष्टाचार किया गया जिसके बारे में चेयर से दिशा निर्देश दिया जाय। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा मैं सिर्फ जनता की बात रख रहा हूं। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। डी0पी0 शुक्ला एक्जीक्यूटिव आफीसर को जान के लाले पड़े हैं। इसके बावजूद मनोज कुमार गुप्ता काण्ड की तरह काण्ड न हो जाये। जब सात लोग बन्दूक लेकर सीने पर चढ़ गये मारपिटाई किया सारे अखबार रंगे पड़े हैं। मैं यहां पर सिर्फ जनता की आवाज उठा रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने पहले ही कहा कि सरकार अपराधियों के साथ किसी तरह की रियायत नहीं करेगी जो भी अपराध करेगा चाहे वह कितना ही बड़ा हो चाहे कितनी ही बड़ी राजनैतिक हैसियत रखता हो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी चाहे जिस तरह का अपराध होगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज है। मैंने प्रमोद माथुर जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। राम किशुन जी, आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जी0टी0 रोड पर, अब आप ही नहीं सुनेंगे तो सरकार तो नहीं सुनने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष-

आप ही के बारे में बात कर रहे थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, जी0 टी0 रोड बाई पास पर दो महीने के अन्दर आर0टी0ओ0 के गलत तरीके से जांच करने के बाद और पुलिस के मिलने के कारण कम से कम 15-20 लोगों की ट्रकों से कुचल जाने के कारण उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं मान्यवर, आर0टी0ओ0 के खिलाफ भी सेवराजा थाने में मुकदमा दायर है और इतनी तेजी से जिस तरीके से मान्यवर, आर0टी0ओ0 चेक करता है माननीय अध्यक्ष जी और उससे भगदड़ जी0टी0 रोड पर होती है तो मोहनसराय रहनिया के सम्बन्धित और नौबतपुर से लेकर दो महीने के अन्दर जो मौतें हुई हैं, हम डेट वाइज बता देंगे। अखबारों में कभी टाटा सूमो पलट जाती है, कभी ट्रक पलट जाता है और कभी आम आदमी जा रहा है वह कुचल जाता है, जनता आक्रोशित होती है, सड़क पर आती है जाम लगता है, और कानून व्यवस्था भी खराब होती है। सरकार उस पर उल्टा यह मुकदमा कायम करने का काम करती है इसलिये इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 25-26 तारीख को भी इस प्रकार की घटना बिरार्डाह गांव के पास एक बारह तेरह साल के बच्चे का, जो बिंद बिरादरी का गरीब बच्चा था उसकी ट्रक से कुचल जाने के कारण मृत्यु हो गई जिसको लेकर आस-पास वहां पुलिस खड़ी थी रेवां मोड़ पर उसकी एम्बुलेंस भी खड़ी थी, दो घंटे तक पुलिस ने उस बेचारे की लाश उठाने की कोशिश नहीं की और वहां गांव के आस पास के लोग दौड़ पड़े और भीड़ जुट गई, पुलिस ने 50 राउन्ड गोलियां चलाई और 8 बजे रात को किसी तरह से जाम हटा। अध्यक्ष जी, यह बात आपके संज्ञान में है यह बात इसीलिये कहना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। आम जन मानस की जिन्दगी का सवाल है। आर0टी0ओ0 पैसा कमाये, आर0टी0ओ0 धन वसूले, चाहें सरकार के खजाने में इंकम करे या अपना। हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि आर0टी0ओ0 अपनी इंकम बढ़ाने के लिये थानेदार अपनी इंकम बढ़ाने के लिये राजस्व बढ़ाने के लिये वहां पर जिस तरह से नंगा तांडव होता है उस प्रकार से वहां अब तक दो महीने के अंदर कितनी ही मौतें हो गयी हैं। भतीजागांव है सेवरहा थाने में दो नौजवान मरे। उसके 4-6 दिन पहले 5 लोगों की कुचलकर मृत्यु हो गई। रेहनिया के पास डी0सी0एम0 टोएटा पलट गई, वहां तीन लोग मरे। बी0एच0यू0 के डाकी चौराहे पर बी0एच0यू0 में एम0बी0बी0एस0 का छात्र पढ़कर लौट रहा था माननीय अध्यक्ष जी, उसकी मृत्यु हो गई। इन सारी घटनाओं के पीछे आर0टी0ओ0 की चेकिंग और ऐसे समय चेकिंग करता है जब आम आदमी का आवागमन सड़क पर होता है। नौबतपुर आपका चेक पोस्ट है, आप चेकिंग कर लीजिये। वहां से गाड़ियां बाहर तो नहीं जा सकती हैं। आप रोहनिया से पहले चेक कर लीजिये जहां चेक पोस्ट बने हैं लेकिन वह उस प्रकार से न करके जिस प्रकार से पूरे जनपद चंदौली और बनारस के बाई पास जी0टी0 रोड पर आम जनता का जीवन असुरक्षित हो गया है। अब तक कई लोग मारे गये हैं गरीब तबके के लोग मर रहे हैं जो शादी ब्याह से जा रहे हैं दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो रही है। यह लोक महत्व का विषय इसलिये हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये और इस गरीब परिवार जो पीड़ित परिवार है उसका बाप भूसा बेचने गया था पुलिस ने उसके बाप को भी जबरदस्ती अपने बचाव के लिये एक तहरीर ले लिया और उसका आधार बनाकर 250 लोगों के

खिलाफ मुकदमा कायम किया। मैं इस बात को इसलिये रखना चाहता हूं कि उस विधान सभा से हम लोग आते हैं आये दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और पुलिस जिन निर्दोष लोगों को फर्जी तरीके से फंसा रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी उठेंगे। वह निश्चित रूप से जवाब दे देंगे। पुलिस में मेरे छोटे भाई ब्लाक प्रमुख हैं उनको फोन करके बुलाया एक घण्टा पहले बुलाया वह सब जा चुके थे लेकिन एस0ओ0 नौबतपुर बिलारी भी घटना में लिप्त थे ...

श्री अध्यक्ष-

सब बात आ गई है।

श्री राम किशुन-

60 साल के बुजुर्ग को धक्का दे दिया। दो घण्टे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बुजुर्ग को धक्का दे दिया। तब जाकर जनता में आक्रोश पैदा हो गया, जनता आक्रोशित हो गई और उसके बाद बीच-बचाव करने के लिये जनता पर पचास राउन्ड गोली चलाई। साठ साल के बुड्ढे को पुलिस धक्का दे जब एक लड़का मरा हो, लाश सड़क पर पड़ी हो। एक किलोमीटर से कम की दूरी पर एम्बुलेंस खड़ी थी। चार-पांच सिपाही एक दरोगा था ...

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, सब बात आ गई।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, अगर वह चाहते तो दुर्घटना के समय ही वह लाश वहां से हटाते, लाश आधे घण्टे, 45 मिनट तक जी0टी0 रोड पर पड़ी रही। आस-पास के लोग जुट गए तब जाकर पुलिस पहुंची है। यह बहुत गम्भीर मामला है। जी0टी0 रोड का मामला है। जन-जीवन की सुरक्षा का मामला है उनकी जानमाल का मामला है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं उस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता और जब तक जितने लोग मरे हैं आर0टी0ओ0 की गल्तियों से मरे हैं उन परिवारों को चिन्हित कर, हम यह नहीं कह रहे हैं जो लोग दुर्घटना में मरे हैं ...

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है आप बैठें।

श्री राम किशुन-

जो लोग आर0टी0ओ0 दरोगा की चेकिंग के दौरान मरते हैं ऐसे लोगों के परिवारों को चिन्हित करके उनको मुआवजा देने का काम करें और निर्दोष लोग जो मरे हैं और जिन पर मुकदमा चला है उन मुकदमों को अगर हो सके तो वापस ले लें। हमारे छोटे भाई ब्लाक प्रमुख हैं हम जनप्रतिनिधि हैं हमको कोई बुलाएगा तो जायेंगे ही इसलिए मृतक परिवार जो गरीब है मैं उसको मुआवजा देने की मांग करता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी एक प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से आपसे करना चाहता हूं। अगर आप जानते हों कहीं से सिद्ध हो जाए कि बाबूलाल के जाने के बाद वहां गोली चली है तो हम राजनैतिक बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इसी सदन में माफी मांगने को तैयार है ...

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें, आगे चर्चा भी है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, ब्लाक प्रमुख को एक साजिश के तहत बुलाया जाता है। क्योंकि मान्यवर, आप भी जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार हूं इसलिए उसको फंसाने के लिये पुलिस बुलाती है। यह कहीं से सिद्ध हो जाए कि बाबूलाल ने भीड़ को बड़ा दिया तो ...

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें सब बात आ गई है।

श्री राम किशुन-

मैं माफी मांगने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में और लोग भी बोलेंगे।

श्री राम किशुन-

दूसरे दिन लिखित एफ0आई0आर0 किया जाता हो यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगर मुआवजा दे दिया जाएगा तो उन गरीबों का भला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है बात आ गई है।

श्री राम किशुन-

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सामान्य एक्सीडेंट में आप भी देखते होंगे और माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात का उल्लेख किये हैं जब कोई दुर्घटना होती है तो कहीं-कहीं ट्रेंड बन गया है कि हमदर्दी दिखाने के बजाए लाश को सड़क पर रखकर और जाम लगाने का काम करते हैं। घटना दुखद होती है सबकी उससे हमदर्दी भी होनी चाहिए। नियमों के अनुसार जो सहायता है वह उसको मिलना चाहिए लेकिन मान्यवर, जब कानून को हम अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस को भी कुछ करना पड़ता है और यह एक जगह नहीं सारे लोग स्वयं मैं कोई दलीय आधार पर नहीं कह रहा हूं लेकिन आप लोग इस बात से अवगत हैं कई बार आप लोगों के सामने भी ऐसी स्थिति आती है और मजबूरन आप लोगों को भी जाम में खड़ा होना पड़ता है। इस तरह का एक नया ट्रेंड चला है। इसके लिए जो नियम हैं, उसमें क्लेम करना होता है, उसके आधार पर मुआवजा मिलता है। उसे मिलना चाहिए और हम लोगों को उसमें मदद भी करनी चाहिए लेकिन कानून को यदि अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस को मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ती है। मान्यवर, मा0 सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया है, मैं उसे दिखवा लूंगा, यदि कहीं कमी होगी तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि पूरी तरह से पुलिस ने अपने कृत्यों को छिपाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। एस0ओ0 की जानबूझकर बदमाशी के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस ने 50 राउन्ड गोली चलाई, कोई बड़ी कैजुअलिटी तो नहीं हुई लेकिन मुकदमा दो दिन बाद लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राम किशुन को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की है।

(श्री अनूप कुमार सण्डा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सण्डा जी, आपने नियम-56 में जो सूचना दी है, वह पुल बनवाने के सम्बन्ध मे है कि घूमकर जाना पड़ता है। आपकी सूचना को मैंने पढ़ा है और किसी नियम में दे दीजिए, गवर्नमेन्ट का मत आ जायेगा। यदि नियम-56 को इतना छोटा कर देंगे तो इसके लोक महत्व का मतलब घट ही जायेगा।

* श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान जनपद महराजगंज में गत दिनों घटित तमाम घटनाओं की तरफ आकर्षित करते हुए एक घटना पर केन्द्रित करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर है, वहीं से काठमांडू के लिए नैपाल के लिए तमाम जगहों के लिए माल जाता है। आज दिल्ली, बम्बई और तमाम जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं, आई0एस0आई0 द्वारा जो घटनाएं कराई गई हैं। यहां आदरणीय पाण्डेय जी बैठे हैं, माता प्रसाद पाण्डेय जी, तमाम लोग ऐसे हैं, जो वहां पर नकली नोटों का कारोबार करते हैं। पाण्डेय जी जानते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र का विषय है कि अभी कई करोड़ रुपये इन्हीं के यहां स्टेट बैंक में नकली नोट पकड़ा गया है और वह जो लोग यह करने वाले हैं, वह पूरी सीमा पर वहां से लेकर हमारे यहां तक घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं और बार-बार मान्यवर, इसे उठाया जा रहा है, विभिन्न स्तरों पर इसे उठाया जा रहा है लेकिन उन लोगों को संरक्षण मिला हुआ है। वह लोग अपने कृत्य को निर्विघ्न रूप से कर रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, मैंने कल इसी तरफ आपका ध्यान नियम-300 के अन्तर्गत आकर्षित किया था, आपने स्वीकार भी किया है। इसी प्रकार हमारे यहां गत दिनों, जमुना प्रसाद निषाद जी जो आपके मंत्री जी थे, वह थाने में गए, बलात्कार की कम्प्लेन करने कि वहां पर एक बलात्कार हुआ है, एक पिछड़ी महिला के साथ घटना हुई है। उस समय जो दुर्घटना हुई, वह हुई, मान्यवर, जो घटना करने वाले लोग थे, वह तो अगले दिन जेल से बाहर हो गए और मा0 मंत्री जी आज भी जेल में हैं। हमारे जनपद के मुख्य चौराहें पर हर जगह पोस्टर लगा हुआ है कि बलात्कारी को बेल और मंत्री को जेल। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां पुलिस सक्षम होकर भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उस पर राजनैतिक दबाव इतना पड़ रहा है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसी क्रम में मान्यवर, कहना है कि हमारे यहां 20-11-2008 को एक [x x x] की हत्या हो गई। ग्राम सभा मूली में वह भी चौराहे पर। वहां पर दिनदहाड़े हत्या हुई, दिन में हत्या हुई, सभी ने हत्या करते हुए देखा, सभी लोगों ने पुलिस से कम्प्लेन किया कि मान्यवर, इन-इन लोगों ने हत्या की है लेकिन आज तक उनमें सिर्फ तीन गिरफ्तारियां की हैं और बाकी लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी पीठ से निर्देश हो जाये कि इसमें फाइनल रिपोर्ट न लगायी जाये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये जिन्हें पूरी जनता ने देखा है। वहां पर माननीय ओझा जी, सभी दल के लोगों ने आन्दोलन किया, प्रदर्शन किया।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, [x x x] शब्द निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

चलिए निकाल देंगे।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

तो माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए हम आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये विधान सभा की कार्यवाही को रोककर उस पर चर्चा कराने के लिये और जो हमारे यहां आई0एस0आई0 की गतिविधियां चल रही हैं उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिये सुनौली कस्बे में खुलेआम ग्राम समाज की जमीन पर [x x x] का हक मारने की बात है, उस पर कब्जा करने कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की मांग करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, फिर [x x x] शब्द का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसको निकाल देंगे। बस त्रिपाठी जी ठीक है, आपकी बात आ गयी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-993/08 धारा 147/148/149/302/552/504/506/323 भा0दं0वि0 विरुद्ध राजाराम, मनोज गौतम, प्रहलाद, विजय कुमार उर्फ बबलू, विलाश, पुजारी, ओमप्रकाश, जितेन्द्र आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त राजाराम, विजय कुमार, मनोज गौतम, पुजारी, ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया व अभियुक्त विजय कुमार अदालत में हाजिर हुए। विवेचना से अभियुक्त प्रहलाद, बिलास, जितेन्द्र की नामजदगी गलत पाई गयी तो मान्यवर, जो दोषी थे वह जेल चले गये हैं और साथ ही साथ अभियोग में विवेचनोपरान्त पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-11/09 दिनांक 31-1-09 को प्रेषित किया जा चुका है। मुख्य अभियुक्त मनोज गौतम के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। वादी व उसके परिवार की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष को निर्देश दे दिये गये हैं तो मान्यवर, एक घटना हुयी, दुखद घटना हुयी और उसमें

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही हो गयी है। अब जब कार्यवाही हो गयी है तो उसके बाद भी सदन में उस बात को उठाने का औचित्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, जिनका नाम लिया है उनके पिता ने जाकर आई0जी0 महोदय के यहां डी0आई0जी0 महोदय के यहां, अदालत में बयानहल्फी दिया है कि वह घटनास्थल पर थे। लेकिन उनको संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह तफ्तीश का विषय है। कहीं कोई दोषी लोग बचने नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा है उसको दिखवा लेंगे। इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

[इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 पी0के0 राय पीठासीन हुए]

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करने के लिये मुझे आदेशित किया हैं माननीय अधिष्ठाता जी बजट सिर्फ प्रदेश की आय-व्ययक की स्थिति बताने वाला दस्तावेज है बल्कि यह विकास की दिशा को व्यक्त करने वाला एक दस्तावेज है और श्रीमन्, प्रदेश की वित्तीय स्थितियों का, सरकार की विकास के प्रति दृष्टि का और अंततः इन सभी प्रयासों का जो सम्भावित परिणाम हो सकता है उन सबके बारे में बजट अपने आप में एक बड़ा इंडीकेटर है।

इसलिए श्रीमन् एक दिन सरकार जो वक्तव्य ले कर के आती है तुरन्त तत्काल बाद उसकी इस बात का आंकलन लगने लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकतायें कौन सी हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि उसके क्रियान्वयन में आगे आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं, श्रीमन् और उसके क्रियान्वयन से होने वाले जो दूसरे प्रभाव होते हैं वह कालान्तर में आते हैं, छः महीने, चार महीने, एक साल के बाद लेकिन बजट अपने आप में इस बात का द्योतक होता है कि सरकार योजना कैसी बना रहीं है और इन योजनाओं के माध्यम से करना क्या चाहती है। श्रीमन् मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आंकड़ों के ज्यादा उल्लेख से मैं इसको बोझिल न बनाऊं, लेकिन कुछ आंकड़े मुझे अवश्य ही रखने होगें और जो माननीय वित्त मंत्री जी जिनके पास बहुत भार है, लगभग आधी सरकार हैं यह, इन्होंनें बजट को रखने में जितनी बाजीगरी की है और मान्यवर, मैं उस पर भी निश्चित रूप से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय अधीष्ठाता जी, इसके अलावा बहुत संक्षेप में अगर कुछ सुझाव आवश्यक हैं तो उन सुझावों को भी मैं सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा आशा करूंगा कि उसमें जो सकारात्मक सुझाव सरकार को अच्छा लगे उसको अवश्य ही ग्रहण करने का काम करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बहुत जोर से इस बजट भाषण में एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है कि कृषि और किसान हमारी प्राथमिकता हैं, अच्छा लगा। अब तक जो प्राथमिकतायें इनकी थीं वह तो दूसरी थीं, दिशा इनकी बदल रहीं है। इस बार सरकार बनने के पूर्व 2007 में मई में पदारूढ़ होने के पूर्व इनकी दिशा दूसरी थीं, अब 2007 में पदारूढ़ होने के बाद इनकी दिशा दूसरी हुई। उस दिशा पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जिनको गालियां दे-दे कर के अपना आधार मजबूत करने का काम आपने किया अब आपने उनको मुख्य शक्ति में शामिल करने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और यह कहा कि पूरी तरह से पलट है, हम बदल गये हैं उस रास्ते से और अब दूसरे रास्ते की ओर जाना चाहते हैं जिनको हमने बहुत गालियां दे दी हैं उनको अब गाली देने का काम नहीं करेंगें, उनको इस्तेमाल करने का काम करेंगें। मान्यवर, यह इनकी राजनीतिक दृष्टि थी, लेकिन उस राजनीतिक दृष्टि के अतिरिक्त इन्होंनें जो आर्थिक उपाय सोंचे जो इनकी वित्तीय आर्थिक सोंच थी मान्यवर, उसमें भी परिवर्तन आने की बात इन्होंनें की है। मैं सराहना करूंगा कि आपकी समझ में यह बात आई कि उत्तर प्रदेश में किसानों को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए। शब्द में आपने स्वीकार किया यद्यपि आपने अपने बजट प्राविधानों और अपने आचरण में उसको स्वीकार नहीं किया। अच्छी बात है कि आपने बजट में कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता है और मान्यवर, अपने आंकड़ों में आपने रखा है खुद कि 1999 और 2000 तक कृषि का जो अंश हमारी पूरी अर्थ व्यवस्था में है वह 35 फीसदी के आस-पास है, आपके बजट का अंश है और अब घट कर के 28.4 हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सचमुच इस बात से चिन्तित हैं कि वह 35 फीसदी से घट कर 28.4 हो गया।

मान्यवर, तो आपको एक व्यवस्था तो कम से कम करनी चाहिए थी जो बहुत पिछड़ा है उसको आगे ले आने का प्रयास आप करने का वचन देते हैं इस सदन में तो कृषि का योगदान 28 प्रतिशत और श्रीमन् उस पर आपके बजट का प्राविधान 11 प्रतिशत अपने आप से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि के प्रति आपका नजरिया क्या है। अगर सिर्फ 28 प्रतिशत भी रखते तो उसकी व्यवस्था मान्यवर होनी चाहिए थी 33 हजार करोड़ और मान्यवर व्यवस्था हुई है कितनी 11 हजार। श्रीमन् 70 फीसदी किसान उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिसकी जोत का आकार एक एकड़ से कम है छोटे किसान हैं मान्यवर और एक बड़ा कारण है कि हमारी उत्पादकता का जो स्तर हो सकता था जितना इन योजनाओं को काम करना चाहिए था उतना नहीं कर पाती हैं, एक बड़ा कारण है हमारी जोत जो है वह छोटी है और उन किसानों को भी आप उनकी जमीनों से बेदखल कर देना चाहते हैं अगर छोटी जोत का किसान है तो उसको भी रहने देना नहीं चाहते हैं मान्यवर और वह कैसे करना चाहते हैं श्रीमन् कल माननीय नेता सदन यहां हमने नहीं जिक्र किया था उनको याद आ गया घोड़ी-बछेड़ा में हमने बड़ा काम कर दिया। हमको आज उसका उल्लेख करना है, घोड़ी-बछेड़ा का जिक्र क्यों आया ? क्योंकि किसानों की भूमि के अधिग्रहण के सवाल पर उन्होंने अपना मुआवजा मांगा और आपने गोली मार कर के किसानों की हत्या की। मथुरा में किसानों ने अपनी जमीन का मुआवजा मांगा, यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अनावश्यक रूप से उनकी उपजाऊ जमीन लेने का आप काम कर रहे थे, आपने उनकी हत्या की।

मान्यवर, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जितनी भूमि अधिग्रहीत होना प्रस्तावित है वह गंभीर बात है। उसकी उपयोगिता पर दूसरी बात आयेगी। जितनी आवश्यकता है उसकी ढाई गुना ज्यादा जमीन आप अधिग्रहीत करना चाहते है इस तरह से आप इस पूरी परियोजना की ही हत्या कर देना चाहते हैं। यह आपकी दृष्टि है। पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान का हित सर्वोपरि रखा गया। उसकी दृष्टि में भाषण सर्वोपरि नहीं है किसान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकार में किसानों के हित में जितने कदम उठाये गये हैं उसके बारे में कोई भी विचारक प्रश्नचिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने उन कदमों को लौटा लिया वापस कर दिया। हम लोगों ने घर बनाने के लिये कृषि उधार अधिनियम में संशोधन किया था, कृषि उत्पाद में स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गयी थी उस स्टैम्प ड्यूटी को आपने खत्म कर दिया। अब वह प्राविधान नहीं है। हमारा कहना है कि आपको हर हालत में किसानों को प्रगति देनी होगी और उसका ध्यान रखना होगा। अभी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बात चल रही थी आपने कहा कि कभी कभी आलू किसान तबाही में पड़ जाता है। चौथी बार मायावती जी प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी है। पता नहीं कौन सा मुहूर्त होता है क्या ज्योतिष योग है या उसे काल सर्प योग कहें या जो भी योग कहें जब भी माननीया मायावती जी मुख्य मंत्री होती हैं किसानों की तबाही का योग यहां पर आ जाता है। आलू का किसान बरबाद हो गया गन्ना का किसान आज तबाह हो रहा है। आप चाहें तो अपनी फीगर्स को अलग से बता दीजिये। मान्यवर, आप गन्ना किसानों की बात करते हैं यह पीक सीजन है। 142 चीनी मिलों का जिक्र आया था यह कहा गया कि 132 मिलें चलवा दीं। उसमें से 23 मिलें पिछले 12 दिन में बंद हो गयी। आप कैसे गन्ना किसानों का भला करेंगे।

मान्यवर, आपने 15 रु0 का उल्लेख किया। मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान हुआ। आप पिछले से भी आगे बढ़कर भुगतान कराते तो हम सराहना करेंगे। यह कहा गया कि 30 रु0 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई है। अभी माननीय मदन चौहान जी वृद्धि की बात को अपनी सूचना में उठा रहे थे और बता रहे थे कि पहली बार मिल मालिकों ने किसानों को एडवांस देने का काम किया है। उससे उनकी हालत बेहतर हुई है यह तो आगे पता चलेगा। यह बात तो चीनी के उत्पादन से भी पता चलेगी और बाजार भाव क्या हुआ उससे पता चलेगा कि इससे क्या फायदा हुआ है। इसी तरह से बाजार में उसकी उपलब्धता कितनी है इससे पता चलेगा। वह एक इंडीकेटर नहीं है अनेक इंडीकेटर हैं। लेकिन मान्यवर, किसी भी ढंग से आप किसानों की बेहतरी की कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात करना चाहते हैं तो इतना गाल बजाने की जरूरत नहीं है आप उसमें काम करें। आप गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर उन किसानों की जमीन को छीनने का कृत्य करना चाहते हैं। इससे किसानों का अहित होगा। आपको यह गंगा एक्सप्रेस-वे का काम बंद करना चाहिये। इससे गंगा नदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह अलग बात है। उसका तल उठ जायेगा वह अलग बात होगी। उससे अन्य जो गंभीर समस्यायें उत्पन्न होंगी वह अलग बात है। उससे कटान बढ़ जायेगी वह अलग बात है। उसमें जो साईड रोड बनेंगी बजरी ईंट का इस्तेमाल होगा उससे और भी समस्यायें उत्पन्न होंगी। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का काम किया गया है। लेकिन जो एक्सप्रेस-वे की बात कही

जा रही है उसकी फिजियबिलिटी रिपोर्ट आयेगी तो पता चलेगा कि उसमें सम्बन्धित अथारिटी आपको एलाऊ करेगी या नहीं। लेकिन जो आपकी दृष्टि है वह मैं बता रहा हूं।

मान्यवर, किसानों के बारे में मैं गंभीर बातें उठा रहा हूं। 50 रु0 आपने आलू का समर्थन मूल्य बढ़ाया उसे 250 रु0 से बढ़ाकर 300 रु0 किया गया। लेकिन आज जो स्थिति है आलू का किसान बरबाद हो रहा है उसका चालीस प्रतिशत आलू सड़ गया। तब तो आपने उसकी रक्षा नहीं की। आप उसकी फसल के लिये प्रदेश के बाहर उसे भेजने के लिये ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करते और उसको बचाया जाता। आलू तो उसका पूरी तरह बरबाद हो गया और इसके अलावा मैंने कल उल्लेख किया था धान के साथ क्या किया आपने ? धान क्रय के सवाल पर पिछले वर्ष आपकी सरकार थी और 12 लाख टन से ज्यादा धान का क्रय किया आपने और इस वर्ष 3 लाख 7 हजार टन मात्र धान की खरीद हुई है, आपके बजट के भाषण राज्यपाल जी के अभिभाषण में है। इसलिए मान्यवर, यह जो स्थिति है और पूरी तरह से बिचौलियों के हाथ में किसानों को जो छोड़ दिया है इससे इस बात से अपने आप सरकार की दृष्टि पता चलती है इससे बाज आना चाहिए। किसानों की बेहतरी आप कीजिए अगर कृषि की बेहतरी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी तो कोई उपाय कर लीजिए इस प्रदेश को बेहतर बनाने का, कोई चमत्कारी उपाय किसी सरकार के पास कभी हो ही नहीं सकता। इसको सैद्धान्तिक रूप से आपने स्वीकार किया लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। मान्यवर, दुग्ध विकास और पशुपालन की जहां तक स्थिति है उसके बारे में कोई मजबूत प्रयास उनके लिये नहीं किया। उसके लिए जो आपने व्यवस्था की और सबसे बड़ी उसकी आवश्यकता बिजली की है। गांव देहात में बिजली की जो स्थिति है परीक्षा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की आ रही है देहात में बच्चों को जो बिजली नहीं मिल रही है वह अलग और सिंचाई के बारे में कितनी गम्भीर स्थिति है, पूरा प्रदेश इससे भिज्ञ है।

श्रीमन्, आपके क्षेत्र में जो स्थिति है आप भी जानते हैं, आप देहात के क्षेत्र से आते हैं अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास आपने नहीं किया एक ओर आप अपने योजना का प्लान आउट ले बड़ा हो जाने की बात जो करते हैं कि 35 हजार करोड़ पिछले वर्ष था इस साल 36 हजार करोड़, हम अनुमानित मान कर चल रहे हैं क्योंकि योजना आयोग ने अभी निर्णय नहीं किया है, लेकिन उसके हिसाब से पिछली सरकार में बिजली खरीद करके भी किसानों की जरूरत की 16 घंटे बिजली देने का काम देहातों में किया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने प्रबन्धों में ऐसा इंतजाम करें जिसमें देहातों को बिजली दी जा सके। इस बिजली के बिना आप सिंचाई कैसे करेंगे और खेती का काम कैसे करेंगे। यह सम्भव नहीं है इसलिए आपको यह करना चाहिए। 2008-09 में आपने विद्युत के लिए प्रस्तावित किया 10,300 करोड़ और इस साल बिजली का रेट तो बढ़ गया, जरूरतें बढ़ गयीं, कृषि प्राथमिकता पर आपने कर दिया और इसको घटाकर आपने कर दिया 9,846 करोड़। 500 करोड़ के आसपास का आपने बजट में कमी कर दिया, कैसे बिजली देंगे आप ? क्या योजना है आपकी ? जहां तक बिजली के जनरेशन की पावर हाउस लगाने की बात है वह अभी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन जितनी न्यूनतम बिजली किसानों को दी जानी चाहिए, देहात को दी जानी चाहिए उसके लिए भी कोई प्रबन्ध करने का काम आपने इस

बजट में नहीं किया है। अलावा इस दिखावट के प्रबन्ध के कि बजट में लिख दिया और आपने उसको पढ़ दिया बहुत सुन्दर ढ़ंग से आप पढ़ते हैं इसलिए अच्छे ढ़ंग से पढ़ दिया कि किसानों का बहुत भला करेंगे और कृषि को हम प्राथमिकता पर रखना चाहते हैं। मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण और कुटीर उद्योगों की जो स्थिति इसके चलते होगी, वह स्पष्ट है। श्रीमन्, डा0 राम मनोहर लोहिया की सोच थी कि इस प्रदेश में और देश में 'दवा पढ़ाई मुफ्ती हो रोटी कपड़ा सस्ती हो' और इसको व्यवहार रूप में समाजवादी पार्टी ने लागू किया इसके लिए मान्यवर, इस वाक्य को सिर्फ दिशानिर्देश नहीं माना बल्कि जरूरी निर्देश मानते हुए इसको पूरा करने का काम किया था। आप यह बता दीजिए कि इस बार क्या हो रहा है बेसिक शिक्षा के लिए जो आपने प्रस्ताव किये हैं और बढ़ा दिया आपने दिखाया कि कितनी बढ़ी हुई धनराशि आप दे रहे हैं। आज शिक्षा मित्रों का सवाल मान्यवर, अभी हो रहा था आपने कहा कि शिक्षा मित्र में हमने बहुत कर दिया। मान्यवर, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 9 हजार रुपये और एम0ए0, बी0ए0 शिक्षामित्र की तनख्वाह 3500 रुपये। मान्यवर, गांव में उनके ड्यूटी के आवर्स देख लीजिये, उनका परिश्रम देख लीजिये और उनकी आवश्यकता देख लीजिये। सच्चाई यह है और हम सब इस बात का अनुभव करते हैं। माननीय मंत्री जी आप स्वंय इस बात की पड़ताल कर लीजिये। इस सदन में आप स्वीकार कीजिये या न कीजिये कि आज जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह इन शिक्षामित्रों की मदद से ही चल रही है। शिक्षा मित्र ही इन ग्रामीण विद्यालयों में जाता है बाकी जो हमारे नियमित अध्यापक हैं, उन नियमित अध्यापकों की उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी शिक्षा मित्रों के माध्यम से हैं। मान्यवर, समान कार्य के लिये समान वेतन आपको देना चाहिये।

मान्यवर, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर ज्यादा बात नहीं कहूंगा सबको पता है कि आज स्वास्थ्य, चिकित्सा की प्रदेश में क्या स्थिति है। आप स्वंय एक चिकित्सक हैं अधिष्ठाता महोदय और आप एक सजग जनसेवक भी हैं और आपको तकनीकी तौर पर भी इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में क्या स्थिति है ? मान्यवर, अस्पतालों में सांप के काटने की एंटी वेनम नहीं है। कुत्ते के काटने की ए0आर0वी0 नहीं है। पट्टी के लिये लोगों को बाहर जाना पड़ता है। प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में आपने कुछ घोषणायें की, दिखावे के लिये कुछ सख्ती भी की लेकिन अस्पतालों में डाक्टर्स उपलब्ध नहीं।

आपके स्वंय के आकड़ें इस बात के गवाह है और बार-बार आपने स्वीकार किया है कि अस्पतालों में महिला चिकित्सक नहीं है। अस्पतालों में सर्जन नहीं, अस्पतालों में रेडियोलाजिस्ट नहीं है, जिला अस्पतालों की यह स्थिति है। मैं दूर-दराज के अस्पतालों की बात नहीं करना चाहता, मैं अपने बलिया जिला चिकित्सालय की बात करना चाहता हूं। हमारे बलिया जिला अस्पताल में जितने डाक्टरों के पद हैं, उनमें से इतने खाली हैं कि माननीय मंत्री जी, आज 55 प्रतिशत डाक्टर जिला अस्पताल बलिया में कम हैं और महिला चिकित्सालय में कुल दो चिकित्सक हैं अगर 12-12 घन्टे की लगातार ड्यूटी भी करें तो इमरजेन्सी भी पूरी होने वाली नहीं है। इससे गंभीर स्थिति और क्या होगी। महिला चिकित्सालय कभी-कभी स्थानान्तरण होने के बाद 6-6 महीने बंद हो जाता है। देहातों में जो छोटे चिकित्सालय हैं, उनकी बात हम नहीं कर सकते और उसके बारे में कोई बंदोबस्त करने का काम आपने नहीं किया।

श्रीमन्, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है और बेरोजगारी आज के सन्दर्भों में और भी बड़ा सवाल है। अर्न्तराष्ट्रीय मंदी के प्रभाव से न हमारा देश अछूता है और प्रदेश भी अछूता नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करने का काम करते थे। आज इस छटनी के दौर में उनकी हालत बहुत बदतर हो गयी है। मान्यवर, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा, आपका सबका एक प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई गरीब नौजवान बम्बई में नौकरी करता है और उसको सिर्फ इस कारण से वहां से निकाला जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उसको वहां असुरक्षित करके वापस हमारे यहां भेज दिया जाता है और वह पुनः बेरोजगार हो जाता है। मान्यवर, यहां से गरीब नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाकर जो नौकरी करने का काम करता है, उसका इस प्रदेश पर दबाव बहुत बड़ा है वह लोग तेजी से वापस आ रहे हैं। एक तरफ पूर्वोत्तर से, आसाम से लोग भगाये जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों चेन्नई से लोग भगाये गये, सुदूर दक्षिण से भगाये गये और उसके पहले बम्बई से लगातार भगाये गये हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से माननीय वित्त मंत्री जी आप आते हैं, जहां से मैं आता हूं वहां से सर्वाधिक लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जिसमें जौनपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर और यह सभी जनपद शामिल हैं, जहां से बहुत से लोग ऐसे थे जो बम्बई में रोजगार के लिये गये हुये थे, वहां से वापस आ गये हैं। अर्न्तराष्ट्रीय मंदी का प्रभाव है कि लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिये इस बजट भाषण में कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे किसी को रोजगार देने का काम किया जा सके। यह मान्यवर, बहुत गंभीर सवाल है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम पिछली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने किया था, उसको आपने बंद कर दिया। आपकी तो सीधे-सीधे दुश्मनी है कि जो कुछ उन्होनें किया उसको उलट दो। कोई लाभ दिया है तो उसको जल्दी समाप्त करो। आप इस दृष्टि को तो बदलिये। प्रदेश की बेहतरी के लिये जो जरूरत है, आपकी सरकार है और आप पर इस बात की जिम्मेदारी है कि लोग भुखमरी के शिकार न हों। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने कोई कदम उठाया था तो उनके ऊपर आपको जो कुछ करना था, वह आप करते। तो हम देखते कि आप क्या कर पा रहे हैं। आप यह कहकर सरकार में आये कि सरकार बनेगी तो मुलायम सिंह यादव को जेल भेज देगें उनको तो आपने जेल नहीं भेजा लेकिन साढ़े 11 हजार लोगों पर फर्जी मुकदमा करके उनको जेल भेजने का जरूर आपने काम किया, इसलिये कि अगर उस सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाये तो उसका बदला इस प्रदेश के उन निरीह, निर्दोष लोगों से तो न लीजिये। बेरोजगारों के मामले में इनकी यही स्थिति है। सड़क और पुल के लिए पिछले बजट में भी आपने वर्ष 2006-2007 मे जो बजट प्रस्तावित था, वर्ष 2007-2008 में उससे बढ़ा करके दिया, वर्ष 2008-2009 में उससे बढ़ा करके दिया और वर्ष 2009-2010 में उससे बढ़ा करके दिया। मान्यवर, आप यदि अपने उत्तर में बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी कि चार सौ से अधिक पुलों का निर्माण समाजवादी पार्टी की साढ़े तीन साल की सरकार में हुआ और आपने इतना ज्यादा बजट इस्तेमाल करने के बाद इस साल कितने पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा है यदि इसकी संख्या आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि इसका आपने अलग से उल्लेख किया है। आपके बजट भाषण में उल्लेख है इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं मान्यवर, जब पूर्ववर्ती सरकार गई और आप 13 मई, 2007 को पदारूढ़ हुए तो 106 पुल ऐसे निर्माणाधीन थे, जिनको एक साल के

अन्दर पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था। उसमें से मा0 वित्त मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अनेक पुल ऐसे हैं जिनका पूरा पैसा उस समय दे दिया गया था लेकिन उसके बाद भी आज तक वह पूरे नहीं हुए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा पूरा दे दिया गया था लेकिन इतनी दुश्मनी कि गिट्टी उठवा लेंगे, छड़ यहां से उठवा लेंगे, बनने नहीं देंगे, अरे ! क्यों नहीं बनने देंगे, हमारा वाला नहीं बनने दिया था इसलिए नहीं बनने देंगे, यह क्या कारण है, लोकतन्त्र में इसकी अनुमति नहीं है और निजी तौर पर उत्तर प्रदेश किसी की जागीर नहीं है। हम वहां बैठे तो हम, आप वहां बैठे तो आप, हम प्रदेश के कोई जागीरदार नहीं हैं, हम लोकतन्त्र में सेवक हैं और सरकार में बैठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वह काम करने की कि जिससे प्रदेश की तरक्की हो सके, प्रदेश की बढ़ोत्तरी हो सके। अब जनता के धन का दुरुपयोग कहूंगा तो इनको नाराजगी होगी लेकिन मान्यवर, दो बातें मैं जानना चाहूंगा कि पांच साल पहले जो निर्माण कार्य हुआ, पांच साल में ही उसमें इतनी बदबू आने लगी कि करोड़ों-करोड़ रुपया आपने डायनामाइट और आर0डी0एक्स0 लगा करके उड़वाने का काम किया।

मान्यवर, एक चीज और कहूंगा कि जो पत्थर लगाये जा रहे हैं मा0 मंत्री जी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इन पत्थरों का रेट कौन तय कर रहा है, किसने तय किया, किस लेबिल पर तय हुआ और इन पत्थरों में एक और बात है मान्यवर, यह पत्थर आ रहे हैं चुनार से मिर्जापुर से और इन सबकी खरीद राजस्थान और जयपुर से दिखायी जा रही है कि यह राजस्थानी पैटर्न पर है यह राजस्थान से आ रहा है और सीधे चुनार से आ करके यहां पर काम हो रहा है। यह बहुत गम्भीर बात है आपने हजारों करोड़ रुपए दिया वह सवाल अलग से है मैं प्रयास करूंगा कि आपका ध्यान उस पर भी आकृष्ट करूं लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है इस स्थिति में जहां हजारों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं वहां हजारों करोड़ इस मद में खर्च किया जाये। लेकिन मान्यवर, उन पत्थरों के रेट आज आप तय कर दीजिए, कल को जिम्मेदारी होगी, कोई न कोई कल जिम्मेदार ठहराया जायेगा इसलिए आज आप तय कर दीजिए। पत्थरों का रेट कौन तय कर रहा है और वह जयपुर से कहां आ रहे हैं, वह पत्थर आ रहा है चुनार से और भुगतान हो रहा है जयपुर के पत्थरों के नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जनता के धन का दुरुपयोग इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, यह तो आपका तानाशाही रवैया है, जैसे कोई राजा-महाराजा बनवाकर खड़ा करता है और देखने के बाद कहता है कि ठीक है इसको गिरा दो यह खूबसूरत नहीं लगता दूसरा बनवायेंगे। आज यहां रामलीला कराओ, कल वहां नाच कराओ।

मान्यवर, ऐसा भी हो सकता है। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा करों के माध्यम से आता है, हम और आप उसकी चर्चा करते हैं और आप सरकार हैं आप उसका प्रबन्ध करते हैं लेकिन उसके लिए मनमाने तरीके से कोई प्रक्रिया तय नहीं हो सकती। आप बजट यहां इसलिए ले करके आये हैं क्योंकि संविधान में इसकी बाध्यता है बजट बिना पारित कराये आपको एक रुपया खर्च करने की इजाजत नहीं है और अगर यह इजाजत नहीं है तो मनमाने तौर पर किसी धन को जितना चाहें, जब चाहें खर्च कर दो, जब चाहे बना दो, जब चाहे गिरा दो, यह करने की इजाजत लोकतन्त्र में नहीं है। मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी पिछड़े वर्ग के हैं

और उन्हें दूसरी बार लगातार बजट रखने का मौका मिला है, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं इस प्रसन्नता को इस सदन में व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, उनकी मजबूरियां हैं, जिस लड़ाई को वह लम्बे समय तक लड़ते रहे हैं और आज इस स्थिति में आये, आज वह प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, कुछ बेहतर प्रबन्ध कर सकते थे तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय छोड़ करके उन्होंने कुछ नहीं किया। कैसे करते आप अपनी बाध्यताओं को, अपनी मजबूरियों को कम करने की लड़ाई लड़िये। आप कैसे लड़ेंगे वह तरीका अपने साथियों से मिल करके तय कर लीजिएगा, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं यह सदन में कह रहा हूं, आपकी अपनी मजबूरी है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपसे अपेक्षा है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठा है और दोबारा बजट पढ़ रहा है। आज पिछड़े वर्ग की स्थिति यह है कि वर्तमान में 839 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है जबकि पहले 883 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी अर्थात पिछले वर्ष की तुलना मे इस बार बजट व्यवस्था घट गयी है। आपने बजट तैयार करवाया है, अधिकारियों ने लिखा-पढ़ी करके दे दिया हो, आप प्रबुद्ध हैं, सचेत और सजग भी है। आपकी सिर्फ मजबूरी होगी कि आप यह कर पाये, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए, बीमारी के लिए जो अलग से प्राविधान था इस बजट में उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। किन कारणों से नहीं किया गया है, जब उत्तर देंगे तो बता दीजिएगा ?

पिछड़ों का उल्लेख करते समय आपको भय रहता है कि पिछड़ों के प्रति भाव तो नहीं उत्पन्न होने लगा और आपके लिए यह जोखिम भरा कदम हो जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो। बुनकरों को रोजगार देने की बात आयी, बुनकरों की स्थिति बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद इतनी बदतर हो गयी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। बुनकर धार्मिक, सम्प्रदाय का नाम नहीं है। लेकिन आम तौर पर इस प्रदेश के अल्पसंख्यक मुसलमान बुनकर हैं। इसलिए मुसलमानों के बारे मे जो आपकी वह दृष्टि, जो साम्प्रदायिक ताकतों की हुआ करती थी उससे भी बदतर स्थिति आपकी है। इस आरोप में सचमुच सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार है उससे अपने-आप में साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए उद्देश्यों को पूरा करने में बहुजन समाज पार्टी लगी हुई है। बुनकर समाज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है।

एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप में। सरकार के पास संसाधनों की कमी है। सरकार सभी काम अपने संसाधनों से नहीं कर सकती लेकिन पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप से जो इसका स्वरूप बन करके आ रहा है वह पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। पब्लिक का मतलब प्रदेश की जनता है। हम-आप उसके कस्टोडियन हो सकते हैं इसलिए पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप का राज्य परिवहन के बस अड्डों, पर्यटन विभाग के कीमती होटलों, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बेच करके निजी हाथों में देना चाहते हैं। कारागार की जो जमीनें हैं, कारागारों को शहर से बाहर करने की समिति का मैं चेयरमैन था। इसलिए कह सकता हूं कि मेरी अध्यक्षता में उस समिति ने जो प्रस्ताव पास किया था वह काम आप कर रहे हैं। उस कार्य पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु उसकी दृष्टि दूसरी है। कारागारों को मुख्य बस्तियों से

हटाकर बाहर ले जाने की योजना थी। मेरी अध्यक्षता में उस समिति ने रिपोर्ट दिया उसके आधार पर कारागारों को बाहर भेजने की व्यवस्था हो रही है। जो प्राइम लोकेशन है और उन जमीनों की जो मूल्य है, उस मूल्य पर गड़बड़ी करके उसमें भ्रष्टाचार परिलक्षित है। पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप में मूल्यवान सम्पत्तियों को देने का काम सरकार कर रही है। यह नहीं होना चाहिए।

बुन्देलखण्ड का बड़ा जिक्र आया। बुन्देलखण्ड के लोगों के कर्जो के ब्याज माफी की घोषणा की गयी थी, क्या हुआ, कितनी ब्याज माफी कर दी है, इसकी रिपोर्ट भी सदन में उत्तर भाषण में दे देंगें तो आपका आभार व्यक्त करूंगा। जितनी कोरी घोषणायें बुन्देलखण्ड के लिए आपने की है, कोई प्रबन्ध नहीं की है। यह अजीब बात है कि 2006-2007 में बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल की जो विशेष निधि है जो उसकी राशि थी उसके लिए वर्ष 2006-2007 में बजट का प्राविधान था 522 करोड़ रुपये का आपने इसमें लिखा है। चार साल बाद वर्ष 2009-10 की योजना लेकर आए हैं। वर्ष 2006-07 में थी 522 करोड़ जब अब योजना लेकर आए हैं तो 350 करोड़ की। इस मंहगाई, मुद्रास्फीति और प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में देखें तो बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल निधि आपने 50 फीसदी कर दी है। पूर्वांचल की बात करेंगे चूंकि आप पूर्वांचल के हैं। आपके बजट से पता चलता है कि जिन योजनाओं की जितनी आवश्यकता है 'जिन्हें प्यास कम उन्हें दम-बदम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम। शाकिया तेरी वज्म है कि मजाक है।' पूर्वांचल के विकास के लिए वर्ष 2006-07 में 500 करोड़ हो सकते हैं तो इस समय उसके हिसाब से दो हजार करोड़ रुपए होना चाहिए। आपका प्रस्ताव राजनीतिक बेइमानी है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। पूर्वांचल विकास निधि में बहुजन समाज पार्टी का प्रस्ताव सिर्फ गृहणीय होगा बाकी लोगों का गृहण नहीं होगा किसी भी दल का गृहण नहीं होगा। वह विकास की कोई योजना प्रस्तावित नहीं कर सकता। यह राजनैतिक भेदभाव आप नहीं कर रहे। लेकिन समग्र रूप से आपका प्रस्ताव यह है कि वर्ष 2006-07 में 540 करोड़ की व्यवस्था और वर्ष 2009-10 के लिए 330 करोड़ की व्यवस्था। बाढ़ की स्थिति यह है कि बाढ़ से पूर्वांचल के सभी जिले प्रभावित हैं चाहे घाघरा हो चाहे गण्डक हो चाहे गंगा हो। पिछले साल गोमती में बाढ़ आई जो अरसे बाद आई थी उससे लखनऊ शहर में आपका बाजा बज गया। पिछले साल के मुकाबले बाढ़ प्रबन्ध के कार्यों में धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए थी। कटान विरोधी कार्यों के लिए न ही कोई योजना बनी न ही उसके लिए धन प्रस्तावित किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कटान के बारे में यह व्यवस्था की गई थी कि कटान से जो किसान विस्थापित होगा उसके लिए सरकार जमीन एक्वायर करके उसको जमीन देने का काम सरकार करेगी उसको गृह अनुदान देकर घर बनाने का काम करेगी लेकिन आपके पास इसके बारे में कोई योजना नहीं है। आप किसानों की बात करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी जब आप उत्तर दें तो बताएं कि आपने किसान दुर्घटना बीमा को बन्द तो नहीं कर दिया है यह महत्वाकांक्षी योजना है मैं जब राजस्व मंत्री था उस समय मुझे इसका अवसर मिला कि किसान जो सबसे निरीह होता है उसकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके रोते बिलखते बच्चों तक एक लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाई जाय। आपने उसे समाप्त तो नहीं कर दिया। आपने पूर्वांचल की बाढ़ रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया है कर्जे आपके बढ़ते जा रहे है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं एक भी वाक्य रिपीट नहीं करूंगा। अगर सरकार के बजट पर चर्चा नहीं होगी और मैं भी नहीं कर पाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। कर्जदारी बढ़ती चली जा रही है। आपने बजट में आंकड़ा दिया है एक लाख 58 हजार 277.61 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष तक। अगले साल का अनुमान है एक लाख 74 हजार 945 करोड़ जो पूरे वर्ष का हमारा बजट है उस बजट से डेढ़ गुना। कर्जदारी बढ़ती जा रही है और कर्ज खत्म करने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। कर्ज कैसे खत्म होंगे मैं बताना चाहता हूं कि कर्जे बेलगाम होते जा रहे हैं। आपके बजट में जो बातें आई हैं उनसे यह बात स्पष्ट होती है श्रीमन् क्या स्थिति है आप देख लीजिए। जब आपकी आमदनी ही नहीं बढ़ेगी तो कर्जे कैसे घटेंगे। जब खर्चे नहीं घटेंगे तो कर्जे कैसे घटेंगे ? एक वाक्य भी पूरे बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा है कि सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी और एक वाक्य नहीं कहा है किसी तौर पर कि हम अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करेंगें। नहीं कहा। अपने संसाधनों में वृद्धि का कोई उपाय नहीं, खर्चों में कटौती का कोई संकल्प नहीं तो कर्जों में बढ़ोत्तरी के अलावा और क्या होगा। यही होता है, और हो रहा है। और इन कारणों से हो रहा है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। आप अपनी परफरमेंस देख लें। आपने बजट किया, मैंने तो रखा नहीं। आपकी परफारमेंस क्या है ? श्रीमन्, एक ओर जहां पिछली सरकार ने जहां तक अपने बजट के यूटिलाइजेशन का सवाल था, 103 परसेंट, 107 परसेंट तक यूटिलाइजेशन हुआ। अबकी स्थिति, उनकी रिपोर्ट तो परफारमेंस की अलग से आयेगी वो स्वंय बता देंगें पिछली साल का बता दें आंकड़ा मैं मान लूंगा, उससे पिछली साल का बता दें, दो साल हो गया है। दो साल का बता दीजिये मैं मान लूंगा। आप खुद ही बता दीजिए, मैं मान लूंगा, आपके साहित्य में लिखा है, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। आपकी आमदनी के सोत्र क्या हैं मान्यवर ? पहली बार यह हो रहा है मान्यवर कि 21 फीसदी लक्ष्य से ज्यादा विक्रीकर की वसूली व्यापार कर के रूप में हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपका लक्ष्य क्या था ? आपका लक्ष्य था ?

मान्यवर, 2007-2008 मे 17,314 करोड़ और मिला 15,023 करोड़, जब व्यापार कर से आपको मिलेगा ही नहीं। जिन टैक्सों से आपको मिलना चाहिए मान्यवर, आपको मिलना चाहिए 27,802 करोड़ और आपने पाया 24,959 करोड़ घट गया 2,042 करोड़। एक साल नहीं घटा, अगले साल का देख लीजिये 2008 2009 में आपकी क्या स्थिति है ? मान्यवर, वह भी आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। यह पुनरीक्षित है और वास्तविक इससे और कम आयेगा। मान्यवर, मैं चुनौती देना चाहता हूं खत्म होगा आप अगले साल बताइयेगा। 31 मार्च को जब आप आंकलन कर लेंगें तो आप सदन मे बता दीजियेगा, पुनरीक्षित से और कम होगा। लेकिन पुनरीक्षित कितना कम हो रहा है। मान्यवर, आपके यहां स्टाम्प और पंजीकरण से आपने प्रस्तावित किया 5,370.54 करोड़ और पुनरीक्षित हो गया और उससे कम हो गया और यह आबकारी में सबसे बड़ा कमाल है। मान्यवर, नयी-नयी नीति, नया-नया प्रयोग, एक आदमी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, सदन में जो आदमी नहीं है और इस योग्य भी नहीं है कि हम उसका नाम ले। और एक आदमी पर

विश्वास करके पूरे प्रदेश की आबकारी व्यवस्था एक आदमी के हाथ में दी दीजिये। थोक में वसूली करता है, थोक में पहुंचाता है। इसलिए मान्यवर, एक आदमी के जिम्मे देने का यह प्रभाव क्या हुआ ? प्रभाव यह हुआ कि आबकारी का लक्ष्य 5040 करोड़ और मिला आपको 4450 करोड़, 590 करोड़ माइनस आप पुनर्रीक्षित मान रहे हैं। मेरा यह कहना है कि 800 करोड़ के आस-पास कम होगा यह आप 31 मार्च को देखियेगा 800 करोड़ से कम आपको आबकारी के लक्ष्य के सापेक्ष घाटा लगने वाला नहीं है।

श्रीमन्, ऐसे ही व्यापार कर में 19,705 करोड़ और वैट आपने लगाया है। वैट तो आपने प्रदेश की बड़ी बेहतरी के लिये लगाया था। वैट का हम विरोध कर रहे थे, वैट को नहीं स्वीकार किया, मंहगाई नहीं बढ़ी और उसके अलावा व्यापारियों ने लक्ष्य से 21 फीसदी ज्यादा टैक्स देने का काम किया था। हम बधाई देना चाहते हैं प्रदेश के व्यापारियों को। आपने लगाया वैट और उसका रिजल्ट देखिये फिर इस साल ढाई हजार करोड़ घट रहा है मान्यवर, 2527 करोड़ और माननीय मंत्री जी कोई प्रयास कर लीजिये यह 3200 से 3500 करोड़ के बीच में आपके लक्ष्यों के सापेक्ष घटेगा। यह आपका पुनर्रीक्षित है। आपने अनुमान किया है, 31 मार्च तक लेकिन निश्चित रूप से साढ़े तीन करोड़ के आस-पास अकेले आपके सेल्स टैक्स में घट जायेगा। जब आपका इतना घटेगा तो कर्जे कैसे कम होंगें ? आपकी आमदनी घटेगी, खर्चों का कोई प्रबन्ध नहीं तो यह तो घटेगा, आप कुछ नहीं कर सकते और एक मद है मान्यवर, बजट पूरा करने के लिये कई तरीके अपनाये जाते हैं। आपने भी अपनाया है तरीका, आपके आंतरिक ऋण की क्या स्थिति है ? आप ही का आंकड़ा पढ़ रहा हूं। मान्यवर, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण से सरकार को प्राप्त करना था 24,570 करोड़ और पाया कितना ? 8,709 करोड़, आपके लक्ष्य के सापेक्ष कुल 35 परसेंट। जो आपका अनुमान है बजट का, टैक्स आपको मिलेगा नहीं, लघु बचत से आंतरिक ऋण आपको मिलेगा नहीं तो जब इन लक्ष्यों पर आप निरन्तर विफल होंगें और खर्चे बढ़ते जायेंगे तो कर्जे बढ़ते जायेंगें। विकास की योजनाएं पूरी कैसे होंगी ? योजनाओं में जो आपने लक्ष्य तय किया है, उनको पूरा कहां से करेंगें ? उनके लिये पैसे का प्रबन्ध आपने जिन हेड में मेंशन किया है, वह हेड मान्यवर, पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मान्यवर, यह तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आंकड़ों के माध्यम से रखना था। बाकी आंकड़े ज्यादा नहीं रखूंगा। मान्यवर, मंहगाई की जो स्थिति है श्रीमन् सीमेन्ट की बोरी जो 195/- की थी वह बढ़कर तीन सौ रुपये की हो गई है। इसके अलावा चाय, चीनी, अनाज, दाल, सरसों का तेल सब मंहगा हो गया है। इस सारी मंहगाई के लिए केन्द्र सरकार जितना जिम्मेदार है उससे कई गुना ज्यादा राज्य सरकार जिम्मेदार है। अपने यहां जो प्रबन्ध सरकार को करने थे मान्यवर, उन प्रबन्धों को न करने के कारण यह स्थिति हो रही है। मान्यवर, कर्जे के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश की थी कि यह कर्जे धीरे-धीरे कम किए जाएं और हमारी योजनायें ऐसी बनें, सरकार ऐसा काम करे ताकि यह प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके और इसको कर्ज के जाल से निकलना पड़े। मान्यवर, यह कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2004 में पास किया था कानून 'वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन कानून' और उस कानून में

मान्यवर, यह तय हुआ कि 2010 की समाप्ति पर उस राजस्व के घाटे को हम जीरो कर देंगे या उसको कम से कम करने का काम करेंगे।

मान्यवर, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार जिसके मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव जी उस समय वित्त मंत्री थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो लक्ष्य 2010 के लिए तय किया था राजस्व घाटों को समाप्त करने का काम 2006-07 का बजट पूरा होते-होते राजस्व घाटा शून्य हो गया। जब प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार गई और इनकी सरकार पैदा भी नहीं हुई थी उस समय राजस्व घाटा शून्य था। आप आंकड़े देखकर बता दें। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं राजस्व घाटा शून्य, और अब फिर राजस्व का घाटा बढ़ते-बढ़ते आज इस स्थिति में आ गया है कि प्रदेश कर्ज के जंजाल में फंसता जा रहा है आपके अपने फीगर हैं। मैं अभी कोई दूसरे आंकड़े नहीं दे रहा हूं जो मैं दूसरी जगह से या योजना आयोग से लाया हूं या और जगह से इकट्ठे किए हैं। मैं सिर्फ आपके बजट में आप द्वारा कही और छपी जो बातें हैं उनका उद्धरण देना चाहता हूं। श्रीमन् राजकोषीय घाटा 2003 में 7.4 फीसदी था मान्यवर और 2010 तक इसको शून्य करना था लेकिन मान्यवर तीन सालों में इसको हमने शून्य कर दिया। अब आपने क्या किया यह 2008-09 में 2.98 प्रतिशत था लेकिन 2009-10 के बजट में 5.3 फीसदी तक आपका राजस्व घाटा हुआ। आप अंदाजा कीजिए कहां जा रहा है आपके सकल बजट का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है जिन कारणों से बढ़ रहा है। इसमें किसी को योग्य किसी को अयोग्य या आलोचना करने से काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश गम्भीर संकट से गुजर रहा है। प्रदेश अगर गम्भीर आर्थिक संकट में फंस जाएगा वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाएगी तो जो सारी योजनायें हम आप करते रहेंगे उनको पूरा कैसे किया जाएगा। धन की आवश्यकता है। आपने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपया मांगा केन्द्र सरकार ने आपको 80 रुपया भी नहीं दिया। पिछली सरकार ने 18 हजार करोड़ मांगा उनको 18 रुपया भी नहीं दिया गया। करों के जितने मद हैं वह सब केन्द्र सरकार के पास ज्यादा हैं। धीरे-धीरे यह केन्द्रियत होते-होते राज्यों के पास हमारे पास संसाधन जुटाने के अवसर ही कहां हैं। हमारे पास कम अवसर रह गये हैं हमारे पास टैक्स लगाने की मदें नहीं हैं। वह हमको हिस्सा पूरी तरह से नहीं देते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी कल कह रही थीं हम असहमति व्यक्त नहीं करते। हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कई बार केन्द्र हमको पूरी तरह से हमारा हिस्सा भी हमको नहीं देता। हमको हमारा हिस्सा भी न मिले और हम टैक्स लगाने के भी पूरी तरह अधिकारी नहीं हैं और इस फेडरेल स्ट्रक्चर में मान्यवर, राज्यों की स्वायत्ता खतरे में फंस जाएगी। अगर अपने संसाधनों का इस्तेमाल न कर सके रोज अपनी विकास की योजनाओं के लिए केन्द्र के सामने याचक बनकर कटोरा लिए खड़ा रहे कि योजनायें पड़ी हैं 80 हजार रुपया दे दीजिए। दो साल में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आधे दर्जन बार पत्र लिखा होगा और दो वर्ष में मा0 मुख्य मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने कम से कम 20 बार सदन में यह कहा होगा कि वह कटोरा लेकर उनके सामने खड़े हैं। लेकिन कटोरे से काम चलने वाला नहीं है। इन्तजाम आपको इस बात का करना पड़ेगा कि हर हालत में आप अपना वित्तीय प्रबन्धन ठीक करें, जो पैसा अपने पास है, उतने में चादर फैलायें। एक ओर पत्थरों की खरीद पर, सप्लीमेंट्री में तीन जगहों का नाम लेकर, रमाबाई पार्क, कांशीराम जी, अम्बेडकर पार्क का नाम ले लिया जाय और कहा जाए कि

चुप-चुप-चुप, इस नाम पर कुछ मत बोलना और खबरदार जो बोलेगा, उसको इतनी जोर से डांटा जायेगा कि अगली बार से फिर वह यहां आने से डरने लगे, मान्यवर। ओ0पी0 सिंह जी खड़े होंगे तो भी डाटेंगे, मंत्री जी खड़े होंगे तो भी डाटेंगे।

मान्यवर, कहेंगे कि क्यों कांशीराम जी का नाम ले लिया, क्यों अम्बेडकर जी का नाम ले लिया और मान्यवर, पत्थरों पर 5 हजार करोड़ का खर्चा और बाकी सारी योजनाओं पर, हम कहते हैं कि पूरे प्रदेश के पिछड़े लोगों की कन्याओं की शादी के सवाल पर 25 करोड़ की भी व्यवस्था करने में कठिनाई है, यह तो बात नहीं चलेगी, इसलिए वित्तीय प्रबन्धन ठीक करना पड़ेगा। एक ओर जब हम कर्जे के जाल में फंस रहे हैं, एक ओर जब हमारा राजस्व घाटा बढ़ रहा है तो हमको अनुपयोगी, अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबन्ध करना पड़ेगा। हम महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं लेकिन महापुरुषों का सम्मान डेढ़ सौ रुपया क्यूबिक मीटर के पत्थर को एक हजार रुपया मीटर का रेट दे देने से पूरा होने वाला नहीं है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। उन पत्थरों का रेट अगर तीन-चार गुना सरकारी खातों में कर देंगे तो उससे महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा। मा0 अधिष्ठाता जी, राजस्व वसूली में स्थिति क्या है, यह मैंने उल्लेख कर दिया। बिक्री कर की वसूली आपकी हो नहीं रही है, आबकारी की वसूली आपकी हो नहीं रही है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में पहली बार लक्ष्य घटाया गया और मान्यवर, वह लक्ष्य क्यों घटाया गया क्योंकि ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, यह सदन जानता है, बीएसपी के संसदीय सदस्य हमारे बहुत से मित्र हैं, बताते रहते हैं। मान्यवर, लखनऊ में विशिष्ट लोग अगर सैकड़ों एकड़ जमीन लेना चाहते हैं और एक लैण्ड बैंक बनाना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास लैण्ड बैंक बनाना चाहते हैं, ताज एक्सप्रेस वे के आसपास लैण्ड बैंक बनाना चाहते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे, जमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर एक बड़ा लैण्ड बैंक बनाना चाहते हैं तो उनका इन्ट्रेस्ट खाली पूरा होता रहे, इन कारणों से रजिस्ट्रेशन और इन सारी चीजों में लक्ष्य कम किया गया है और यह लक्ष्य कम कर देने से प्रदेश का राजस्व भी घट गया और इससे किसान को भी कोई भला होने वाला नहीं है और न हो रहा है क्योंकि टोटल ट्रांन्जेक्शन को आप देख लीजिए, जो टोटल ट्रांन्जेक्शन है, उसकी मात्रा आप देख लीजिए और इन शहरों से जहां से बड़ी मात्रा में राजस्व आता है, आप उन शहरों को चिन्हित कर लीजिए। प्रदेश में चिन्हित तीन-चार स्थान हैं और उन जगहों से पूरा स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का राजस्व आता है, चार-पांच शहरों से 80 फीसदी के आसपास आता है, 20 फीसदी में पूरा प्रदेश है। कुछ लोगों को लाभ देने के लिए यह किया जा रहा है। मैंने अपनी बात रख दी है, आपकी जो राजस्व वसूली की स्थिति है, वह अत्यन्त दयनीय है। आप लक्ष्य भर भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी कम है। श्रीमन्, एक आंकड़ों की बाजीगरी और की गई, जो भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा दिया गया, उसको भी आपने अपने राजस्व के खाते में लिख लिया। एक सत्यम ने घोटाला किया और एक बसपा की सरकार यहां कर रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं, सत्यम ने जो घोटाला किया, वह उसके अन्दर का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश आपके अन्दर का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, हर उस गरीब का है जिसके टैक्स के पैसे से हमारी, आपकी तनख्वाह, भत्ता, गाड़ी यह सब जिससे आता है, उसको जानने का अधिकार है। सत्यम के बोर्ड की तरह 5 लोग मिलकर तय

नहीं करेंगे, इसलिए मान्यवर, यह हेराफेरी चलने वाली नहीं है। श्रीमन् ! जो आवश्यक बातें हैं, आपकी अनुमति से उनका जिक्र करके खत्म कर रहा हूं।

मान्यवर, वर्ष 2006-07 में 29 फीसदी राजस्व की अधिक प्राप्ति हुई थी, सदन में कह रहा हूं, अनुमानित नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह हो गई कि आपने 29 फीसदी लक्ष्य से भी कम कर दिया। बजट तो मान्यवर, फिक्स है। इसलिए बजट तो फिक्स है कि हम इतने लाख करोड़ वहां से लेंगे और इतने लाख करोड़ वहां खर्च करेंगे और जो आमदनी है अगर वह घट जाएगी तो अंततः यह सारी योजनाएं विफल होंगी। आप कितने ही दावे कर लें माननीय मंत्री जी जब धन नहीं मिलेगा तो आएगा कहां से। यह आपके बजट के परफार्मेंस के रखे हुए आंकड़े हैं मैं अपनी तरफ से कोई तथ्य नहीं दे रहा हूं। मान्यवर, महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। आबकारी विभाग को भी घाटा हो रहा है और यह घाटा कैसे-क्यों हो रहा है इस पर गौर करना पड़ेगा। मान्यवर, आजमगढ़ में अभी 24 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुयी है। आबकारी नीति को जिस तरह से बार-बार तोड़ा-मरोड़ा गया, मनमाफिक ढंग से जिस तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है और बार-बार सेंट्रलाइज करके, पहले एक बार प्रयास हुआ कि अगर कोई दारूमाफिया है तो एक का एकाधिकार खत्म करके इसको डिसेंट्रलाइज किया जाये लेकिन प्रकारांतर से उसके थोक व्यापार को एक जगह सेंट्रलाइज करके कभी किसी निगम के नाम पर, कभी किसी बोर्ड के नाम पर कभी किसी बॉडी के नाम पर पुनः ऐसा प्रस्ताव किया जा रहा है उससे दो नुकसान होंगे। लोगों की जान भी जा रही है आबकारी विभाग का राजस्व भी घट रहा है। जो राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष था वह घटा और लक्ष्य भी घट गया। इसलिए यह बहुत गम्भीर बात है।

मान्यवर, 10 हजार करोड़ रुपये आबकारी से प्राप्त हो सकते हैं और हमने इस दिशा में लक्ष्य बढ़ाया, तीनों साल लक्ष्य बढ़ाया। आप जब तीसरे साल में बजट लेकर जा रहे हैं तो आपने लक्ष्य घटाना शुरू कर दिया। इस साल पिछले साल से साढ़े पांच सौ करोड़ घटा दिया है। मान्यवर, स्टाम्प पंजीकरण के बारे में मैंने आपको बताया यह तो सबसे विचित्र स्थिति है कि पिछले वर्ष से भी लक्ष्य आपने इसका घटा दिया है। आपकी वसूली कोई अलग से होगी। मैं गाजियाबाद और नोएडा का अलग से जिक्र करूं तो यह ठीक नहीं है। लेकिन मान्यवर, कोई किसी के परिवार से सम्बन्धित है, कोई स्वयं में लगा हुआ है कोई भू-माफियाओं के माध्यम से लगा हुआ है और मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर मैं बोलूंगा तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। कानून-व्यवस्था पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल जी ने जो कहा है उसका उद्धरण देना चाहूंगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने राज्यपाल के सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश नकली नोटों की खपत और आतंकवाद का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। यह महामहिम राज्यपाल ने कहा है मान्यवर, मैंने नहीं। उनका तो सम्मान आप लोग करेंगे ही और जहां तक नकली नोटों का कारोबार जो फैल रहा है और आतंकवाद फैल रहा है इसके बारे में कानून-व्यवस्था की जब बात करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह कैसे होगा। संसाधनों की बात आ रही है।

मान्यवर, कोई एक शब्द नहीं है कि अग्निशमन के लिए संसाधन बढ़ाये जाएंगे। हमारे बलिया में 13/14 की रात आग लग गयी। बलिया चौक शहर के बीच में पड़ता है। बलिया शहीद

चौक आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और शहर का सबसे खूबसूरत स्थान है। रात को आग लगी, अगली शाम तक तीन कपड़े की दुकानें नहीं बुझाई जा सकीं और अगली शाम तक वह दुकानें जलती रहीं। दमकल गाजीपुर और मऊ से बुलाना पड़ा। मात्र एक फायर सर्विस की गाड़ी है बलिया में वह भी सड़ी हुयी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मैंने दैवीय आपदा से प्रबंध करके दो नई गाड़ियां बलिया भेज दी थीं। जैसे ही सरकार गयी तो कहा गया कि किसने, अम्बिका चौधरी ने भेजा है, खबरदार अगर रह गयी तो, जल्दी जिले से इसको वापस करो। फायर सर्विस के अधिकारियों ने बयान दिया कि पूर्ववर्ती सरकार में राजस्व मंत्री ने जो गाड़ियां भेजी थीं यह सरकार आते ही वह गाड़ियां वापस मंगा लीं। इस तरह की स्थिति है। लखनऊ शहर में रोज रिपोर्ट आती है कि 9वीं मंजिल में अगर आग लग जाएगी तो फायर सर्विस के पास इंतजाम नहीं हैं। आपने एक ओर इंतजाम करने की बात कही है कि हम बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं कि फलां-फलां इंतजाम हो जाएगा। आपकी अपनी स्थिति क्या है। मान्यवर, फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हमारे यहां क्या हालत है, इतनी जर्जर है कि उसकी एक भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मान्यवर, उसके अपग्रेडेशन का कोई इंतजाम नहीं। दो करोड़, पांच करोड़, 10 लाख कोई भी प्रबंध नहीं है। इनकी लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आती है माननीय अधिष्ठाता जी, सेक्शन 27 ऐवीडेंस एक्ट में एस सच उसको कोर्ट मान लेता है। सीधे-सीधे फोरेन्सिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट अगर यह गोली इस पिस्तौल से चली तो उसने रिपोर्ट दे दिया, मान लेंगे, अगर ब्लड की रिपोर्ट है तो मान लेंगे, मान्यवर, फिंगर प्रिन्ट की रिपोर्ट है उसको मान लेंगे, फोरेन्सिक लेबोरेटरी की जितनी रिपोर्ट्स हैं वह ज्यों की त्यों मान्यवर मान ली जाती है, उसकी यह हालत है, कैसे होगा ? और रोज माननीय अधिष्ठाता जी हम सब लोग इस बात पर चिन्ता करते हैं, कल माननीय मुख्य मंत्री जी यह स्वयं कह रही थीं कि हमने इतने सिपाहियों को बर्खास्त किया और इतने दरोगाओं को बर्खास्त किया। सात हजार या कितने आंकड़े बता रही थीं कि सस्पेण्ड किया, यह क्यों हो रहा है। वही लड़का बहुत निरीह होता है नौजवान जब ट्रेनिंग में जाता है तो ट्रेनिंग में उसके साथ जो बर्ताव जैसी स्थिति में उसकी ट्रेनिंग हो रही है माननीय मंत्री जी मैं राजनीतिक आक्षेप नहीं कर रहा हूं और हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया इसके लिए कोई सफाई भी नहीं दे रहा हूं। मैं आज आपसे उल्लेख करना चाहता हूं, आप सरकार में बैठे हैं, इसलिए आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि एक ओर माननीया नेता सदन जब इतनी संवेदनशील तरीके से यह बात कहती हैं कि हमको सात हजार लोगों को निलम्बित करना पड़ा और साढ़े चार सौ से अधिक पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करना पड़ा। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, ट्रेनिंग में जाता है उसके खाने का प्रबन्ध नहीं, उसके रहने का प्रबन्ध नहीं, उसके नहाने का प्रबन्ध नहीं और ट्रेनिंग में जिन अफसरों को भेजा जाता है उनको डम्पिंगयार्ड की तरह भेजा जाता है। प्रदेश में जिस अधिकारी को दण्डित करना हो उस अधिकारी को ट्रेनिंग सेण्टर में भेज दो। प्रदेश का डी0जी0पी0 हो तो उसको ट्रेनिंग सेण्टर मुरादाबाद भेज दो, ए0पी0सी0 चुनार में पहुंच जायेगा जिसको पनिस्मेण्ट देना हो, पी0टी0सी0 सीतापुर में पहुंच जायेगा जिसको पनिस्मेण्ट देना हो। इसलिए मान्यवर, ट्रेनिंग के दिन से ही उसके साथ जो अमानवीय बर्ताव होता है यह एक बड़ा कारण है हमारी इस पुलिसिंग में कि ट्रेनिंग के दिन जो अमानवीय

वर्ताव उसके साथ होता है आगे चल कर के अमानवीय वर्ताव के लिए वह तैयार हो जाता है कि अब इस खाकी को हमने पहन लिया तो अमानवीय ही बने रहना है। मैं जितनी गाली वहां खाऊंगा उतनी गाली जा करके मैं वहां दूंगा हमको मानवीय संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। उसको मनुष्य समझा ही नहीं गया। हमारे आपके सबके परिवारों के लड़के वहां जाकर ट्रेनिंग करते हैं लेकिन इस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तो लॉ एण्ड आर्डर की बात खाली आंकड़ों से पूरी नहीं हो सकती। आंकड़े तो आपके बहुत खिलाफ हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका चौधरी जी, कृपया संक्षिप्त करें, एक घण्टा हो गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, बस खत्म किया, लॉ एण्ड आर्डर की बात आप जानते हैं आखिरी है, लॉ एण्ड आर्डर लास्ट होता ही है। मान्यवर, इसके बाद भ्रष्टाचार भी है। इसमें मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर में तो विस्तृत वह बात आ चुकी है, आंकड़े इसलिए नहीं दोहराऊंगा कि परसों जो कुछ मैंने अभी पिछले दिनों जो इस सदन में दलितों और खासतौर से दलित महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार की जिन घटनाओं का उल्लेख किया मान्यवर, उसी को आज के दिन मान लिया जाय सरकार अगर उनको सुनती है तो यह आइना है सरकार के लिए और उसमें जो महिला आयोग ने रिपोर्ट दी, जो मानवाधिकार आयोग ने बात कही और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय बूटा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में रिपोर्ट दी है उसको मान लीजिए। मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शोध हुए हैं यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट दी उसको मान लीजिए और श्रीमन् इसलिए मैं इन बातों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए, एक जिस योजना की कल मैंने तारीफ की थी मान्यवर, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना मैंने कहा अच्छी योजना है लेकिन सचेत करना चाहता हूं सरकार को और ऐसे गड़बड़ी कैसे चलेगी वित्तीय गड़बड़ी के साथ नहीं चलेगी, फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया तो 18 वर्षों के बाद मिले, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की रसीद उसके अभिभावक के हाथ में दीजिए तब जा करके इसकी सच्चाई आयेगी वरना फिर इसमें हेराफेरी होगी, दूसरे हेड का पैसा दूसरे हेड में गड़बड़ी करने का काम सरकार करेगी, कल की तारीख में सत्यम से बड़ा घोटाला होगा, इसलिए इसकी एफ0डी0 मान्यवर, उसको दे दीजिए। एफ0डी0 यदि करा रहे हैं तो उस एफ0डी0 की कापी उसके गार्जियन को दीजिए वह आपकी कस्टडी में रहने लायक नहीं है।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई, दी जा रही है।)

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर दी जा रही है तो आपको धन्यवाद मंत्री जी बता देंगे फिर धन्यवाद दे दूंगा मैं तो तारीफ कर रहा हूं। शायद ही कोई ऐसा प्रतिपक्ष का सदस्य होगा जो माननीय नेता सदन के सामने उनको बधाई दे आपकी तारीफ करे और आपको बुरा लगे, आश्चर्य है। मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण की क्या स्थिति है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मदरसों को अनुदान की सूची में डालने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया और उसका हम दोबारा उल्लेख करना चाहते हैं श्रीमन्, एक लाख पचास हजार मदरसों में तालीम देने का काम होता है मान्यवर, लेकिन अभी तक उनको

मान्यता नहीं दी गई है और उनको अनुदान की सूची पर लेने का काम पता नहीं आप कैसे करेंगे। मान्यवर, पर्तानिया, फौतानिया, आलिया स्तर के मदरसे हमारे प्रदेश में हैं और उनको मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर अल्पसंख्यकों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों से दुश्मनी करने का काम इस सरकार को नहीं करना चाहिए यह हम कहना चाहते हैं और श्रीमन्, उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति, उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति उस सरकार ने करने का जो काम किया आज स्थिति क्या है ? उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित करने का काम मान्यवर समाजवादी पार्टी की सरकार के माननीय मुंखिया मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आज वह उर्दू की पट्टिकायें हटायी जा रही हैं अंग्रेजी की लग रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने उर्दू को यहां पर दूसरी राजभाषा के रूप में लागू करने का काम किया तो आप इस तरह से दुश्मनी साध रहे हैं। मेरा कहना है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, इसी तरह से जौहर विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ यह सब जानते हैं। यहां पर आश्वासन दिया गया कि उसकी पूरी सुरक्षा होगी लेकिन उसके बावजूद पीएसी की उपस्थिति में वहां पर बुल्डोजर चलवा दिया गया। भ्रष्टाचार की क्या बात की जाय एक जगह हो तो बतायें वह तो ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो रही है और यह सरकार उसके आंकठ में डूबी हुई है। कारपोरेशन के माध्यम से आपने जो प्रदेश के खजाने को लूटने का तरीका अपनाया है वह विचित्र है। अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है 35 हजार रु0 तनख्वाह देनी है और गाड़ी देनी है तो आपने उनको वहां पर बैठा दिया। आज कारपोरेशन्स के कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं अगर वहां की बिजली कटी हुई है तो उसको जुड़वाने के लिये पैसा नहीं है। उन जगहों पर आप एक उपाध्यक्ष और चार सदस्य बिठा दे रहे हैं। आप उनके माध्यम से खजाने की रकम को ड्रेन आउट कर रहे हैं। यह आपका आपराधिक कृत्य है। इसका आपको अधिकार नहीं है। जिन कारपोरेशन्स में कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर आप अपने आदमी इस तरह से बिठाने का काम कर रहे हैं। जहां कहीं कोई कारोबार नहीं है वह कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं वहां पर आप अपने पांच लोगों को बिठा रहे हैं। यह वित्तीय अपराध है। सरकार में आ जाने से आपको इस तरह से काम करने का अधिकार तो नहीं मिल जाता है। आप यह नहीं कर सकते कि खजाने को लूट लो शासनादेश जारी हो गया है। जिसमें आवश्यकता है उसमें रखिये। लेकिन जो नान-फंक्शनल है वहां के लिये तो इस तरह का आपका कृत्य बन्द होना चाहिये। इस पर सफाई होनी चाहिये। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उसके लिये कितना परसेंट कमीशन है और कितनी दलाली है। लेकिन जो आप इस तरह से प्रदेश के खजाने को लुटवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं उसको रोकें। मैं आपको इस बारे में चेतावनी देना चाहता हूं यह अपराध है। प्रदेश में सरकार के रूप में पीठासीन हो जाने से यह अर्थ नहीं हो जाता कि आप खजाने का मुंह इस तरह से खोल दें। इन पर आपको बहुत कुछ सोचना होगा।

मान्यवर, जो हमारे प्रदेश की आज स्थिति है बड़े राज्यों में उसमें जो 20 राज्य हैं उसमें 16वें स्थान पर हमारा प्रदेश है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन 16वें स्थान पर हम हैं यह चिन्ता का विषय है। इसका क्रम ठीक करने के लिये हम लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिये और विकास को बढ़ाना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से पुलिस भर्ती

मामले में हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं उनको कहूंगा तो आपको वह अवमानना लगेगी। उसमें ऐसी टिप्पणियां हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण 18 हजार नौजवानों के भविष्य को खराब किया गया है। उन्हें बर्खास्त किया गया है। यह हाईकोर्ट के डबल बेंच की टिप्पणी है, सिंगल बेंच की टिप्पणी है।

आपने जेन्डर बजटिंग की बात कही है। आज बजट में महिलाओं और लड़कियों का एजेण्डा ऊपर नहीं आया है। आपने इस बार जेन्डर बजटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे उनमें निराशा आई है।

मान्यवर, ब्रेन मैपिंग की बात आई है, आपको उसकी रिपोर्ट के लिये बंगलौर भेजना पड़ता है कितना खर्च आता है यह आप जानते हैं। अभी आपके एक मंत्री जी का ऐसा मामला आया था जिसमें ब्रेन मैपिंग की जरूरत पड़ गई थी। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन बंगलौर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास ब्रेन मैपिंग की मशीन है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी तक उसका रैपर भी नहीं खुला। मशीन खोली नहीं गई टेक्नीशियन उसको देखता नहीं और हम अपने स्टेट एक्सचेकर का बड़ा भारी पैसा बंगलौर भेज करके टेस्ट करवाते हैं। हमारे पास जो चीजें हैं हमें उनके लिये वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, बस आपके आंकड़े में कुछ विरोधाभास है अन्तिम तौर पर उसका खाली उल्लेख कर दूंगा इसको ठीक कर लीजियेगा। दो में से कौन सी गड़बड़ी है उसको बता दीजियेगा ताकि यह स्पष्ट हो जाय, हो सकता है कि गलती से छप गया हो या हो सकता है कि कई बार हेराफेरी करने में आदमी को ध्यान नहीं रहता है यहां का वहां गड़बड़ छप जाता है।

मान्यवर, यह पुलों के बारे में आपने एक बात कही है यह ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिये 3,609 करोड़ रुपया है फेज 12 पर और फेज 31 पर ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्य हेतु 2,245 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था में प्रावधान है। आपके दोनों फीगर्स में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अन्तर है इसको दिखवा लीजियेगा माननीय मंत्री जी, क्योंकि इसको हम लोग ही अकेले नहीं पढ़ते हैं यह प्रदेश के बाहर भी पढ़ा जाता है। आपका अपमान होगा तो हमारा भी होगा लोग कहेंगे कि राइये, इस तरह से यह बी0एस0पी0 की सरकार हेराफेरी में लगी है कि अपने भी आंकड़े बजट भाषण के भी ठीक नहीं हैं तो मान्यवर, इसको दिखवा लीजियेगा एक ही फिगर के लिये दो आंकड़े रखे गये हैं। पुलों की बात आप कर रहे हैं आपने नहीं बताया कि कितने पुल बनायेंगे क्या बनायेंगे सड़कों का सुदृढ़ीकरण क्या हो ? कल माननीय अध्यक्ष स्वयं कह रहे थे पीठ पर बैठ करके सुल्तानपुर से बलिया तक के सड़क की क्या हालत है। मान्यवर, मैं उसका अलग अलग जिक्र क्या करूं सिर्फ एक उल्लेख करना चाहता हूं सिर्फ एक छोटा सा कि बिहार में हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश से बिहार में जाइये त्यों नींद खुल जाती थी और हम कहते थे कि बिहार आ गया और बिहार में बक्सर की सीमा से ज्यों बलिया में प्रवेश करते हैं माननीय मंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं आइयेगा मैं स्वागत करूंगा, ज्यों बक्सर का पुल खत्म होता है भरौली की ओर आते ही ऐसी स्थिति है कि 500 मीटर की दूरी तय करने में आपको 12 से 14 मिनट से कम नहीं लगेंगे, 500 मीटर के लिये 15 मिनट यह स्थिति है और एक्सीडेन्ट के लिये वहां 3 दर्जन एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो अन्तर्राज्यीय सीमा पर है उसकी स्थिति यह है और

पिछले 10 महीने से लगातार कहने के बावजूद 500 मीटर की वह सड़क जो नेशनल हाइवे को जोड़ती है अन्तर्राज्यीय सीमा को, नेशनल हाइवे 19 को जोड़ती है उसकी हालत यह है। श्रीमन्, एक ओर मैं दिखाना चाहूंगा आपने बड़ा जोर से कहा कि दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो रेल की स्थापना की जा रही है लगा जैसे आपने कर दिया, इसमें आपका क्या है क्या किया है आपने, वह बताते कितना पैसा दिया है। मान्यवर, 2006-07 में प्रदेश सरकार द्वारा 736 करोड़ रुपया दिया गया था उस परियोजना के लिये। मेट्रो के लिये स्वीकृति और 736 करोड़ रुपया 2006-07 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में दिया गया था और आप छाप करके कि दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो रेल की स्थापना की जा रही है। ऐसे ही मान्यवर, सिंचाई और बाढ़ पर है उसका मैं नहीं उल्लेख करूंगा इन चीजों को ठीक कर लीजियेगा क्योंकि जब गड़बड़ी होती है तो बड़ी दूर तक बात चली जाती है। सुरक्षित प्रसव की एक बात कही गई है वह बहुत संवेदनशील बात है इसके बारे में एक चिन्ता इस बात की है कि देश के महामहिम उप राष्ट्रपति जी और आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस महकमें के भी मंत्री हैं और इन्होंने महामहिम उप राष्ट्रपति जी का भाषण सुना होगा हम लोगों ने पढ़ा उसको, महामहिम उप राष्ट्रपति जी ने चिन्ता व्यक्त किया स्वास्थ्य की ओर खास तौर से जच्चा बच्चा की स्थिति में औरतों की जो स्थिति इस प्रदेश में है वह अत्यन्त भयावह स्थिति है और मृत्युदर कितनी है।

मान्यवर, 500 में मृत्युदर है 42 उत्तर प्रदेश में आंकड़ों का उल्लेख महामहिम उप राष्ट्रपति जी ने किया है मैं उसका उद्धरण देना चाहता हूं नहीं हो, तो आप कह दीजियेगा कि नहीं कहा और महामहिम उप राष्ट्रपति जी ने जिस बात पर चिन्ता व्यक्त किया उसको भी आपने अपने बजट भाषण में प्राथमिकता देने का काम नहीं किया है। इससे आपकी दृष्टि का पता चलता है। गवर्नर ने जो कहा, महामहिम उप राष्ट्रपति जी ने जो कहा, हमारा तो आप मानेंगे नहीं। हमारा तो यह है कि जो हम कहेंगे उसे आप खारिज करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बन्द करो तो हम जरूर करेंगे, दो गुना करेंगे। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का मैंने आपको बता दिया और आखिर में यह देख लीजिये कि कैसे बांदा हिसाब किताब किया है। हिसाब इन्होंने जोड़ा कि समस्त लेनदेन का शुद्ध परिणाम, उसके पहले लिखा कि कहां से कितना धन आयेगा और कहां से कितना धन जायेगा। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जितना घट जाये उसको लिख दीजिये। जैसे 15 हजार करोड़ घट जाये तो 15 हजार करोड़ का प्रतिकर हम आपसे ले लेंगे। डा0 पी0के0 राय के पास 15 रुपया है कि 5 रुपया है इनका रुपया कभी लौटायेंगे कि नहीं लौटायेंगे यह अलग बात है। बड़ा आपने इंतजाम किया आप जब सरकार में आये और पहला बजट आपने बनाया तो लोक लेखा से आपने लिया 1823 करोड़ और मान्यवर, जब अगला साल आया तो गड़बड़ी आपकी बढ़ गई तो फिर आपने फीगर चढ़ाकर कर दिया 3475 करोड़ और कहा कि यह घाटे का बजट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जब राजस्व घाटा हो गया तो फिर घाटे का बजट हो गया।

मान्यवर, फीगर के लेनदेन को ठीक करने के लिये आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिये, संतोष देने के लिये, अपने को झूठी तसल्ली देने के लिये माननीय अधिष्ठाता जी, अगर कबूतर आंख बन्द कर लेगा, तो बिल्ली चली नहीं जायेगी। यह जो गम्भीर वित्तीय संकट प्रदेश के सामने उपस्थित हो रहा है, यह प्रदेश को माफ नहीं करेगा। एक बात यह आप लोग जान लीजिये लोक

लेखा से जो कर्जे का रुपया है, कर्जे में प्रदेश बढ़ता जा रहा है लोक लेखा से कर्जा 12,215 करोड़ पहली बार यह प्रदेश में हो रहा है। पिछली बार से चार गुना ज्यादा आपने लोक लेखा से लिया है और हिसाब किताब ठीक करने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी यह ऐसे हिसाब किताब ठीक होने वाला नहीं है इसलिये जबरदस्ती के इस बजट में कोई सकारात्मकता नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश का कोई प्रबन्ध नहीं है। जनता की बेहतरी के लिये किसी मजबूत योजना का संकल्प नहीं है। पत्थरों पर लुटाये जाने के अलावा दूसरी कोई योजना आपके पास है नहीं। किसानों को तबाही से बचाने के लिये आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। पिछड़ों के आप विरोधी हैं और इन तमाम चीजों के बावजूद पूरी तरह नारी सशक्तीकरण के लिये जेन्डर बजटिंग का प्रावधान आपने किया नहीं है। इन सारी स्थितियों में मान्यवर, इतना निराशाजनक बजट है और अबसे भी यदि आपकी दृष्टि संभलती है तो इस प्रदेश को कर्जे के जाल से बचाने का आप प्रयास कीजिये। आप और हम बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 जो इस सदन ने पारित किया है उससे बंधे हुए हैं, उसका ध्यान आपको रखना चाहिये और किसी भी हालत में राजस्व घाटे को 2010 की समाप्ति तक शून्य करने का प्रयास करना चाहिये, यह अपने कुछ सुझावों के साथ मैं आज अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आपके पीछे कोई सुनने वाले नहीं बचे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरे पीछे के लोगों को मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, वह मेरा आचरण जानते हैं। आपको मैं सुनना चाहता था, मेहरबानी, आपने जो मेरी बात सुन ली।

आय-व्ययक सामान्य चर्चा में बोलने हेतु समय-सीमा का निर्धारण

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था है कि दलों के जो सम्मानित दलीय नेता हैं, उन्हें 15 मिनट और माननीय सदस्यों को 5 मिनट बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। मैं अब नेता भारतीय जनता पार्टी को बुलाता हूं।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश किया गया है, यह केवल आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है। विशेष रूप से, किसान के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। किसान की जब बात देखेंगे तो इस प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग किसान या किसानी से जुड़े लोग हैं और किसान, जो कृषि का बजट आपने प्रस्तुत किया है, जो टोटल बजट है 1,33,596.98 करोड़ रुपये और उसमें जो कृषि के लिये दिया गया है वह 11.064 करोड़ रुपये है जो टोटल बजट का लगभग 11 प्रतिशत से कुछ ज्यादा बैठता है। 80 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं और आपका स्वयं मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में जो कृषि का योगदान है वह 28.4 प्रतिशत है, पहले 1991-2000 में इससे ज्यादा 35 प्रतिशत का था। वर्ष 2007 से 28.4 प्रतिशत रह गया है और बजट केवल 11 प्रतिशत दे रहे हैं और कृषि के बारे में

आप बात करते हो। अभी 11 तारीख को इस विधान सभा के बहुत नजदीक लखनऊ में ही एक किसान ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या की। इस प्रदेश के किसान कर्ज में डूबे हुए आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार वाहवाही लूट रही है और किसानों के बारे में बात कर रही है। सोहन लाल नाम का किसान जो रजमन गांव का रहने वाला था, खेती करता था उसके बच्चे थे, कर्ज में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली। यह लखनऊ के पास का किस्सा है। जिस प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हों, वह सरकार किसानों के बारे में बात करें। वैसे भी इस बजट में जो व्यवस्था की गई है 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में किसान की पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो कैसे रोटी मिलेगी, कैसे लोगों का पेट भरेगा ? 1991-2001 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी, वह उत्तर प्रदेश में 25.85 प्रतिशत बढ़ी और भारतवर्ष में 21.53 प्रतिशत। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और आज इससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई होगी। इस पूरे बजट में जो मेंजें थपथपा कर वाहवाही लूटी गई है। इस जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण करेंगे इसके लिये एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की तुलना में तेजी से बढ़ रही हो, कृषि की पैदावार तेजी से न बढ़ रही हो और कृषि का जो योगदान है 28.4 प्रतिशत, आप उसके अनुसार बजट व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि किसानों के हम हितैषी हैं। यह सरकार किसानों की घोर विरोधी तथा संवेदनशून्य है। आलू ने किसान को तबाह करके रख दिया है। यहां बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं। अबकी बार आलू जो कोल्ड स्टोरेज में जमा था उसको किसानों ने उठाया नहीं किराया दे करके उसको वहीं छोड़ दिया। आज किसान भुखमरी के कगार पर है। बजट में कह रहे हैं कि आलू का दाम 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। 300 रुपये में जो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह भी पूरा नहीं हो पायेगा। मा0 वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे तो बतायेंगे कि आपने आलू की खरीद कितनी की है।

आलू की हालत बहुत खराब है, आलू सड़ गया उसे किसानों ने उठाया ही नहीं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, गन्ना किसानों के बारे में में सरकार को आदेश देना चाहिए, हममें से सभी इस विधान सभा के सदस्य हैं इस विधान सभा में इस समस्या का निपटारा होना चाहिए लेकिन इस सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस सरकार में आश्वासन मिला कि हम किसानों के अवशेष भुगतान पर 15 परसेन्ट ब्याज के रूप में देंगे। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि किसी भी मिल द्वारा 15% ब्याज नहीं दिया गया है यदि दिया हो तो जब वित्त मंत्री जी जवाब दें तो इस बात का भी उल्लेख करें कि किस मिल ने किसानों के अवशेष भुगतान पर ब्याज दिया है। 97 परसेन्ट भुगतान की बात करते हैं मेरे क्षेत्र में अगौता मिल है, 2002-2003 का पांच करोड़ बयालीस लाख रुपया अभी तक नहीं दिया। पिछले साल का अवशेष भुगतान नहीं दिया गया जबकि आज 2500 रुपये प्रति बोरी चीनी बिक रही है। मान्यवर, किसानों के बारे में, गन्ना के बारे में यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पायी। एक मिल का जो आरक्षित क्षेत्र है जैसे मान्यवर, अगौता क्षेत्र का गन्ना सिम्भावली मिल पर जायेगा तो वहां पर उसे 180-200 रुपये देंगे, सिम्भावली मिल क्षेत्र का गन्ना, बुलन्दशहर में अगौता पर आयेगा तो उसे 180-200 रुपये देंगे लेकिन जो अपने आरक्षित क्षेत्र का गन्ना है उसका रेट कम देंगे। यह सरकार किसी चीज की व्यवस्था नहीं कर पायी है हां केवल आदेश जारी करते हैं कि इसकी जांच की जायेगी। यह सरकार

आदेश-निर्देश बहुत जारी करती है, काम कुछ नहीं हुआ करता है। जनसंख्या के बारे में, उस पर कैसे नियंत्रण होगा उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो लिंगानुपात में अन्तर आ रहा है उसे आप कैसे रोकेंगे इसके बारे में कहीं कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गई है जो होनी चाहिए थी। एक कृषि से जुड़ा हुआ ही विभाग है पशुपालन विभाग, मान्यवर, किसान का और पशु का आपस में तालमेल है, पशु स्वस्थ होगा तो किसान की खेती अच्छी होगी। मान्यवर, चार साल से हमारे विधान सभा क्षेत्र में पशुओं के अस्पताल बने खड़े हैं लेकिन आज तक वहां पर कोई डाक्टर, कम्पाउन्डर नहीं गया। हमने प्रश्न भी किया था तो उत्तर मिला कि अभी पद सृजित नहीं हुए हैं। इसके लिए हम बार-बार अनुरोध कर चुके हैं लेकिन यह सरकार जो किसानों के हितों की बात करती है, अस्पताल के लिए चार-पांच साल से बिल्डिंग बनी खड़ी है, जंगले टूटने शुरू हो गये हैं, दीवारें टूटनी शुरू हो गई हैं लेकिन अभी वहां पर किसी डाक्टर की तैनाती नहीं हुई है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्राइमरी एजूकेशन के बारे में काफी बातें हुई हैं, बजट में पैसा भी दिया गया है, मा0 वित्त मंत्री जी मेरा सुझाव है कि प्राइमरी एजूकेशन में बहुत धनराशि आ रही है, हम सब लोग जानते हैं और सभी को चिन्ता भी है कि यह मिड-डे मील योजना के तहत जो पका हुआ भोजन विद्यार्थियों को दिया जाता है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है। हमने अपने क्षेत्र में करीब-करीब 80 विद्यालयों में जाकर स्वयं देखा है मिड-डे मील पके हुए भोजन की व्यवस्था ने प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को ठप्प कर दिया है। आज शिक्षा मित्रों और प्राइमरी स्कूल के सभी अध्यापकों का केवल यह काम रह गया है कि बच्चों को पका पकाया भोजन दे दें। मेरा कहना है कि पका हुआ भोजन न देकर मिड-डे मील के लिए जो पैसा आता है उस पैसे से उसके परिवार को गेहूं या चावल दे दिया जाय इससे निश्चित रूप से जो मिड डे मील में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं वह नहीं होंगी।

श्री अधिष्ठाता-

पांच मिनट हो गए। अब समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं अभी इस बजट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो ऐसे असेवित ब्लाक हैं जहां विद्यालय नहीं हैं। वहां पर लड़कियों के विद्यालय खोले जायेंगे। इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है और 30-40 लाख रुपये उन विद्यालयों को दिये जायेंगे। हमारे जनपद बुलन्दशहर में अगौता विकास खण्ड है वहां पर 2005 में ग्राम किसौली में रामकृष्ण कन्या विद्यालय खोला गया इसके लिए 10 लाख की पहली किस्त मिली प्रबन्धतंत्र ने 20 लाख की व्यवस्था कर दी। भवन पर 20 लाख खर्च कर दिये उपभोग प्रमाण-पत्र आ गया लेकिन 2005 से लेकर वह प्रबन्धक लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं उसकी जूतियां घिस गईं लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली। मैंने विधान सभा में क्वैश्चन भी किया। भगवान जाने लेकिन किस्त कैसे नहीं मिली। विद्यालय कैसे बनेगा। प्राइमरी हेल्थ के बारे में व्यवस्था बिल्कुल ठप्प है जो पी0एच0सी0 सेन्टर हैं वहां डाक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है गरीब जो 80 प्रतिशत गांवों में रहते हैं उनको

इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है उसके पास पैसा नहीं है यह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

उत्तर प्रदेश में 76.9 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है ऐसे किसानों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिसके पास एक हेक्टेयर या एकड़ दो एकड़ से कम जमीन है वह अपने परिवार को कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ायेगा उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। उनको रोजगार कैसे मिलेगा जो छोटे किसान हैं जिनकी आबादी 76.9 प्रतिशत है अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा और व्यवस्था ठप्प हो जाएगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

76.9 प्रतिशत जो कास्तकार हैं वह अपने बच्चों को 12वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ा सकते हैं उनके बच्चे उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं। आपने एस0सी0एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को छात्रवृत्ति दी है लेकिन जो दूसरी बिरादरी है जो उच्च जाति के लोग हैं उनके बच्चों के लिए जब तक पढ़ाई की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको 15 मिनट का समय दिया। ओ0पी0 सिंह जी, आप बोलें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2009-2010 के साधारण आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया है, मान्यवर, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही व श्री ओ0पी0 सिंह जी के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

ओ0पी0 सिंह जी, एक मिनट। सिरोही साहब बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, एक मिनट इन्हें सुन लेने दीजिए। सिरोही जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप्प हैं मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के 33 जनपद आतंकवाद की चपेट में है उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। बजट में उसके लिये विशेष प्राविधान होना चाहिए था कि यह आतंकवाद कैसे रुके ? आतंकवादियों पर किस प्रकार

से नियंत्रण हो, यह सरकार कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। किसानों के विरोधी हैं, किसान की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। गन्ने का भुगतान ठीक नहीं, डाक्टरों की व्यवस्था नहीं, प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था ठप्प हो गई हैं यह सरकार किसान विरोधी है सर्वजन हिताय का नारा देती है लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

(तीन चार माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(माननीय अधिष्ठाता द्वारा श्री ओ0पी0 सिंह का नाम पुकारने पर)

* श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा रखे हुए 2009-2010 के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आजाद भारत के इतिहास में बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में एक ऐसी शानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसकी दूसरी मिसाल पूरे देश में मिलना मुश्किल है। मान्यवर, एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, ऊपर से जंगल राज को समाप्त कर प्रदेश में कानून के राज की स्थापना करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, जाहिर है कि बहिन जी की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी हुई सरकार है। मान्यवर, चंद हताश और निराश लोगों के मेज पर चढ़कर जोर-शोर से गला फाड़कर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती है। मान्यवर, अगर ऊपर उठना है तो अपनी छोटी सोच को बदलना पड़ेगा। अपने स्वार्थ और लोभ को छोड़कर अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपके कुशासन को समाप्त कर बहिन मायावती जी ने प्रदेश में एक सुशासन की स्थापना करने का काम किया है। मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों, किसानों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये यह सरकार कृत संकल्पक है। मान्यवर, अभी सिरोही जी कह रहे थे। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं को रोकने के लिये प्रदेश में एन0एस0ई0 की तर्ज पर दो हजार कमान्डो को ट्रेंड करने का निश्चय हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, इस बजट में हमने बालिकाओं की शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिये सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना को चालू करने का काम किया है।

मान्यवर, इस योजना में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका को हमारी सरकार 15 हजार रुपये की धनराशि और आवागमन के लिये एक साइकिल देने का काम करेगी वही बालिका जब बारहवीं कक्षा में जायेगी तो पुनः उसे 10 हजार रुपये दूसरी किश्त में देने का काम हमारी सरकार करेगी। मान्यवर, पहली बार प्रदेश में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार ने मान्यवर, श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना को लागू करने का काम किया है। मान्यवर, हमने प्रदेश में शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या को रोकने तथा लड़कियों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिये बालिकाओं के जन्म को समाज में बोझ न मानने के उद्देश्य से 15 जनवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश में महिला गरीब आर्शीवाद योजना को लागू करने का काम किया। इस योजना में मान्यवर, हमने बालिका के पैदा होते ही उसके परिवार में एक ऐसी व्यवस्था की है कि जब वह बालिका 18 वर्ष की बालिग होगी तो उसको एक लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, आप यह अच्छी तरीके से जानते हैं ऐसे तो आपके सामने लोकतंत्र में दोनों खेमे बैठे हैं, मान्यवर, उनका स्थान भी बदलता रहता है। कल तक माननीय अम्बिका चौधरी जी इधर बैठते थे, आज उधर बैठ रहे हैं। लोकतंत्र में उनका स्थान भी बदलता रहता है। आज जो नहीं बदलना चाहिए वह भी बदल गया है। मान्यवर, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए जिस तरह का आचरण किया जाता है यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाली संवैधानिक और राजनैतिक पार्टी और उसके नेता का दायित्व नहीं हो सकता है। मान्यवर, जिसकी जैसी सोच वैसे उसके उद्गार मान्यवर, एक हताश और निराश राजनीतिक दल से क्या उम्मीद की जा सकती है। मान्यवर, यह समझना जरूरी है कि ऐसी स्थितियां बनी क्यों ? अभी अम्बिका चौधरी जी बोल रहे थे तो कह रहे थे कुछ लोगों को कि पिछली सरकार में जो कल्याणकारी योजनायें लागू करने का काम किया था इस सरकार ने उन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का काम किया। मान्यवर, इस सदन में जो महामहिम राज्यपाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिस तरह से विरोध किया जाता है उससे लगता है जिन लोगों का आपस में विरोध है वह सदन की कार्यवाही में परिलक्षित करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अपने काले अध्याय और काले इतिहास को मिटाने के लिए यह दल उस राजनैतिक पार्टी के पास जाकर के बैठ गया जिस दल के कारपोरेट नेता को जब केन्द्र की सरकार बन रही थी और जब वह बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गये तो उन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। मान्यवर, इन्हें तो कुर्सी से मतलब है कुर्सी चाहे प्लास्टिक की हो चाहे कुर्सी लोहे की हो, कुर्सी मिले या न मिले मान्यवर, कम से कम सौदा तो पटना ही चाहिए। मान्यवर, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इनके ऐसे हालात है जैसे इन्हें हमदर्दी होती है क्योंकि यह उस हालत को पहुंच गये है कि 'न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।' न कुर्सी मिली न सौदा पटा। मान्यवर, मैं जानता हूं कि अम्बिका चौधरी जी अच्छी तरह इन बातों को समझते हैं कि जिस तरह से एक राजनीतिक दल जिस तरह से लोकतंत्र को बनाने के लिए चार स्तम्भों की जरूरत होती है उसी तरह से इनकी राजनैतिक पार्टी के चार आधार मूल तत्व हैं वह हैं छल, प्रपंच, कपट, झूठ के खम्भों पर टिकी इनकी राजनीतिक पार्टी की बुनियाद इनके साथियों के समझ में आ गयी। इसीलिए मान्यवर, दो दर्जन से ज्यादा सांसद और विधायक 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीति से प्रभावित होकर बहन मायावती जी के पास आकर के उनमें आस्था व्यक्त करने का काम किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

अम्बिका चौधरी जी जानते हैं कि बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रतीक्षारत है। प्रतीक्षा सूची में बैठे हैं, मान्यवर, आज हकीकत तो यह है कि विपरीत राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने बहन मायावती जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर एक जुट होकर बैठने का काम किया है। मान्यवर, जब बाढ़ गांव में आती है तो जिस तरह से विपरीत विचारधारा के लोग एक ही डाल के नीचे बैठते हैं और किसी तरह से जान बचाने का काम करते हैं उसी तरह से बहन मायावती की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर राजनीतिक दल जो विपरीत विचारधारा के हैं वह सब एक डाल पर जाकर बैठ गए हैं। इसीलिए मस्जिद को गिराने वाले और बचाने वाले लोग एक मंच पर आकर बैठ गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी आप अच्छी तरह से जानते हैं यह दोनों सीटें जिसमें एक पर हमारे आज़म भाई बैठा करते थे आजकल वह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इधर कई दिनों से अखबारों में उनके कई बयान देखने को मिले। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि आज़म भाई जिनकी बगल में बैठा करते थे आज उनके दल में वह व्यक्ति बैठ गया है जिसको कभी बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए एक दिन की सजा देने का काम सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। इसीलिए मान्यवर, उनके दर्द को आसानी से समझा जा सकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। क्योंकि कानून व्यवस्था पर बहुत सी बातें माननीय नेता सदन द्वारा रखी जा चुकी हैं। मान्यवर, हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि लखनऊ के हजरतगंज में किस तरह से बोनट पर उल्टा लटकाकर घुमाने का काम कुछ लोहियावादियों ने किया था। हम मान्यवर, इस बात की भी चर्चा नहीं करेंगे कि फिरोजाबाद में किस तरह एक पुलिस कप्तान को सत्ताधारी विधायक ने खुलेआम पीटने का काम किया था। मा0 अधिष्ठाता जी, आप जानते हैं, जब लोग चर्चा करने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें किसानों से बड़ी हमदर्दी हो जाती है। इस गरीब प्रदेश के गरीबों से बड़ी हमदर्दी हो जाती है लेकिन जब वह सत्ता में बैठते हैं तो हमदर्दी खत्म हो जाती है। इस प्रदेश ने उस दौर को भी देखा है जब समाजवादी पार्टी की सांसद के नृत्य की कीमत इस गरीब प्रदेश की गाढ़ी कमाई से 30 लाख रुपये देने का काम आपकी सरकार ने किया था। मान्यवर, इस तरह प्रदेश ने उस दौर को भी देखा है जब चन्द घुंघरूओं की थाप के लिए इन्होंने अपनी ही राजनैतिक पार्टी की सांसद को लोहियावादियों के मनोरंजन करने के लिए 30 लाख रुपये इस गरीब प्रदेश की गाढ़ी कमाई से देने का काम किया था।

मान्यवर, आज प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, प्रदेश में रहने वाले 18 करोड़ लोगों की सरकार है। मान्यवर, अभी

अम्बिका चौधरी जी अपना बजट भाषण दे रहे थे, चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तो कह रहे थे कि जब गड्ढे आते थे तो लोग याद करते हैं कि अब बिहार आ गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग फैसला इस तरह करते हैं कि जब गड्ढे आ जायें तो लोग जान जाते हैं कि अब यह बिहार आ गया। मैं भी मान्यवर, ट्रेन से आ रहा था, मुझे एक पश्चित बंगाल के साथी मिले तो उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेन से चले तो तमाम लोगों ने तमाम तरीकों से बताने का काम किया, किसी ने हाथ निकाल करके सूंघा और कहा कि यहां चावल की खुशबू आ रही है, पश्चिम बंगाल आ गया। तब तक एक ने हाथ निकाला और कहा, नहीं-नहीं, उत्तर प्रदेश आ गया है। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसने हाथ निकाला और एक मिनट बाद अन्दर कर लिया, कहा, उत्तर प्रदेश आ गया। उसने पूछा, भैया, आपने कुछ देखा भी नहीं, कैसे बता दिया। कहा कुछ भी नहीं घड़ी निकाल ली गई। मान्यवर, ऐसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश था, हमने प्रदेश में गुण्डों की कमर को तोड़कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। मान्यवर, तमाम बजट पर इन्होंने बातें कहीं, अभी कह रहे थे कि कोई खड़ा होता है तो डांटा जाता है। मान्यवर, मुझे लगता है, अम्बिका जी अपने समय का दौर भूल गए। इसी सदन में मान्यवर, यहीं पर मा0 अम्बिका जी बैठते थे, उच्च शिक्षा के बजट पर 71 करोड़ रुपये में 70 करोड़ अपने ही एक विद्यालय को जिसके मैनेजमेन्ट के लोग, इन्हीं के कारपोरेट दल के लोग हैं, उनको देने का काम किया।

मान्यवर, आप भी उस समय उसके गवाह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम लोग उसके गवाह रहे हैं, हम लोग वहां पर बैठे थे, हमने केवल यह कहा कि उच्च शिक्षा के बजट 71 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ आपने एक जनपद के एक विद्यालय को, जिसकी प्रबन्धकीय व्यवस्था आपके हाथ में है, उसको देने का काम किया है। तत्काल नेता सदन भी उस समय खड़े हो गए और नेता सदन ने जब इशारा किया तो मा0 अम्बिका चौधरी जी भी खड़े हो गए और मान्यवर, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, वह सदन की कार्यवाही में है। मान्यवर, मा0 अम्बिका चौधरी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब यह बोलते हैं लेकिन यह तभी तक अच्छे लगते हैं, जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं आते हैं। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, यह तो जांच का विषय है। मान्यवर, आप तो डाक्टर भी हैं, आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि आखिर क्या हो जाता है, इतने शिष्ट, इतने सभ्य, इतने अच्छे सदस्य, पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष के आते ही उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जिन्हें लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी इस बजट का विरोध कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वह लोग बहुजन समाज पार्टी की इस सरकार द्वारा महान कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकारें और स्वीकार करके अम्बिका जी, कोई देर नहीं हुई है, आइये, समर्थन करिए और यह कहलाइए कि देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने पर अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस चर्चा को प्रारम्भ करने के पहले मैं आपको एक वाक्या बताना चाहता हूं। हमारे यूवीवर्सिटी के एक मित्र जो एक बहुत अच्छे उद्योगपति हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र बेरोजगारों से भरा पड़ा है हम लोग चाहते हैं कि यहां उद्योग विकसित हों। हम लोगों ने प्रयास किया। उन्हें एक फर्नेस की मिल लगानी थी तो लगातार तीन-चार महीने तक प्रयास करने के बावजूद भी वह सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए जिससे उनके उद्योग की नींव रखी जाती। उन्होंने कहा कि यहां पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि मैं जिस विभाग में जाता हूं तीन-चार दिन तक जाना पड़ता है और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं और समय भी नहीं मिलता। इस वाक्ये के पश्चात करीब एक वर्ष पश्चात वह मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि किस तरह देश के अन्य राज्यों में व्यवस्था है। वह पांडिचेरी गये। पांडिचेरी में उन्होंने डी0एम0 को फोन किया कि हम एक फर्नेस मिल आपके यहां लगाना चाहते हैं तो प्रदेश का मुख्य सचिव और प्रदेश के उद्योग मंत्री जहां पर हमारे मित्र ठहरे थे उनके पास आ गये और उन्होंने 7 दिन के अन्दर सारी औपचारिकताएं जहां वह ठहरे थे वहीं पूरी करा दीं और उनका रिश्वत में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जिस प्रदेश के 17 करोड़ नागरिक हैं, जिस समय बंगाल से नैनो के हटने की प्रक्रिया चल रही थी तो प्रदेश की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि हमारे यहां वह उद्योग स्थापित हो। गुजरात के मुख्य मंत्री गये उन्होंने प्रयास किया तो वह उद्योग वहां स्थापित हुआ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सरकार दशा और दिशा दो क्षेत्रों में कार्य करती है। सरकार ने दशा के लिए अच्छे कार्य किये, कुछ लोगों को आवास दे दें, कुछ लोगों को छात्रवृत्ति दे दें, कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचा दें लेकिन हम यह नहीं सोचते कि जब हम गगनचुम्बी अट्टालिका बनाते हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई हो जाती है। एक-एक व्यक्ति की दिशा के लिए इस सरकार ने क्या-क्या कार्य किया यह वास्तव में बहुत विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। मान्यवर, यह बजट जो 1 लाख 33 हजार 596 करोड़ 98 लाख का बजट है जिसमें 36 हजार करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। हम प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्यों में ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से कोई चिंतन नहीं किया गया है। हमारे यहां पर्यटन में भारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं की आड़ में बहुत सारी पर्यटन की योजनाएं विकसित कर सकते हैं। प्रदेश को पर्यटन जोन बना सकते हैं। पर्यटन के लिए बजट में प्राविधान केवल 58 करोड़ रुपये। लखनऊ के अंदर पार्कों के विस्तार के लिए, बुतों की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना के लिए 1400 करोड़ रुपये। जबकि हमारे बगल में जो प्रदेश टूटकर गया उत्तरांचल में और हिमांचल में जिसमें पर्यटन की कम संभावना थी आज उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है। हम पर्यटन पर ध्यान नहीं दे रहे। हम उद्योग पर ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे प्रदेश में उद्योगों की स्थिति क्या है। मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता और निश्चित रूप से इसके लिए सिर्फ यह सरकार दोषी नहीं है। जो सत्ता में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है वह अपनी पीठ थपथपाता है। हम विरोध में बैठने वाले हैं बुराई करते हैं लेकिन कभी सारे लोगों ने मिलकर नहीं सोचा कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में छुपी हुयी हैं। आज उद्योग की क्या स्थिति है ? कभी जो कानपुर उद्योग का मेनचेस्टर कहा जाता था, कानपुर की क्या स्थिति है ? मुरादाबाद कहां चला गया, अलीगढ़ की क्या स्थिति है, हापुड़ के बाजार की क्या स्थिति है ? बुन्देलखण्ड के अन्दर सूती मिलें हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी लागत नहीं लगनी है। हजारों, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम पार्कों, मूर्तियों में तो पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन इन सूती मिलों को चालू नहीं कर सकते। क्योंकि हम दशा सुधारना चाहते हैं, दिशा नहीं देना चाहते हैं। आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश की वह निश्चित रूप से अभी हमारे बड़े भाई सिरोही जी ने कहा हमने कृषि क्षेत्र में भी उतना समुचित ध्यान नहीं दिया, लेकिन उद्योग की स्थिति जो है वह आपके सामने पूरी तरह है, आज जितने भी हमारे औद्योगिक विकास क्षेत्र थे पूरे प्रदेश के अन्दर सब अपना दम तोड़ रहे हैं। हमारे झांसी के अन्दर 443 उद्योग लगे थे। औद्योगिक ग्रोथ सेण्टर का विकास हुआ था लेकिन आज वहां केवल 13 उद्योग चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

अधिष्ठाता महोदय, बस केवल तीन मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको इसलिए संक्षिप्त करने को कह रहा हूं, तीन मिनट नहीं हुए हैं पांच मिनट हो गये हैं आपको।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, हम घड़ी देखकर के ही बोल रहे हैं।

डा0 अजय तोमर-

अधिष्ठाता जी, यह अच्छा बोल रहे हैं, इन्हें तो आप समय दे ही दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

अच्छा बोल रहे हैं, यह अच्छी बात है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है तो उस प्राविधान के बारे में कुछ सोंचें। भगवान राम की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, बांदा का कालिंजर का किला जो पर्यटन जोन बन सकते हैं जिसको हम केवल 50 करोड़ रुपये में विकसित नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां पर टूरिस्ट आता है ज्यादा से ज्यादा वह आगरा आया और यहां से दूसरे प्रदेश में चला गया क्योंकि कोई टूरिस्ट सेण्टर हमने विकसित नहीं किया आज अनन्त संभावनायें हैं पूरे प्रदेश में और खासतौर से हमारे बुन्देलखण्ड के अन्दर छुपी है।

बुन्देलखण्ड के विकास के लिए आपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए आपने बुन्देलखण्ड विकास निगम बना दिया, उसके अन्दर लाल बत्ती बांट दी, लोक सभा चुनाव की तैयारी कर ली लेकिन जनता के अन्दर क्या संदेश जा रहा है, वह बुन्देलखण्ड विकास निगम जिसके पास एक रुपये का फण्ड नहीं। उसके सारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बत्ती लगाकर, करोड़ों रुपये की सिक्योरिटी खर्च करके सिर्फ सरकारी पैसे पर अपने दल की मजबूती कर रहे हैं। निश्चित रूप से बुन्देलखण्ड के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ पूरे बुन्देलखण्ड के एक डेढ़ करोड़ लोग देख रहे हैं। सिंचाई विभाग में आपने देखा होगा 27 बांध बुन्देलखण्ड के अन्दर आजादी से पहले के बने हुए हैं और सबकी एक्सपायरी डेट निकल गई, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए आपने बजट में केवल 25 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा। चाहे सुखमा-दुकुमा हो माता-टीला हो जितने भी हमारे डेम हैं उन डेमों में वृहद कार्य की आवश्यकता है। आज जिस तरह की भेदभाव वाली नीति उत्तर प्रदेश के द्वारा बुन्देलखण्ड के लिए की जा रही है, हम आग्रह करना चाहते हैं निश्चित रूप से आप बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं लेकिन आज कम से कम जिस तरह का माहौल है और उस माहौल में बुन्देलखण्ड के अन्दर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जो केन्द्र से मदद मिल सकती है उसके लिए आप बुन्देलखण्ड के लिए मांग सकते हैं आप बुन्देलखण्ड के अन्दर जितनी इकाइयां हैं, उनमें आप सेल टैक्स में छूट दे सकते हैं, आप सिंगल विण्डो सिस्टम कर सकते हैं। लोग बुन्देलखण्ड में या उत्तर प्रदेश में उद्योग इसलिए नहीं लगाते हैं निश्चितरूप से भ्रष्टाचार हम समझते हैं कि हममे से 99 फीसदी लोग चोर हैं, क्योंकि समाज ने भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता दे दी।

आज लोग जब अपने घर की बेटी की शादी करने जाते हैं तो वह देखते हैं कि लड़का इन्जीनियर है, इसकी ऊपर की इन्कम कितनी है। हम कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्य पदों पर बैठे हुए लोगों का नारकोटेस्ट करवा दिया जाय तो नारकोटेस्ट में 95 से 99 फीसदी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। निश्चित रूप से हम नहीं कहते कि हम हरिश्चन्द्र हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का न्यूनतमीकरण हो, हम उसको पूरा खत्म नहीं कर सकते हैं और अकेला एक दल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि हम एक दल के ऊपर यह आक्षेप लगायें, लेकिन हमारी एक लड़ाई होनी चाहिए विजन होना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार का न्यूनतमीकरण करना है। हमें गरीब आदमी वह जो गरीबी रेखा के कार्ड के लिए दम तोड़ देता है, निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि इसको गरीबी रेखा का कार्ड बन जाय, केन्द्र से उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह हम लोग क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं आपकी यह लड़ाई दिल्ली तक कैसे पहुंचाये इसको आपको मजबूती से रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी ने एक आश्वासन दिया था और उन्होंने एक बात कही थी, वह अखबारों में चर्चा के माध्यम से निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल चर्चाओं के माध्यम से अपने दल को लाभ दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन बुन्देलखण्ड का प्रस्ताव, पूर्वांचल का, हरित प्रदेश का, उस पर हम चाहते हैं कि राज्य की स्पष्ट नीति हो क्योंकि बिना डिवीजन के, जब तक हम डिसेण्ट्रलाईजेशन नहीं करेंगे, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, उसको इसी सत्र में लाया जाय। इसके अलावा हम पुलिस की और व्यथा सुनाना चाहते हैं, हम भले ही अपनी कितनी पीठ थपथपा लें।

मान्यवर, आपने पीठ थपथपा ली कि अपराध मुक्त कर लिया। लेकिन जो स्थिति है उससे सब परिचित हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें उन अपराधियों से हाथ मिलाना पड़ता है और लोक सभा में उन्हें चुनाव भी लड़वाना पड़ता है। क्योंकि जब यह लगने लगता है कि यह प्रत्याशी जीतने की उम्मीद रखता है तो उससे हाथ मिला लिया जाता फिर चाहे उस पर 60 केस क्यों न चल रहे हों ? इस तरह से हमारी कथनी और करनी में अन्तर आ जाता है। लेकिन उससे आप आम आदमी को उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मान्यवर, हमारा पुलिस मैनुअल अंग्रेजों के समय का बना हुआ है उसको देखने की जरूरत है। मान्यवर, पहले पुलिस वालों और शिक्षकों के वेतन में केवल एक रुपये का अंतर था आज वह अन्तर इतना ज्यादा हो गया है कि वह भी बराबर का वेतन चाहते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से यह कहना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों के पास जो गाड़ियां हैं उनकी अधिकतम गति 60 कि0मी0 प्रति घंटा से ज्यादा की नहीं है। उन्हें आज नई गाड़ियां चाहियें, नये अस्त्र चाहियें। इसके अलावा उन्हें अपने परिवार वालों के लिये स्कूल और कालेज चाहियें और अस्पताल चाहियें। आप उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान देने का काम करें।

आप अपने बजट में पर्यटन को, उद्योग को, पुलिस बल को और इसके अलावा बुंदेलखण्ड के विकास को प्रोत्साहन दें। केवल अपनी पीठ थपथपा लेने से कुछ नहीं होगा। इससे आप एक गरीब आदमी को एक दलित आदमी को कोई संदेश नहीं दे सकते हैं। आप उनके लिये इसमें नई चीजें लायें। यह बजट आपका गरीब आदमी को कोई राहत देने वाला नहीं है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं।

*श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कुछ तथ्यों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं।

मान्यवर, सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां दिल्ली-यमुनोत्री राज्य मार्ग है, उसे चार लेन का लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी के एक तीर्थ स्थल को जोड़ता है। मान्यवर, इसी तरह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से वर्तमान में गंगो-विडोजली मार्ग का जो अवशेष साढ़े पांच कि0मी0 का भाग है वह वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण रुका हुआ है। वह जनहित में पूरा कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आपने इस बजट में अन्य जिला मार्ग एवं मुख्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा है उसमें आप हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की ओर ध्यान देने का कष्ट करें। मान्यवर, हमारे यहां जनपद मुजफ्फरनगर में शामली वाया मालेण्डी से झिन्झाना मार्ग है उस पर कार्य कराया जाना आवश्यक है। इसी तरह से वहां पर जो अन्य ग्रामीण सम्पर्क मार्ग है उन पर कार्य कराया जाय। हमारे यहां कई मार्ग अधूरे पड़े हैं जो वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाये हैं। उन्हें पूरा कराया जाय। इसी तरह से हमारे यहां कल्लरपुरा, इंदिरानगर व अन्य स्थान सम्पर्क मार्गों से वंचित हैं उन्हें बनवाया जाय। इनका जनहित में निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष में पानीपत-खटीमा मार्ग का जीर्णोद्धार किया गया था। लेकिन स्थिति यह है कि एक तरफ बन जाता है तो दूसरी जगह से सड़क उखड़ जाती है। वर्तमान में यह सड़क टूटी हुई है। इसको ठीक कराया जाय और पूर्ण कराया जाये। इसी तरह से सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना भी आवश्यक है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक सुपरविजन अथारिटी का होना अत्यन्त आवश्यक है जो निगरानी रख सके। मान्यवर, हमारे यहां कृष्णा नदी सहारनपुर से बागपत तक जाती है। इसने कहीं-कहीं नाली का रूप ले लिया है। इसके इन्हीं सब स्थानों पर सेतुओं का निर्माण होना अति आवश्यक है। उस पर ध्यान दिया जाये। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में थाना भवन से मसाबी मार्ग पर सेतु का निर्माण प्रस्तावित है परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण वह धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है जिस कारण उसके निर्माण नहीं हो पा रहा है। वह धनराशि शीघ्र अवमुक्त करायी जाय ताकि सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके। मान्यवर, इसी तरह से सोन्ता-रसूलपुर से रायपुर मार्ग पर सेतु व सड़क निर्माण की बात है। मान्यवर, हमने अपने यहां के कार्यों के सम्बन्ध में गुणवत्ता के लिये लिखा भी हुआ है परन्तु उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि उनके सुपरविजन के लिये एक अन्य अथारिटी की स्थापना की जाय ताकि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और मेंटेन कराया जा सके।

मान्यवर, परिवहन के बारे में कहना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर के लिए सभी मुख्य मार्गों के लिए योजना आयी थी। वहां पर 36 राष्ट्रीयकृत राज्य मार्गों पर निजी बसों के संचालन की बात हुई थी उससे जनता को सुविधा हो जाती। मान्यवर, वहां पर परिवहन निगम की पर्याप्त बसें संचालित न होने के कारण आजकल वहां के निवासियों को आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। मुजफ्फरनगर-गंगू मार्ग पर बसों का संचालन नहीं हो रहा है। वहां पब्लिक को दिक्कत हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 12 लोगों की बुखार के कारण मृत्यु हो गयी थी जिसमें से 2 लोगों के बारे में सरकार ने नियम-51 में दिये गये वक्तव्य में कुपोषण से मृत्यु बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह

कुपोषण से मौते हैं तो हमारा बाल विकास विभाग क्या कर रहा था जिस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। यह पुष्टाहार सभी लोगों तक पहुंच सके इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य स्रोत सिंचाई का पूर्वी जमुना नहर है जिसमें गंगा का पानी लाने के लिए स्व0 चौधरी चरण सिंह गंगा, यमुना लिंक परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था परन्तु अभी तक इस योजना को पूर्ण नहीं किया गया है। यह पूर्वी यमुना नहर जनपद बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लिए जो किसान हैं, उनके लिए एक जीवन सारिणी है अतः इसका पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। इसी तरह से सिजड़ रजबहा में इस परियोजना से 60 क्यूसेक पानी देना अति आवश्यक है ताकि और रजबहे जिनमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता है वह पहुंच सके।

मान्यवर, मैं कानून व्यवस्था के ऊपर कहना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में व्यापारियों की हत्या, बागपत में टटेरी काण्ड, सजल हत्याकाण्ड सहारनपुर और उस पर पुलिस की संवेदनहीनता की इतनी हद है कि वर्षों पूर्व हुई हत्याएं हों, चाहे प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे-मील प्वाइजन से सम्बन्धित विवेचनाएं हो, न वह पूर्ण हो पाई हैं और न किसी को पकड़ा गया है।

मान्यवर, ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में बीपीएल और अन्त्योदय कार्डों का वितरण सम्पन्न परिवारों को किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विकास क्षेत्र ऊन के ग्राम चौसना बल्ला, मजराना की जांच कराया जाना अति आवश्यक है। इनकी जांच के लिए लिखा गया था लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं आया है।

मान्यवर, कृषि के सम्बन्ध में, गन्ने के प्रोत्साहन हेतु एथनाल एक ऐसी चीज है जिसका अगर प्रोत्साहन दिया जाय उसके बनाने के लिए तो सामान्यता जो गन्ने की उपज है और जो गन्ने की समस्या है किसानों की, वह अपने आप समाप्त हो जायेगी। मुजफ्फरनगर, मेरठ में कोई एथनाल बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया गया है। अतः बजट में इसका भी प्राविधान किया जाय। आलू का समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार ने 300 रुपये दिया है जबकि इसकी लागत 400 रुपये हैं इसलिए इसका समर्थन मूल्य 500 रुपये किया जाय। शीतगृह का जो किराया है वह 110-115 रुपये है इसको घटाकर 50 से 80 रुपये के बीच किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मैंने श्री राम सागर अकेला को बुला लिया है।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय सुयोग्य वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय अम्बिका जी बजट पर अपनी बात रख रहे थे मुझे एक बात याद आती है। एक शराबी व्यक्ति ने कहा कि धार्मिक किताबों में शराब पीना लिखा है तो धार्मिक लोगों ने उस शराबी से पूछा कि कहां लिखा है तो उस शराबी व्यक्ति ने धर्म के पन्ने को पलट कर कहा कि देखो इसमें

शराब पीना लिखा है। तो और लोगों ने पूछा कि आगे क्या लिखा है तो उसने कहा कि आप पढ़ो, पाबन्दी लगाई गयी है। तो इस बजट भाषण को माननीय अम्बिका जी ने पढ़ा तो लेकिन केवल पीने तक ही पढ़ा। पाबन्दी लगाई गयी है तक नहीं पढ़ा। इसलिये मुझे उनसे ही दो शब्द कहना है।

"मंजिलें उनको मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी और उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विधवा पेंशन जैसे अहम सामाजिक विकास पर बल दिया गया है। साथ ही 100 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रस्ताव उच्चतर विकास को दर्शाता है। मान्यवर, यदि इस बजट को आप देखेंगे तो वर्ष 2006-2007 में जो बजट योजना का आकार था वह 19 हजार करोड रुपये का था। यह वर्ष 2007-2008 में 25 हजार करोड़ रुपये का योजना आकार बनाया गया और जब हमारा दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ तो यह 2006-2007 के बजट से 25.7 प्रतिशत अधिक था। मान्यवर, जब हमारी सरकार ने दूसरा बजट प्रस्तुत किया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, तो 2008-2009 में इस योजना आकार को 35 हजार करोड़ रुपये का कर दिया गया। मान्यवर, आप देखेंगे जब यह बजट हमने 2008-2009 में 40 प्रतिशत अधिक योजना आकार का बनाया और आज जब वर्तमान में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह 36 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट है। मान्यवर, बजट में आप दूसरी चीज देखेंगे कि इस बजट में राज्य पर संचित ऋण भार, राज्य घरेलू उत्पाद 39.8 प्रतिशत है। जबकि विगत वर्ष 2007-2008 में व 2008-2009 में क्रमशः यह 42.5 व 40.7 प्रतिशत रहा है। यह इस बात को दर्शाता है कि गिरता हुआ ऋण भार राहत देने वाला है इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन पर बल देता हूं। मान्यवर, कुछ बातों का यह सदन कई दिनों से गवाह है। जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी आये, हमारे विरोधी दल के साथियों ने अपने हाथों में एक बैनर लहराते हुये यह दिखाने की नापाक कोशिश की और जनता के दिलों में अपनी यह छवि बनाने की कोशिश की और एक घटना का जिक्र किया। श्री मनोज कुमार गुप्ता इंजीनियर हत्याकांड की। मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस समय है जब वह नेता सदन बनते हैं तो उन्हें उपलब्धियों को शीर्ष स्थान बनाने में महारत हासिल है। उसके कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब 1990 में वह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 22 मई, 1990 को आगरा में एक पनवारी कांड हुआ था। जहां दलित चोखामल जाटव के बेटी की शादी में जब वह घोड़े से बारात उनके घर आ रही थी, तो कितने दिनों तक दलितों को तांडव का शिकार होना पड़ा था, आगरा के साथी यहां बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है.....

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष नेता सदन थे 23 जनवरी, 2004 को गणतन्त्र दिवस में मात्र 48 घण्टे शेष थे, ठीक उसी समय दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के कार्यकाल में अति पिछड़ों का एक स्वर्गीय विधायक राजू पाल को डेढ़-दो किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ा करके मारा गया। मान्यवर, दुनिया में अगर नेता की किसी को पदवी मिली है तो वह सुभाष चन्द्र बोस को मिली है शायद उनका जन्मदिन भी 23 जनवरी को ही पड़ता है। मान्यवर, ऐसे पूज्य अवसर पर लोकतंत्र के प्रहरी बनने वाले पिछड़ों के नेता ने अति पिछड़े बालक जिसे बहन कुमारी मायावती के आर्शीवाद से इस सदन में विधायक बनने का मौका मिला था उसकी जिन्दगी को नष्ट कर दिया और केवल नष्ट ही नहीं किया बल्कि उसका पोस्टमार्टम डेढ़ बजे रात में कराया गया और इसलिए कराया गया क्योंकि दिन के उजाले में शायद उसके शरीर से ए0के0 56 की गोलियां निकलतीं। अपराधियों को बचाने के लिए रात को पोस्टमार्टम इसलिए कराया गया कि 12 बोर की गोलियां उसमें दिखायी जा सकें और अभियुक्तों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं आजादी के पूर्व इस देश में शहीद भगत सिंह की लाश को उनके परिवार को नहीं सौंपा गया था और आजादी के बाद यदि किसी की लाश उनके घर वालों को नहीं सौंपी गई है तो वह स्वीर्गीय राजू पाल जी की लाश है, जिसे उनके घर वालों को नहीं सौंपा गया मुलायम सिंह जी की सरकार में और पुलिस वाले जबरिया जा करके उसका दाह संस्कार कर दिया। ये क्या करेंगे लोकतंत्र की बात यह तो एक आइना है, बलात्कार की बात नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे नेता सदन ने उसका प्रतिउत्तर दिया है लेकिन एक सिपाही के नाते मैं भी एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं।

मान्यवर, 17 जनवरी, 2004 जब गणतन्त्र दिवस में मात्र 9 दिन बाकी थे, एक घटना घटी जनपद खीरी लखीमपुर, थाना मैलानी, गांव खैरताली, वहां पर एक रिक्शा चालक दलित समाज का आदमी रहता था, जिसका नाम था दयाराम, जिसकी पत्नी का नाम था शकुन्तला, उसकी गोद में मात्र 3 महीने की बच्ची थी, जिसके साथ कैलाश नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया आपकी सरकार में और आपकी सरकार बलात्कारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। मान्यवर, यह तो मात्र एक नमूना है, इलाहाबाद मदरसा काण्ड, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेहर भार्गव काण्ड, विधायक द्वारा एस0पी0 को थप्पड़ मारना, डी0वाई0एस0पी0 को बोनट पर नाचना, यह गिरती हुए कानून-व्यवस्था की एक बनागी थी और जिससे त्रस्त हो करके प्रदेश की महान जनता ने बहन कुमारी मायावती को अपने बल पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। आज हमारे विरोधी दल के सभी सदस्य चाहे वह समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, अन्दर ही अन्दर मिल करके आज हमारे नेता को उनके जन्म दिन के नाम पर घेरने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि हर दल के आर्थिक स्रोत होते हैं। बहुजन समाज पार्टी बनी तो गरीबों, बेकार, लाचार, जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, जिनके पैरों में जूते और चप्पल नहीं थे, जिनको खाना-पीना नसीब नहीं होता था ऐसे लोगों को जोड़ करके मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम किया

था और सब ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम किया था और जब इस कार्यवाही को उन्होंने किया तो अपने पैरों पर सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पर उन्होंने इस मूवमेंट को अपने हाथों में लिया। इसलिए आर्थिक स्रोत बना है हमारी पार्टी का वोटर, वर्कर और समर्थक। आज हमारे वोटर और समर्थक बहन कुमारी मायावती जी को उनके जन्म दिन पर अपनी मेहनत, मशक्कत की कमाई का पैसा देते हैं जिससे कि यह मूवमेंट पूरे देश में फैले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने वोटर, वर्कर, समर्थक से चन्दा नहीं लेते हैं तो यह अरबों रुपया कहां से खर्च करते हैं, जरा जवाब दीजिए, हम जनता की हैसियत से आपका जवाब चाहते हैं। मान्यवर, उंगली उठाना आसान है लेकिन प्रकृति ने उंगली उठाने का तरीका भी बताया है, हम कहते हैं कि अम्बिका जी बहुत खराब है तो तीन उंगली हमारी ओर उठ जाती है कि आप उनसे भी ज्यादा खराब हैं। उठा करके देख लीजिए हमारे साथ आप अपने हाथ को उठाइये, संकेत करके देखिये, 3 उंगली खुद आपकी तरफ उठ जायेगी। प्रकृति के नियम से भी आप सबक लीजिये। मान्यवर, बातें तो मुझे बहुत करनी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, संख्या बल के आधार पर थोड़ा समय का निर्धारण करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, बजट पर चर्चा जारी करा दें और विधेयक ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, 3-4 दिन ही की चर्चा है जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनको थोड़ा अवसर दे दें।

श्री राम सागर अकेला-

माननय अधिष्ठाता जी, एक घटना का जिक्र करना ऐसे समय पर बहुत जरूरी है। जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार 28 अगस्त, 2003 को अवैधानिक तरीके से बनी, वह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक निठारी काण्ड हुआ, निठारी काण्ड में उस समय के तत्कालीन मिनी मुख्यमंत्री या मनी मुख्यमंत्री, तब वह मनी मुख्यमंत्री थे या मिनी मुख्यमंत्री, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां प्रेस वार्ता में जब प्रेस वाले पूछते हैं कि भाई आपकी सरकार में इतनी बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं और 2 साल, 5 साल, 11, साल 13 साल की बच्चियों का अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार होता है और सैकड़ों नर-कंकाल मिलते हैं, इस पर आपका क्या कहना है ? तो तत्कलीन मिनी मुख्यमंत्री या मनी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी घटनायें हुआ करती हैं। यह सच है ये घटनायें आपके लिए छोटी-छोटी हो सकती हैं श्री शिव पाल सिंह जी। क्योंकि उसमें आपके घर का कोई बेटी-बेटा नहीं था। यदि आपके घर का कोई बेटी-बेटा होता तो यही

प्रदेश की सबसे बड़ी घटना बन जाती। मैं इसका जिक्र इसलिए भी करना चाहता हूं उस घटना का कि 10 अगस्त, 2005 को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती निर्मला वेंकटेश ने 24 अगस्त को जब उसका संज्ञान लेती हैं तब वहां पर एस0एस0पी0 गाजियाबाद 6 में से 5 लड़कियों के गायब होने की बात को स्वीकारता है। मान्यवर, आप दो-तीन दिन से पेपर पढ़ रहे होंगे। उस घटना में एक गायब लड़की रिपा हलदर जिसके बलात्कार-हत्या के केस में केली और पंढेर को फांसी की सजा सुनायी गयी है। उस रिपा हलदर का नाम तत्कालीन सरकार ने छुपाया, यहां तक नहीं छुपाया प्रधानमंत्री जी का कार्यालय 25 मई, 2006 को उत्तर प्रदेश की पुलिस से सफाई मांगती है कि आपके यहां से गायब हुई लड़कियों की सूची में किसका-किसका नाम है तो मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय को झूठी खबर दे करके रिपा हलदर का नाम छिपाया गया। इतना ही नहीं छुपाया गया, कल का पेपर पढ़िये, आज का पेपर पढ़िये। यहां की सी0बी0आई0 अपील करने जा रही है कि पंढेर के साथ ज्यादती हुई है। पंढेर को क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है ? इसलिए किया जा रहा है कि उसके पीछे किसी न किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ काम कर रहा है। लेकिन मान्यवर, इज्जत चाहे मेरी हो या इज्जत चाहे किसी की हो, इज्जत-इज्जत होती है और इस देश में इज्जत का पैमाना बेटियों से गिना जाता है, पुरुषों से नहीं गिना जाता है। इसलिए हमारी नेता बहिन कु0 मायावती जी ने अपने माथे का सिन्दूर हमेशा-हमेशा के लिए दूर करके इस देश की मां-बहिन, बेटियों की इज्जत को बचाने का जो संकल्प किया है। आज दुनिया की सारी ताकत उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मान्यवर, आपकी लालबत्ती इस बात का संकेत करती है कि हम अपनी बात का संक्षेपीकरण करें। लेकिन दो महत्वपूर्ण बिन्दु उठाना मुझे बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मान्यवर, अभी बहिन कु0 मायावती जी ने अपने जन्म दिन के अवसर पर एक "महामाया कन्या आर्शीवाद योजना" चलायी है। कहने के लिए तो छोटा शब्द हो सकता है लेकिन हमारे इस देश में मान्यता है, यदि मां बच्चे को जन्म दे दे तो हमारे घर में खुशियों का माहौल होता है, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है तो गम का माहौल होता है, यह सब लोग महसूस करते हैं।...

लेकिन जहां से मैं विधायक बनकर आता हूं श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आज से 2557 वर्ष पहले वहां के राजा प्रसेनजित के पास बैठे हुए थे उसी समय उनकी दासी उनके पास आकर कुछ कहकर चली गई जिससे राजा दुखी हो गए भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि राजा क्या कारण है कि आप दुखी हो गए तो प्रसेनजित ने बताया कि दासी ने बताया है कि मेरी पटरानी मालविका से एक कन्या का जन्म हुआ है उसकी यह बात सुनकर मैं दुखी हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि कन्या के जन्म को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि कन्या माता होती है कन्या ही मां बनती है। जिस कन्या ने आपको मां के रूप में जन्म दिया यदि वह न होती तो आज आप राजा न होते इसलिए कन्या के जन्म लेने पर दुखी नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

दूसरा कारण भगवान बुद्ध ने बताया कि कन्या दो घर में उजाला करती है। जिस घर में उसका जन्म होता है और जिस घर में उसकी शादी होती है। आज बहन कुमारी मायावती जी के कारण इस देश में एक नारी शक्ति का भाव बना हुआ है। कन्या आर्शीवाद योजना चलाकर इस देश में एक महान परम्परा को कायम करने का काम किया। दूसरा सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा योजना। सावित्री बाई का नाम हर आदमी रटता है। महात्मा ज्योति राव फुले 20 फरवरी, 1827। इस दुनियां में इस देश में अनपढ़ लोगों को शिक्षित बनाने के लिए 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया उसमें पहली अध्यापक माता सावित्री बाई फुले थीं उनको पढ़ाने जाने में लोगों ने तमाम तरह की दिक्कतें पैदा कीं। उनके ऊपर कीचड़ व टट्टी तक फेंकते थे जिससे उनको दो धोती लेकर जाना पड़ता था एक गन्दी और दूसरी झोले में डालकर वह लेकर जाती थीं किन विषम परिस्थितियों में उन्होनें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ऐसी महान महिला के प्रयासों के बदौलत इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी और बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी हैं आने वाले दिनों में वह देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अधिष्ठाता जी बजट में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन स्थापना विकास पर विशेष जोर दिया गया है मैं इसका बलपूर्वक समर्थन करता हूं।

जनपद बलरामपुर मे राप्ती नदी पर कोड़री घाट पर एप्रोच मार्ग, राप्ती नदी पर पिपराघाट पर पुल, गौरा चौराहा नया विकास खण्ड, बलरामपुर उतरौला मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण, गलवापुर चमरूपुर मार्ग के निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में शामिल करने का अनुरोध करते हुए इस बजट का बलपूर्वक समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी जी के बारे में कुछ लाइन मुझे कहनी हैं।

इनका सवाल ही इनका जवाब कर दूंगा।
मैं लवज-लवज मुकम्मल किताब पर दूंगा।
मैं सोचता हूं इन्हें यह कोई सवाल तो करें।
यकीन रखें इन्हें लाजवाब कर दूंगा।
मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरे पर।
मैं सिसकते चमन को गुलाब कर दूंगा।
इसी मौसमें बहार में इनका हिसाब कर दूंगा।
अपने गुनाहों को छिपाए हजार पर्दे में बैठ।
मैं तुमको इस बार बेनकाब कर दूंगा।

*श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। वित्त मंत्री जी ने जो यह असत्य आंकड़ों का बजट पेश किया है उसके बारे में मैं अपनी बात एक शेर कहकर शुरू करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह सब आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है। इधर जम्बूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं ये उधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। कानून व्यवस्था की बात हमारे अकेला साहब कर रहे थे। श्रावस्ती जनपद के इकौना सीट से जीत कर आते हैं मान्यवर। यही सदन है, अभी थोड़े दिन पहले वहां धन्नीडीह कांड हुआ था। जालिमों ने बड़ी बर्बरता के साथ दूध पिलाती माताओं के साथ व्यभिचार किया था मान्यवर। (शोर) अभी शुरुआत किया है, काहे के लिये परेशान हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें। समय नहीं तो ज्यादा लगेगा। बोलिये।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, अकेला जी ने निठारी कांड की बात कही।

श्री अधिष्ठाता-

पीठ को सम्बोधित करके बोलें तो शायद टीका टिप्पणी कम हो।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं। लेकिन जो टीका-टिप्पणी होगी तो बात आगे चल पड़ेगी। तो समझ में कुछ नहीं आता सुनाऊं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। प्रदेश का जो हाल है, सूबे की जो कहानी है वह किसी से छिपी नहीं है। जिसके दहशत से, खौफ से माएं अपने बच्चों को कहती थीं कि बच्चों भाग आओ यह फलां माफिया का काफिला जा रहा है। बच्चे दुबक जाते थे। राजू पाल की हत्या में जो लोग शामिल थे, अभियुक्त थे माननीय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जेल की सींकचों में बन्द कर रखा था पार्लियामेंट में वह खड़े होकर आपके साथ आपके समर्थन में वोट दे रहे थे। मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज राजू पाल जी की वाइफ इस सदन में सदस्य हैं, और वह जानती हैं कि वो कौन लोग थे और मान्यवर, यह सारा सदन जानता है। मान्यवर, और जो दहशत और बर्बरता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की हत्या जिन लोगों ने की थी, आज वो किसके साथ हैं। इससे बात और आगे बढ़ती है कानून व्यवस्था की। मेहर भार्गव तो याद रही लेकिन खुनखुन जी की बहू, जो उत्तर प्रदेश और लखनऊ का एक प्रतिष्ठित घराना है, किस तरह से डकैतों ने घर में घुस कर उनकी हत्या कर दी मान्यवर। यह सत्ता पक्ष के साथी भूल जाते हैं। यह लखनऊ शहर, जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके से सर्राफा व्यापारियों के घर में डकैती हो रही है, गोली मारी जा रही है, हमने जो कहा था सत्ता पक्ष के एक मंत्री, अरे ऐसी घटना तो कहीं विश्व में भी नहीं सुनाई देती है कि एक मिनिस्टर थाने में जाय और एक सिपाही के ऊपर गोली मार दे। कोई मंत्री बलात्कार में बंद है तो उसकी बात नहीं है। उसने किया तो वह जेल में बंद है, बंद भी होना चाहिए लेकिन श्रीमन्, ऐसा नहीं सत्ता पक्ष का एक विधायक इंजीनियर को गोली मारे, वह मर जाय और उसके बाद उसकी लाश थाने में ले जाकर जमा कर आया पीठ थपथपा रहे हैं। बहुमत का घमंड, बहुमत हम लोगों ने भी देखा है मान्यवर 1977 में बहुमत पाया 1989 में बहुमत पाया। बड़ा से बड़ा बहुमत पाया लेकिन जब जनता फैसला करती है तो बहुमत खत्म हो जाता है। मान्यवर, आज बात आई है विकास की, लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिये, हमारी नकल है मान्यवर। हमने सबसे पहले नारी का सम्मान, बेटियों का सम्मान करके कन्या विद्या धन उपलब्ध कराया। माननीय वित्त मंत्री जी, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज कुछ लड़कियों को फायदा दिया जा रहा है। सारी लड़कियों को दे दीजिये। चाहे वह बड़ी जाति के घर पैदा हुई है, चाहे वह छोटी जाति के घर पैदा हुई है। तो फिर इसमें बी0पी0एल0 और ई0पी0एल0 की गुंजाइश क्यों आप रखे हैं अगर समता समानता की बात आप करते हैं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात आप करते हैं तो। सारी लड़कियों को आप दे दो। सारी लड़कियों को साइकिल का प्रोत्साहन दे दो। यह कहने की बात है दुनिया जानती है **यह पत्थरों के सनम हैं हम आइने वाले।** आज जो प्रदूषण फैला हुआ है गोमती नगर के चौराहे पर। चारों तरफ जो पत्थरों को काटा और तराशा जा रहा है उससे मान्यवर, जो प्रदूषण फैल रहा है । मजदूर तो मान्यवर गये। वो तो अस्थमा के मरीज हो ही गये। उनका तो परिवार नहीं चलेगा मान्यवर लेकिन जिस तरह से लखनऊ में गोमती नगर से जाने वाले लोगो को अस्थमा हो रहा है, इस तरह से पत्थर के काटने और तराशने से। मान्यवर, जिस तरह से लखनऊ के लोग बीमार हो रहे है, उसका बखान करना मुश्किल है। आज मान्यवर, कहना पड़ रहा है। कारागार विभाग में देख लीजिए, सबसे घटिया खाना यह सरकार जबसे बनी कैदियों को दिया जा रहा है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

भाषण जारी रखें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अधिष्ठाता महोदय, यह कानून व्यवस्था की बात हुई। श्रीमन् स्वास्थ्य इस प्रदेश में जबसे यह सरकार बनी पढ़ाई खत्म, अस्पताल से दवाई खत्म, सड़कों का जो हाल है, संयोग से हमारा सौभाग्य है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे गोण्डा और बलरामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी हैं। बाराबंकी से मान्यवर, गोण्डा जाने वाली सड़क, इतनी खस्ताहाल, गोण्डा से बलरामपुर जाने वाली सड़क बहुत ही खस्ताहाल, मान्यवर, उतरौला से बलरामपुर जाने वाली सड़क खस्ताहाल, माननीय मंत्री जी को भी दो घण्टा पहले तैयार होकर निकलना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

दो मिनट दे दें। इस सरकार के बनने के बाद गन्ने का रकबा पूरे प्रदेश में घट गया। सरकार कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बना रही है। गन्ना समितियां किसानों को लूट रही हैं। चीनी मिल मालिकों के शोषण से घटतौली के शोषण से मान्यवर, विपक्ष आलोचना करता है इसको हर सरकारों ने गम्भीरता से लिया है और इस पर कार्यवाही भी हुई है।

श्री लालजी वर्मा-

गोण्डा की घटतौली के बारे में बता दीजिए।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं।

एक सदस्य-

आपकी पार्टी करती है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

हमारी पार्टी नहीं करती है अगर करती है तो मैं इसका विरोधी हूं आप जेल भेजिए उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। मैं आपका समर्थक हूं। मैं तो गरीब किसान मजलूम, मजदूर की वकालत करता हूं। जिनको मालिक ने इंसान पैदा किया है। तिकड़म से कुछ बड़े हो गए हैं लेकिन आज वह कराह रहे हैं न गरीबों की बात है न मुफलिसी हटाने की बात है कुछ लोग मलाई खा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, कांशीराम के नाम पर, बड़े हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको मजबूत किया है उनको कुछ नहीं मिल रहा है यह दावा है, बहुत बद से बदतर हालत है मान्यवर, भाषण कर देना और बात है आज की गांव की दशा क्या है। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को डर के मारे कोई दवाई का पैसा नहीं दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

हाशमी जी शेर पढ़कर कृपया समाप्त कर दें।

श्री जगदीश नारायण-

जो भाषण हो रहे हैं यह माननीय सदस्यों को बताना चाहिए कि जो इनके क्षेत्र की समस्यायें हैं उसको बतायें ?

(शोर)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, यह हमारा अधिकार है। इस पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती है। यह सूबे का बजट पेश हुआ है विपक्ष को आलोचना का सुझाव देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्ति बनाये रखें।

(शोर)

एक मिनट में हाशमी जी समाप्त करें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

न किसानों को खाद मिली, न यूरिया मुहैया हुई, किसानों का जो धान खरीदा गया वह दलालों ने किसानों का धान खरीद लिया। आलू किसान किस तरह बर्बाद हुआ। आलू का रेट सरकार ने अच्छा नहीं बढ़ाया तो यह सरकार अपना बजट बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सौ मदरसा मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में अनुदानित किया है और 15वीं विधान सभा का नोटीफिकेशन हो जाने के कारण वह शासनादेश जारी नहीं हो पाया था। मान्यवर, इस सरकार को आए एक साल से ज्यादा हो गया है, लगभग 20 महीना हो गया है लेकिन आज तक वह शासनादेश अनुदान सूची का जारी नहीं किया जा सका है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक मेरा निवेदन है, साढ़े चार बज गए हैं, कुछ विधेयक भी पास होने हैं, चर्चा भी कल, परसों दो दिन और है तो चर्चा जारी करा दें और अब विधेयक ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, मा0 उदयभान करवरिया और मा0 सोलंकी जी को बुलवा लेते हैं, उसके बाद विधेयक ले लेते हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा पिछले वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपया मुस्लिम छात्रों का, अल्पसंख्यक का जो छात्रवृत्ति देने के लिए था, उस पैसे से हाजी साहबान की खिदमत के लिए सेवक भेज दिये लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वजीफा नहीं दिया गया। मान्यवर, इस सरकार ने मुसलमान बच्चों को वजीफा नहीं दिया। मान्यवर, हाजी लोग हज को जाते हैं, मक्का-मदीना जिस तरह की दुर्दशा इस सरकार में हाजियों की हुई, आजादी के बाद, कभी ऐसी दुर्दशा नहीं हुई। हाजियों को सड़क पर उतरना पड़ा। मान्यवर, यह सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है, आप देखें 71 जिलों में कोई भी मुस्लिम समाज का एस0पी0, डी0एम0 या उच्च अधिकारी पोस्ट नहीं किया गया है, यह बराबरी की बात करते हैं ? मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 अम्बिका चौधरी जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी, 5 मिनट का आपके लिए समय है, इस अवधि में आप अपनी बात कह लें।

श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझसे पूर्व में वित्त मंत्री जी के 2009-2010 के बजट भाषण में सारे सदस्यों ने कितने-कितने मिनट तक बोला है, कृपया कार्यवाही से उसको भी देख लें और मुझे उनसे 1 मिनट कम समय दें लेकिन 5 मिनट की पाबन्दी न लगायें, मान्यवर, यदि मुझे शुरू कराकर कल के लिए कान्टीन्यू करने का है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(इस समय 4 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, करवरिया जी बोल रहे हैं, उसको कान्टीन्यू कर दीजिए, चर्चा जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कान्टीन्यू है।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री कुबेर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री कुबेर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि चाहे यहां से उठकर कोई गये हों या वहां से उठकर कोई गए हों। मान्यवर, अभी वहां जो मा0 अधिष्ठाता जी, बैठे हुए थे, संसदीय कार्य मंत्री जी ने निर्देश दे दिया कि इस काम को कर डालिए, आप। जबकि ऐसा पीठ के खिलाफ है। यह व्यवस्था का प्रश्न है, भविष्य में ध्यान रखा जाये। अब मुझे अनुमति दे दें तो मैं एक मिनट में अपनी बात रख लूं।

श्री अध्यक्ष-

अब व्यवस्था हो गयी तब तो आपको बैठना चाहिए। अब दुर्व्यवस्था कर रहे हैं आप।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप ही कृपा कर दें।

(हंसी)

मान्यवर, विषय यह है कि जब यह सपा की सरकार सत्ता में थी।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने मुझे बुला लिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कुबेर सिंह-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

चलिए आपकी जारी रहेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक अनुरोध है कि सचमुच में अगर यह कार्यवाही में दर्ज हो जाएगा तो व्यतिक्रम होगा। क्योंकि अगर श्री कुबेर सिंह जी की चर्चा जारी हो जाएगी तो श्री करवरिया जी की भी जारी हो जाएगी। तो मान्यवर, चर्चा तो करवरिया जी की ही जारी रहनी चाहिए। आप इसको निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको कार्यवाही से निकलवा देंगे। श्री उदयभान करवरिया जी की चर्चा जारी रहेगी, श्री कुबेर सिंह जी की नहीं जारी रहेगी।

श्री उदयभान करवरिया-

तो मान्यवर, बजट पर मेरी ही चर्चा जारी है।

श्री अध्यक्ष-

जी करवरिया जी आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

कुबेर सिंह जी बस हो गया। अब आप बैठ जाइये।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

नोट :-। x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मान्यवर, मेरी इस संस्थान को लेकर एक सबसे बड़ी पीड़ा है। मुझे याद आता है एम्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री रामदास और संस्थान के निदेशक, डा0 वेणुगोपाल का वह विवाद जिसके कारण एम्स जैसे संस्थान को काफी परेशानियों से जूझना पड़ा था। यहां पर यह देख रहे हैं कि इसके अन्दर राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक हस्तक्षेप की योजना सरकार लेकर आयी है। इसकी धारा है 10, उपधारा है 1 जिसके अन्दर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को सभापति तथा प्रशासनिक निकाय का अध्यक्ष बनाया गया है तथा प्रमुख सचिव को उप सभापति तथा उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि ऐसा पहली धाराओं में नहीं था। जो मुख्य चीज मुझे दिखायी दे रही है कि जनप्रतिनिधि जिसको उस क्षेत्र में थोड़ी जानकारी भी थी, संस्थान में अगर कोई गलत काम हो तो उसमें कुछ सुझाव देने की योग्यता भी रखते थे उन्हें इसके अन्दर से पूरी तरह से निकाल दिया गया है। मान्यवर, इसमें पहले की धारा में यह प्राविधान था कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चाहे एम0एल0ए0 हो चाहे एम0पी0 हो, उस संस्थान के शासकीय निकाय में एक सदस्य के रूप में रहेगा। पहले जो निदेशक था उस निदेशक को उस संस्थान का उप सभापति बनाया गया था लेकिन अब उस निदेशक का पद कई लोगों के नीचे कर दिया गया है। पहले अध्यक्ष होंगे, फिर उपाध्यक्ष होंगे फिर उसके नीचे एक कुलाध्यक्ष होगा। उसके बाद उस बेचारे निदेशक का नम्बर आएगा। इतने जबरदस्त राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के होते हुए आप जिस संस्थान को आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज जैसा संस्थान बनाना चाहते हो, क्या वह संस्थान उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा। इसलिए मान्यवर, मैं इसके लिए संशोधन प्रस्ताव ले कर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर दे। इस संस्थान की भलाई के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, यह उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई के लिए मान्यवर, मैं इनके संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, कहने को तो यह बहुत छोटा सा संशोधन है और उसके साथ ही निकाय में एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है। किन्तु मान्यवर, यह छोटा सा परिवर्तन तो सारा स्वरूप ही परिवर्तित कर देता है अगर भीम जैसा शरीर हो और उसमें पुरुषत्व ही नहीं रहे तो यह बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है, मान्यवर, छोटा सा कहने को परिवर्तन किस मंशा से किया गया है, जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो बतायेंगे बड़ी कृपा होगी क्योंकि वह संसदीय कार्य मंत्री के साथ ही साथ विभागीय तौर पर मंत्री हैं और ऐसी क्या अपरिहार्य हो गई कि सैफई एक ग्रामीण क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर के एक अस्पताल की कल्पना की गई, मेडिकल कालेज की कल्पना की गई और उसके इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मान्यवर, एक ऐसे संस्थान की स्थापना हुई तो उसमें इतनी दखलन्दाजी की सरकार को क्या आवश्यकता हो गई श्रीमन् कि सीधे-सीधे मंत्री उसके अध्यक्ष जो जायं। जिन निगमों के अध्यक्ष माननीय मंत्रीगण हुए हैं उनकी

स्थिति पर स्वयं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इधर थे, तो उनकी टिप्पणियां हमने सुनी हैं अनेक मामलों में आज उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा और आज पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष थे और हमारे एस0जी0पी0जी0आई0 के वह अध्यक्ष हैं और एस0जी0पी0जी0आई0 अगर उससे खराब नहीं हो रहा है, सरकार को एस0जी0पी0जी0आई0 के विधेयक में अगर मुख्य सचिव को हटाकर के स्वयं माननीय मंत्री जी को स्थापित करने की अनिवार्यता प्रतीत नहीं हो रही है तो सैफई तो अभी प्रारम्भिक अवस्था में है उस प्रारम्भिक अवस्था में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता की इतनी कौन सी बड़ी आवश्यकता प्रतीत हो गई कि प्रदेश के मुख्य सचिव को हटा कर के उसकी जगह माननीय मंत्री जी ने स्वयं को स्थापित करने का विधेयक लाने का काम किया है। दूसरा मान्यवर, सांसद स्थानीय और वहां के विधायक हो सकता है कि आज जो विधायक हैं वह आपको पसन्द नहीं हों, हो सकता है जो सांसद रहे हों वह आपको पसन्द नहीं हों, लेकिन एक उल्लेख मैं और करना चाहता हूं मान्यवर कि भौगोलिक कारणों से जिस जगह वह स्थित है, राजनैतिक कारणों से वह इटावा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और परिसीमन आयोग ने उसको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया है एम0पी0 चुने जाने के लिए। तो क्या मंत्री जी को इतनी बड़ी कठिनाई है कि आने वाले दिनों में कोई अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि, कोई दलित प्रतिनिधि बैठकर के उसमें शासकीय निकाय में बैठेगा और इनको बड़ी भारी कठिनाई होगी।

मान्यवर, उसके चलते। श्रीमन्, मैं इसलिए उल्लेख आपसे करना चाहता हूं कि किस पार्टी का कौन सा प्रतिनिधि चुना जायेगा, कल की तारीख में जब हम वहां बैठे थे तो हमारे बहुत सारे साथियों को भ्रम था कि हम ही यहां हमेशा रहेंगे, आज आप वहां बैठे हैं आपको भी यह भ्रम हो सकता है। यह भ्रम होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है भ्रम हो, लेकिन यह भ्रम मान्यवर, अगर आप यह सोंच रहे हैं तो आपकी बात ठीक नहीं है। एक दलित प्रतिनिधि उसमें परिसीमन आयोग ने जो व्यवस्था दी है उसके नाते वहां के संसदीय क्षेत्र का एम0पी0 अगर होता तो श्रीमन्, उससे आपको इतनी बड़ी कठिनाई, वहां का विधायक कोई भी हो, बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक जीत जाय, जहां से आप जीत कर आये हैं वहां से कभी दूसरा होता था जहां से आज हम हैं वहां से कोई दूसरा होगा, हम जहां से आये हैं वहां कोई दूसरा था, हम आये हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि की भूमिका को सीमित करके और इन कारणों से बहाने बाजी करके उसमें से सांसद और विधायक को निकाल दिया जाना, मुख्य सचिव की जगह अपने को पदास्थापित कर दिया जाना यह अच्छी मंशा का द्योतक नहीं है। आपके पास बहुमत है, बहुमत के जोर से आप जो चाहे जितना अनर्गल चाहे उसको आप पारित करा लीजिए लेकिन किसी भी स्थिति में यह न्यायोचित नहीं है मान्यवर, उचित नहीं है और इससे उसकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार होने की जगह पर दूसरी विकृतियां उत्पन्न होंगी। मान्यवर, जैसाकि संशोधन प्रस्तुत करते समय डा0 साहब ने कहा कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की दखलंदाजी इस ढंग से होगी कि सरकार अपने ढंग से उसमें काम करने का काम करेगी। इसमें इस तरह की बू आती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप

अपने इस विधेयक को अभी वापस ले लें और इसे प्रवर समिति के पास जाने दें फिर उसके जो सुझाव होंगे उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जो है, उसकी सराहना सभी करते हैं। आज उस संस्थान की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को जब खुद अपने इलाज की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इस संस्थान से ही आपरेशन कराने का काम किया है।

मान्यवर, इस संस्थान में वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें माननीय विभागीय मंत्री उसके सभापति होते हैं और इस व्यवस्था के होने से संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मान्यवर, अभी जो उसके अध्यक्ष की बात है अभी मुख्य सचिव है। यह सदन को विदित है कि मुख्य सचिव के पास अत्यधिक जिम्मेदारियां हैं, विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रक होने के कारण, उनका प्रमुख होने के कारण उन पर सभी विभागों की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में उस संस्थान के प्रति उनके द्वारा उतना समय देने की स्थिति नहीं बनती है जितनी की जरूरत होती है। मान्यवर, कोई भी संस्थान जब विभागीय नियंत्रण में रहेगा जब उसमें सम्बन्धित अधिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान होगा तो उसके प्रति उनकी जिम्मेवरियां होंगी और उससे उस संस्थान के विकास को अवसर मिलेगा। इस दृष्टि से आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर इसमें शासकीय निकाय जो हैं उसमें अध्यक्ष, विभागीय मंत्री को तथा उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को बनाने की व्यवस्था की गयी है। आपको इसमें किसी तरह की शंका विकास के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए जो राजनीतिक एकाधिकार की बात हुई थी उसको निकालने की बात इसमें जरूर की गयी है।

मान्यवर, आप अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में कभी भी इस तरह से स्थानीय विधायक को जनप्रतिनिधि को उसमें पदेन करने का काम नहीं किया गया है। किसी भी संस्थान में किसी भी विश्वविद्यालय में सदन के माध्यम से सामान्य सभा का सदस्य बनाने का काम जरूर किया गया है। लेकिन किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि उसकी गवर्निंग बाडी का मेम्बर होगा। हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां विभिन्न पार्टियों के सदस्य उसमें मेम्बर बनाये जाते हैं और वह विधान सभा द्वारा निर्वाचित होकर उसमें जाते हैं। इसी तरह से, विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित होकर उसमें मेम्बर के रूप में जाते हैं। हमारें विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, उनके शासकीय निकाय में प्रबन्ध बोर्ड में वह नहीं सम्मिलित होते हैं लेकिन जो उसकी सामान्य सभा होती है जनरल बाडी होती है उसमें वह मेम्बर होते हैं और वह भी विधान सभा द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं। इस संस्थान में स्थानीय विधायक और एम0पी0 को कुछ कारणों से उसकी गवर्निंग बाडी में रखने का काम किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दखलंदाजी न हो बल्कि इसका विकास हो और उस विकास की बात को सोचकर ही यह परिवर्तन लाने का काम किया गया है। जिससे कि उस संस्थान का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा और प्रदेश की आम जनता के हितों की रक्षा हो

सकेगी। हम चाहते हैं कि वहां से अच्छे चिकित्सक बनकर निकलें। वहां पर हमारे जो छात्र पढ़ने जाते हैं उन्हें अच्छे ढंग की चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो ताकि वह एक अच्छे चिकित्सक बनकर निकलें और प्रदेश के हित की बात करें।

इसी आधार पर यह संशोधन नई दिल्ली के संस्थान की तर्ज पर लाने का काम किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका स्वागत करेंगे। डा0 राजेन्द्र सिंह जी तो संशोधन लाये ही हैं, अम्बिका चौधरी जी को तो खुश होना चाहिये इस बात पर कि हमारी सरकार ने उनकी तरह का काम नहीं किया है कि कहीं ईंट और गारा लग गया और फिर उसको दूसरी जगह भेजने का काम किया गया। आपने जो उस संस्थान को बनाने की शुरुआत की थी उसको पूरा करने का काम हमारी बहन मायावती जी ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि हमारा यह मानना है कि यह संस्थान किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है बल्कि यह प्रदेश की आम जनता की धरोहर है और यह आम जनता के हितों के लिये कारगर साबित हो। इस ढंग से यह संशोधन लाने का काम किया गया है। राजनीतिक रूप से किसी तरह का उसमें कोई प्रयास न हो बल्कि प्रदेश के हित में यह संशोधन लाया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि डा0 राजेन्द्र सिंह जी अपने संशोधन को वापस लेने का काम करें। इसमें जो निदेशक हैं, उनके अधिकार को कम नहीं किया है।

जिन जिन विषयों पर निदेशक को जो पहले अधिकार था आप उसको देख लें, उसके अधिकारों में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 राजेन्द्र सिंह जी संशोधन प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जो मैंने कहा था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप वापस नहीं ले रहे हैं मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 2005 की धारा-4 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश-पदेन;

(ख) एक विख्यात "कुलाध्यक्ष" जिसे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से शासी निकाय के संकल्प द्वारा नाम नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक-पदेन;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ-पदेन;

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन-पदेन;

(ज) 02 व्यक्ति, जो सामाजिक विज्ञान, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध में कार्य में रत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(झ) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ञ) भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि जो ऐसी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ट) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि जो ऐसी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) जीवन विज्ञान की शाखा से दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।"

धारा-5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-5 में :-

(क) उपधारा (1) में, शब्द 'नाम-निर्देशन या निर्वाचन' के स्थान पर शब्द 'नाम-निर्दिष्ट' रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी;

(ग) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी :-

"(6) कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दें, तब तक के लिये पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।"

धारा-10 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश संस्थान के सभापति होंगे और वह शासी निकाय के अध्यक्ष भी होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के उप सभापति तथा शासी निकाय के उपाध्यक्ष होंगे।"

धारा-12 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :-

"(1) निदेशक शासी निकाय का सदस्य और संस्थान का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा।"

धारा 17 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :-

"(1) शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) विख्यात कुलाध्यक्ष;

(घ) निदेशक;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग-पदेन

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश-पदेन;

(च) महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(छ) यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो संस्थान में विभागाध्यक्ष हों;

(ज) यथाविहित रीति से चयनित किये जाने वाले संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति;

(झ) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 के अननुमोदन का संकल्प तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह अध्यादेश जो कानून का अमली जामा पहनाने का जो यह विधेयक लाया गया है इसमें उल्लेख करना चाहूंगा। कहने का मतलब तो है कि केवल एक धारा हटा रहे हैं और उसकी वजह से क्या दुष्परिणाम होंगे जिसके कारण मैं इसका अनुमोदन नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1918, 1979 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1979 द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5क को हटाने का प्राविधान लेकर आये हैं। धारा 5क यह व्यवस्था देती है कि कोई भी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी का शासी निकाय या उसका कोई सदस्य ऐसी सोसाइटी के किसी अस्थावर सम्पत्ति का अन्तरण न्यायालय के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगा, यह इसमें व्यवस्था थी। और अब इस व्यवस्था को सरकार हटाकर उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा कर रही है। आप हमें संतुष्ट करें माननीय मंत्री जी कि क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि इस अधिनियम के रहते हुए उसके संचालन में अव्यवस्था पैदा हो रही है इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो 5क की धारा हटा करके जो अधिनियम बनाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं इसका रहना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो सोसाइटी की तमाम सारी अचल सम्पत्तियों के लिये बहुत सारे लोग को यह छूट मिल जायेगी। मान्यवर, कोर्ट से अनुमति लेकर के आप इसको बेच सकते हैं। अगर कोर्ट की अनुमति बगैर लिये शासी निकाय या उसके किसी एक सदस्य को उसको बेचने की, अंतरण करने की, ट्रांसफर करने की अगर अनुमति प्रदान की जाती है तो मुझे लगता है कि इस कारण से जो एक मूल धारा थी जिससे एक नियंत्रण रखा जाता था उस नियंत्रण को यह सरकार समाप्त कर रही है और कुछ लोगों को इस बात की पूरी की पूरी छूट दे रही है कि वह जब चाहे उसको ट्रांसफर कर दें, अन्तरण कर दें, इसलिये मैं अपने संकल्प प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र सिंह जी, अपना संशोधन रख दें।

(डा0 राजेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पहले प्रस्ताव आ जाये, तब रखवायें।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले मद संख्या-22 पर मतदान करा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले अनुमोदन पर करा लेते हैं। ठीक है राजेन्द्र जी पहले अनुमोदन पर करा लेते हैं। मैं प्रश्न प्रस्तुत कर दे रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सब साथ ही ले लीजिये, सब एक साथ ही उत्तर दे देंगे।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, सोसाइटीज के बारे में मेरी अपनी सोच बड़ी अजीब सी है, अनियमिततायें, खासकर वित्तीय अनियमिततायें सोसाइटी की एक तरह से धरोहर जैसी है। शासी निकाय को या किसी व्यक्ति को न्यायालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने की छूट न दी जाय इसलिये यह एक धारा बनाई गई थी लेकिन अभी हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी सम्पत्तियां इन सोसाइटीज के पास हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को या शासी निकाय को एक खासतौर से ऐक्ट बनाकर के उनके हाथ में एक ऐसा हथियार देने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वह उन सम्पत्तियों का अन्तरण किसी भी तरह से अपनी मर्जी से कर सकें। मेरा आपसे निवेदन है, मैं यह चाहता हूं कि भले ही आप न्यायालय के पूर्व अनुमोदन को हटा दें इसके बावजूद भी शासी निकाय के सभी सदस्यों के अनुमोदन के बिना स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण न हो, इस तरह की कोई व्यवस्था इसमें माननीय मंत्री महोदय जरूर करें ताकि इन सोसाइटीज के अन्दर वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर आपका अंकुश बना रहे। मान्यवर, इस संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपने संशोधन के लिये, प्रतिवेदन के लिये, एक माह के अन्दर इसको प्रस्तुत करने के लिये मैं बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरे देश में सोसाइटीज का जो अधिनियम है किसी भी जगह पर 5 (क) की धारा उसमें सम्मिलित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम में इस 5 (क) की धारा को बढ़ाया गया था और जिसके कारण जो सोसाइटी हैं, आप सभी माननीय सदस्य है और किसी न किसी तरह इस तरह की सोसायटियों से सम्बन्ध अधिकांश सदस्यों का है। कभी-कभी सोसाइटी के हित में यह होता है कि हम उसकी कुछ सम्पत्ति का अन्तरण करके उसके विकास का कुछ काम कर सकें और इस दृष्टि से जब हम न्यायालय में जाते थे तो उसमें इतना लम्बा समय लग जाता था जिसके कारण उसका विकास का कार्य अवरुद्ध होता था। जहां तक डा0 राजेन्द्र सिंह जी की चाहत है कि शासी निकाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में सोसाइटी की जो सम्पत्ति होती तो बिना साधारण सभा और शासी निकाय की अनुमति के तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। यह कहां से आपको शंका हो गई कि बिना शासी निकाय के एक कर देंगे। सोसाइटी के संचालन में कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं होता। सोसाइटी का जो अधिकार है वह सामूहिक होता है। उसकी बाईलाज से जो अधिकार मिलता है उसके अनुसार उसका संचालन होता है। कहीं पर उसकी आमसभा को सारी शक्ति दी गई है कहीं पर प्रबन्ध कार्यकारिणी को शक्ति दी गई है जिसको शक्ति दी गई है

इन्डीविजुवल व्यक्ति इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इस शंका को करने का कोई कारण नहीं है, यह शंका निर्मूल है। सामूहिक रूप से सोसाइटी के नियमों के अनुसार, जो उसके बाध्यकारी नियम हैं, जो उसके बाईलाज में है, उन नियमों के तहत अगर वह अपनी कुछ सम्पत्ति का अन्तरण करके और उसके विकास के बारे में सोचता है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है और यह अधिकार मिलना भी चाहिये क्योंकि बड़ी मेहनत और परिश्रम करके लोग सोसाइटी बनाते हैं। अगर आम जनता का सहयोग लेकर हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और उसमें किसी तरह का कोई रोड़ा या रुकावट आती है तो इससे सोसाइटी का हित सम्भव नहीं हो पाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि अधिकांश प्रदेशों में यह धारा 5(क) नहीं सम्मिलित थी केवल उत्तर प्रदेश के इस अधिनियम में धारा 5 (क) शामिल किया गया था इसलिये इस धारा को हटाने का निर्णय लिया गया है और मैं समझता हूं कि यह किसी भी तरह से अनुचित नहीं है बल्कि यह उचित है और संस्था के हित में है इसलिये मैं चाहूंगा कि मा0 जोखूलाल यादव जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है, वह उसे वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 जोखू लाल यादव जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं बल्कि अपने संकल्प पर बल दे रहा हूं और बल इसलिये दे रहा हूं कि धारा 5 (क) के रहते जो व्यवस्था है कि कोई सोसाइटी के अधिशासी निकाय या उसका कोई सदस्य उस सम्पत्ति का अन्तरण नहीं कर सकता है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या-21 सन् 1860 की धारा-5 क का निकाला जाना

2-सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5-क निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2008

3-(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशेधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 18 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

फरवरी, 2009

18 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) विधेयक, 2009

(2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009

(3) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009

19 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (13 फरवरी, 2009 के स्थान पर)

3-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।"

(2) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय।"

(3) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाय।"

(4) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाई जाय।"

4-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं कचरे को सीधे नदियों एवं नालों में प्रवाहित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय।"

(2) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में वृक्षों एवं वनों के अवैध कटान रोकने सम्बन्धी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।"

20 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 शनिवार, 22 रविवार, 23 सोमवार — बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि अवकाश)

24 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

25 बुधवार, 26 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

27 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा सम्बन्धी सिफारिश से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा सम्बन्धी सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना, श्री लालजी यादव की सिद्धार्थनगर स्थित चोरयी ताल, गायघाट एवं डड़िया विशुनपुर के बीच राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर के ग्राम इण्ट्रीग्रन्ट टोला में श्री दिनेश मिश्र के घर पड़ी डकैती के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना, श्री विरजूराम की जनपद जौनपुर स्थित बरैछा बीर धाम तथा कीना बाबा के मध्य गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के ग्राम कुशहवा में ग्रामवासियों पर पुलिस द्वारा किये गये फर्जी मुकदमा वापस लेने एवं ग्रामीणों के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना (सामान्य) ग्रामीण मार्ग के प्रस्ताव व आगणन को वर्ष 2009-10 में स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठीं सूचना श्री संजय कपूर की प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के चयन में जनपद के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री उदय राज यादव की उन्नाव के ग्राम सभा पारा में सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की राशन सामग्री बाजार में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री विश्वनाथ की कुशीनगर के फाजिलनगर स्थित नहरों में पानी न आने एवं जमी सिल्ट की सफाई न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर खीरी अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की

सहारनपुर के ग्राम नगला बाबैल खुर्द के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री आरिफ

अनवर हाशमी की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के निश्चेतना विभाग के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री प्रदीप माथुर, श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री निर्मल कुमार वर्मा, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री जोखू लाल यादव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री दशरथ प्रसाद चौहान, श्री श्रीपति आजाद, श्री उदयभान करवरिया, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सुखलाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री कैलाश चौरसिया, श्री दीनानाथ कुशवाहा, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डॉ0 अनिल चौधरी, डा0 पी0के0 राय, श्री अशोक कंसल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री मदन भैया, श्री कुवेर सिंह, श्री पंकज मलिक और श्री यशपाल सिंह चौहान।

प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु 20 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को योग्यता रखने वाले लगभग 70,000 कर्मचारी विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं जो पूरी योग्यता एवं क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-05, 1982 (यथासंशोधन) प्राख्यापित है। उक्त अधिनियम की धारा-33 में किये गये प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 बनाई गई है। उक्त प्रक्रियानुसार इण्टरमीडिएट/हाईस्कूल स्तर के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, प्रवक्ता श्रेणी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने एवं 50 प्रतिशत पद प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के मौलिक रूप से नियुक्त अध्यापकों में से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की मांगों पर दिनांक 25-5-2008 को प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी (श्री शैलेश कृष्ण) की

अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड के सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पदों पर अर्ह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का चयन किये जाने विषयक निर्णय लिया गया है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम-10 ख एवं ग में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है जो कि परीक्षणाधीन है।]

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विश्वबैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त धन का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 13-2-2009 को दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में विश्वबैंक पोषित यू0पी0एच0एस0डी0पी0 परियोजना चल रही थी .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जिससे प्रदेश के संचित निधि से बिना खर्च किये परियोजना से आच्छादित पिछड़े जनपदों में जनता को स्वास्थ्य के प्रत्येक कम्पोनेन्ट से कुछ राहत तो मिली थी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अकर्मण्य अधिकारियों, जिनका शासन ने आज तक कोई उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया है, के कारण द्वितीय चरण का रु0 800.00 करोड़ विश्वबैंक ने उत्तर प्रदेश को देने से मना कर दिया, जिससे इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अत्यधिक बुरा असर पड़ने वाला है।

इस प्रकार उक्त के दृष्टिगत परियोजना के प्रथम फेज का कार्य सुचारु रूप से न होने के कारण द्वितीय फेज हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिये धनराशि अवमुक्त न होने के बारे में राज्य सरकार से उत्तर की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना का प्रथम चरण जुलाई, 2000 से दिसम्बर, 2005 तक संचालित था। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप विश्वबैंक ने परियोजना को दिनांक 31-12-2008 तक विस्तारीकरण प्रदान किया था।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दिनांक 19-3-08 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से यू0पी0एच0एस0डी0पी0 द्वितीय चरण पर सहमति देने हेतु अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर में दिनांक 21-4-08 को भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रथम चरण की परियोजना दिसम्बर, 2005 तक की थी और इसका विस्तारीकरण दिसम्बर, 2008 तक किया जा चुका है। अतः इस स्थिति में द्वितीय चरण की परियोजना पर स्वीकृति प्रदान करना सम्भव नहीं है। अतएव यह कहना सही नहीं है कि परियोजना के प्रथम चरण का क्रियान्वयन सुचारु रूप से न होने के कारण द्वितीय चरण की स्वीकृति नहीं मिली। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही भारत सरकार के द्वारा परियोजना जो कि दिसम्बर, 2005 में ही समाप्त हो जाने वाली थी, का विस्तारीकरण दिनांक 31-12-08 तक किया गया। भारत सरकार के द्वारा परियोजना के द्वितीय चरण पर स्वीकृति प्रदान न किये जाने की दशा में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के हित में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 31-7-08 द्वारा भारत सरकार से पुनः परियोजना के विस्तारीकरण के लिये अनुरोध किया गया गया। इसके उपरान्त पुनः दिनांक 01-10-08 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को यू0पी0एच0एस0डी0पी0 द्वितीय चरण की ड्राफ्ट पी0आई0पी0 प्रेषित करते हुए परियोजना के द्वितीय चरण पर सहमति हेतु अनुरोध किया गया।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 12-12-08 के द्वारा प्रश्नगत मामले में यह सूचित किया गया कि चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, इसके दृष्टिगत समान क्रिया-कलापों के लिये वाह्य सहायतित परियोजना की आवश्यकता नहीं है और भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रदेश के नर्सिंग तथा चिकित्सा शिक्षा के दृष्टिगत कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

भारत सरकार के सुझाव के दृष्टिगत परियोजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले विभिन्न घटकों का निर्धारण किया गया है और इसे प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 03-02-09 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए इस पर सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ विश्व बैंक से भी परियोजना के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रम/निर्धारित किये गये घटकों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति पर प्रथम दृष्ट्या भारत सरकार द्वारा सहमति न देने का कारण यह नहीं है कि परियोजना के संचालन में अकर्मण्यता बरती गई है या इसका संचालन सही ढंग से नहीं हुआ है। सिद्धान्त रूप में भारत सरकार के द्वारा यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के द्वितीय चरण के संचालन पर सहमति इसलिये प्रदान नहीं की गई कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जो परियोजनायें संचालित की जा रही

हैं, उन्हीं परियोजनाओं को यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत संचालित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार तकनीकी आधार पर परियोजना पर भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और इस सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये। इन सुझावों के दृष्टिगत राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण विकास एवं सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाह्य सहायतित परियोजना की निरन्तरता बनाये रखने हेतु नये विषयवस्तु/घटक चिन्हित करते हुए भारत सरकार तथा विश्व बैंक से पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति हेतु अनुरोध किया जा चुका है। यह स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार के अथक प्रयास से परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि राज्य सरकार प्रदेश के जन स्वास्थ्य के प्रति सतत् जागरूक, संवेदनशील तथा कृतसंकल्प है तथा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तरोत्तर गुणात्मक विकास के लिये प्रतिबद्ध है और वाह्य सहायतित परियोजनओं के माध्यम से संसाधन प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सोसर दनियापुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 13-02-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि शाहजहांपुर से ग्राम रौसर दनियापुर जाने वाला मार्ग बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[पिछले 40 वर्षों में यह मार्ग नहीं बना है, न ही इसकी समुचित मरम्मत हुई है। इस वर्ष वर्षाकाल में स्थानीय नागरिकों ने इस मार्ग के बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर गया था, इस पर छोटी-छोटी नावें चलवाई, समाचार-पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने इसको काफी उछाला परन्तु पी0डब्लू0डी0 के कानों में जूं नहीं रेंगी। इस मार्ग पर 5.00 कि0मी0 के रेन्ज में पड़ने वाली आबादी का उल्लेख करते हुए लेपन स्तर तक बनाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को आगणन गठित कर शासन को स्वीकृत हेतु उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं आगणन प्राप्त होने पर कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

प्रदेश में स्थित सई नई को प्रदूषण से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

सई नदी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों से होकर प्रवाहित होती है.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[सई नदी जनपद हरदोई से निकल कर जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए लगभग 600 कि0मी0 की दूरी तय करके जलालपुर, जनपद-जौनपुर नामक स्थान पर गोमती नदी में मिलती है। सई नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र होने के कारण सतत् प्रभावी नहीं है। केवल नहरों बरसाती नालों तथा नदी के किनारे बसे शहरों के सीवेज उत्प्रवाह तथा औद्योगिक उत्प्रवाह ही उसके प्रमुख जल स्रोत हैं।

सई नदी के जल की गुणता की मानीटरिंग जनपद प्रतापगढ़ के गायघाट पर क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा दिनांक 15-1-09 को की गई, जिसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.9 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी तथा बेलामाई घाट, प्रतापगढ़ में सई नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.8 मि0ग्रा0/ली0 पायी तथा डाउन स्ट्रीम प्रतापगढ़ (निकट रेलवे ब्रिज निकट सिटी नाला मिलने के बाद) में सई नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.6 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी, जो बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

जनपद प्रतापगढ़ में कोई प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं है जनपद रायबरेली में 5 उद्योग स्थापित हैं एवं सभी में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र लगे हैं, जिनमें 4 उद्योगों के नवीनतम निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप पाये गये। रायबरेली स्थित सरकारी चीनी मिल का निरीक्षण दिनांक 02-01-2009 को किया गया एवं उत्प्रवाह मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। तद्नुसार उद्योग को दिनांक 21-01-09 को नोटिस प्रेषित की गयी है।]

जनपद इलाहाबाद में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद इलाहाबाद में बढ़ते अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गई जिसमें अवगत कराया गया है दिनांक 22-10-2008 को टी0एस0 आई0 श्री हारून रशीद द्वारा कुंदन गेस्ट हाउस पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।.....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[वाहनों की चेकिंग के दौरान पल्सर मोटर साइकिल का चालान 3 सवारी में करते हुए सीज किया गया। इसी समय तीनों सवार व्यक्ति योगेश कुमार दुबे, बृजेश कुमार मिश्रा व आनन्द कुमार गुप्ता द्वारा सड़क पर हंगामा करने पर धारा 34 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार कर जाती मुचलके पर रिहा किया गया। योगेश कुमार के पास से पिस्टल नं0-324406 बरामद हुई जिसका कोई कागज उसके पास नहीं था जिसे कब्जे में लेकर थाना जार्जटाउन पर दाखिल किया गया।

दिनांक 20 जुलाई, 2008 को ग्रामीण आवास विकास अध्यक्ष के चालक रतन कुमार गाड़ी नं0 यू0पी0 70 एच 0090 गाड़ी को लेकर राम भवन चौराहे पर गया था, वहां पर आपसी कहासुनी के दौरान गाड़ी का शीशा दो अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था जिसके सम्बन्ध में एन0सी0आर0 21/08 धारा 427 पंजीकृत किया गया। अवैध वसूली की बात गलत पायी गयी।

टी0 के0 मुखर्जी मकान नं0 50ए/25बी रामबाग शक्ति होटल के पीछे वर्तमान में रह रहे हैं जिसे मा0 मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता के भाई बच्चा द्वारा अपनी मां के नाम रजिस्ट्री कराई गई है जिनके द्वारा उक्त मकान को खाली करने के लिये श्री मुखर्जी को कई बार कहा गया। इस पर आवेदक श्री मुखर्जी के प्रार्थना-पत्र देने पर उनके भवन के उपभोग में कोई अवैध व्यवधान न हो, इस दृष्टि से दो सशस्त्र आरक्षी नियुक्त किये गये हैं।

मकान नं0-24, एस0पी0 मार्ग मूलरूप से श्री किशोर सहगल निवासी 85/40 सी सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद का है। उक्त मकान में दिनेश एवं रमाकान्त दुबे के मध्य कमरे को लेकर विवाद था। दि0 27-11-08 को थाना सिविल लाइन द्वारा शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विवादित खाली कमरे के सम्बन्ध में धारा 145 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट अपर नगर मजिस्ट्रेट के यहां प्रेषित की गयी जो विचाराधीन न्यायालय है। पुलिस द्वारा कमरे को ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

दिनांक 18-12-08 को वादी श्री इम्तियाज निवासी 69 काला डांडा, थाना खुल्दाबाद, इलाहाबाद द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पुत्र शुजा ने उसके ऊपर पारिवारिक रंजिश के कारण तेजाब डाल दिया जिससे वह जल गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-369/08 धारा 326 भा0दं0वि0 बनाम शुजा आदि पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में कु0 उज्जमा पुत्री मो0 इम्तियाज द्वारा यह भी सूचना दी गई कि उसके पिता वादी इम्तियाज पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी मां श्रीमती मासुमा खातून को गाली गलौज/मारपीट कर रहे थे। तभी उसका भाई

शुजा आ गया इतने में उसके पिता गिलास में तेजाब लेकर उसकी मां के ऊपर छोड़ने का प्रयास किया तब तक वह बीच में आ गई जिससे उसकी मां के ऊपर तेजाब न गिरकर उसके पैरों पर गिर गया। बीच-बचाव में शुजा भी आ गया। उसके हाथ पर भी गिर गया। शुजा हुसैन ने हाथ झटका तो तेजाब पिता इम्तियाज के ऊपर गिर गई। इस सूचना पर मु0अ0सं0-369ए/08 धारा 326 भा0द0वि0 बनाम इम्तियाज आदि पंजीकृत किया गया। तत्क्रम में प्रभारी निरीक्षक खुल्दाबाद मय हमराहियान उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर मौके पर पहुंचे। मो0 इम्तियाज के मकान के दक्षिणी पूर्वी कमरे की तलाशी ली गई तो एक 38 बोर देशी रिवाल्वर व दो जिंदा कारतूस, एक अदद तमंचा 315 बोर व 15 जिंदा कारतूस, एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 15 कारतूस, दो अदद एच0ई0-36 जिंदा ग्रेनेड, एक अदद देशी बम एस0एल0आर0 7.62 के जिंदा कारतूस-22 अदद एक कारतूस 410 बोर, 02 अदद जी0आई0 स्लैब, 2 अदद टी0एन0टी0 स्लैब, फ्यूज वायर, दो अदद डेटोनेटर बरामद हुए। इस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-371 व 372/08 धारा 35/30 शस्त्र अधि0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम इम्तियाज हुसैन, शुजा व रजा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मु0अ0सं0-369/08 धारा 326 भा0दं0वि0 में विवेचनोपरान्त दोषियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। स्पष्टतः प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही की गयी है।

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद के शिक्षक अखिलेश चन्द्र सिंह के पुत्र अंकित सिंह की गुमशुदगी की सूचना दिनांक 09-1-2009 को थाना धूमनगंज में दर्ज की गयी है। इसकी जांच उप निरीक्षक ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रारम्भ की गई। जांच में किसी भी साक्ष्य को पुलिस द्वारा विलोपित नहीं किया गया है। दिनांक 13-1-2009 को गुमशुदगी अपहरण के अभियोग में परिवर्तित करते हुए थाना धूमनगंज में मु0 अ0 स0-17/2009, धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। इस अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक पवन कुमार पटेल द्वारा प्रारम्भ की गई। इस अभियोग में सौरभ यादव पुत्र राम शंकर निवासी एल0आई0जी-159, प्रीतम नगर, थाना धूमनगंज, इलाहाबाद जीतू यादव पुत्र राजेश यादव नि0 टिकरी, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी एवं मोनिका सिंह पुत्री डा0 अरुण सिंह नि0 बेनीपुर, थाना धाता, जनपद फतेहपुर को दिनांक 05-2-2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जो वर्तमान में जेल में हैं। पुलिस द्वारा इस अभियोग की गहराई के साथ विवेचना की जा रही है। अब तक प्राप्त हुए सभी साक्ष्यों को विवेचना में समाहित किया गया हैं अभी तक अपहृत अंकित सिंह की बरामदगी नहीं हो सकी है।

दिनांक 28-1-2009 को श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, निवासी आजाद स्क्वायर, साउथ मलाका, थाना कोतवाली, इलाहाबाद ने सूचना दिया कि उनके बहनोई श्री प्रमोद कुमार उम्र लगभग 57 वर्ष, बहन डा0 दीपा अग्रवाल उम्र 52 वर्ष एवं भांजा अमित अग्रवाल उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी 25डी दरभंगा कालोनी, सीवाई चिंतामणि रोड, थाना जार्जटाउन, इलाहाबाद की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई हैं इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच कर मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-43/09, धारा 394/302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना

के बाद तीन अभियुक्तों शेरा, चकोरी एव बब्लू को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान रुपया, आभूषण, दुर्लभ सिक्के और डाक टिकट बरामद किया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 02-02-09 को संजीव रामचन्दा, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा चौकीदार तुलसीराम पटेल की हत्या से सम्बन्धित सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन में अप0 सं0-73/09 धारा 302 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से तिजोरी गायब होने के तथ्य मिलने पर धारा 460 भा0द0वि0 की वृद्धि की गई। पुलिस द्वारा गायब सम्पूर्ण धनराशि मय तिजोरी बरामद करते हुए घटना में शामिल सभी पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 11 जनवरी, 2009 को थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0-7/09 धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 वादिनी कु0 ममता पुत्री अर्जुन लाल भारती निवासी 52 सर्कुलर रोड, थाना कैण्ट द्वारा पंजीकृत कराया गया था। घटना में घायल भीम सिंह पुत्र नन्द लाल की दिनांक 18-1-09 को इलाज के दौरान मृत्यु होने पर अभियोग में धारा 302/452 भा0द0वि0 की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद 05 अभियुक्तगण में से 03 सत्येन्द्र सोनकर, नीरज सोनकर एवं नन्दू सोनकर को जेल भेजा जा चुका है एवं शेष 02 अभियुक्तगण रोमी सोनकर एवं पप्पू पहाड़ी उर्फ नरेन्द्र सोनकर के विरुद्ध 83 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

मु0अ0सं0-34/09 धारा 364/302/201 भा0द0वि0 थाना दारागंज में मृतक नान बच्चा का शव दि0 11-2-09 को अभियुक्त प्रदीप निषाद थाना नैनी की निशानदेही पर बरामद किया जा चुका है। बाद पंचनामा व पोस्टमार्टम परिवार वालों द्वारा शव दि0 11-2-09 को दाह संस्कार कर दिया गया है।

रजत सुधार सभा/धोबी घाट की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र/शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।]

जनपद आजमगढ़ स्थित ठेकमा मंगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13-02-2009 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में ग्राम देवकली, ब्लाक-ठेकमा, मंगई नदी पर पुल निर्माण सन् 2003-2004 में स्वीकृत था.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[लेकिन किसी कारणवश पुल का निर्माण नहीं हो सका। इसका स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 में पड़ी है। पुल न बनने से क्षेत्रीय जनता को आने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। अतएव लोक हित के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूर्व में स्वीकृत धन से पुल निर्माण कराये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में क्षेत्र से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में विधान सभा मेंहनगर में ग्राम-देवकली में रामगढ़, ब्लाक-मेंहनगर मंगई नदी पर सेतु की स्वीकृति त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-856/35-4-06, दिनांक 31-03-2006 द्वारा रु0 260.75 लाख की वर्ष 2005-06 में प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष जिला प्रशासन से निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को रु0 200.60 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसमें सेतु निर्माण की कुल लागत रु0 121.75 लाख सेतु निर्माण इकाई, आजमगढ़ को दिनांक 27-01-07 को उपलब्ध करायी गयी। सेतु निगम द्वारा परिकल्पना हेतु जलप्रवाह की गणना की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। दिनांक 21-02-07 को विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने एवं आचार संहिता लागू हो जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

3-नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-832/35-4-07, दिनांक 08-06-07 के द्वारा एसे कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुए हों, को निरस्त मानते हुए उनके लिये अवमुक्त धनराशि राज्य की प्राप्तियों में जमा कर शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र सं0-1789/त्वा0आ0यो0 (अ0 एवं सं0)/07-08, दिनांक 25-09-07 ट्रेजरी चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार दिनांक 15-02-2008 को धनराशि रु0 200.60 लाख ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कर दी गयी है। यह धनराशि जिला प्रशासन द्वारा शासन को वापस की जा चुकी है।]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ग्राम सभा बघरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सूचना दी गयी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बघरा में प्रस्तावित नगर पंचायत बघरा.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। प्रस्तावित नगर पंचायत बघरा में सम्मिलित होने वाली ग्राम सभाओं की नगर पंचायत में सम्मिलित होने हेतु उनकी सहमति एवं ग्राम सभा बघरा को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निदेशक पंचायतीराज की अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 26-10-07 द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को निर्देश दिये गये हैं तथा प्रकरण में निदेशक स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ की आख्या/संस्तुति भी मांगी गयी है किन्तु अभी तक उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा(3)/82, दिनांक 10-09-86 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं में द्वारा टाउन/नोटीफाइड एरिया बनाये जाने हेतु उक्त विषयक प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार प्रस्तावित नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाली ग्राम सभा हैदरनगर, जलालपुर द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम सभा अमीरनगर, जलालपुर, अलीपुर खुर्द सैदपुर खुर्द एवं बुडीनाखुर्द द्वारा प्रस्तावित नगर पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः ग्राम सभा अमीरनगर, जमालपुर, अलीपुर खुर्द, सैदपुर खुर्द एवं बुडिना खुर्द द्वारा प्रस्तावित नगर पंचायत में सम्मिलित न होने के प्रस्ताव के दृष्टिगत ग्राम सभा बघरा टाउन एरिया बनाये जाने के मानकों की पूर्ति नहीं करता है।

मानक पूर्ण न होने के कारण ग्राम सभा बघरा, जनपद मुजफ्फरनगर को टाउन एरिया बनाया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री मदन चौहान द्वारा जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-6 में.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[निम्नलिखित 03 सड़कों के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग होने, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के आधार पर उच्चस्तरीय जांच कराकर विशेष मरम्मत कराने हेतु वक्तव्य की मांग की गई है :-

1-ब्रजघाट से बहादुरगढ़ मार्ग।

2-बक्सर से लोदीपुर ढाना मार्ग।

3-ग्राम वैट से नानई मार्ग।

2-मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के द्वारा की गयी मांग के क्रम में दिनांक 17-02-2009 को केवल वक्तव्य के लिए इसे स्वीकार किया गया है।

3-उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनो संपर्क मार्गो के संबंध मे शासन से उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) को एक सप्ताह में जांच कराने के निर्देश दिये गये है। जांच के उपरांत यदि कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते है, कल 11.00 बजे पुनः मिलेगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ:
दिनांक 17 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर।)

जिला अन्धता निवारण समिति, शाहजहांपुर

वर्ष 2007-08 में संस्थावार किये गए मोतियाबिन्द आपरेशन

क्रम	स्थान का नाम	कुल किये गये आपरेशन
1	जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर	1203
2	पुवायां	238
3	बण्डा	126
4	सिंधौली	102
5	तिलहर	240
6	जलालाबाद	71
7	कांट	105
	योग-	**2085**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता0प्र0सं0-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर।)

जनपद खीरी में विज्ञान वर्ग में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम
1	बी0 डी0 भारतीय इण्टर कालेज, मैगलगंज, खीरी
2	गुरुनानक इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी,
3	इस्लामिया इण्टर कालेज, खीरी,
4	राजा प्रताप विक्रम शाह इण्टर कालेज, सिगाही, खीरी,
5	स्वामी श्याम प्रकाश इण्टर कालेज, खीरी,
6	राजकीय इण्टर कालेज, धौरहरा, खीरी,
7	भगवान वी आर्य कन्या इण्टर कालेज, खीरी,
8	वी0पी0एल0सी0 इण्टर कालेज, खमरिया, खीरी,
9	धर्मसभा इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी,
10	राजकीय इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी,
11	जे0पी0 इण्टर कालेज, मोहम्मदी, खीरी,
12	कृषक समाज इण्टर कालेज, गोला, खीरी,
13	श्री लाल बहादुर शास्त्री, इण्टर कालेज, मैलानी, खीरी,
14	पी0के0 इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी,
15	पब्लिक इण्टर कालेज, गोला, खीरी,
16	युवराज दत्त इण्टर कालेज, ओयल, खीरी,
17	राजा लोने सिंह इण्टर कालेज, मितौली, खीरी,
18	महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, तिकुनिया, खीरी,
19	सनातन धर्म स0वि0म0वा0 इण्टर कालेज, खीरी,
20	गुरुनानक इण्टर कालेज, पहाड़पुर ऊषाफार्म, खीरी,
21	श्री रामलीला बालिका इण्टर कालेज, पलिया, खीरी,
22	श्री छाजू राम क्रेन गोवर्स इण्टर कालेज, मीरा, खीरी,
23	कु0 खुशवक्त राय कन्या इण्टर कालेज, खीरी,
24	आदर्श विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, खीरी,
25	श्रीमती चन्द्रप्रभा स0वि0म0 इण्टर कालेज, खमरिया, खीरी,
26	गुरु तेज बहादुर इण्टर कालेज, मेंहगापुर, खीरी,
27	पब्लिक इण्टर कालेज सम्पूर्णनगर, खीरी,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिये अता0प्र0सं0-34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर।)

संलग्नक

वर्ष 2005-06 व 2006-07 में राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिला योजना व राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द व कमासिन में निर्माण कराये गये चेकडैम, चेकडैम/रपटा का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	विकास खण्ड	योजना	चेकडैम, चेकडैम/रपटा का नाम/स्थान	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मी0)
1	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-पिपरी प्रथम	8.44	16.00
2	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-पिपरी द्वितीय	6.93	15.00
3	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-चहितारा	11.23	22.00
4	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-जौरही प्रथम	6.30	14.00
5	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-मौदहा	9.98	24.00
6	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम/रपटा-इटवा	19.92	34.80
7	2005-06	बड़ोखर	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-गोयरा मुगली	9.54	20.00
8	2005-06	जसपुरा	रा0स0वि0यो0	चेकडैम/रपटा-झंझरी	18.72	33.00
9	2005-06	जसपुरा	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-तनगामऊ	13.82	17.90
10	2005-06	जसपुरा	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-सिकहुला	18.50	21.78
11	2005-06	जसपुरा	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-बड़ागांव	17.49	24.77
12	2005-06	जसपुरा	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-गौरीकला	8.55	20.50
13	2005-06	तिन्दवारी	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-छापर प्रथम	13.72	24.00
14	2005-06	तिन्दवारी	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-छापर द्वितीय	13.70	22.00
15	2005-06	तिन्दवारी	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-बेंदा द्वितीय	16.00	24.00
16	2005-06	तिन्दवारी	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-बेंदा तृतीय	16.34	28.00
17	2005-06	तिन्दवारी	रा0स0वि0यो0	चेकडैम/रपटा बेंदा	27.50	33.00
18	2005-06	कमासिन	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-लाखीपुर	7.87	16.00
19	2005-06	कमासिन	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-बनथरी	10.16	16.00

क्र0 सं0	वर्ष	विकास खण्ड	योजना	चेकडैम, चेकडैम/रपटा का नाम/स्थान	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मी0)
20	2005-06	कमासिन	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-अन्दौरा	8.54	17.00
21	2005-06	कमासिन	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-कुरेहा द्वितीय	6.65	15.00
22	2005-06	कमासिन	रा0स0वि0यो0	चेकडैम-पछौहा	6.69	14.00
23	2005-06	बड़ोखर	एन0एफ0एफ0 डब्लू	चेकडैम-गन्छा	5.05	15.00
24	2005-06	बड़ोखर	जिला योजना	चेकडैम-जौरही द्वितीय	6.40	14.40
25	2005-06	तिन्दवारी	जिला योजना	चेकडैम-छापर तृतीय	11.74	20.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (घ)

(देखिये अता0प्र0सं0-108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर।)

कार्यरत सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों की सूची

क्रम संख्या	निगम का नाम
1	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम
2	यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0
3	उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम, लि0
4	उ0प्र0 वक्फ विकास निगम, लि0
5	उ0प्र0 आवास विकास परिषद्
6	उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम
7	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0
8	यू0पी0 डेवलपमेंट सिरटग्स कारपोरेशन लि0
9	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
10	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लि0
11	उ0प्र0 वन निगम
12	उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, लि0
13	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लि0
14	पिकप
15	उ0प्र0 वित्तीय निगम
16	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि0
17	उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लि0
18	उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम, लि0
19	उ0प्र0 जल निगम
20	उ0प्र0 निर्यात निगम, लि0
21	उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, लि0
22	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0
23	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0
24	उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लि0
25	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लि0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	निगम का नाम
26	उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम, लि0
27	उ0प्र0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लि0
28	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0
29	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, लि0
30	उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम, लि0
31	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम, लि0
32	उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लि0
33	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
34	उ0प्र0 बीज विकास निगम, लि0
35	उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी, लि0
36	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0
37	उ0प्र0 सचिवालय खानपान निगम
38	उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0
39	यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0
40	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम
*41	उ0प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0
*42	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन रोजिन कम्पनी लि0

टिप्पणी :-(1) क्रमांक-38 से 40 पर अंकित उपक्रम/निगम का शासनादेश के अन्तर्गत दिनांक 20-6-2002 से सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो की परिधि के बाहर होने के कारण उनका अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

(2) क्रमांक-41 एवं 42 पर अंकित उपक्रमों/निगमों के कार्यकलाप बन्द परन्तु औपचारिक आदेश प्रतीक्षित है। अतः उनका अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2006-07 में हानि पर रहे निगमों की सूची
(वर्ष 2006-07 में फ्लैश रिजल्ट्स पर आधारित)

क्र0सं0	निगम/उपक्रम
1	उ0प्र0 महिला कल्याण निगम
2	उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0
3	उ0प्र0 निर्यात निगम लि0
4	उ0प्र0 हैण्डलूम कारपोरेशन लि0
5	उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0
6	उ0प्र0 राज्य स्पिनिंग कम्पनी लि0
7	उ0प्र0 आवास विकास परिषद्
8	उ0प्र0 जल निगम
9	उ0प्र0 शुगर कारपोरेशन लि0
10	उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लि0
11	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2006-07 तक संचित हानि पर रहे निगमों की सूची
(वर्ष 2006-07 में फ्लैश रिजल्ट्स पर आधारित)

क्र0सं0	उपक्रम/निगम
1	उ0प्र0 वित्तीय निगम
2	पिकप
3	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम
4	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
5	यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0
6	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
7	उ0प्र0 (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम
8	उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लि0
9	उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
10	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0
11	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0
12	उ0प्र0 (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0
13	उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0
14	उ0प्र0 निर्यात निगम लि0
15	उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0
16	उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0
17	यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0
18	उ0प्र0 जल निगम
19	उ0प्र0 चीनी निगम लि0
20	उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लि0
21	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

अनंतिम विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 19 विधान सभा (43)-13-5-2009-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।